राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] तेरहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का सैंतालीसवां दिवस [संख्या : 16

शुक्रवार,

13 अप्रैल, 2012

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष: माननीया श्रीमती किरण माहेश्वरीजी।

राजसमन्द जिले का हल्दीघाटी संग्रहालय एवं चेतक रैस्ट हाउस

328. **श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला राजसमन्द के हल्दीघाटी संग्रहालय एवं चेतक रैस्ट हाउस का संचालन कब प्रारम्भ हुआ एवं कब से बंद है?

(2) वर्तमान में उक्त संग्रहालय में प्रदर्शित महाराणा प्रताप, झालामान, हकीम खां सूरी, कई योद्धाओं और भामाशाहों के तैलचित्र, मूर्तियां एवं कलाकृतियों की भौतिक स्थिति क्या है?

(3) अब महाराणा प्रताप के शौर्य एवं बलिदान की साक्षी हल्दीघाटी स्थित संग्रहालय एवं रैस्ट हाउस को पुन: कब एवं किस प्रकार प्रारम्भ किया जाएगा?

(4) सरकार द्वारा हल्दीघाटी के विकास, संरक्षण एवं लोकप्रियता बढ़ाने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

पर्यटन मंत्री (श्रीमती बीना काक): (1) जिला राजसमन्द में कोई राजकीय संग्रहालय नहीं है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अधीन चेतक रैस्ट हाउस नाम से इकाई न होकर रैस्ट-वे, हल्दीघाटी है। रैस्ट-वे हल्दीघाटी का

(श्रीमती बीना काक)

संचालन 1976 में प्रारम्भ हुआ। इसका संचालन राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा वर्ष 1979 से 1983 तक किया गया। इस इकाई का संचालन वर्ष 1983 से 2002 तक लाइसेंस फीस के आधार पर लाइसेंसी द्वारा किया गया। वर्ष 2002 से 2006 तक यह इकाई बन्द रही। वर्ष 2006 में पुनः लाइसेंस पर संचालन के लिये दिया गया। लाइसेंसी फर्म द्वारा लाइसेंस फीस का भुगतान नहीं किये जाने पर वर्ष 2007 में लाइसेंस अनुबन्ध निरस्त कर पुनः निगम द्वारा कब्जा लिया गया। तब से अब तक यह इकाई बन्द है।

(2) उक्त संग्रहालय राजकीय संग्रहालय नहीं है।

(3) राजकीय संग्रहालय नहीं होने के कारण इसे प्रारम्भ करवाया जाना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा रैस्ट-वे, हल्दीघाटी को पुनः लाइसेंस पर देने की प्रक्रिया जारी है।

(4) राज्य सरकार द्वारा करवाये गये हल्दीघाटी के विकास एवं संरक्षण कार्यों की सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है। पर्यटन विभाग द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु प्रकाशित पर्यटन साहित्य में हल्दीघाटी से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है एवं पर्यटन विभाग द्वारा हल्दीघाटी, खमनोर में प्रताप जयन्ती के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा इस बाबत यथासम्भव प्रयत्न जारी है।

(सूची के लिए परिशिष्ट-1 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्रीमती किरण माहेश्वरीजी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय उपाध्यक्षजी, महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े हुए ऐतिहासिक स्थलों के विकास की योजना के रूप में मेवाड़ काम्प्लैक्स का विचार तत्कालीन मुख्य मंत्री आदरणीय भैरोंसिंहजी शेखावत का सपना था। उस सपने को साकार करने हेतु हल्दीघाटी, दिबेर, गोगुन्दा, चावण्ड, कुम्भलगढ़ इन सबके विकास की एक योजना बनी थी और इसी क्रम में सर्वप्रथम महाराणा प्रताप के शौर्य एवं बलिदान की साक्षी हल्दीघाटी में राष्ट्रीय स्मारक बनाये जाने हेतु शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया था। 21 जून, 1997 को तत्कालीन प्रधान मंत्री इन्द्रकुमार गुजरालजी, पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयीजी, तत्कालीन राज्यपाल बलिराम भगतजी एवं तत्कालीन मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत साहब सहित कई दिग्गजों के आतिथ्य में यह कार्यक्रम सम्पन्न हुआ था। उसके पश्चात् जब-जब कांग्रेस की

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

सरकार आयी यह मेवाड़ काम्प्लैक्स का कार्य ठंडे बस्ते में चला गया। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, माननीय वसुन्धरा राजेजी ने फिर इस मेवाड़ काम्प्लैक्स को हाथ में लिया और फिर विकास का कार्य शुरू किया। हल्दीघाटी में राष्ट्रीय स्मारक का काम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और पर्यटन विभाग के द्वारा शुरू किया गया और लगभग 2 करोड़ 15 लाख की लागत से सितम्बर, 2008 में यह कार्य पूरा हुआ। इसमें एप्रोच रोड बनाई गई, ओपन थियेटर बनाया गया, गार्डन, पार्किंग, टायलेट फैसिलिटी, रिटेनिंग वाल, फव्वारे यह सब आपने दिया है, इसमें बनाये। क्या यह सच है, मेरा प्रश्न है, कि 21 जून, 2009 को केन्द्रीय मंत्री सी.पी. जोशीजी एवं पर्यटन मंत्री के रूप में आप स्वयं ने इस राष्ट्रीय स्मारक का उद्घाटन किया? वहां आप लोगों ने तीन पौधे भी लगाये, पेपर में आपका फोटो भी हमने देखा। क्या आपने उसके बाद में इसकी चिन्ता की क्या, कि जो राष्ट्रीय स्मारक है, उस राष्ट्रीय स्मारक की कोई देखरेख भी हो रही है वहां पर? आपका जो जवाब आया है, उस जवाब में आपने कहा है, हल्दीघाटी में पर्यटन विभाग द्वारा कराये गये विकास कार्यों का विवरण।

श्री उपाध्यक्ष: लम्बा न करें। पांच मिनट हो गये एक प्रश्न में।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): लम्बे की बात नहीं है। देखिये, आप इस तरह से हमारा संरक्षण नहीं करेंगे और आप हमें यह कहेंगे कि पांच मिनट हो गये, दस मिनट हो गये...

श्री उपाध्यक्ष: नहीं-नहीं, टाइम का नहीं है, पांच मिनट में एक प्रश्न नहीं कर पाईं आप।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अभी प्रश्न मेरे पास में बहुत सारे हैं। सप्लीमेंट्री जो मूल प्रश्न के जवाब का है, वह मैं पूछ रही हूं, उसके बाद सप्लीमेंट्री पूछूंगी। जो इन्होंने जवाब दिया है, उसी के ऊपर पूछ रही हूं। पर्यटन विभाग द्वारा जो विकास कार्यों का विवरण आपने दिया है, उसी को पढ़कर सुना रही हूं। उसमें आपने लिखा है, चेतक समाधि स्थल पर विभिन्न विकास के कार्य, जैसे लैण्ड स्केपिंग, सम्पर्क सड़क, रिटेनिंग वाल आदि। अब मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगी कि सम्पर्क सड़क की जरूरत ही नहीं, क्योंकि चेतक समाधि स्थल तो मेन रोड के ऊपर ही बना हुआ है, इसलिये वहां कोई सम्पर्क सड़क ही नहीं है। लैण्ड स्केपिंग की जो बात कर रहे हैं, एक छोटा-सा गार्डन वहां पर बना हुआ है और उस गार्डन के विकास को देखें तो वहां पर कुछ भी

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

नहीं है। सिवाय इसके कि एक छोटा-सा लान लगा रखा है और कुछ प्लांटेशन किया हुआ है। महाराणा प्रताप स्मारक चेतक मगरी पर विभिन्न विकास के कार्य एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य, यह मुझे पता नहीं, कौन से स्मारक की बात की जा रही है। ओपन एयर थियेटर का निर्माण और ओरनामेंटल दासा, जो ओपन एयर थियेटर का निर्माण करवाया गया है, उसकी टाइल्स टूट गयी हैं, उस ओपन एयर थियेटर को कहीं पर यूज में नहीं लिया गया है। उस ओपन थियेटर को बनाने का क्या परपज था? वह कुछ भी नहीं हो रहा है। आपने लिखा कि घोड़े पर सवार अष्टधातु की प्रतिमा मय ओरनामेंटल पैडस्टल, 11 लाख की लागत में महाराणा प्रताप की वह मूर्ति वहां पर लगी थी। आज यह स्थिति है कि वह मूर्ति दो बार टूट चुकी है। अखबारों में फोटो आ गये। कभी तलवार टूट गयी, कभी भाला टूट गया और ये पेपर में फोटो आ चुके हैं। उसके बाद में वहां पर कुछ भी नहीं हुआ है। आपने इसमें लिखा है- पानी का टैंक, ट्यूबवैल और पम्प का निर्माण, हालत यह है कि जो पानी का टैंक बना है, वह बिलकुल खाली पड़ा है, उसमें पानी नहीं है। जो ट्यूबवैल चलता है, वह केवल वहां गार्डन में पानी देने के लिये बागवान आता है, एक पति और पत्नी, दो को पर्यटन विभाग ने रखा है जो वहां पर प्लांटेशन को पानी देने के लिये आते हैं। इतने बड़े में वे क्या-क्या प्लांटेशन को पानी देंगे, आप खुद सोच सकते हो। साढ़े तीन हजार रुपये उसकी तनख्वाह है। वहां सारा झांड-झंखाड़ हो रखा है। पूरे पौधे कंटीले लगे हुए हैं। कहीं पर कोई रखरखाव नहीं है। लाइट का जो आप कह रहे हो, 60 लाइटें लगी थीं, जिस दिन आप उद्‌घाटन करने आये थे, उस रात लाइटें जली थीं, उसके बाद में कभी लाइटें नहीं जलीं। पर्यटन विभाग को पूछते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे पास बिजली का बिल चुकाने का पैसा नहीं है। इसलिये वहां लाइट्स जलती नहीं हैं। वहां पर लाइटें टूटी-फूटी पड़ी हुई हैं। ऐसी बदतर हालत उस राष्ट्रीय स्मारक की करके सरकार क्या सोचती है कि हम लोग उद्‌घाटन कर लें, शिलान्यास की पट्टिका लगा दें, क्या यही पर्याप्त है? हम उद्‌घाटन की पट्टिका लगा दें, हमारा नाम वहां लगा दें, क्या यही पर्याप्त है? क्या सरकार की वास्तव में ऐसी भावना है- हल्दीघाटी का जो राष्ट्रीय स्मारक है उसका विकास हो या उसके अन्दर जो पैसा सरकार ने लगाया है, उस पैसे का दुरूपयोग न होकर ढंग से उसकी मेंटिनेंस हो सके? मेरा पहला सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि सरकार इस पर क्या सोचती है?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) नहीं, पहले मूल प्रश्नकर्ता का जवाब आने दो। फिर बाद में।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजसमन्द से आने वाली माननीय सदस्या ने शुरू में जो कहा कि मेवाड़ काम्प्लैक्स का विजन था, मुझे खुशी है कि उन्होंने नाम लिया स्वर्गीय भैरोंसिंह जी शेखावत, तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी का। मैं भी उनकी बहुत इज्जत करती थी और आप ही की तरह मैं भी उन्हें बहुत याद करती हूं। आज मैं अपनी ओर से उन्हें श्रद्धाजंलि देना चाहती हूं और खुशी व्यक्त करना चाहती हूं कि इस तरह से उन्होंने एक विजन देखा। कई काम भारत सरकार की तरफ से महाराणा प्रताप के शौर्य-बलिदान की गाथाएं आने वाली पीढ़िया याद रखें, उसके लिये किये गये। बहुत काम हुए। जिस पर्टिकुलर मोन्यूमेंट की बात कर रही हैं माननीय सदस्या, सी.पी. जोशीजी, मैं और वहां के एम.पी. साहब गये थे। आपने कहा कि हम लोगों ने वहां पर दरख्त लगाये, उनकी कोई देखभाल नहीं है। मैंने तो उसकी फोटो मंगवा ली है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जवाब आने दो। कल्याण सिंहजी, उसके बाद में आप प्रश्न पूछ लेना।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): इस चीज में हम बहुत पर्टिकुलर रहते हैं कि जो भी दरख्त लगाये जाएं, कम से कम जिनको हम लगाएं, वे तो जिन्दा रहें। यह कल की फोटो है जिसको मैं टेबिल कर दूंगी। इसमें तीन नीम के पेड़ लगाये थे और माशाअल्लाह तीनों नीम के पेड़ बहुत अच्छे प्रगति कर रहे हैं। और दो-तीन छोटी चीजें आपने कही हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस तरह के जो भी मोन्यूमेंट्स हैं, पर्यटन के विकास को देखते हुए पी पी पी मोड पर प्राइवेट सैक्टर की भी बहुत भागीदारी होनी चाहिये, मैंने जब उस मोन्यूमेंट को विजिट किया था तो मेरे सामने यह बात आई थी कि इसको किसी प्राइवेट संस्थान को दे दिया जाए। जो वहां का लोकल संस्थान हो, वह उसको सम्भालने का काम कर ले। हमने उस संस्थान के बारे में जानकारी प्राप्त की और संतुष्टि हुई क्योंकि यह जो संस्थान है, महाराणा प्रताप स्मृति संस्थान जिसका 17 साल पहले गठन हुआ था, कलक्टर इस संस्थान के अध्यक्ष हैं। उसमें 60 और मैम्बर्स हैं जिसमें एमपी हैं, वहां के एम एल ए सदस्य होते हैं, वहां के प्रधान होते हैं, वहां के एसडीएम होते हैं, बीडीओ होते हैं, एसपी होते हैं, सीईओ, नाथद्वारा टैम्पल ट्रस्ट के लोग होते हैं। साथ ही इस तरह के काम में

(श्रीमती बीना काक)

जो लोग रुचि रखते हैं, उनकी भी भागीदारी होती है और कुछ लोग जो एक्सपर्ट होते हैं, उनको भी रखते हैं, तो कलक्टर की अध्यक्षता की वह कमेटी है जिसको कि वर्ष 2011 के अन्दर यह काम सौंपा गया कि आप यह काम करें। ट्रस्ट के टर्म्स एण्ड कण्डीशन बाकायदा का एमओयू रखा गया कि वे उसकी देखभाल करेंगे। ट्रस्ट की ओर से वहां पर दो माली, एक चौकीदार और इलैक्ट्रिशियन लगाये गये हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माली?

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): देखभाल के लिए। माननीय, माली। बागवान।

श्री उपाध्यक्ष: बिना माइक के आपकी आवाज सुन ली जाती है।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): वे इसकी मेंटिनेंस कर रहे हैं। जैसे एमफी-थियेटर है, आप कह रहे हैं उसकी टाइल टूट गयीं। सरकार का काम होता कि सरकार इस तरह का काम करे। मेरा पर्सनल व्यू है कि हम इस तरह के कामों को फैसिलिटेट करें, क्रिएट करें, उसकी पब्लिसिटी करें और हम आगे बढ़ जाएं। उसके बाद स्थानीय लोगों का भी दायित्व होता है कि उसकी सार-सम्भाल करें। अगर कोई इस प्रकार की कमी लगती है तो मैं इसकी जांच करवा लूंगी, दिखवा लूंगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उसको और बनाने के लिए लोग वहां काम करें। मैंने वहां के कलक्टर से भी बात की है। उनके द्वारा मुझे पता चला कि कुछ टेण्डर ये लोग करने वाले थे जिसमें हार्स राइडिंग, कैमल राइडिंग, फोटोग्राफी, वहां पर रेस्तरां चलाना और टेलीस्कोपिक लैंस लगाकर जो वहां का व्यू है उसको देखना, लेकिन कलक्टर ने शायद टेण्डर डाक्यूमेंट को बहुत उपयुक्त नहीं पाया। वह टेण्डर डाक्यूमेंट किस प्रकार का होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की उसके अन्दर भागीदारी रहे, नो प्रोफिट नो लोस के ऊपर यह दिया गया था, तो इन सब चीजों को मैं दिखवा लूंगी। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अगर कलक्टर की अध्यक्षता में है और सारे पब्लिक रिप्रजेंटेटिव जिसमें भागीदार हैं तो वे स्वयं ही इस चीज को देख सकते हैं। उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पड़नी नहीं चाहिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि आपके

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

विभाग ने आपके सामने बहुत ही सुन्दर चित्रण प्रस्तुत कर दिया। आपने सदन के समक्ष यहां पर भी रख दिया। लेकिन आपकी आंखें हम लोग हैं क्योंकि हम वहां के जन प्रतिनिधि हैं। हम कोई बात हवा में नहीं कह रहे। आपको उन्होंने यहां पर तीन पेड़ों के फोटो भेज दिये। उसको फैक्स कर दिया और आप उसको टेबल पर ले-डाउन भी कर देंगी और बता देंगी कि तीन पेड़ वहां चल रहे हैं। That is not enough. आपने कह दिया कि हम तीनों आ गये थे - हमारे मंत्रीजी आ गये सीपी जोशी साहब, हम आ गये और वहां के एम पी साहब आ गये। वहां के स्थानीय एम एल ए साहब हैं उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं? आखिर यह सब वहां के एम एल ए को देखना है क्योंकि वे तीन तो चले जाएंगे। वह स्थानीय एम एल ए वहां पर देखेगा, जैसा कि आपने कहा कि वहां के लोकल लोगों को देखना चाहिए। तो लोकल तो वहां का एम एल ए होता है, उस एम एल ए को तो उस फंक्शन में आपने बुलाने की आवश्यकता ही नहीं समझी। खैर छोड़िए। वह काम तो दिबेर में भी हुआ। दिबेर में भी उद्घाटन के लिए महामहिम राष्ट्रपतिजी आयीं तो वहां पर भी वहां के स्थानीय एम एल ए हरि सिंहजी रावत को नहीं बुलाया गया। खैर कोई दिक्कत नहीं। मैं प्रश्न पूछ रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष: पूरक प्रश्न पाइन्टेड पूछिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): बिलकुल पूरक प्रश्न पाइन्टेड पूछ रही हूं। आपने कहा कि यहां पर एक महाराणा प्रताप स्मृति संस्थान है जिसके पदेन अध्यक्ष कलक्टर महोदय हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है और वह कमेटी समय-समय पर उसको देखती है। क्या मुझे आप तिथि बताएंगे कि उस कमेटी की लास्ट मीटिंग कब हुई, पहली बात? दूसरा, उस कमेटी का विवरण जो मेरे पास मौजूद है वह यह है कि उस कमेटी में 60 सदस्य तो हैं लेकिन हल्दीघाटी मेले में उस समिति की ओर से पुरस्कार वितरण के अलावा कोई कार्य नहीं किया जाता। वह जो हल्दीघाटी का मेला लगता है, उस मेले के अन्दर केवल पुरस्कार वितरण का कार्य होता है, उसके अलावा कहीं सक्रियता नहीं। अधिकांश सदस्य बाहर के हैं जिनका चुनाव चयन वर्षों से हुआ ही नहीं है। पता ही नहीं है कि क्या है, क्या नहीं। और तो और, टेण्डर्स या सारे जो प्रोसीजर्स आपने किये, आपने बताया कि हम लोग फोटोग्राफी, रेस्टोरेंट, हैण्डीक्राफ्ट, टेलीस्कोप इन सबकी दुकानें वहां लगाना चाहते हैं, उसके लिए जो टेण्डर्स काल किये, निविदाएं जिन्होंने भरीं, निविदा भरने वालों

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

ने जब वे निविदाएं डाक या व्यक्तिगत रूप से आकर देने की बात कही तो जो राजसमन्द का पता दिया गया था, वहां पर संस्थान के नाम से कोई कार्यालय संचालित नहीं होता है। यह आपकी जानकारी के लिए, माननीय मंत्री महोदया, सदन के समक्ष मैं कह रही हूं। आप यह कह रहे हो कि वहां पर संस्था है, इस संस्था ने जो टेण्डर्स काल किये और टेण्डर्स के लिए जो एड्रेस दिया, वहां पर किसी तरीके का कोई कार्यालय नहीं है।

दूसरा आपने जो एमओयू वगैरह साइन किये महाराणा प्रताप स्मृति संस्थान में स्मारक संचालन को लेकर, जून में जो एमओयू साइन हुआ था, उसको लेकर जो सारी निविदा प्रक्रिया हुई, उस पर भी कई क्वेश्चन मार्क लगे और कई बार वहां के पेपर्स में छप गयीं ये सब बातें।

श्री उपाध्यक्ष: आपका प्रश्न क्या है? पाइन्टेड क्वेश्चन।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं, क्या इसकी जानकारी आपको है कि वहां पर फर्जी टेण्डर प्रक्रिया हुई? क्या आपको उसकी जानकारी है कि उस संस्थान की लास्ट डेट आफ मीटिंग क्या थी? क्या उसकी जानकारी आप मुझे दे सकते हैं, एक बात? दूसरा, जब मैंने उनसे पूछा कि उसकी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं तो जबाव में मुझे कहा गया है कि उसके प्रचार-प्रसार हेतु प्रकाशित पर्यटन साहित्य में हल्दीघाटी से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है। लेकिन फैक्ट यह है...

श्री उपाध्यक्ष: बहुत लम्बा है। इतना जवाब कैसे आएगा?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): देखिए, प्रश्न को इस तरीके से मत लीजिए कि कोई राजनीतिक काम हो। यह राष्ट्रीय स्मारक महाराणा प्रताप जो कि सबके गौरव हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजो। एक-एक शब्द को रिपीट मत करो आप। पाइन्टेड प्रश्न पूछो।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): उनके जीवन से जुडे हुए स्थल जो हैं उनके डवलपमेंट की बात हो रही है। पर्यटन विभाग की बैवसाइट, ब्रोशर्स और प्रचार सामग्री में कहीं पर भी राष्ट्रीय स्मारक को कोई तवज्जोह नहीं दी गई है। यहां तक कि पर्यटन विभाग द्वारा जो पूरा सर्किट बनाने की योजना थी...

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजो। 17 मिनट हो गये एक प्रश्न में।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): उपाध्यक्षजी, आप हमारा संरक्षण नहीं करेंगे तो कौन करेगा? प्रश्न को पूछने का भी हमें अधिकार नहीं है? हम यहां पर अपने प्रश्न भी नहीं पूछ सकते क्या? (व्यवधान) अगर हम यहां पर अपने प्रश्न भी नहीं पूछ सकते तो ठीक है, हम नहीं पूछते हैं। हम यहां से चले जाते हैं। आप यह कह दें कि कोई प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है तो हम नहीं पूछेंगे। हम प्रश्न पूछ रहे हैं, हम यहां पर कोई भाषण नहीं दे रहे हैं। अगर प्रश्न का जवाब मंत्रीजी के पास में नहीं है तो कह दें कि उसका जवाब बाद में दे दिया जाएगा, लेकिन प्रश्न तो पूछ सकते हैं न हम। मैं आपके माध्यम से यही पूछना चाहती हूं कि ब्रोशर्स में और कहीं भी किसी तरीके से पर्यटन विभाग ने इसको नहीं किया तो क्या मेवाड़ काम्प्लैक्स को पर्यटन सर्किट बनाने की कोई योजना रखते हैं? दूसरी बात, जहां मेवाड़ काम्प्लैक्स में घोषित कर दिया, वहां निर्माण के ऊपर पाबन्दी आ गयी कि आप वहां पर कोई नया निर्माण नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजें, माननीय सदस्य। जवाब आने दीजिए आप।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आज भी रत्तलाई क्षेत्र के अन्दर नये निर्माण हो रहे हैं। क्या सरकार उसको रोकने के बारे में कुछ सोचती है क्या?

श्री हरिसिंह रावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे भी प्रश्न हैं, साथ ही जवाब दिलवा दीजिए न।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए। माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब शायद माननीय सदस्या ने बहुत ध्यान से नहीं सुना था। मैंने साफ कहा था कि टेण्डर डाक्यूमेंट बना है उसको कलक्टर ने उपयुक्त नहीं पाया था। वह खुद देख रहे हैं, उसमें कुछ खामियां हैं, उसको वह अभी जारी करेंगे। जो टेण्डर डाक्यूमेंट अभी गया है, उसमें कमी है। दूसरा, सीपी जोशीजी और हम गये थे। आपने कहा था कि वहां पेड़ लगाये। मैंने आपको वे पेड़ भी दिखा दिये। तीसरी बात कि हमने लोकल एम एल ए साहब को नहीं बुलाया। हम सब जन प्रतिनिधियो को बुलाते हैं। मैंने स्वयं इस चीज को सुनिश्चित किया था कि वे इसके लिए आएं। साथ ही आपने कहा कि पब्लिसिटी मैटीरियल कहीं नहीं है।

(श्रीमती बीना काक)

यह सारा मैटीरियल मैं आपको दे दूंगी। मेरे ख्याल से इससे विस्तृत जवाब कुछ नहीं मिल सकता। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य पूछ रहे हैं।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): एक मिनट। आपने मेले में अव्यवस्था की बात कही तो मेलों की संवदेनशीलता को देखते हुए कि मेले अच्छे होने चाहिए, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मेला प्राधिकरण बना दिया। जो जोधपुर के अन्दर दुखांतिका हुई थी उसका सबक लेते हुए, जिस तरह से वहां दर्दनाक हादसा हुआ था, पूरे राजस्थान के अन्दर सारे मेलों का अच्छी तरह से संचालन हो...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): वहां तो हो ही नहीं रहा है मेला।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): हर प्रकार की सुविधा दी जाए। तो मेला प्राधिकरण में लोकल लोगों का रिप्रजेन्टेशन होगा, कमेटीज बनेंगी जिला स्तर के ऊपर और सब मेलों को वो देखेंगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कल्याण सिंहजी, नाथद्वारा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय उपाध्यक्ष जी, क्या मंत्रीजी को इसकी जानकारी है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैंने उनका नाम पुकार लिया। केवल कल्याण सिंहजी नाथद्वारा का ही। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री कल्याण सिंहजी, नाथद्वारा। (व्यवधान) आप विराज जाएं।

श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा): माननीय उपाध्यक्ष जी। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री कल्याण सिंहजी का नाम पुकार लिया मैंने। मैंने कल्याण सिंहजी का नाम पुकार लिया। श्री कल्याण सिंहजी, नाथद्वारा। आप कल्याण सिंहजी का।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा): पहले तो, उपाध्यक्ष जी, आप यह बताएं कि मैं विधायक हूं कि नहीं हूं?

श्री उपाध्यक्ष: कल्याण सिंहजी, आप प्रश्न पूछिए।

श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा): मैं विधायक हूं कि नहीं, यह बताओ आप पहले? एक वोट से हारे हुए को इतनी, क्योंकि वो पर्यटन ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, यह प्रश्न नहीं है, आप विराजिये। आप विराजिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री हनुमानजी बेनीवाल। माननीय श्री हनुमानजी बेनीवाल। ...(व्यवधान)... माननीय श्री हनुमानजी बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): प्रश्न संख्या 329. (व्यवधान)

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब आप पूछना नहीं चाहते, आप और बात कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया। माननीय श्री हनुमानजी बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): प्रश्न संख्या 329 ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। माननीय मंत्रीजी।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ×××

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): ×××

राष्ट्रपति पदक प्राप्त नागरिक सुरक्षा वार्डनों को सुविधाएं

329. **श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): क्या गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के किस-किस शहर में नागरिक सुरक्षा संगठन कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

(2) सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा वार्डनों को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं एवं जयपुर शहर में नागरिक सुरक्षा द्वारा विगत दस वर्षों में क्या-क्या कार्य कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) नागरिक सुरक्षा में राष्ट्रपति द्वारा जिन व्यक्तियों को राष्ट्रपति पदक प्रदान किये गये, उनको सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधाएं मुहैया करायी गयीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार नागरिक सुरक्षा वार्डनों को अतिरिक्त सुविधाएं देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा (श्री राजेन्द्र सिंह गुढा): (1) राज्य में निम्न 13 शहरों में नागरिक सुरक्षा के अन्तर्गत संगठन स्थापित हैं:- (1) कोटा (2) रावतभाटा (3) जयपुर (4) जोधपुर (5) बीकानेर (6) श्रीगंगानगर (7) जैसलमेर (8) बाड़मेर (9) भरतपुर (10) सूरतगढ़ (11) नाल (12) अजमेर (13) अलवर

श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया, माननीय बेनीवालजी का सवाल। (व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा): ×××

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल हनुमानजी का, इनका।

श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा): ×××

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ×××

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): (2) वर्तमान में नागरिक सुरक्षा के वार्डनों को सरकार द्वारा कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी जा रही हैं। जयपुर शहर में नागरिक सुरक्षा द्वारा दस वर्षों में वर्ष 2001 में राशन कार्ड का कार्य, वोटर कार्ड का वितरण व पल्स पोलियो कार्यक्रमों में सहयोग तथा आपदा प्रबन्धन के अन्तर्गत एनएसएस/एनसीसी स्काउट गाइड/शिक्षण संस्थाओं में आपदा का प्रशिक्षण का कार्य करवाया गया

(श्री राजेन्द्र सिंह गुढा)

है। उपरोक्त के अतिरिक्त सम्बन्धित माक ड्रिल का कार्य भी करवाया जाता है।

(3) नागरिक सुरक्षा में राष्ट्रपति द्वारा जिन व्यक्तियों को राष्ट्रपति पदक प्रदान किये गये हैं उन्हें कोई अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने का नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा विभाग में प्रावधान नहीं है।

(4) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय हनुमानजी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि नागरिक सुरक्षा के तहत कुल कितना स्टाफ राजस्थान के अन्दर स्वीकृत है, यह स्टाफ क्या-क्या काम करता है, पिछले दो साल में कितना बजट आबंटित हुआ और कितना बजट खर्च हुआ, नम्बर एक? एक साथ ही पूछ लूं क्या, साहब, सारा या पहले एक बार बता दें?

श्री उपाध्यक्ष: आप पूछ लीजिए, आप दो या तीन प्रश्न से ज्यादा नहीं पूछेंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): नहीं, यह तो एक ही पूछा है मैंने, पहला।

श्री उपाध्यक्ष: आप दूसरा भी पूछ लीजिए साथ ही, फिर बार-बार मौका नहीं मिलेगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 13 शहर जो इन्होंने बताये हैं- कोटा, रावतभाटा, जयपुर, जोधपुर वगैरह, इनमें नागरिक सुरक्षा के अन्तर्गत जो संगठन स्थापित किये ये कब से किये गये? आज तक इन शहरों में क्या-क्या काम नागरिक सुरक्षा द्वारा किये गये? कोई एक मीटिंग अगर किसी शहर में हुई तो उसकी प्रोसीडिंग या एक शहर का जो रिकार्ड है, वो सदन को अवगत कराएं।

नागरिक सुरक्षा के वार्डनों द्वारा जो कार्य बताया गया है- पल्स पोलियो, वोटर कार्ड, स्काउट गाइड, राशन कार्ड का कार्य, ये कार्य कहां-कहां नागरिक सुरक्षा द्वारा करवाये गये, किसी एक शहर का आप विवरण हमें बताएं। नागरिक सुरक्षा के वार्डनों को सरकार क्या सुविधा देती है, सरकार की तरफ से उनको क्या सुविधाएं मुहैया करवायी जाती हैं?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): नागरिक सुरक्षा के तहत जयपुर में पिछले 2001 से राशन कार्ड बनाना, इसके अलावा जो वोटर कार्ड हैं उनका वितरण, इसके अलावा पोलियो की और पुलिस और प्रशासन को जहां भी जरूरत है, वहां नागरिक सुरक्षा के स्वयं सेवक उनको मुहैया कराये जाते हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कितना स्टाफ स्वीकृत है, पिछले दो वर्षों में कितना बजट आबंटित हुआ और उसका कितना खर्च हुआ?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष जी, ये दोनों जिस सज्जनता से प्रश्न पूछ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, उससे बढ़िया नागरिक सुरक्षा और क्या होगी?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): नागरिक सुरक्षा के अन्दर राष्ट्रपति द्वारा जिन व्यक्तियों को राष्ट्रपति पदक प्रदान किये गये, उन्हें कोई अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने का नागरिक सुरक्षा और गृह विभाग में प्रावधान नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: बजट के लिए पूछ रहे हैं वो, कितना पैसा है?

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): यह आपके पूरक प्रश्न में नहीं है। आपके पास भिजवा दिया जाएगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मंत्रीजी, मैं पूछ रहा हूं कि राजस्थान में स्वीकृत स्टाफ कितना है?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने कह दिया है कि जो भी जानकारी इनको चाहिए वो उनको पहुंचा दी जाएगी। अगला ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: पेमाराम जी, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): सरकार ने तैयारी ही नहीं की है, कितना रुपया खर्च हुआ और कितना रुपया अलाट हुआ। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): दे रहा हूं, दे रहा हूं, बता रहा हूं आपको।

श्री पेमाराम (धोद): यह कोई सरकारी दफ्तर है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): टोटल 54,016 का स्टाफ है, वर्तमान में 31,265 कार्यरत हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आपका जवाब आ गया, अब तो संतुष्ट हैं आप?

श्री पेमाराम (धोद): कितना अलाट हुआ, कितना खर्च हुआ? (व्यवधान) बजट कितना अलाट हुआ, कितना खर्च हुआ? (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था फरमाएं ...(व्यवधान) पिछले दो वर्षों में कितना बजट आबंटित हुआ और कितना खर्च हुआ?

श्री पेमाराम (धोद): अधिकारी बता ही नहीं रहे हैं। मंत्रीजी से छुपा रहे हैं बात।

श्री उपाध्यक्ष: भिजवा देंगे। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप फरमा दें व्यवस्था।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): मंत्रीजी अकेले में बुलाकर फिर बता देंगे ...(व्यवधान) अकेले में बता देना ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपको बजट मिलने वाला है क्या? आपको बजट मिलेगा थोड़े ही। आपको बजट मिलेगा क्या?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री भवानी सिंहजी राजावत।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपको जो मिल रहा है वो तो घाटे में जा रहा है।

श्री पेमाराम (धोद): कितना रुपया आबंटित हुआ, कितना रुपया खर्च हुआ है, सरकारी विभाग है, मर्जी का सौदा नहीं है। या तो तैयारी नहीं है या अधिकारी बता नहीं रहे हैं।

स्थगित प्रश्न

गुरुवार, 29 मार्च, 2012

कोटा के छत्र विलास उद्यान के मूल स्वरूप में परिवर्तन

159. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री भवानी सिंह राजावत)

(1) क्या यह सही है कि देखरेख व संचालन के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन आने वाले कोटा के रियासतकालीन छत्र विलास उद्यान को नगर विकास न्यास को लीज पर दिया गया है? यदि हां, तो कब से कब तक व किन-किन शर्तों पर?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में नगर विकास न्यास ने उक्त सम्पत्ति के मालिक सार्वजनिक निर्माण विभाग से बिना अनुमति के रियासतकालीन उक्त उद्यान में टाय ट्रेन संचालन के लिए तोड़फोड़ व पुराने स्वरूप को क्षति पहुंचाने का कार्य शुरू किया है?

(3) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास द्वारा छत्र विलास उद्यान व नागा जी के बाग में मूल स्वरूप को नष्ट करने के लिए बिना अनुमति के किये जा रहे निर्माण कार्य को रोकने के लिए सरकार द्वारा विभाग को अविलम्ब कार्य रोकने के निर्देश दिये गये हैं और विभाग ने न्यास को काम रोकने का नोटिस भी जारी किया है? क्या आदेशों की पालना में कार्य रोक दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्रीजी। (व्यवधान) कुछ बोल रहे हैं, मंत्रीजी?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप जवाब सुन लीजिए।

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शांती कुमार धारीवाल): (1) जी हां। यह सही है कि छत्र विलास उद्यान नगर विकास न्यास, कोटा को संधारण एवं रखरखाव के लिए आदेश क्रमांक: जी-7(2)सैक्शन-4/डी.607-615 दिनांक 14 फरवरी, 2005 द्वारा पांच वर्षो के लिए दिया गया था तथा यह स्वीकृति पुन: पांच वर्षों के लिए आदेश क्रमांक जी-7(2)सेक्शन-4/डी-819 दिनांक 25 अप्रैल, 2011 द्वारा बढ़ाई गई। उक्त आदेशों की प्रतिलिपि परिशिष्ट-1 व 2 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 17.11.2011 को नगर विकास न्यास एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक में टाय ट्रेन लगाने के प्लान पर चर्चा की जाकर सार्वजनिक निर्माण विभाग की सहमति प्राप्त की गई थी।

(3) नगर विकास न्यास, कोटा को राज्य सरकार के द्वारा सी.बी.

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

गार्डन, नागाजी का बाग़ एवं गोपाल निवास के कार्यों को रोकने के सम्बन्ध में सम्भागीय आयुक्त का दिनांक 10.02.2012 को पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी अनुपालना में नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा गोपाल निवास बाग़ एवं सी बी गार्डन के विकास कार्यों को रोक दिया गया था।

अब सार्वजनिक निर्माण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-जी-7(2)अनु-4/डी/1072 दिनांक 03.04.2012 (परिशिष्ट-3) द्वारा कोटा शहर के पांचों पार्कों को मालिकाना हक सहित विकास एवं संधारण हेतु नगरीय विकास विभाग को स्थानान्तरित कर दिया गया है। इन पांचों पार्कों में गोपाल निवास बाग़ एवं सी बी गार्डन भी सम्मिलित हैं। नगर विकास न्यास इन उद्यानों के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए उनमें विकास एवं संधारण का कार्य कर रहा है।

(प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय प्रश्नकर्ता।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से पूरक प्रश्न है, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कोटा के इस रियासतकालीन उद्यान को 2005 में यू आई टी को संचालन के लिए दिया उसमें क्या शर्तें सार्वजनिक निर्माण विभाग ने आपके विभाग से रखीं, एक तो आप शर्तें बताने की कृपा करें।

क्या यह सही है कि इसमें शर्त थी कि कोई व्यावसायिक गतिविधियां इस उद्यान में नहीं होगी और अगर संचालित होगी तो यू आई टी को सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी?

इस उद्यान में टाय ट्रेन का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ? आपने बता दिया कि राज्य सरकार ने अब इस उद्यान का मालिकाना हक यू आई टी को दे दिया। वह तारीख है 3-4 अप्रैल, यानि अभी प्रश्न लगने के बाद की वह तारीख है1 अब सरकार चेती है और वह आदेश जारी किया है, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है...

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न पूछिए।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री माननीय भरत सिंहजी को अपने विभाग की सम्पत्ति पर बिना अनुमति के आपके विभाग द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य पर आपत्ति प्रकट कर उसे

(श्री भवानी सिंह राजावत)

तत्काल रुकवाने के अपने अधिकारियों को निर्देश नहीं देने पड़े और काम नहीं रुकने पर भरत सिंहजी ने अपने अधिकारियों को चार्जशीट तक देने के निर्देश दिए कि काम रुकवाया क्यों, क्योंकि वह सम्पत्ति है सार्वजनिक निर्माण विभाग की?

श्री उपाध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिए।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): हां, हां, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप केवल प्रश्न ही पूछें।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल प्रश्न ही कर रहा हूं। (व्यवधान) क्या यह सही है कि आपके निर्देश पर आपके विभाग की हठधर्मिता से उद्यान में अनधिकृत रूप से हो रहे निर्माण कार्य को रुकवाने के लिए पी डब्ल्यू डी के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ने थाना नयापुरा में एक बार नहीं, दो बार रिपोर्ट दर्ज करवाई? यही नहीं, एस पी तक को वहां उनके पास जाना पड़ा।

श्री उपाध्यक्ष: आपने तीन प्रश्न पूछ लिये।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): मैं सवाल ही पूछ रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो आप 20-20, 25-25 मिनट दे दें और मैं अभी एक मिनट बोला नहीं, आप टोका टोकी कर रहे हैं। कृपा करें मेरे ऊपर। माननीय मंत्री महोदय, पी डब्ल्यू डी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह तीसरी बार लेने वाला केस है।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने नयापुरा थाने में एस पी तक गुहार की लेकिन आप गृह मंत्री थे, आपने कोई कार्यवाही नहीं होने दी। क्या यह सही है कि मुख्य अभियन्ता, तत्कालीन मुख्य सचिव राजस्थान सरकार एस अहमद साहब को हस्तक्षेप करना पड़ा कि राजस्थान के दो मंत्री सड़क पर लड़ रहे हैं, दोनों विभाग थाने में रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजें ...(व्यवधान) जवाब आने दें।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सवाल पूछें न, साहब।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): मैं यह पूछना चाहता हूं कि चीफ सैक्रेटरी की बैठक में क्या निर्णय हुआ? माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष: आपने चार प्रश्न पूछ लिये। तीन से ज्यादा अलाउ नहीं हैं, आप विराजें। (व्यवधान) जवाब नहीं आएगा फिर।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा लास्ट सवाल है, लास्ट। माननीय मंत्री महोदय से मैं यह पूछना चाहता हूं, क्या आपने अभी अप्रैल में इसका मालिकाना हक राज्य सरकार से यू आई टी को दिला दिया? तो क्या राजस्थान के दूसरे जितने भी सार्वजनिक निर्माण विभाग के उद्यान हैं, उनको भी यू आई टी को दिला दिया या यह नौबत केवल कोटा के लिए हुई? बताने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए, विराजिए, जवाब आने दीजिए। (व्यवधान) अब जवाब आने दीजिए। (व्यवधान) जवाब आने दीजिए, यह कोटा का मामला है।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): यह बच्चों की टाय ट्रेन का मामला है, यह इन्हीं के लिए चलाई है।

श्री उपाध्यक्ष: अगला प्रश्न। देखिए कितना टाइम हो गया।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह छत्र विलास गार्डन 2001 और 2003 के बीच में पी डब्ल्यू डी के द्वारा नगर विकास न्यास को सौंपा गया था इसके सौन्दर्यीकरण और इसके रखरखाव के लिए और उस पर उस वक्त नगर विकास न्यास ने 3 करोड़ 83 लाख रुपया खर्च किया था। खर्च करने के बाद जब यह ब्यूटीफाई हो गया पूरा तो इस उद्यान को नगर विकास न्यास ने वापस पी डब्ल्यू डी को सौंप दिया। छह महीने तक उसका कोई रखरखाव नहीं हुआ तो पी डब्ल्यू डी ने अपनी तरफ से लिखकर नगर विकास न्यास से यह रिक्वैस्ट की कि आप ही सम्भाल लो।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): केवल संचालन करने के लिए।

श्री उपाध्यक्ष: जवाब आने दीजिए न। आप सुन लीजिए जवाब, उसके बाद।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): संधारण क्या होता है और वो क्या होता है वो सब आपको अभी बताता हूं, धीरज रखो आप। अभी आपका संधारण ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप अमराराम जी ...

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 2005 तक दे दिया गया। 2005 में फिर इसकी पांच साल तक और मियाद बढ़ा दी

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

गयी और 2010 तक दे दिया गया। 2010 के बाद में फिर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने नगर विकास न्यास को देने का एग्रीमेंट किया। वह भी पांच साल के लिए किया जो कि 2016 में जाकर खतम होगा। अब सवाल यह है, आपने पूछा कि किन शर्तों पर दिया गया था, वे शर्तें मैंने परिशिष्ट-1 पर लगा दीं, पढ़ लीजिएगा।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): पढ़ लीं वे तो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): तो उसमें आपने यह भी पढ़ लिया होगा।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): उसमें यह नहीं है जो मैं चाह रहा हूं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उसके बाद जब सार्वजनिक निर्माण विभाग से एक आपत्ति दर्ज करवाई गई, नगर विकास न्यास को यह पत्र भेजा गया कि आप शर्तों का उल्लंघन कर रहे हो। नगर विकास न्यास ने उसका जवाब दे दिया कि गोपाल निवास बाग़ की जो बाउण्ड्री वाल टूट रही थी तो हमने उसको पूरे को तोड़कर नया बनाने का विचार कर लिया। टाय ट्रेन चलाने का विचार कर लिया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ नगर विकास न्यास के अधिकारियों की जो बैठक हुई और उस बैठक में जो नक्शा तय हुआ उसी के अनुसार हमने यह टाय ट्रेन चलाने की बात की। तो टाय ट्रेन गार्डन में ही चलती है, जौहरी बाजार में नहीं चलती है। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): टाय ट्रेन के लिए और भी कोटा में जगह है। आप सिटी गार्डन में टाय ट्रेन चलाओ, देखें, जनता चलाने देगी क्या।

श्री उपाध्यक्ष: भवानी सिंहजी, आप जवाब सुनिए पूरा। (व्यवधान) माननीय चन्द्रकान्ताजी, जवाब आने दो। एक मौका और मिलेगा, आप जवाब आने दीजिए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): और टाय ट्रेन में आप भी आपके बच्चों के साथ ही बैठोगे, हम नहीं बैठेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब सुनिए, आप बीच में बोलोगे तो फिर...

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): वो सवाल ही ऐसे कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अभी जवाब तो आने दें आप पूरा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): टाय ट्रेन भीलवाड़ा में, अजमेर, अलवर, जयपुर में हर जगह जहां-जहां पर भी देखें, वहां-वहां पर टाय ट्रेन पार्कों में ही चलती है, वे पार्क चाहे किसी के भी हों ... (व्यवधान) पार्कों में ही चलती है। (व्यवधान) उदयपुर में भी। जब 27.12.2011 को सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक अधिकारी ने नगर विकास न्यास को यह लिखा कि आप शर्तों का उल्लंघन कर रहे हो इसलिए काम रोक दिया जाए, उस पर नगर विकास न्यास ने यह जवाब दे दिया कि यह बता दिया जाए कि किन शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो उन्होंने दो बातें कहीं, एक तो यह कहा कि व्यवसायिक, जैसा आपने अपने सवाल में मुझ से पूछा, उसका जवाब दे रहा हूं, कि व्यवसायिक गतिविधियां आपने चालू कर दीं। और दूसरा आपने यह कहा कि यह टाय ट्रेन के लिए आप निर्माण कार्य करा रहे हो। निश्चित तौर पर निर्माण कार्य तो होगा कुछ न कुछ। टाय ट्रेन ऐसे ही थोड़े चलेगी, कोई हवा में थोड़े ही चलेगी। पटरी भी बिछेगी, उसके लिए बुकिंग की केबिन भी बनेगी, प्लेटफार्म भी बनेगा, निश्चित तौर पर बनेगा, इसमें क्या दो राय है।

दूसरी बात जो आपने कहा है कि व्यवसायिक गतिविधियां वहां पर शुरू कर दी गयीं। दो गतिविधियां वहां पर चलती हैं और वो दोनों गतिविधियां भारतीय जनता पार्टी का जब शासन था तब स्टार्ट हुई थीं।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): वो गतिविधियां ऐसी नहीं हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): और वो गतिविधियां क्या-क्या चल रही हैं, यह भी मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। एक तो यह कि वहां पर एक छोटा-सा तालाब है जिस पर बच्चे बोटिंग करते हैं। वह बोटिंग की इजाजत भी जो है 2006 में भारतीय जनता पार्टी के शासन के टाइम पर दी गयी।

श्री उपाध्यक्ष: पुरानी है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जिससे कुल मिलाकर एक माह में 45 हजार रुपये आते हैं, सिर्फ 45 हजार रुपये एक माह में और...

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): बन्द कर दो आप तो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बन्द? वह तो आप ही के आदमी का ठेका है।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): आप बन्द कर दो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): परेशानी में आ जाओगे ख्वामखाह ही।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): हां-हां, बन्द कर दो आप तो।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। जवाब आने दें, भावनी सिंहजी, आप प्रश्न का।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अब मैं समझ गया आजकल उनके और आपकी बनती नहीं है। ठेकेदार के और इनके आजकल बनती नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: आप क्यों छेड़ते हो ? आगे का प्रश्न...

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दूसरा, जो प्रवेश शुल्क लिया जाता है उससे 45 हजार रुपये प्रति माह आता है और जो बोटिंग हाथी है उससे सिर्फ 4 हजार 28 रुपये प्रति माह आता है। कुल मिलाकर अगर नगर विकास न्यास का खर्चा देखें गार्डन के रखरखाव के लिये तो वह 60 लाख रुपये से भी ज्यादा आता है। कहां तो 60 लाख की रकम और कहां 45 हजार तथा 4 हजार की रकम...

श्री उपाध्यक्ष: कौन देता है इनके रखरखाव का खर्च ?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इसलिये ये व्यावसायिक गतिविधियां तो नहीं कहला सकती हैं। यह व्यावसायिक...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, रखरखाव का खर्च कौन देता है ?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यू आई टी देती है।

श्री उपाध्यक्ष: आप पूरा करिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यू आई टी अगर व्यावसायिक यहां पर करना चाहती तो फूड कोर्ट भी खोल सकती थी, और भी कई चीजों के लिये आइटम्स रख सकती थी जिससे कि उनकरो व्यवसाय होता। कुल मिलाकर 50 हजार रुपये साल का तो इन

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

गतिविधियों से आवे और यू आई टी खर्च करे 60 लाख, तो कैसे इसको व्यावसायिक माना जाएगा?

जहां तक टाय ट्रेन का सवाल है, टाय ट्रेन हमेशा इन्हीं में चलती रहती है।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं आपको, इसके बारे में जो आप कहते हैं कि किसी प्रकार की नाइत्तफाकी दो मंत्रियों के बीच में हुई, इस बात को भूल जाइये। यह गलत है। यह कम से कम कांग्रेस के मंत्रियों में कहीं पर भी मनमुटाव आप नहीं देखोगे। कहीं पर भी नहीं देखोगे।

श्री उपाध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं यह।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): पूरे कोटा की जनता ने देखा है। लड़े हैं, ऐसे लड़े हैं सड़कों पर। सारे कोटा की जनता ने देखा है।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये प्लीज।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह भारतीय जनता पार्टी का वसुन्धरा राजे का मंत्रिमंडल नहीं है, यह अशोक गहलोत का मंत्रिमंडल है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय भवानी सिंहजी...

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): पूरे कोटा की जनता देख रही है। वहां का विकास ठप्प हो गया आपकी लड़ाई की वजह से।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करेंगे? अगला प्रश्न लेंगे अब।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और मैं करना चाहता हूं कोटा के लिये...

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): मुख्य मंत्रीजी को याद है आपकी लड़ाई दोनों की।

श्री उपाध्यक्ष: जवाब पूरा सुन लो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कोटा के ही एक तथाकथित पत्रकार जो आजकल पता नहीं किस पत्र में लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, बृजेश विजयवर्गीय जो अपने आपको बहुत बड़ा पर्यावरणविद् कहते हैं, उन्होंने एक पी आई एल डी बी में लगायी राजस्थान हाई कोर्ट में और इसी बात को लेकर लगायी कि वहां का रखरखाव नहीं किया जा रहा है।

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

मूल स्वरूप में परिवर्तन किया जा रहा है। मूल स्वरूप में परिवर्तन कैसे किया जा रहा है? कि टाय ट्रेन चलायी जा रही है। उसका यह फैसला है चीफ जस्टिस महोदय और नरेन्द्र कुमावतजी का जिसमें कि उन्होंने ...

श्री उपाध्यक्ष: और प्रश्न नहीं पूछना...

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उस रिट को खारिज किया है और यह कहा है, ये आब्जर्वेशन दिये हैं कि टाय ट्रेन अगर वहां नहीं चलेगी तो कहां चलेगी। एक बात...

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल माननीय मंत्री महोदय से...

श्री उपाध्यक्ष: अब आपका जवाब आ गया...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): एक निवेदन और करना चाहता हूं अब।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट तो सुन लें आप।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह पत्र आदरणीय भवानी सिंहजी राजावत का है जो 2004 में इन्होंने यह लिखा था गवर्नमेंट को कि इन उद्यानों को नगर विकास न्यास के सुपुर्द कर दिया जाना चाहये। यह पत्र है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और यही नहीं, इन्होंने कलक्टर के ऊपर दबाव डालकर उनसे भी यह पत्र लिखवाया...

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): आहा, आहा...

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जो तत्कालीन कलक्टर द्वारा राज्य सरकार को लिखा गया...(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): विराजिये। आप विराजिये।

श्री उपाध्यक्ष: आपको कोई विशेष शंका रह गयी हो...

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): बिलकुल, बिलकुल, वही...

श्री उपाध्यक्ष: एक प्रश्न। प्लीज...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन का समय जाया करने के लिये इनको प्रताड़ित करने की कार्यवाही करो आप।

श्री उपाध्यक्ष: आप 3 पाइंटस पूछेंगे? एक आखिरी। 3 पाइंट पूछे तो अगला प्रश्न पुकार दूंगा।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): मैं पूछ रहा हूं...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, इनकी अक्सर आदत बन गयी है, यह सदन का समय खराब करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आपका आखिरी प्रश्न है।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): नहीं-नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मेरा सवाल कर दूं, जवाब दें कि नहीं दें।

श्री उपाध्यक्ष: हां, वह जवाब आएगा।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): सवाल मैंने एक बार किया। पूरक प्रश्न का अधिकार है मुझे।

श्री उपाध्यक्ष: जवाब आएगा, आप प्रश्न पूछिये। आप पूछिये।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से केवल यह पूछना चाहता हूं कि नगर विकास न्यास को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने शर्तों के आधार पर संचालन करने के लिये उद्यान दिया था और उसमें शर्त थी कि कोई भी निर्माण, कोई भी गतिविधियां संचालित करने के पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी। इन्होंने कार्य प्रारम्भ कर दिया दिसम्बर में और अब मालिकाना हक मिला अप्रैल में...

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): तो यह नियमों का जो उल्लंघन हुआ है, मेरा निवेदन है आपसे कि अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन किया है, यानी कि सार्वजनिक निर्माण मंत्री को आदेश तक देने पड़े कि उन अधिकारियों को निलम्बित किया जाए। यह कोटा की जनता की आवाज है। वहां हजारों लोग सुबह घूमने जाते हैं। अगर वहां रोलर चलेगा...

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब सुन लीजिये। आप जवाब सुनिये...

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): अगर वहां ट्रेन चलेगी... (व्यवधान) जनता नहीं चलाना चाहती है...

श्री उपाध्यक्ष: जवाब सुनिये। आप जवाब सुनना चाहते हैं? आप जवाब दे रहे हैं।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): अपनी कमजोरी पर पर्दा डालने के लिये इन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है...

श्री उपाध्यक्ष: आपके प्रश्न का जवाब लेना चाहते हो? आप विराजो। माननीय भवानी सिंहजी, आप जवाब सुनिये।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): सार्वजनिक निर्माण विभाग का है...

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब सुन लीजिये। अगला प्रश्न पुकारूंगा, नहीं तो।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): यू आई टी इस गार्डन को ले ले, अच्छी बात है लेकिन इसमें व्यवसायिक गतिविधियां नहीं हों। उसमें यह टाय ट्रेन नहीं चले।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप माननीय, यह क्या है? माननीय धारीवालजी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह कथन तो सही है...

श्री उपाध्यक्ष: कोटा का मामला है यह।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह कथन तो आपका बिलकुल सही है कि पी डब्ल्यू डी के अधिकारियों ने...

श्री उपाध्यक्ष: मैं इसमें भी...

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इस पर एतराज उठाया है। एतराज उठाकर यह कहा कि आप मूल स्वरूप में परिवर्तन कर रहे हैं और यहां पर व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं इसलिये इसका निर्माण कार्य बन्द कर दिया जाए। नगर विकास न्यास ने उसका जवाब यह दिया कि आपके और हमारे बीच में नवम्बर, 2001 में जो बैठक हुई थी, जिसमें हमने सारी चीजों की एप्रूवल आपसे ले ली थी...

श्री उपाध्यक्ष: शार्ट करें, मंत्रीजी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, शार्ट कर रहा हूं। सारी चीजों का एप्रूवल ले लिया था जो कि लिखा हुआ मौजूद है। ऐसी कौनसी गतिविधियां आप यहां देख रहे हैं, या तो हमें चल करके बता दीजिये। वह पलट करके आज तक नहीं आये।

दूसरी बात यह है, यह मामला निश्चित तौर पर नगर विकास न्यास के अधिकारियों और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के बीच में विवाद का इश्यू बना। इश्यू बना तो चीफ सैक्रेटरी साहब के पास पहुंचा। चीफ

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

सैक्रेटरी साहब ने ए सी एस, यू डी एच थे उनको तलब किया। पी डब्ल्यू डी के प्रिंसीपल सैक्रेटरी को तलब किया। यू आई टी के सारे अधिकारियों को तलब किया और सार्वजनिक निर्माण विभाग के सारे अधिकारियों को तलब किया। तलब करके बाकायदा 2 घण्टे मीटिंग लेकर यह फैसला दिया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग इन उद्यानों को नहीं सम्भाल सकता इसलिये यह यू आई टी को दे दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय, विराजिये।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): यह तो धन्यवाद दो मुख्य मंत्रीजी को जो उन्होंने आपकी इज्जत बचा ली...

श्री उपाध्यक्ष: आप पूरा ही जवाब सुनिये।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): कि आपको उद्यान दे दिया। आपने नियमों का खुला उल्लंघन किया।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पूछा है। फिर मैं चाहता हूं उसी बात पर...

श्री उपाध्यक्ष: अगला प्रश्न पूछो आप...

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने मुख्य सचिव महोदय को यथास्थिति के आदेश दिये...

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब सुनिये। आप जवाब नहीं पाना चाहते हैं क्या?

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): उसके बाद भी आपने दादागिरी से और तानाशाही से निर्माण कार्य प्रारम्भ रखा...

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब सुनें...

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): आपने चीफ सैक्रेटरी की नहीं सुनी, आपने एस पी की नहीं सुनी...

श्री उपाध्यक्ष: भवानी सिंहजी, अब आप विराजें।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह भाषा कौनसी है, उपाध्यक्ष महोदय, दादागीरी और यह...

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह भ्रम फैलाया जाना कि यह दो मंत्रियों की लड़ाई है, मैं रिकार्ड पर यह बात लाना चाहता हूं कि आदरणीय भरत सिंहजी ने कभी मुझ पर इस बात का एतराज नहीं किया। कभी नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष: चलिये। माननीय प्रभुलाल सैनी...(व्यवधान) आप प्रश्न नहीं करोगे?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, जो 70 साल के हो गये हैं फिर भी बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं, वह इस ट्रेन में बैठ सकेंगे क्या?

श्री उपाध्यक्ष: नहीं है क्या आपका प्रश्न? आप प्रश्न करें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बच्चों के साथ बैठेंगे यह। बच्चों के साथ तो यह बैठकर ही मानेंगे।

नैनवां एवं बूंदी में स्टेडियम निर्माण हेतु स्वीकृति

331. श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली), **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण) व **श्री बंशीधर खण्डेला** (खण्डेला): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नैनवां व बूंदी में स्टेडियम निर्माण हेतु 50 बीघा भूमि जिला कलक्टर, बूंदी द्वारा क्रीड़ा परिषद, बूंदी के नाम आबंटित की जा चुकी है ? यदि हां, तो आबंटन आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिला कलक्टर, बूंदी द्वारा नैनवां में स्टेडियम निर्माण के प्रस्ताव सार्वजनिक निर्माण विभाग से तखमीना करवाकर स्वीकृति हेतु राजस्थान क्रीड़ा परिषद, जयपुर को भिजवाये जा चुके हैं? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति कब तक जारी की जा सकेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आप जवाब दीजिये।

राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन (श्री मांगीलाल गरासिया): (1) जिला कलक्टर, बूंदी द्वारा नैनवां में 50 बीघा भूमि स्टेडियम निर्माण हेतु जिला क्रीडा परिषद, बूंदी को निःशुल्क आबंटित की गयी है एवं छत्रापुरा, बूंदी में 77.02 बीघा भूमि खेल स्टेडियम निर्माण हेतु जिला प्रशासन, बूंदी को स्थानान्तरित करने की स्वीकृति दी गयी है। आबंटन/स्वीकृति की प्रति परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(श्री मांगीलाल गरासिया)

(2) जी हां। समन्वित स्टेडियम (आधारभूत सुविधाएं) विकास कार्यक्रम, 2007 के अन्तर्गत नैनवां (बूंदी) में स्टेडियम का निर्माण वित्तीय वर्ष 2012-13 में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाना सम्भव हो पाएगा।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय प्रभुलाल जी, मैं एक निवेदन कर दूं। आप तीन माननीय सदस्य पूछेंगे। एक दफा पूछने के बाद आप चाहो तो उनको मैं मौका दूं। इसलिये आप तो एक-दो प्रश्न जो हैं, इनसे सारांश में पूछ लीजिये। तीनों को ही मौका मिल जाएगा।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो 50 बीघा भूमि स्टेडियम के लिये नैनवां में आबंटित की गयी है, उसका खेल विभाग द्वारा कब्जा कब प्राप्त कर लिया गया है? कब उसका राजस्व रिकार्ड में अमल बरामद किया जा चुका है? और यदि नहीं किया है तो उसको कब तक आप करेंगे? एक तो यह है।

दूसरा मैं इनसे पूछना चाहता हूं, यदि इन्होंने उस भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं किया है तो अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए क्या सरकार वहां पर चारदीवारी बनाने का विचार रखती है? खण्ड 2 में मैं यह जानकारी चाहता हूं मंत्री महोदय से, आपने अपने प्रश्न में आंशिक रूप से यह तो स्वीकार किया है कि 2012-13 में हम इसकी स्वीकृति जारी करेंगे, कृपया यह भी बता दें कि वह समयावधि क्या होगी? कब तक आप जारी कर देंगे?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष: इनका आने दो। पहले दो और हैं, उसके बाद आपका लेंगे।

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बताया है कि राजस्व विभाग ने स्टेडियम की जमीन के लिए नैनवां में आबंटन किया है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 17.08.2011 को नैनवां की आराजी संख्या 5424 रकबा 69.01

(श्री मांगीलाल गरासिया)

बीघा किस्म में से 50 बीघा भूमि का किस्म खारिज करते हुए खेल स्टेडियम नैनवां को नि:शुल्क आबंटन करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम सकतपुरा, तहसील बूंदी की 16.03.2006 को आबंटन करने की प्रक्रिया करते हुए 72 बीघा जमीन का आबंटन कर दिया। इसी के अनुरूप उक्त भूमि का आबंटन करने के बाद में राज्य क्रीड़ा परिषद को सुपुर्द करने का काम कर दिया। जहां तक अतिक्रमण का प्रश्न है, उक्त भूमि पर अतिक्रमण हटाना जिला प्रशासन का दायित्व है। लेकिन फिर भी जो आबंटन हमें किया गया है, 12 और 13 में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मैचिंग ग्रांट की घोषणा का काम किया है, उसी के अनुरूप अगर मैचिंग ग्रांट में 10 लाख रुपये आप देंगे तो 10 लाख रुपये हम तत्काल ही स्वीकृत करके आपकी प्रक्रिया जारी कर देंगे।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): उपाध्यक्ष महोदय, अब तक जितने भी स्टेडियम राजस्थान में बने हैं और जहां तक बूंदी के स्टेडियम का सवाल है, मैंने प्रश्न के खण्ड 1 में पूछा था कि 84 लाख रुपये वहां स्वीकृत हुए थे। और अब तक के मैचिंग ग्रांट के प्रावधान के अनुसार मात्र 10 प्रतिशत राशि जमा करानी थी। माननीय मंत्री महोदय ने अभी जवाब में कहा है कि 50 प्रतिशत राशि विधायक कोष से जमा होगी। यह स्पेशल प्रावधान नैनवां के लिए ही क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में मंत्री महोदय जवाब दें। बूंदी में माननीय विधायक द्वारा जब 10 प्रतिशत राशि 10 लाख रुपये जमा करायी गयी 84 लाख के अगेंस्ट में तो आपके द्वारा 30 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति ही क्यों जारी की गयी, इसका भी आप मुझे जवाब प्रदान करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी साथ ही प्रश्न कर लूं।

श्री उपाध्यक्ष: हां, इसके बाद। मूल प्रश्नकर्ता तो यह माने जाएंगे न?

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): उपाध्यक्ष महोदय, नैनवां के लिए जो हमें 50 बीघा जमीन आबंटित हुई है, तत्काल ही आपकी मंशा को देखते हुए और क्योंकि वहां खिलाड़ियों का मामला है, वे वहां खेलने का काम करेंगे, नयी प्रतिभाओं को देखते हुए और आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए वहां पर मैचिंग ग्रांट के आधार पर यदि ज्यादा पैसा भी देना पड़ेगा तो हम वह भी देकर आपकी भावनाओं की कद्र करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय ओम जी बिरला।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय यह बता दें बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ में...

श्री उपाध्यक्ष: आपने तो बूंदी और नैनवां का ही पूछा है इसमें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): अच्छा, बूंदी जिले का पूछ लेता हूं। बूंदी जिले के अन्दर 2009 से प्रति वर्ष खेल सामग्री का कितना-कितना पैसा दिया गया? नंबर दो, ग्राम पंचायत स्तर पर खेल स्टेडियम का आपने यहां पर दिया था, बूंदी जिले की कौन-कौन सी ग्राम पंचायत के लिए, खेल मैदान को विकसित करने के लिए कितना-कितना पैसा दिया?

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): उपाध्यक्ष महोदय, हमने पायका योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में 869 पंचायतें हाथ में लेने का कार्य किया है। द्वितीय चरण में 917 ग्राम पंचायतें हाथ में लेकर चरणबद्ध तरीके से ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता देने का काम कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: बूंदी जिले की, बूंदी जिले की।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है मैंने। बूंदी जिले की कौन-कौन सी ग्राम पंचायत के खेल स्टेडियम ...(व्यवधान) के लिए कितना पैसा दिया और सामग्री के लिए कितना पैसा दिया? दैट्स आल, कोई दूसरा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: बूंदी का आ रहा है, विराजिये। नहीं, नहीं, बूंदी का आ रहा है।

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): उपाध्यक्ष महोदय, बूंदी की जहां तक आपने बात की है स्पेसिफिक रुप से, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि बूंदी में बड़ा नया गांव में पायका योजना के माध्यम से एक लाख रुपये स्वीकृत करने का काम किया है। हिण्डौली के लिए एक लाख रुपये, सतूर के लिए एक लाख रुपये, देई के लिए एक लाख रुपये, ब्लाक हिण्डौली के लिए पांच लाख रुपये स्वीकृत करके खेल जगत को आगे बढ़ाने का काम हमने कर दिया।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, खेल सामग्री का भी प्रश्न पूछा था और आपने जो कहा है कि हमने स्वीकृति कर दी है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय बंशीधर खण्डेला।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मेरा दावा है कि एक ग्राम पंचायत में काम शुरु नहीं हुआ जो मंत्री महोदय बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आपका समय समाप्त हो गया।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): एक ग्राम पंचायत में काम शुरु नहीं हुआ। कितना खेल सामग्री का पैसा देंगे, यह बता दो आप?

श्री उपाध्यक्ष: हां, उसके साथ आ जाएगा, बंशीधर जी के साथ ...(व्यवधान) उनके साथ जवाब आ जाएगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मेरा सवाल स्पेसिफिक था कि कितना खेल सामग्री का पैसा इन्होंने दिया है बूंदी जिले को? जो मैंने कहा है कि आपने स्वीकृत कर दिया है ...(व्यवधान) कितना एग्जीक्यूट हुआ है, यह बता दें?

श्री उपाध्यक्ष: अभी जवाब आता है। अब विराजिये, बिरलाजी।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): आपने इस बजट के अन्दर 16 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है खेल स्टेडियम के लिए, इसमें बूंदी जिला भी शामिल है। बूंदी जिले में आपने कितना रुपया सैंक्शन किया, यह कार्य कब चालू हुआ और कब पूरा होगा? नम्बर दो, नैनवां गांव के लिए कितना बजट आपने सैंक्शन किया और कब तक काम पूरा हो जाएगा, यह बता दीजिये?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आखिरी।

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बूंदी का प्रश्न आया है, बूंदी की पंचायतों का भी आपने जिक्र किया, द्वितीय चरण में यह तय करने का काम किया है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: हां, जवाब आने दीजिये न।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): कितनी खेल सामग्री आ गयी? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: हां, जवाब आने दीजिये, बिरलाजी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): स्वीकृत कितना हुआ, एग्जीक्यूट कितना हुआ, यह तो बताओ? (व्यवधान)

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): उपाध्यक्ष महोदय, हमने पायका योजना के माध्यम से टोटल खर्चा 9 लाख रुपये खेल सामग्री के लिए विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत काम कर लिया।

श्री उपाध्यक्ष: यह बूंदी जिले का प्रश्न है। एक प्रश्न और आ जाए।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब नहीं आया है। मेरा जवाब नहीं दिया है इन्होंने। (व्यवधान) मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब तो दिलवाइये।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय डा. जसवन्त सिंह यादव।

बहरोड़ के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

332. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के राजकीय विद्यालयों में द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अध्यापकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में वर्तमान में कितने पद कब से रिक्त हैं और रिक्त पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है?

शिक्षा मंत्री (श्री बृजकिशोर शर्मा): (1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा के राजकीय विद्यालयों में कुल स्वीकृत पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

विभाग	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
माध्यमिक शिक्षा	357	109
प्रारम्भिक शिक्षा	102	717

(2) माध्यमिक शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण क्रमशः परिशिष्ट 'क' एवं परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है। 41 हजार तृतीय श्रेणी अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पंचायती राज विभाग द्वारा जिला परिषदों के माध्यम से की जा रही है। इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष 2012-13 में 20 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट भाषण में घोषणा की है।

सीधी भर्ती कोटे के 11865 द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के चयन की कार्यवाही राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही है तथा वर्तमान में विभागीय पदोन्नति समिति के आयोजन पर कार्मिक विभाग द्वारा लगायी गयी रोक प्रभावी है। इस प्रकार राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

पदोन्नति समिति द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

(12.00 बजे)

श्री पेमाराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कब तक हो जाएगा? स्कूलों में अध्यापक नहीं है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक जरा-सा क्वेश्चन है, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: एक ही।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): हां, एक ही। सन् 2009 से 31 दिसम्बर, 2011 तक पंचायत समिति बहरोड़ में जो प्राथमिक विद्यालय बंद किये थे, क्या सरकार उनको पुनः खोलने का विचार रखती है या नहीं रखती है?

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे प्राथमिक विद्यालय खोलने के बारे में तो इन्होंने प्रश्न पूछा नहीं है लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य को...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आपकी सरकार ने बंद कर दिये थे, उनको पुनः चालू करेंगे कि नहीं?

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है लेकिन फिर भी अगर माननीय सदस्य चाहेंगे ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिये ...(व्यवधान) आप सुनना चाहते हैं क्या?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): शिक्षक नहीं थे, शिक्षकों की कमी के कारण बंद हो गये थे।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(श्री उपाध्यक्ष)

(1) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में समायोजित इंजीनियरिंग कालेज, कोटा के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लागू करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री कैलाश चन्द भंसाली एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से जोधपुर में बढ़ते हुए यातायात दबाव को नियंत्रित करने हेतु कतिपय ओवर-ब्रिज बनाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से राज्य में अपर्याप्त विद्युत सप्लाई, महंगे व अपर्याप्त खाद, बीज, अल्पकालीन फसली ऋण बन्द कर देने, कृषि उपकरणों पर अनुदान प्रक्रिया जटिल होने आदि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री अनिल जैन, सदस्य की ओर से वर्तमान में झालावाड़ मुख्यालय पर चल रहे आईटीआई को बकानी के नवनिर्मित भवन में शिफ्ट करने के सम्बन्ध में।

(5) श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा, सदस्य की ओर से चाकसू के बीपीएल परिवारों को बिजली के कनेक्शन तुरन्त उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

(6) श्री अमराराम, सदस्य की ओर से राज्य में स्वाइन फ्लू से हो रही मौतों के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। वैसे भी माननीय सदस्य श्रीमती चन्द्रकला मेघवाल एवं श्री कैलाश चन्द भंसाली आज पर्ची के माध्यम से सदन में अपने विचार प्रकट करेंगे।

(7) श्री कालीचरण सराफ, सदस्य की ओर से जयपुर में मूर्ति उद्योग को बचाने के लिए पृथक् से जमीन आबंटित करने एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

(8) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से राज्य के शिक्षा विभाग में विद्यार्थी मित्रों को बहुत कम वेतन दिए जाने एवं उनको लगाने में हुए कथित घोटाले के सम्बन्ध में।

(9) श्री पवन दुग्गल एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र के 461 काश्तकार परिवारों को जमीन की रजिस्ट्री होते हुए भी खातेदारी हक नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(10) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य की ओर से जिला जयपुर एवं आसपास के जिलों में बनास नदी की बजरी नहीं आने के कारण हजारों मजदूरों के बेरोजगार होने तथा निर्माण कार्य बन्द होने से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री कालीचरण सराफ, श्री गुलाब चन्द कटारिया, श्री पवन दुग्गल एवं श्री घनश्याम तिवाड़ी को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्रीमती संजना आगरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सोजत के रायपुर में महाविद्यालय एवं सोजत सिटी में पी.जी. महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(2) श्री रूपाराम डूडी, सदस्य की ओर से राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में खनन पट्टे जारी करने एवं खनन पर रोक के बावजूद व्यक्ति, फर्म, कम्पनी आदि को पट्टे जारी करने की कार्यवाही को निरस्त करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री अमराराम, सदस्य की ओर से राज्य में सच्चर कमेटी एवं मिश्रा आयोग की रिपोर्ट लागू करने के सम्बन्ध में।

(4) कर्नल सोनाराम चौधरी, सदस्य की ओर से बालक-बालिकाओं में कृषि विषय में अभिरुचि बढ़ाने हेतु उच्च माध्यमिक विद्यालयों, विशेष रूप से बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि विज्ञान संकाय खोलने के सम्बन्ध में।

(5) श्री महावीर प्रसाद जीनगर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा की शहरी पेयजल योजना अमरपुरा बनास की पुरानी पाइप लाइन को बदलने के सम्बन्ध में।

(6) श्री कल्याण सिंह चौहान, सदस्य की ओर से नाथद्वारा में मेवाड़ क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्मारक निर्माण हेतु स्थान का चयन करने के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(7) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित करने के लिए तहसील स्तर पर राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में।

(8) श्री मंगलाराम गोदारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के कुओं पर लगी हुई कम हैड की मोटर्स का सर्वे करवाकर उनके स्थान पर ज्यादा हैड की मोटर्स लगाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री सुखराम, सदस्य की ओर से राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार का पदस्थापन करने के सम्बन्ध में।

(10) श्री अनिल जैन, सदस्य की ओर से झालावाड़ जिले की उप तहसील बकानी को तहसील बनाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री पेमाराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र धोद के नगर लोसल में उप तहसील कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(12) श्री रामलाल गुर्जर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में राजकीय महाविद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

माननीय श्री कालीचरणजी सराफ। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): दर्जनों लोग स्वाइन फ्लू से मर चुके हैं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 10 अप्रैल को मेरा इस्तीफा दिया था और आसन ने यह कहकर कि वैसे ही पर्ची दी थी ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप रूल्स और प्रोसीजर से आइए। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो सरकार ढिंढोरा पीट रही है, दूसरी तरफ राज्य के दर्जनों नागरिक स्वाइन फ्लू से मर रहे हैं। जोधपुर मेडिकल कालेज की रेजिडेंट डाक्टर की भी स्वाइन फ्लू से मौत हो गई, जयपुर में हो गई। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वाइन फ्लू से ज्यादा महत्वपूर्ण मामला ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ...(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथ यह अन्याय हुआ, मैंने इस्तीफा दिया, न कोई इस्तीफा मंजूर किया गया और केवल आसन ने यह कहकर, यह टालरेट किया, यह कहकर ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित करें केवल कालीचरणजी। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बाद में बोल लेना। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल कालीचरणजी सराफ का अंकित होगा। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल कालीचरणजी सराफ। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका अंकित नहीं हो रहा है।

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: पेमारामजी, आप तो बहुत सीजण्ड सदस्य हैं। (व्यवधान) केवल कालीचरणजी का अंकित हो रहा है। माननीय कालीचरणजी। (व्यवधान) केवल कालीचरणजी का अंकित हो रहा है।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: देवीसिंहजी, आप एक मिनट विराजिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप एक मिनट विराजिये, श्रवणजी। (व्यवधान) आप एक मिनट विराजिये, श्रवणजी।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन में एक दफा अध्यक्षजी ने जो आदेश दिया है, निर्देश दिया है, निर्णय दिया है, उसको बदला नहीं जाता है। आपको पता है ...(व्यवधान) इसलिये इस बारे में अध्यक्षजी ने पहले व्यवस्था दे दी और जब व्यवस्था दे दी उसके बाद में तो आप कृपा करके विराजो, श्रवणजी। (व्यवधान) व्यवस्था दी जा चुकी है अध्यक्षजी के द्वारा। (व्यवधान) माननीय कालीचरणजी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल कालीचरणजी सराफ को पुकारा गया है ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मैंने केवल माननीय कालीचरणजी सराफ को पुकारा है, कालीचरणजी बोलेंगे, केवल उनका ही अंकित हो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कालीचरणजी। हां, बोलिए, कालीचरणजी, स्टार्ट करिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): उद्योग मंत्रीजी, जाओ मत, मेरी बात का जवाब देकर पधारो आप। विराजो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कालीचरणजी, आपको सीधे उद्योग मंत्रीजी को निर्देश नहीं देना चाहिए। बोलिए, बोलिए। उद्योग मंत्रीजी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान राजस्थान की राजधानी जयपुर के विश्व प्रसिद्ध ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

(माननीय सदस्य श्री श्रवण कुमार सदन कूप में आकर धरने पर बैठे)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अरे, बैठो, भाई, अब हो गया। बीच-बीच में।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय हनुमानजी, आप दोनों को साथ ले जाओ ...(व्यवधान) माननीय कालीचरणजी। हां, पेमारामजी, बैठिए। हां, केवल कालीचरणजी का अंकित हो रहा है।

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप कहते हैं जो होता है क्या राजस्थान में? राजस्थान में सदन कह दे जो हो जाए। माननीय सदस्य, कृपा करके आप विराजिए, आप तो बहुत सज्जन आदमी हैं ...(व्यवधान) आप बोलिए, बोलिए।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

जयपुर के मूर्तिकला उद्योग के संरक्षण हेतु पृथक भूमि आबंटन व अन्य सुविधाएं

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान जयपुर के प्रसिद्ध मूर्तिकला उद्योग की ओर दिलाना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर में स्थापना के साथ ही मूर्तिकला उद्योग प्रारम्भ हो गया था। जयपुर के मूर्तिकला उद्योग में निर्मित मार्बल की मूर्तियां पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। जयपुर शहर के परकोटा क्षेत्र में खजाने वालों का रास्ता, भिण्डों का रास्ता, खेजड़ों का रास्ता, कल्याणजी का रास्ता और परकोटा क्षेत्र के बाहर करतारपुरा, तेजाजी नगर, वसुंधरा कालोनी, मूर्तिकला कालोनी, शिवाजी नगर, चन्द्र नगर, महेश नगर, शांति नगर, सूर्य नगर, कटेवा नगर, राम नगर, मानसरोवर, झोटवाड़ा, कालवाड़ रोड, निवारू रोड आदि स्थानों पर लगभग 5 हजार छोटी बड़ी इकाइयां मूर्तिकला उद्योग की लगी हुई हैं और इन इकाइयों से शहर के लगभग 50 हजार लोगों को रोजगार मिला हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि प्रति वर्ष लगभग 300 करोड़ का व्यापार इस मूर्तिकला उद्योग से होता है। करोड़ों रुपये की मूर्तियां हर वर्ष विदेशों में निर्यात होती हैं, देश-विदेश से हजारों खरीददार हर वर्ष जयपुर में आते हैं और करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा भी इससे हमारे देश को मिलती है। पर जैसे-जैसे शहर की आबादी बढ़ती जा रही है, मूर्तिकला उद्योग पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जहां मूर्तिकला का व्यवसाय होता है, जिन कालोनियों में मूर्तिकार मूर्तियां बनाते हैं, वहां के जो निवासी हैं, वे इनका विरोध करते हैं और

(श्री कालीचरण सराफ)

निश्चित रूप से कई बार तो मूर्तिकारों और अन्य लोगों में टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के द्वारा कुछ महीने पहले मानवाधिकार आयोग में एक शिकायत की गई कि साहब, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण के कारण हमारा यहां रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा, मानवाधिकार आयोग ने पर्यावरण विभाग को लिखा है कि इसकी सच्चाई जानो कि आखिर यह मामला क्या है। पर्यावरण विभाग ने जब जांच की तो उसमें ध्वनि प्रदूषण की मात्रा 55 डेसीबल तक के मानक के मुकाबले 95 डेसीबल से अधिक मापी गई। यानी जो मापदण्ड थे, उससे दुगुनी यह मात्रा मापी गई। इस स्थिति को चिंताजनक मानते हुए पर्यावरण विभाग ने नगर निगम को लिखा, जेडीए को लिखा कि इसका कोई न कोई निदान होना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्रीजी को बताना चाहूंगा कि जिन बस्तियों में यह मूर्तिकला का व्यवसाय होता है, वहां आये दिन धारा 133 सीआरपीसी के तहत उनको नोटिस दिये जाते हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है और समय-समय पर उनको यह व्यवसाय बंद करने के लिए पाबंद भी किया जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सघन आबादी क्षेत्र में होने के कारण और गलियां संकड़ी होने के कारण...

श्री उपाध्यक्ष: संक्षिप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हां, मुझे दो-तीन मिनट लगेंगे, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: दो-तीन मिनट तो बोल लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): वहां ट्रकों का आवागमन भी नहीं हो पाता और जो विदेशी या बाहर के ग्राहक आते हैं, उनकी गाड़ियों की पार्किंग भी नहीं हो सकती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब भारतीय जनता पार्टी का राज था...

श्री उपाध्यक्ष: अब राज की तो छोड़ो।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): तो हम लोगों ने सुधार किया था 2005 में और 261 भूखण्ड मूर्तिकला कालोनी बनाकर 261 भू-खण्ड सिरसी रोड पर हमने आबंटित किये थे, परन्तु यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।

(श्री कालीचरण सराफ)

मेरा यह कहना है कि सरकार इस बारे में सोचे और एक विस्तृत योजना बनाए। छोटे-छोटे भू-खण्ड कहीं सरना डूंगरी पर और कहीं सिवाड़ में इस प्रकार के करने थे, सारा मूर्ति उद्योग है, वह समाप्त हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्रीजी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इस प्रकार की कोई तीन-चार सौ बीघा जमीन चिह्नित करें, जयपुर शहर के नजदीक। मूर्ति कला के क्षेत्र से जुडे हुए लोग हैं, कलाकार हैं, मजदूर हैं, छोटे बड़े व्यवसायी हैं, उन सब का एक सर्वे कराकर लगभग 4-5 हजार भू-खण्ड उसमें हम आबंटित करें, एक मूर्तिकला नगर बसाएं और उसे सारी सुविधाओं से सम्पन्न करे। यदि हम यह नहीं करेंगे तो विश्व प्रसिद्ध यह मूर्तिकला उद्योग समाप्त हो जाएगा और जो पूरे विश्व में जयपुर शहर का नाम है, इन मार्बल की मूर्तियों के कारण, वह समाप्त हो जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा, माननीय उद्योग मंत्रीजी यहां बैठे हैं, वह एक विस्तृत सर्वे करवाएं ताकि इस प्रकार का नगर बने।

(माननीय सदस्य श्री श्रवण कुमार धरना समाप्त कर अपने स्थान पर विराजे)

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इसके बारे में कोई न कोई बात अवश्य यहां पर कहें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए। कुछ बोलना है, उद्योग मंत्रीजी? (व्यवधान) आपका बाद में है, इसमें नहीं है आपका ...(व्यवधान)...

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): मेरा पाइंट आफ इंफार्मेशन है।

श्री उपाध्यक्ष: बाद में है, मैं बुलाऊंगा आपको, अब आप कृपा करके विराजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता बिलकुल वाजिब है।

श्री उपाध्यक्ष: देखिए, यह मजदूरों से सम्बन्धित मामला है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): आज पर्यावरण प्रदूषण हमारे लिए एक बड़ी समस्या बन गया है, निश्चित रूप से इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, मैं अधिकारियों को निर्देश दूंगा ताकि जो भी समाधान इसका सम्भव होगा...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपको कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना है तो वह बाद की बात है।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: पेमारामजी। माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप कृपा करके बोलने दीजिए हनुमानजी, गुलाब चन्दजी बोल रहे हैं।

विद्यार्थी मित्रों का अल्प वेतन व उनकी भर्ती में अनियमितताएं

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। एक ऐसा विषय जो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है मैं आपके माध्यम से सदन, मंत्री महोदय और सम्पूर्ण राजस्थान की जानकारी में लाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर ने अपनी एक आडिट करायी। शिक्षा मित्रों को जो लगाया गया था उसमें यह शिकायत थी कि जो अलाटमेंट संख्या उस जिले को दी हुई थी उस अलाटमेंट संख्या के अलावा भी लोगों ने अपनी मनमर्जी से शिक्षा मित्र लगा लिये थे। इसलिए इसकी जांच हुई और जांच होने के बाद जो आडिट पैरा बना तो लगभग 7,22,93,600 रुपये की गड़बड़ी पायी गयी। केवल तीन जिलों का आडिट हुआ था, उनमें भीलवाड़ा है, बाड़मेर है और डूंगरपुर है।

शिक्षा मंत्रीजी, मैंने अपने प्रश्न के जवाब में आपसे मांगा था कि राजस्थान में शिक्षा मित्र आपने कब लगाये, कितने लगाये, कितने पद स्वीकृत किये और उसके अगेंस्ट में जिले के अनुसार कितने लगे। प्रश्न के जवाब में था कि निदेशालय ने 19500 विद्यार्थी मित्र की स्ट्रेंथ तय की थी और 33 जिलों में उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया था कि इतने-इतने विद्यार्थी मित्र लगाएंगे। उसके तहत आपने 2008-09 में 19455 लोग लगा दिये और जैसे ही 2008-09 समाप्त हुआ, आपने एक आदेश के द्वारा इन सबको नौकरी से निकाल

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दिया। ये लोग कोर्ट गये और कोर्ट ने यह आदेश दिया कि जब तक नये सलेक्शन होकर अध्यापक नहीं लगें, तब तक आप इन विद्यार्थी मित्रों को काम करने दें। 2009 और 2010 में जब इन बच्चों को निकाला गया तो उसके आधार पर वापस 15994 बच्चों ने आकर जोइन किया और यही आपकी स्ट्रेंथ रही थी, क्योंकि उसमें शर्त लगा दी कि अब नये विद्यार्थी मित्र कोई नहीं लगाएं। जो इन-सर्विस रहें और जोइन करना चाहते हैं उन्हीं को आप वापस लगा दें। अगर आपके पास स्थान उपलब्ध नहीं हो तो स्थान बदलकर लगा दें, लेकिन इनको आप लगाएं। यह संख्या 19455 थी। फिर उसके बाद 2009-10 में इनमें से 15994 लगे, 2010-11 में भी 15994 लगे। यह दोनों का फिगर आपकी प्रगति रिपोर्ट में है। यह 2010-11 का है। इसमें आपने शिक्षा मित्र लगाये उसमें प्राथमिक विद्यालय में 7704 और उच्च प्राथमिक में 8290 और दोनों मिलाकर 15994 की स्ट्रेंथ कायम हो गई। फिर उसके बाद 2011-12 का प्रतिवेदन आपने पेश किया। इस प्रतिवेदन में, मैं इस विधान सभा में तैयारी करके आया था, लेकिन आपका भाग्य तगड़ा था कि उस दिन शिक्षा की डिमाण्ड डिस्कस नहीं हुई, इसलिए मुझे इस विषय पर इस माध्यम से आना पड़ा। इसके बाद 2011-12 का प्रगति प्रतिवेदन है, इसमें संख्या बढ़कर 17668 हो गई। जब आपकी संख्या तय हो गई कि 15994 से नया किसी को भी आप एंटर नहीं करेंगे, नया विद्यार्थी मित्र नहीं लगाएंगे तो यह संख्या कैसे बढ़ गई? जो उत्तर आपने मुझे दिया, एक भी जिला ऐसा नहीं बचा राजस्थान में। दी हुई संख्या से अतिरिक्त लोगों को अपनी मनमर्जी से, जो भी अधिकारी वहां था उस अधिकारी ने अपनी मनमर्जी से ये शिक्षा मित्र लगा दिये और इनको लगाने के कारण से आपके निदेशालय ने जो आडिट करायी उस आडिट में 7.22 करोड़ रुपया एक्सेस निकला। जब सारे जिलों की जांच होगी तो इससे भी बड़े गम्भीर परिणाम सामने आएंगे। आप देखें, केवल भीलवाड़ा जिले का मैं नाम बताता हूं, एक विष्णु कुमार दुबे, उपाध्यक्ष, जिला विद्यार्थी मित्र संघ, भीलवाड़ा, इसने एक शिकायत कलक्टर को की। कलक्टर को कहा था कि माण्डलगढ़ ब्लाक में अनेक विद्यार्थी मित्रों ने अपनी नेतागीरी, बेईमानी और कुटिलता से विद्यालय में प्रधानाध्यापक को डरा-धमकाकर विद्यालय में अपनी उपस्थिति बनवा ली जिसके आधार पर इस पूरे सत्र का मानदेय उन्होंने प्राप्त किया। उन्होंने नामजद बताया। कुछ नाम लिखे, यशोधरा वैष्णव, जगदीशचन्द्र, ऐसी एक लिस्ट थी कि इन लोगों ने अपना नाम लिखा दिया, कृपा करके

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कलक्टर महोदय इस प्रक्रिया की जांच करवाएं। यह 26.11.10 को अपनी शिकायत दर्ज की। कलक्टर ने 29.11.10 को इस पर अपना एक्शन लिया, एक्शन लेकर उन्होंने जांच डीईओ को दी। डीईओ के पास यह जांच पहुंच गई थी 10.12.10 को। उसके बाद डीईओ ने जांच कराकर जो तथ्य दिया वह तथ्य चौंकाने वाला था। यह जांच होकर आयी है 11.2.11 को। यह जांच एक भीलवाड़ा जिले की आपके सामने आयी है, उसमें लिखा है कि शिकायत में दर्शाये गये विद्यार्थी मित्र में यशोधरा वैष्णव, प्राथमिक विद्यालय, श्यामगढ़, जगदीश चन्द्र जीनगर, प्राथमिक विद्यालय, राजाखेड़ा, श्री नसीर मोहम्मद, प्राथमिक विद्यालय, जापरगुढा एवं श्री अफजल मोहम्मद, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोहरों का खेड़ा को बुलाकर उनके बयान दर्ज किये जिसके अनुसार चारों विद्यार्थी मित्रों ने सेवा में रहते हुए जम्मू कश्मीर में नियमित विद्यार्थी के रूप में माह जनवरी, 2009 से अक्टूबर, 2009 तक बीएड प्रशिक्षण प्राप्त करना स्वीकार किया तथा उन्हें प्रशिक्षण अवधि का मानदेय भुगतान किया गया। यह उनका स्वयं का बयान है। ऐसे ही कई बच्चे हैं जो शिक्षा मित्र नहीं रहे, लेकिन शिक्षा मित्र नहीं रहते हुए उनके नाम से अधिकारियों ने पैसा उठाया और पैसा उठाकर यह करोड़ों रुपये का गबन हुआ। इस संस्था में जो शिक्षा का एकमात्र कहीं स्थान बचा था जहां कम से कम पवित्रता रहती, वह पवित्रता भी नहीं रही। यह प्रकरण उठाया उसके पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि यह जो फर्जीवाड़ा है, अगर शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य अपनी मर्जी से किसी को शिक्षा मित्र रख ले और उसकी तनख्वाह आपका बीईओ और आपके अधिकारी मिलकर देते रहें और सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगाते रहें तो यह प्रकरण सामान्य नहीं है। कम से कम एक शिक्षा का मंदिर थोड़ा बचा हुआ है, भगवान के लिए इस पर सख्ती लगाओ। इस सारे प्रकरण की मैंने सारी सूची देखी है, एक भी जिला ऐसा नहीं है, मेरे पास सारे फीगर हैं, आप चाहो तो पढ़ दूं, हर जिले में जो स्ट्रेंथ दी थी उस हिसाब से भी अभी जो शिक्षा मित्र आपके पास आये थे, कुछ रहम करो, शिक्षा के पवित्र मंदिर को इतना मत गिराओ।

मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है, इन शिक्षा मित्रों को आपने 2750 रुपये में नौकर रखा था। फिर आपने 10 परसेंट बढ़ाया उसके कारण से जो तृतीय वेतन श्रृंखला का काम करता है, उसको 3330 रुपये मिलता है, जो सैकिण्ड ग्रेड के अगेंस्ट में काम करता है उसको 3630 रुपये मिलते हैं और

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जो व्याख्याता की जगह काम करता है उसको 4840 रुपये मिलते हैं। अगर एक मजदूर की भी मिनिमम वेज प्रोटैक्ट होती है तो उसको भी कम से कम 137 या 145 रुपया मिनिमम मजदूरी मिलती है। अगर दुकान पर भी कोई नौकरी करता है तो श्रम विभाग उसके खिलाफ मुकदमा बनाता है। क्या आपको इस बात पर दया नहीं आती कि पढ़े-लिखे नौजवान, एमए पास किये हुए, बीएड किये हुए नौजवान न्यूनतम वेतन से भी गये-बीते हैं। यानी ये 3330 देते हैं यह रोज का 110 रुपया पड़ता है, 3630 रुपये जो सैकिण्ड ग्रेड को देते हैं यह 120 रुपया रोज पड़ता है और फर्स्ट ग्रेड के व्याख्याता को 4840 रुपये देते हैं उसको 160 रुपया पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा संक्षिप्त करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ये बच्चे यहां हजारों की संख्या में आये। रात को आपने जिस निर्दयता के साथ उन बच्चों के साथ किया, उनकी बात को कोई नहीं सुनेगा? यह शिक्षा का व्यापार हो रहा है, व्यवसाय हो रहा है, बच्चों का शोषण हो रहा है। ये एक-दो बच्चे नहीं हैं 15984 बच्चे लगे हुए हैं जिनके साथ इस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है। सरकार यह कहती है कि हम मजबूर हैं, इससे ज्यादा तनख्वाह नहीं दे सकते। एक ओर तो मेहनत करता है उसको तनख्वाह नहीं देते हैं और दूसरी ओर इनके फर्जी नाम लिखकर आपके अधिकारी करोड़ों रुपये का चूना लगा रहे हैं। उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होती। यह दोनों कैसे चलेगा? एक तरफ बच्चा रो रहा है अपनी तनख्वाह के लिए और दूसरी तरफ आपके अधिकारी आराम से करोड़ों रुपये लूटे जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस पूरे प्रकरण की जांच होकर इसकी तह में जाएंगे तो 20 करोड़ रुपये से ज्यादा केवल इस डेढ़ साल में इन लोगों ने बड़े गलत तरीके से उठा लिये। मुझे मजबूर होकर आपके पास आना पड़ा। उस दिन शिक्षा की मांग होती तब तो मैं और कुछ बताता। मैं चाहता हूं, थोड़ा-बहुत भी आपके मन में प्यार बचा है तो मजदूर से गया-बीता, पढ़ा-लिखा नौजवान है उसकी जो दशा बनायी है उस पर विचार करें और उसको दें क्योंकि वह मास्टर का काम कर रहा है। आज की तारीख में भी अध्यापक का काम कर रहा है। दूसरी तरफ जिन्होंने यह गड़बड़ी की है, जिस संस्था ने, जिस डीईओ ने की, मेरे पास यह जयपुर का है, सामोद में 127 टीचर एक ही ब्लाक में एक्स्ट्रा लगे हुए हैं और उनकी तनख्वाह उठ गई है। 127 टीचर हैं। मेरे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हिसाब से एक-एक ब्लाक को अगर छांटोगे न तो मैं जो संख्या बता रहा हूं इससे कई गुणा निकल सकती है और पैसा उठ रहा है। मंत्री महोदय, ऐसा महत्वपूर्ण विषय है, कम से कम मैं मानता हूं कि आपके मन में कुछ तो इन शिक्षकों के प्रति और इस बेईमानी के प्रति करने की मंशा होगी।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अगर हो तो बताओ, नहीं तो भगवान भरोसे छोड़ता हूं मैं तो।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो इश्यू माननीय सदस्य ने बड़े गम्भीर उठाये हैं। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां भी गड़बड़ी हुई है उसकी जांच कराकर उस अधिकारी को सज़ा दिलाई जाएगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सज़ा नहीं, पैसे वसूल करो इनसे। सज़ा से इनका कुछ नहीं बिगड़ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: उसमें दोनों चीजें आ जाती हैं। एक ये तनख्वाह का कह रहे हैं...

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि इसकी पूरी जांच कराऊंगा और जांच कराने के बाद आवश्यक कदम उठाऊंगा, इसमें कोई वहम की गुंजाइश नहीं है।

दूसरा, जहां तक सैलेरीज को बढ़ाने का ताल्लुक है, तो मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में सैलेरी 25 प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा कर दी है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): 10 प्रतिशत, पढ़ो आप। आपने भाषण ठीक तरह से नहीं सुना। अप्रैल, 10 में जो उसकी तनख्वाह थी उसका 10 प्रतिशत बढ़ेगा। क्या बात कर रहे हो आप?

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): इतना तो आपने पहले ही बढ़ा दिया, मंत्री महोदय।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): आप बहुत सीनियर हैं, मेरी भी थोड़ी बात सुन लें। मैंने इस भावना को मुख्य मंत्रीजी तक पहुंचाया है और मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्रीजी इन भावनाओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री पवनजी दुग्गल। थोड़ा शार्ट में बोलिये, लम्बा मत करिए।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): धन्यवाद देता हूं, उपाध्यक्षजी। बिलकुल शार्ट में बोलूंगा। बहुत पुराना किसानों से जुड़ा हुआ मामला है, आप तब तक मंत्रीजी को आदेश फरमा दें।

श्री उपाध्यक्ष: पुराना है तब तो उस पर....

अनूपगढ़ के खातेदारी हक से वंचित काश्तकार

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): नहीं, नहीं, वर्तमान में चल रहा है और किसान पीड़ित हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, सदन में माननीय मंत्रीजी को, जो सदन में नहीं बैठे हैं, उनको बुला लीजिएगा, अवगत कराना चाहता हूं कि अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र का किसान जो पिछले लगभग 50 सालों से लगातार खेती करता आ रहा है, आज तक राज्य सरकार के विभिन्न नियमों के अन्तर्गत उलझ कर उसको खातेदारी अधिकार नहीं मिले हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एण्ड रिजम्प्शन आफ जागीरदार अधिनियम, 1952 की धारा 12 के अन्तर्गत यह प्रोविजन था कि कोई भी कृषक यदि नियमानुसार प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष पेश कर लगान का दस गुणा जमा करवा दे तो उसे खातेदारी अधिकार प्रदान किए जाएंगे। इसी के दौरान हमारे क्षेत्र के किसानों ने लगान की दस गुणा राशि जमा करवाई और जमीन ली। मगर, उपाध्यक्ष महोदय, उसी दौरान तहसीलदार महोदय के समक्ष विभिन्न जिलों के अन्दर यह मामला प्रकाश में आया तो कई गड़बड़ियां मिलीं। राज्य सरकार ने उन गड़बड़ियों की जांच तब सीबीआई से करवाई तो उसके तथ्य सामने आये। फिर राज्य सरकार ने एक आदेश जारी करके धारा 12 जिसके द्वारा दस गुणा राशि जमा करवाकर खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए थे, उक्त धारा 12 को दिनांक 15.6.1954 से राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान गजट नोटिफिकेशन के द्वारा विलोपित कर दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, उन किसानों का क्या कसूर है जिन्होंने नियमानुसार सरकार को दस गुणा लगान देकर अपनी जमीन काबिज की? जिसने गड़बड़ी की उसको सज़ा मिले, यह समझ में आता है। आज उस किसान की संख्या 461 तो कुल अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में है और गंगानगर, हनुमानगढ़ का जिक्र किया जाए तो बहुत ज्यादा है। वह किसान 50 साल से खेती कर रहा है, जमीन पर काबिज है और

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

उनमें भी कुछ किसानों ने तो जरिए इकरारनामा अन्य को आगे रजिस्ट्री भी करवा दी।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय पवन जी, यह आपका प्रश्न सिंचित क्षेत्र विकास का है?

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): सिंचित क्षेत्र विकास, आईजीएनपी से सम्बन्धित है, आप हेमाराम जी को थोड़ा बुलाने के आदेश करो तो बहुत अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष: मुख्य सचेतक महोदय, हेमाराम जी को बुलवाओ। आप बोलिए।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आज वो किसान खेती कर रहा है, सिंचित एरिया है, फसल पैदा कर रहा है, उसके नाम पानी की पर्ची है, समय पर पानी लगता है, फसल हो रही है, राजस्थान सरकार को राजस्व आ रहा है। मगर आज किसान की दुर्दशा कैसी है? कभी सरकार ने पिछले 50 सालों में, 54 सालों में उसकी सुध नहीं ली और जो दस गुणा राशि देकर जमीन ली है, धारा विलोपित करके उनको अनाथ छोड़ दिया गया है। मैं समझता हूं कि सरकार उसके बारे में अपना कहीं न कहीं वक्तव्य दे। मुझे आपके माध्यम से यह अवगत कराना है कि पूर्ववर्ती सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया था और 3.10.2008 को कुछ प्रयास हुए थे मगर उन प्रयासों में भी कमी रह गई। जो गजट नोटिफिकेशन 3.10.2008 को पूर्ववर्ती सरकार ने जारी किया उसमें यह लिखा कि उक्त समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार ने राजस्व उपनिवेशन आईजीएनपी क्षेत्र में राजकीय भूमि का आबंटन व विक्रय नियम, 1975 के नियम 21 में दिनांक 30 अक्टूबर, 2008 द्वारा किए गए संशोधन एवं दिनांक 2.4.2009 से ऐसे किसान जिन्होंने भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 12 के उपबन्धों के अनुसार खातेदारी अधिकारी प्राप्त किए थे और उक्त धारा विलोपित कर दी गई है, यदि उक्त कृषक या उसके उत्तराधिकारी या उसके अन्तर्निहित भूमिहीन हैं और उक्त भूमि निरन्तर उसके कब्जे में है और व्यक्तिगत रूप से उसमें खेती कर रहे हैं, उसको उक्त नियमों के अन्तर्गत भूमि आबंटित करने का प्रावधान किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं मगर वो लोग आज खेती कर रहे हैं यह भी सही है, वे समय-समय पर सरकार

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

को अपनी खेती से राजस्व भी पहुंचा रहे हैं मगर इसमें सबसे बड़ी विडम्बना यह रह गई, इसमें एससी, एसटी को भी आरक्षण है, ओबीसी को भी दिया गया है मगर राज्य सरकार से उन तमाम काश्तकारों की तरफ से मेरी मांग है.....

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा संक्षिप्त करें आप।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): संक्षिप्त क्या, 50 साल से दु:ख है, तकलीफ है किसानों को तो, उपाध्यक्ष महोदय, 2-4 मिनट तो दे ही दो। उपाध्यक्ष महोदय, उक्त धारा में जो इन्होंने संशोधन किया गजट नोटिफिकेशन 2008 द्वारा, हम उसमें उन तमाम किसानों की तरफ से थोड़ा-सा संशोधन चाहते हैं। उसमें इन्होंने लिखा है- उनके उत्तराधिकारी या उसके अन्तर्निहित भूमिहीन है, उपाध्यक्ष महोदय, आप यह बताओ, आप तो खुद काश्तकार हो, 50 साल से वो काश्त कर रहे हैं और 50 साल में उनकी दूसरी, तीसरी पीढ़ी आ चुकी है, उनके वारिस ने कहीं न कहीं भूमि खरीद ली है, अब उनके पास दूसरी भूमि का कहीं न कहीं टुकड़ा है। ऐसी स्थिति में इस नियम के अन्तर्गत उनको खातेदारी अधिकार नहीं मिल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए। आपने अपनी बात कह दी।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): अगर संवेदनशील सरकार इसमें थोड़ा संशोधन करके भूमिहीन शब्द को हटा दे तो तमाम एससी, एसटी और जो काश्तकार पूरे 50 साल से काश्त कर रहे हैं, उनको उस भूमि का खातेदारी हक मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, विराजिए।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): खातेदारी हक मिलने से वो अपने जीवन को, अपने भविष्य को निश्चित रूप से चला पाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता हूं, मंत्रीजी आ गए हैं, मंत्रीजी बहुत संवेदनशील हैं...

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी ने सुन भी लिया है। पहले विराजिए आप।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): मैं उम्मीद करूंगा कि मंत्रीजी जवाब देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी ने सुन लिया। मंत्रीजी जवाब देना चाहें तो बहुत खुशी की बात है। आप बात सुनिये। आप विराजिए। आपका तो अंकित ही नहीं हो रहा है। केवल पवन दुग्गल का मामला है।

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मैं अगला नाम पुकारता हूं। (व्यवधान) अमरारामजी, आप यह चाहते हो क्या कि पवन दुग्गल का जवाब नहीं आए? आप यही चाहते हो न? वो जवाब देंगे तो देंगे।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिये, आप सुनिये। आपका अंकित नहीं हो रहा है। आप सुनिये। पवनजी दुग्गल, यदि माननीय मंत्रीजी जवाब दें तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं है। आप इनसे मिलकर, बैठकर करें, कोई न कोई सोल्यूशन निकलेगा, किसानों से सम्बन्धित मामला है। माननीय श्री घनश्यामजी तिवाड़ी।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): तो मुझे सदन में बता दो, मैं मिल लूंगा मंत्रीजी से और निवेदन कर दूंगा। आप बता दो, मैं मिल लूंगा, आपसे मैं मिल लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री घनश्यामजी तिवाड़ी। वो बोलना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय सदस्य, कल ही तो आप मेरे से मिले थे, मौजूदा कानून के अन्तर्गत इस मामले का हल नहीं हो रहा है इसलिए इसमें कानून में संशोधन करना पड़ेगा। कल ही तो आप मुझसे मिले थे।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): लेकिन कानून के अन्तर्गत ही मैं कर पाऊंगा। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप सोल्यूशन नहीं चाहते हो? अमरारामजी, अमरा रामजी, अमरारामजी, आप नहीं चाहते कि पवनजी दुग्गल का मामला हल हो? आप बात सुनिये पूरी। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बात सुनिये। आपका अंकित नहीं हो रहा है। आप बात सुनिये। आप मंत्रीजी की बात सुनिये। बात सुनिये, जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान) जवाब दे रही है सरकार, फिर आप बोल रहे हो।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): ×××

श्री उपाध्यक्ष: सरकार जवाब दे रही है, समय भी वह बता रही है, सब कुछ कर रहे हैं, बात पूरी सुन लो।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): आप मेरे से कल भी मिले थे और पहले भी मिले थे। मैंने इस मामले को दिखवाया है, पूरी तरह से परीक्षण किया। मैंने बताया भी कि यह स्थिति है। मौजूदा कानून के अन्तर्गत मैं कर नहीं पा रहा हूं। अब इसमें कानून में संशोधन करें, तब ही जाकर कुछ हो पाएगा। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): आप बोलने तो दो, काहे की परमिशन? (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): यह कोई भाईजी का राज थोड़े ही है, मर्जी आए जैसे कर लो। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आप समझते हैं, कानून में संशोधन करने के लिए कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। आज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जो रास्तों का प्रावधान किया गया है, पूर्व में गंगारामजी चौधरी रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उन्होंने भी इसके लिए प्रयास किया था और रामनारायणजी डूडी ने भी किया। वह फाइल जब मैंने मंगवाई और देखा तो दोनों के कार्यकाल पूरे हो गये थे, फिर भी उसमें कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद में यह राष्ट्रपति के पास दिल्ली भेजा तो उसमें दो साल लगे वहां से समय आने में। तो आप समझते हो। और एक साल तो मेरा भी निकल गया। मैं ला विभाग के पास भेजता लेकिन ला विभाग वाले इसमें कुछ न कुछ आपत्ति लिखकर वापस भेज देते...

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है, मंत्रीजी, विराजिये।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): तो इसमें मेरे कहने का मतलब यह है कि जितना आप आसान समझते हो कि अभी आप कह दो और इसमें संशोधन कर दो, संशोधन करके इस समस्या का समाधान होना, इतना आसान नहीं है। लेकिन जो आपकी चिंता है, वही मेरी चिंता है, मैं आपकी चिंता में

(श्री हेमाराम चौधरी)

सम्मिलित हूं और मेरी तरफ से जितना होगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा, इस समस्या का समाधान करवाने की कोशिश करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री घनश्याम जी तिवाड़ी।

बनास नदी से बजरी पर प्रतिबंध

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जयपुर और आसपास के इलाकों की बहुत ही ज्वलंत समस्या के ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। न्यायालय के आदेश से बनास नदी से बजरी लाने पर प्रतिबन्ध लग गया और इसके कारण से जयपुर शहर में बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई। जयपुर में कम से कम 5,000 ट्रक रोज बजरी के आते थे, जिससे सरकारी काम भी चलते थे, जिससे प्राइवेट लोग अपना मकान बनाते हैं। जो चेजा-पत्थर का काम होता है, वह काम भी चलता था और हजारों लोगों को इससे रोजगार भी मिलता है। मजदूर की मण्डियां जो जयपुर में जगह-जगह लगती हैं, गांवों से लोग आकर वहां पर खड़े हो जाते हैं, शाम तक खड़े रहते हैं और चाय-पानी पीकर शाम को वापस चले जाते हैं। सारे जयपुर में एक प्रकार से असंतोष की स्थिति पैदा हो गई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल प्राइवेट काम ही नहीं, मैट्रो का काम चल रहा था वह रुक गया, घाट की घूणी का काम था वह रुक गया, अण्डरपास का काम था वह रुक गया और सारे काम रुककर आज जयपुर में एक प्रकार का असंतोष सम्पूर्ण लोगों में व्याप्त हो रहा है, मजदूरों में असंतोष व्याप्त हो रहा है।

दूसरा बड़ा एक काम और हो गया, उपाध्यक्ष महोदय, पहले जो बजरी का ट्रक 6,000 रुपये में मिलता था, वह बजरी का ट्रक आज 40,000 रुपये में मिल रहा है। जो नियम से काम करने वाले आदमी था, उसका तो काम बंद हो गया और माफिया बजरी का पैदा हो रहा है नया अब। पहले शराब माफिया पैदा हुआ, अब बजरी का माफिया पैदा हो रहा है। एक बात आसानी से सरकार कह सकती है कि साहब, हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया और हमने रोक दिया। मैं कह रहा हूं कि हाई कोर्ट के अन्दर हमारा इतना बड़ा वकीलों का लवाजमा खड़ा है, वह क्या कर रहा है? इसी राजस्थान हाई कोर्ट ने दो बार इस प्रकार के फैसले किये हैं। एक बार एक फैसला कर दिया था कि रामनिवास बाग़ का यह दरवाजा बंद कर दिया जाए और रामनिवास बाग़ में आवागमन बंद कर दिया जाए। बंद हो गया। उसके बाद ट्रैफिक जाम हो गया।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उसके बाद में हाई कोर्ट से आर्डर आया कि रामनिवास बाग़ में जो सड़क बनी हुई है, उस पर दूब लगा दी जाए। उस पर दूब लगा दी गई। थोड़े दिनों बाद माननीय न्यायाधीश महोदय एक बार किसी काम से गये थे गोविंद देवजी के दर्शन करने या और कहीं गये थे, वह फंस गये, दो घंटे तक उनकी गाड़ी नहीं निकल सकी तो उन्होंने कोर्ट में जाकर आदेश कर दिया कि रामनिवास बाग़ को वापस खोल दिया जाए। वह रामनिवास बाग़ वापस खुल गया।

फिर एक बार हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने एक आर्डर कर दिया था कि ट्रैफिक इधर से डाइवर्ट कर दिया जाए। दो दिन तक सारा जयपुर शहर जाम रहा और उसके बाद में उसी माननीय न्यायालय ने आदेश कर दिया कि इसको खोल दिया जाए। मैं सरकार से आग्रह कर रहा हूं कि माननीय न्यायाधीश के पास तो किसी ने एप्लीकेशन लगा दी होगी कि पर्यावरण खराब हो रहा है, कि खड्डा तीन फुट की जगह 50 फुट का खड्डा हो गया है। अब मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में तो गई है, ठीक है, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट में भी दुबारा जाए। वहां पर प्रार्थना पत्र लगाए और कहे कि लाखों आदमी बेरोजगार हो रहे हैं। गृह निर्माण की सारी गतिविधियां ठप्प हो गई हैं, सरकार के सारे काम ठप्प हो गये हैं। इस काम को इतना ईजी में नहीं लें। यह राजनीति का सवाल नहीं है, न पार्टी पोलिटिक्स का सवाल है, यह सब लोगों को मिलकर करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, कई बात ऐसी भी हैं, कुछ बातों पर निर्णय जो प्रशासनिक निर्णय है, जो कार्यपालिका को निर्णय करना है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, एक बार हिमाचल प्रदेश के फैसले के खिलाफ हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि, साहब, यह सड़क बना दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आपका काम नहीं है कि सड़क बने कि नहीं बने, यह काम कार्यपालिका का है, विधायिका का नहीं है। यह काम उनका है। इसलिए वे सारे जो जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन सारे जजमेंट्स को लेकर हाई कोर्ट के सामने रिव्यू में दुबारा जाया जाए और इस समस्या को समाप्त किया जाए। बजरी की समस्या का संकट पैदा हो रहा है, उसका समाधान सरकार करे, मैं यही कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। (व्यवधान) आप कुछ बोलना चाहते हैं?

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बजरी का मामला है। मैं आपको सही कह रहा हूं कि यह पार्टीबाजी से ऊपर उठा हुआ मामला है। कल भी जब मांग पर चर्चा हो रही थी, तब मैंने उद्योग मंत्रीजी को कहा था। या तो हम तय कर लें कि यह सदन, कुछ मामलों में तो, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, सदन की तरफ से भी, आपका दिया हुआ आदेश ऐसा आदेश होगा जिसको न्यायपालिका भी चैलेंज नहीं कर सकती, अब तो यह फैसला हो जाना चाहिए कि विधायिका के काम में न्यायपालिका इंटरफियर नहीं करे क्योंकि न्यायपालिका के काम में कभी भी विधायिका ने इंटरफियर नहीं किया। जब विधायिका किसी के काम में इंटरफियर नहीं करती। आम आदमी का जीना दूभर हो जाएगा, आम आदमी की स्थिति खराब है, सारे काम रुक गये। उसकी आपको ज्यादा चिंता करनी चाहिए उपाध्यक्ष महोदय, जिसकी शाम की रोटी की व्यवस्था बजरी से हो रही थी, मजदूरी से हो रही थी। आज वह आदमी भूखा बैठा हुआ है। वह गलती से रोजी कमाने के लिए मान लो, बजरी खोदकर लड्ढे पर लेकर जाएगा तो वह कानून का उल्लंघन हो जाएगा। विधायिका का उल्लंघन न्यायपालिका कर सकती है, लेकिन न्यायपालिका का उल्लंघन विधायिका नहीं कर सकती है क्योंकि विधायिका डरी हुई है। तो जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है,.. (व्यवधान) आदरणीय घनश्यामजी भाई साहब ने यह कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले में यह कहा कि विधायिका और कार्यपालिका के कामों में हाई कोर्ट इंटरफियर नहीं करें। इस तरह का डिसीजन आ चुका है तो उद्योग मंत्रीजी और यहां जितने भी मंत्री बैठे हैं, मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आप इसमें यह आदेश दे सकते हैं सदन की तरफ से कि रोजमर्रा के कामों में न्यायपालिका इंटरफियर नहीं करे। आप मुझे पर्ची पर बाद में परमिशन देना बोलने की, वह दूसरी बात है, उस पर मैं और बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य और सिविल लाइन्स से आने वाले माननीय सदस्य ने बजरी के बारे में अपनी भावना व्यक्त की। निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई है हाई कोर्ट के निर्णय के बाद में। जो उन्होंने 29.3.2012 को दिया, उसके बाद न केवल नदी-नालों से बल्कि बीकानेर में जहां खनन होता था बजरी का, वह भी बंद हो गया है। इससे सरकार के विभाग भी हैं- इर्रिगेशन है, पीडब्ल्यूडी है, यूडीएच है, मैट्रो है, इसके

(श्री राजेन्द्र पारीक)

साथ-साथ जितने भी प्राइवेट डवलपर्स हैं उनकी, और अब तो यहां तक स्थिति हो गई है कि अपना कोई मकान बनाने वाला आदमी भी बजरी की वजह से परेशान है। जैसे ही यह निर्णय हुआ तो 3.4.2012 को राज्य सरकार के खनिज विभाग को ये आदेश जारी करने पड़े कि बजरी का खनन बंद कर दिया जाए। लेकिन उसी वक्त माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी में लाना चाहूंगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं इस पर मीटिंग ली और मीटिंग लेकर पूरे सीनियर आफिसर्स को इस बात के लिए पाबंद किया कि तत्काल आप सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए रिव्यू पिटीशन लगाएं। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट्स के पैनल के साथ में हम लगा रहे हैं, 4.4.2012 को हमने लगा दी, जिसकी सुनवाई 16.4.2012 को है। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि राज्य सरकार पूरी तरह से इस मामले में सजग है और हर सम्भव कोशिश इस बात के लिए कर रहे हैं कि तत्काल माननीय सुप्रीम कोर्ट से निर्देश प्राप्त हो ताकि बजरी का खनन शुरु किया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्रीमती संजना आगरी। (अनुपस्थित) माननीय रूपारामजी डूडी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में खनन पट्टा आबंटन नीति की पालना

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना): माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये श्रीमान मंत्री महोदय, खनिज विभाग, राजस्थान सरकार से निवेदन है कि खान विभाग, राजस्थान सरकार ने दिनांक 3.7.2009 को आदेश क्रमांक 446-459 जारी कर राज्य के अनुसूचित जनजाति (प्रतिबंधित क्षेत्र) क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति, फर्म या कम्पनी को खनन प्रयोजनार्थ प्रधान एवं अप्रधान खनिजों के खनन पट्टे जारी करने, खनन करने पर रोक लगा दी थी। इन क्षेत्रों में प्रधान एवं अप्रधान खनन पट्टों के लिए जिन व्यक्तियों, फर्म या कम्पनियों ने आवेदन किये हुए थे, उन पर किसी भी प्रकार की स्वीकृति, आबंटन पर पूर्ण पाबंदी लगा दी थी। वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में खनन पट्टे आबंटन हेतु सरकार ने एक पालिसी जारी की जिसकी आज तक पालना नहीं हो रही है। माननीय राजस्थान उच्च

(श्री रूपाराम डूडी)

न्यायालय, जयपुर की डीबी सिविल स्पेशल अपील (डब्ल्यू) नम्बर 406/2003 श्रीमती कान्ता जैन पत्नी श्री करणसिंह चण्डालिया, उदयपुर के दिनांक 2.7.2003 के निर्णय में अनुसूचित क्षेत्र में सिर्फ ट्राइबल को ही खनन आबंटन हेतु पात्र माना है। साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपील संख्या 770/2004 एवं 829/2004 श्री गुरदीप कौर सेठी वर्सेज राजस्थान सरकार एवं अन्य में दिये गये निर्णय में भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में सिर्फ चेजा पत्थर के खनन आबंटन में अनुसूचित जनजाति के स्थानीय निवासी को आबंटन हेतु पात्र माना गया है। परन्तु राजस्थान सरकार ने अपने पत्रांक प.1(46)वन/11 दिनांक 9 नवम्बर, 2011 द्वारा वन मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र भेजकर 64 हैक्टेयर वन भूमि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र (बांसवाड़ा) में डाइवर्जन हेतु सिफारिशी पत्र भेजा जिस पर वन मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 13.2.2012 को स्वीकृति जारी कर दी। वन मंत्रालय, भारत सरकार को अधिकारियों ने जो सिफारिशी पत्र भेजा उसमें राज्य सरकार के पालिसी मैटर को छिपाया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को छिपाया गया। इसका मुख्य कारण यह रहा है कि सरकार के इन अधिकारियों ने कुछ नामजद फर्म, कम्पनियों को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में खनन की अनुमति दिलाने की कार्यवाही करवा कर अनुचित लाभ उठाया है। सरकार के इन नुमाइन्दों की पहल से निम्नांकित नामजद फर्म कम्पनियों को उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में खनन आबंटन की कार्यवाही की जा रही है- 1. मैसर्स आर.के. प्रीमियर्स एम.एल. 12/09, 2. मैसर्स पाटनी एस्टेट्स प्रा.लि. एम.एल. 16/09, 3. मैसर्स सुप्रीम बिल्ड एस्टेट प्रा.लि. एम.एल. 17/09 आदि। इन तीनों ही कम्पनियों को आबंटन की कार्यवाही गुपचुप तरीके से राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.14(10)खान/ग्रुप-2/1999 जयपुर दिनांक 3.7.09 के द्वारा एवं आदेश दिनांक 5.2.08 व दिशा-निर्देश दिनांक 5.2.08 के क्रम में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में खनन पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्रों की स्वीकृति पर अग्रिम आदेश तक रोक यथावत् थी परन्तु राज्य सरकार आदेश जारी करने पर आमादा है। अतः उक्त फर्मों/कम्पनियों की आबंटन कार्यवाही को निरस्त किया जाए एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

(12.53 बजे)

(मेजर ओ.पी. यादव, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: श्री अमराराम।

अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु गठित सच्चर कमेटी एवं मिश्रा आयोग की रिपोर्ट का कार्यान्वयन

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये राज्य में सच्चर कमेटी एवं मिश्रा आयोग की रिपोर्ट लागू करने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने देश में अल्पसंख्यकों की शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का जायजा लेने हेतु जस्टिस सच्चर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जिसमें राजस्थान में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक हालात दलितों से बदतर होने के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। उनको समाज में बराबरी का हक दिलाने हेतु केन्द्र सरकार ने रंगनाथ मिश्र आयोग का गठन किया जिन्होंने 2006 में सरकार को अल्पसंख्यकों को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक मदद हेतु सिफारिश की, पिछड़े मुस्लिम अल्पसंख्यकों को 10 प्रतिशत एवं अन्य अल्पसंख्यकों को 5 प्रतिशत आरक्षण देने एवं विकास हेतु सब प्लान बनाकर संख्या के अनुसार केन्द्र एवं राज्य सरकार के बजट निवेश करने की सिफारिश की। लेकिन राज्य सरकार ने मुख्य सिफारिशें आज तक लागू नहीं करके राज्य के अल्पसंख्यकों के साथ विश्वासघात किया है। अत: विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन है कि अतिशीघ्र राज्य में इसे लागू करें तथा जो केन्द्र सरकार को लागू करनी है उनके लिए राज्य सरकार केन्द्र सरकार से अनुरोध करे। धन्यवाद।

श्री सभापति: कर्नल सोनाराम ।

विद्यालयों में कृषि विज्ञान संकाय की आवश्यकता एवं महत्ता

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य प्रक्रिया एवं संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत राज्य सरकार एवं माननीय कृषि मंत्री का विशेष उल्लेख के माध्यम से ध्यान आकर्षित करते हुए प्रदेश में कृषि विषय के हटाने से उत्पन्न स्थिति के क्रम में निवेदन है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, राजस्थान भी कृषि प्रधान राज्य है। यहां की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था कृषि उत्पादनों पर ही निर्भर है।

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

कृषि के साथ ही कृषि विपणन आदि के क्षेत्र में किसानों को सम्बल प्रदान करने हेतु कई प्रकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों के हित में राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा कार्य किये गये हैं। किसानों को अनुदान देना एवं नये कृषि उन्नति के तरीके आदि हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कई माध्यमों से प्रचार-प्रसार भी किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि कृषि कार्य में पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं का भी पूरा-पूरा सहयोग होता है, बल्कि कई क्षेत्रों में तो महिलाएं पुरुषों से आगे है। राज्य सरकार ने कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। इसके लिए कई कदम उठाये। इसी के तहत सरकार द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से कृषि संकाय में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कक्षा ग्यारहवीं व बारहवीं में प्रत्येक जाति वर्ग की बालिका को पांच हजार रुपये तक वार्षिक एवं स्नातक व अधिस्नातक कृषि वर्ग के अध्ययन करने पर सात हजार रुपये तक वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश की बालिकाएं इस छात्रवृत्ति योजना का फायदा बिलकुल नहीं उठा पा रही हैं क्योंकि हमारे बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि विज्ञान संकाय है ही नहीं। इसलिए बालिकाएं कृषि के प्रचार-प्रसार तथा नये तकनीकी ज्ञान से वंचित रह जाती हैं। इससे समाज का पचास प्रतिशत हिस्सा तो कृषि क्षेत्र की वास्तविकता से अनभिज्ञ रह ही जाता है। 1988 में प्रदेश में कई माध्यमिक विद्यालयों में कृषि विज्ञान का विषय था लेकिन कोठारी शिक्षा आयोग लागू होने के कारण उक्त विद्यालयों में कृषि विज्ञान बंद कर दिया गया था जो कृषि क्षेत्र में बढ़ते कदमों पर कुठाराघात था। उन विद्यालयों में आज भी कृषि विज्ञान की प्रयोगशालाएं एवं सामग्री यथावत् है जो अनुपयोगी सिद्ध हो रही है। मैं यहां राज्य सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषय न होने एवं जानकारी के अभाव में स्नातक एवं अधिस्नातक स्तर पर विद्यार्थी रुचि नहीं लेते जिसके कारण कृषि कालेजों में अध्ययन हेतु विद्यार्थी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं जिससे प्रदेश एवं देश को कृषि के कुशल एवं अनुभवी वैज्ञानिक एवं व्याख्याता नहीं मिल पा रहे हैं। विद्यार्थियों की अरुचि के कारण कृषि विश्वविद्यालयों की स्थिति दिन-प्रति-दिन बद से बदतर होती जा रही है। अतः बालक-बालिकाओं को कृषि विषय में अभिरुचि बढ़ाने हेतु उच्च माध्यमिक विद्यालयों और विशेष तौर पर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कृषि विज्ञान संकाय खोलें और जहां पूर्व में संकाय संचालित था वहां पुनःस्थापित करें। साथ ही कृषि में प्रोत्साहन के तौर पर सभी जातिवर्ग को

(कर्नल सोनाराम चौधरी)
छात्रवृत्ति प्रदान करने के साथ ही विद्यमान छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी कर बालिकाओं के साथ ही बालकों को भी छात्रवृत्ति प्रदान करने पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। धन्यवाद।

(13.00 बजे)

श्री सभापति: श्री महावीर प्रसाद जीनगर।

शाहपुरा की शहरी पेयजल योजना अमरपुरा बनास की पुरानी पाइप लाइन का नवीनीकरण

श्री महावीर प्रसाद जीनगर (शाहपुरा): सभापति महोदय, शहरी क्षेत्र शाहपुरा में पेयजल समस्या के बाबत राजस्थान विधान सभा नियमावली के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।

महोदयजी, उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र शाहपुरा में शहरी पेयजल योजना अमरपुरा बनास नदी से है जो करीब 35 किलोमीटर लम्बी है। यह योजना 1975 से पूर्व की होकर 37 वर्ष हो चुके हैं। इस योजना में सीमेंट के पाइप हैं जो 10 इंच साइज के होकर ओपन लाइन है जो काफी पुरानी होने एवं ओपन लाइन होने से आये दिन क्षतिग्रस्त होती रहती है जिसको बार-बार रिपेयर करने में विलम्ब होता है जिससे शहर में पेयजल 2-2 दिन बाधित हो जाता है। पेयजल आपूर्ति बाधित होने से क्षेत्र में कानून व्यवस्था प्रभावित होने के साथ-साथ क्षेत्र की जनता में भयंकर आक्रोश व्याप्त होता रहता है।

बनास अमरपुरा में पेयजल का स्रोत पूरा है, केवल पानी की लाइन पुरानी होने से कई जगह से लीकेज है एवं खुली लाइन होने से आसपास के गांवों के व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के चलते तोड़ते रहते हैं। इसके चलते विभाग को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। विभाग में कार्मिकों की कमी के चलते परेशानी और बढ़ जाती है। अभी हाल ही में विभाग के विरुद्ध जनता में रोष व्याप्त हो जाने के कारण चक्का जाम एवं अधिकारियों का घेराव जैसी घटनाएं हो चुकी हैं।

क्षेत्र में पहले 48 घंटे के अंतराल में पेयजल आपूर्ति हो रही थी किन्तु विगत सात माह से यह आपूर्ति 72 से 96 घंटे में हो रही है जिससे जनता में विभाग के प्रति रोष व्याप्त है।

(श्री महावीर प्रसाद जीनगर)

अतः आपसे निवेदन है कि इस योजना में स्टील की पाइप लाइन भूतल के नीचे नई डलवाने की कार्यवाही करावें। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री कल्याण सिंह चौहान।

नाथद्वारा में मेवाड़ क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्मारक निर्माण हेतु स्थान का चयन

श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा): सभापति महोदय, विधान सभा संचालन एवं प्रक्रिया के नियम, 295 के तहत विशेष उल्लेख।

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा की स्थानीय पालिका अध्यक्षा द्वारा मीडिया और समाचार पत्रों में जारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्मारक के शिलान्यास का पत्थर हटाने और इसके सम्बन्ध में नगरपालिका अध्यक्षा गीता शर्मा के बयानों की स्थानीय भाजपा ने कड़ी निंदा करते हुए पालिका अध्यक्षा, आयुक्त सहित कांग्रेस शासित सम्पूर्ण पालिका बोर्ड पर विधान सभा की अवमानना का आरोप लगाया है। गांधी पार्क में बनने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्मारक के सम्बन्ध में गीता शर्मा का बयान पूर्णतया तथ्यहीन और झूठा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्मारक का निर्माण, नाथद्वारा में पूरे मेवाड़ क्षेत्र के सबसे ज्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने एवं उनकी स्मृति को चिर स्थाई बनाने के लिए किया जाना प्रस्तावित है। नगर के एकमात्र उद्यान गांधी पार्क में स्मारक निर्माण के लिए भूमि का चयन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के निकट होने और पूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी, स्व. राधाकृष्ण कटारा, स्व. भगवानदास गुर्जर, पं. रामचन्द्र बागोरा, लीलाधर गुर्जर, मदन मोहन सोमटिया व अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके परिजनों की सहमति से किया गया और उन्हीं की उपस्थिति में स्मारक का शिलान्यास किया गया था। इससे उपयुक्त नाथद्वारा नगर के मध्य कोई जगह नहीं हो सकती जहां आम जनता और नगर में आने वाले वीआईपी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को एक साथ अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें। गांधी पार्क नगर के मध्य एकमात्र छोटा-सा उद्यान है जिसमें आसपास के व्यापारी, आम जनता तथा बाहर से आने वाले वैष्णव कुछ पल के लिए सुकून के वातावरण में सुस्ताते और हरियाली का आनंद उठाते हैं।

(श्री कल्याण सिंह चौहान)

पालिका ने विधान सभा में जवाब देने के पश्चात् भी महीनों तक स्मारक का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया और स्थानीय विधायक द्वारा दो लाख की स्वीकृति जारी करने के बावजूद भी पालिका ने महीनों तक कार्य का एस्टीमेट जिला परिषद द्वारा कई बार स्मरण पत्र भेजने के बावजूद भी नहीं भिजवाया।

छोटे से पार्क में जहां पहले से ही शिव मंदिर, रैन बसेरा, सुलभ शौचालय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी हुई है, वहां आडम्बर और दिखावे वाली विकास की 3 करोड़ की योजना में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। उस पर भी पालिका यदि इस योजना के अन्तर्गत आर्ट गैलेरी और हवेली संगीत के सम्बन्ध में कुछ कार्य करना चाहती है तो लाल बाग़ के निकट बनाए गए करोड़ों की लागत वाले हाट बाजार में इसकी शुरूआत कर सकती है। उक्त स्थल प्रशासन की लापरवाही से और देखरेख के अभाव में धूल-धूसरित हुआ पड़ा है।

अतः आपसे निवेदन है कि जन हित के विषय को ध्यान में रखते हुए उचित कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान करावें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हनुमान बेनीवाल।

(अनुपस्थित)

श्री मंगलाराम गोदारा।

श्रीडूंगरगढ़ के कुओं पर लगी हुई कम हैड की मोटर्स का उन्नयन

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव।

महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत मेरे निर्वाचन क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा खोदे गए ट्यूबवैल पर कम हैड के मोटर पम्प लगे हुए हैं। उनके स्थान पर ज्यादा हैड के मोटर पम्प लगाने एवं नए पैनल बोर्ड लगाने के सम्बन्ध में सूचना प्रेषित कर रहा हूं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र डूंगरगढ़ में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सिंचाई एवं पीने के पानी के लिए गांव-गांव में ट्यूबवैल खुदे हुए हैं। इन ट्यूबवैल पर पानी की सुचारु व्यवस्था के लिए प्रत्येक ट्यूबवैल पर पीएचईडी

(श्री मंगलाराम गोदारा)

ने बिजली की मोटर्स लगा रखी हैं। श्रीडूंगरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में पानी का जल स्तर 400 से 500 फीट नीचे है। गर्मी के दिनों में जल का जल स्तर और नीचे गिरने की सम्भावना है। अधिकांश कुओं पर लगी मोटर्स कम हैड की होने के कारण दिन प्रति दिन लोड के कारण खराब हो जाती हैं। जली हुई मोटर्स को बदलवाने के लिए न तो विभाग के पास अलग से मोटर्स रहती हैं और न ही पुरानी मोटर्स को शीघ्रता से ठीक करने की सुचारु व्यवस्था है जिसके कारण मोटर्स खराब हो जाने पर गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था करना भी दुर्लभ हो जाता है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने गांव-गांव में ट्यूबवैल खोद रखे हैं उन ट्यूबवैल पर बिजली के ट्रांसफार्मर से सीधे बिजली दी जा रही है, जबकि विभाग की यह व्यवस्था है कि ट्रांसफार्मर से सीधे बिजली कुए को नहीं दी जा सकती है। प्रत्येक ट्यूबवैल पर एक पैनल बोर्ड बनाया जाए और ट्रांसफार्मर से बिजली पैनल बोर्ड को दी जाए। लेकिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बहुत से गांवों के कुओं पर ट्रांसफार्मर से सीधे बिजली दी जा रही है, जिससे हमेशा दुर्घटना होने की सम्भावना बनी रहती है। विभाग जिस भी गांव में ट्यूबवैल खोदे, उसके साथ बिजली कनेक्शन के लिए पैनल बोर्ड लगावे। पैनल बोर्ड लगाने के बाद ही बिजली के कनेक्शन से मोटर्स को चालू करे।

अतः इस सदन के मार्फत मैं जन स्वास्थ्य मंत्रीजी से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कुओं पर लगी हुई कम हैड की मोटर्स का सर्वे करवाकर उनके स्थान पर ज्यादा हैड की मोटर्स लगवाने एवं जली हुई मोटर्स को बदलवाने की व्यवस्था करावें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुखराम।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित लेखाकारों/कनिष्ठ लेखाकारों का पदस्थापन

श्री सुखराम (बसेड़ी): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित लेखाकारों/कनिष्ठ लेखाकारों के पदस्थापन करने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान लोक सेवा

(श्री सुखराम)

आयोग द्वारा वर्ष 2008 में लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखाकार की भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसकी प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा आयोजित करने के बाद अक्टूबर, 2011 में अंतिम रिजल्ट जारी किया जा चुका है। दिसम्बर, 2011 में आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं अन्य दस्तावेज निदेशालय, कोष एवं लेखा विभाग को भेज दिए गए थे। लेकिन निदेशालय, कोष एवं लेखा विभाग द्वारा सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर लिए जाने के बावजूद भी चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन नहीं किया जा रहा है और पिछले चार महीनों से चयनित अभ्यर्थी परेशान हैं।

अतः मेरा इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री महोदयजी जो कि स्वयं मुख्य मंत्रीजी हैं, निवेदन है कि उन चयनित अभ्यर्थियों का शीघ्र पदस्थापन कराकर उनको राहत प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अनिल जैन।

झालावाड़ की उप तहसील बकानी को तहसील का दर्जा

श्री अनिल जैन (खानपुर): सभापति महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत झालावाड़ जिले की उप तहसील बकानी को तहसील बनाने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख का प्रस्ताव। महोदय, प्रक्रिया नियम 295 विशेष उल्लेख के जरिये मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि झालावाड़ जिले की उप तहसील बकानी में 175 ग्राम हैं, 25 ग्राम पंचायतें हैं तथा 29 पटवार मण्डल स्थापित हैं, साथ ही इस उप तहसील में 4 कानूनगो हल्के भी स्थापित हैं फिर भी बकानी तहसील नहीं बनाई गई जिससे आम जनता को कठिनाई हो रही है। अभी हाल ही में मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण के दौरान नई तहसीलें बनाये जाने की घोषणा की है। घोषित की गई नई तहसीलों के मुकाबले बकानी उप तहसील तहसील बनाये जाने के सभी मापदण्ड पूरे करती है। मेरी जानकारी के अनुसार हाल ही में घोषित असनावर तहसील जो मनोहरथाना क्षेत्र में पड़ती है, मापदण्ड पूरे नहीं करती फिर भी तहसील बना दी गई। अब औचित्य सिद्ध करने के लिए बकानी उप तहसील के कुछ क्षेत्रों को तोड़कर यथा आर.एल.आर. रिछवा एवं रटलाई को उप तहसील बकानी से तोड़कर नव घोषित आसनवर में मिलाये जाने की कार्यवाही चल रही है, जो कतई न्यायोचित नहीं है। वास्तव में घोषित की गई असनावर तहसील में 14 पटवार मण्डल, 2 कानूनगो हल्के, 13 ग्राम पंचायतें

(श्री अनिल जैन)

एवं 99 राजस्व ग्राम ही हैं। हमें असनावर को नई तहसील बनाये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन पुराने जमाने में स्टेट के समय तहसील रही बकानी को भी जन हित में तहसील बनाया जाए।

अतः मेरी सरकार से मांग है कि दीर्घकाल से चल रही उप तहसील बकानी को अविलम्ब बनाया जाए। मैं उक्त विषय पर प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख कर रहा हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पेमाराम।

धोद के नगर लोसल में उप तहसील कार्यालय

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत धोद विधान सभा क्षेत्र के नगर लोसल में उप तहसील खोलने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि धोद विधान सभा क्षेत्र में एकमात्र नगरपालिका लोसल है जिसके आसपास की सात ग्राम पंचायतें मय नगरपालिका लोसल दांतारामगढ़ तहसील के अन्तर्गत आते हैं। इस नगर एवं आसपास की पंचायतों की जनसंख्या लगभग एक लाख है जो तहसील व एस.डी.एम. दांतारामगढ़ के क्षेत्राधिकार में आते हैं। इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को आवश्यक दस्तावेज बनवाने व किसानों को अपनी भूमि सम्बन्धी प्रकरण निपटाने के लिये दांतारामगढ़ जाना पड़ता है। लोसल नगर, जाना, मंगराली, भीमा, चिडासरा, सांगलिया, भीराणा भगतपुरा, खुड व बानूड़ा आदि गांवों की दूरी लोसल शहर से दांतारामगढ़ जाने पर लगभग 40-45 किलोमीटर की दूरी है। आने-जाने में 80 -85 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है जिससे जनसाधारण के धन व समय की बरबादी होती है। वहीं लोसल शहर में जीएसएस, स्कूल, एईएन कार्यालय, पुलिस थाना व अन्य सरकारी दफ्तर हैं। अतः जनता की परेशानी को देखते हुए व सरकारी कार्य में गति लाने के लिये लोसल नगरपालिका में उप तहसील कार्यालय बनाया जाए।

श्री सभापति: श्री रामलाल गुर्जर।

आसींद में राजकीय महाविद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): माननीय सभापति महोदय, विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र आसींद में शिक्षा के

(श्री रामलाल गुर्जर)

सम्बन्ध में आम छात्र-छात्राओं के उच्च स्तर पर पढ़ाई करने वालों के लिए सरकार द्वारा शिक्षा के प्रति न्याय नहीं मिल पा रहा है। शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। गुलाबपुरा उप खण्ड कार्यालय नगरपालिका है, किन्तु बड़े खेद की बात यह है कि यहां पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है तथा राजकीय महाविद्यालय भी नहीं है। हुरड़ा पंचायत समिति के सरेड़ी स्टेशन ग्राम में सबसे पुराना माध्यमिक विद्यालय है। छात्र-छात्राओं की संख्या भी अधिकतम है। लंबी दूरी तक हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं है। छात्र-छात्राएं शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। आसीन्द में राजकीय महाविद्यालय नहीं है। छात्र-छात्राओं को पढ़ने के लिए 55-60 किलोमीटर की दूरी तक जाना पड़ता है। पास में राजकीय महाविद्यालय नहीं है। कई बार क्षेत्र की जनता द्वारा प्रदर्शन, रोड जाम व धरने भी किये गये हैं। पढ़ाई करने जाने-आने हेतु रोडवेजों में लम्बी दूरी तय करनी होती है जिससे आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इससे छात्र-छात्राओं की जान हमेशा जोखिम में रहती है।

अतः आपसे निवेदन है कि अविलम्ब सरकार जन हित में शिक्षा को बढ़ावा देने, वंचितों को शिक्षा प्रदान कराने के लिये उक्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान करावें।

श्री सभापति: सैकिंड काल। श्रीमती संजना आगरी। (अनुपस्थित)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): सैकिंड काल क्यों?

श्री सभापति: यह मैं प्रिफर कर रहा हूं। श्री हनुमान बेनीवाल।

तहसील स्तर पर राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत राज्य में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का विकास करने के सम्बन्ध में। महोदय, राजस्थान में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के लगभग सात हजार चिकित्सक हैं, जबकि राज्य में केवल 189 सरकारी चिकित्सालय हैं उनमें भी केवल 130 चिकित्सक कार्यरत हैं। राज्य में एक होम्योपैथिक प्राइवेट विश्वविद्यालय एवं 7 निजी होम्योपैथिक महाविद्यालय हैं। राज्य सरकार से इस प्रस्ताव के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि होम्योपैथिक चिकित्सकों की बढ़ती हुई बेरोजगारी के सम्बन्ध में उपाय करें। आर.एच.एस. बुलेटिन के अनुसार राज्य में 35 प्रतिशत रोगी होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से इलाज कराना

(श्री हनुमान बेनीवाल)

पसन्द करते हैं। लेकिन अत्यन्त खेद की बात है कि राज्य सरकार के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2012-13 में होम्योपैथिक चिकित्सा के विकास के लिए किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जहां राज्य में राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय 3539 हैं वहीं होम्योपैथिक के मात्र 178 चिकित्सालय राज्य में सरकारी हैं।

मेरा माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से इस प्रस्ताव के माध्यम से अनुरोध है कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति जो कि असरदार एवं अत्यन्त सस्ती है, को भी प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से कम से कम तहसील स्तर पर राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय खोले जाएं एवं इस पद्धति के विकास के लिए राज्य के बजट में अन्य चिकित्सा पद्धतियों की भांति बजट का प्रावधान कर जनता को राहत प्रदान करें।

श्री सभापति: आज दिनांक 13 अप्रैल, 2012 को शून्यकाल में बोलने हेतु 15 पर्चियां प्राप्त हुईं जिनमें से श्लाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गईं जो निम्नांकित हैं:- श्री ओमप्रकाश जोशी, फलौदी क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्था के सम्बन्ध में, श्री कैलाश चन्द भंसाली, जोधपुर शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करने के सम्बन्ध में; डा. फूलचन्द भिण्डा, प्रदेश में पडोसी राज्यों की तुलना में अधिग्रहीत भूमि का बहुत कम मुआवजा देने के सम्बन्ध में व श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल, विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के नालोदिया में रेलवे ट्रैक के लिए अवाप्त जमीन का मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

श्री ओमप्रकाश जोशी।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन जिसकी बहुत ही इस वक्त किसानों को ओलावृष्टि से...

श्री सभापति: कृपया बैठिये, मैं आपको मौका दूंगा। कृपया बैठिये, आपको मौका दे रहे हैं, आपकी पर्ची आयी हुई है पाइंट आफ इन्फोर्मेशन की।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): ठीक है, साहब, थैंक यू।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

फलौदी में चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता व उनका प्रभावी कार्यान्वयन

श्री ओम जोशी (फलौदी): सभापति महोदय, पश्चिम काशी और वेद नगरी से प्रसिद्ध फलौदी क्षेत्र देश के नक्शे पर उभर कर सामने आया है।

(श्री ओम जोशी)

फलौदी, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर और कांडलापुर जाने के लिये हाई वे और मेगा हाई वे के मध्य स्थित है। करीब 160 किलोमीटर दूरी पर ये सभी जिला हैडक्वार्टर स्थित हैं जहां पर जिलास्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। वर्तमान में फलौदी मुख्यालय पर एक सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र है और एक चिकित्सा केन्द्र बाप में है। इसके अलावा दस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लोडिया, खारासावरी, भुजेसर, बारू, कानसिंह, जामा, केलनसर, चापासर और कालासर में हैं। 43 ग्राम पंचायतों के मेरे विधान सभा क्षेत्र में अत्यन्त ही सक्षम चिकित्सा सेवा की व्यवस्था है। लेकिन फलौदी और बाप में और अन्य पीएचसीज पर चिकित्सकों के पद रिक्त होने की वजह से ये अस्पताल और पीएचसीज मात्र रैफर यूनिट बन गये हैं। फलौदी नेशनल हाई वे पर स्थित है, इसके साथ ही आप जानते हैं कि रामदेवरा के लिये लाखों यात्री वाया फलौदी होकर गुजरते हैं, गुजरात से जाने वाले लोग वाया कोलुसायरी होकर जाते हैं और पंजाब हरियाणा, उत्तर क्षेत्र से आने वाले लोग बाप होकर निकलते हैं। आज बाप से लगाकर, खेडिल से लगाकर खारा तक का जो जोन है, वह भारी माल वाहन के गुजरने और यात्रियों के जाने से एक बेहद ही दु:खद एक्सीडेंट जोन बन चुका है। एक्सीडेंट जोन बनने की वजह से अभी तो ऐसी स्थिति है कि महीने में दस एक्सीडेंट हो रहे हैं। दस एक्सीडेंट होने पर प्राथमिक चिकित्सा करते हुए उन घायलों को रैफर कर दिया जाता है। मैं तो यह कह सकता हूं कि कई बार तो चिकित्सा सेवा के अभाव में, जिला अस्पताल की व्यवस्था 160 किलोमीटर दूर होने पर वे घायल दम तोड़ देते हैं। सभापति महोदय, इन केन्द्रों में 32 पद रिक्त पड़े हुए हैं और आश्चर्य की बात यह है कि कनिष्ठ विशेषज्ञों और चिकित्सा अधिकारियों के दस पद रिक्त पड़े हैं। एएनएम के 18 पद रिक्त पड़े हैं। इन रिक्त पदों को भरने के लिये मैं निरन्तर माननीय मंत्री महोदय से और अधिकारियों से सम्पर्क करता रहा हूं परन्तु तीन वर्षों के प्रयास के बाद मुझे अपनी पीड़ा को आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना पड़ रहा है। फलौदी में जो वर्तमान चिकित्सा व्यवस्था है, कांग्रेस के तत्कालीन चिकित्सा मंत्री मोहन छंगानीजी जब थे तब एक चिकित्सा व्यवस्था हमें मिली थी। सम्माननीय सात्विक सोच के धनी अशोक गहलोतजी जब पिछली बार मुख्य मंत्री बने तब उन्होंने उस अस्पताल को क्रमोन्नत करते हुए 75 शय्याओं का अस्पताल बनाया था, लेकिन दु:ख है कि 5 वर्ष के पिछले शासन काल में वहां पर जो क्रियान्विति होनी थी वह

(श्री ओम जोशी)

शून्य रही और धरातल स्तर पर हम वहीं के वहीं बैठे हैं। सभापति महोदय, कुछ पद भरे गये लेकिन आज जो स्थिति बनी है, वहां उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाओं की दरकार है। चूंकि यह एक्सीडेंट जोन बन चुका है ऐसी स्थिति में जिला स्तरीय चिकित्सा सुविधा और ट्रोमा सेंटर के लिये लगातार मांग की जा रही है। मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कृपया इस मामले में गम्भीरता से सोचें और इन रिक्त पदों को भरें। अलबत्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देश पर एक व्यवस्था हमारी की गयी कि रामदेवरा जाने के लिये हमारे जो मार्ग थे, जो नेशनल हाई वे से जाते थे, उनको वैकल्पिक मार्ग करते हुए उगरा से पंचपीपली 7 किलोमीटर की रोड बनवाई जिससे गुजरात के सभी पैदल यात्री वहां से निकलते हैं और बाप से रामदेवरा के लिये 18 किलोमीटर का लम्बे समय से एक मिसिंग लिंक चला आ रहा था, 6-6 किलोमीटर के तीन टुकड़े थे, उन तीनों टुकड़ों पर डामर रोड का निर्माण करवाकर 30 किलो मीटर की दूरी कम की गई है।

सभापति महोदय, गहलोत साहब जब एमपी के पद पर विराजते थे और केन्द्रीय मंत्री थे उस समय उन्होंने अपने कोटे से हमें एक्स-रे मशीन दी थी, वही एक्स-रे मशीन आज काम आ रही है। उन्होंने मोबाइल वैन उपलब्ध कराई थी वह वैन आज काम आ रही है। हमने एमएलए कोटे से बारू केन्द्र के लिये 15 लाख रुपये देकर 108 की गाड़ी दी। हमारे एमपी साहेबान ने 15 लाख रुपये देकर केलनसर के लिये 108 की गाड़ी दी। मंत्री महोदय, आपकी ओर से एमएमवी दो आई लेकिन मैं दर्द के साथ कह रहा हूं कि बाप और फलौदी में जो एमएमवी आकर खडी हुईं, जब उनके संचालन की बात आई, तो अधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क करने के बाद भी उत्तर यह आया कि इनकी व्यवस्था नहीं हो पाई है। और हद तो तब हो गई जब बाप की एमएमवी खड़ी होते ही यह बताया गया कि यह एक्सीडेंट हो चुकी है और आज कंडम की स्थिति में है, आन व्हील जाने की स्थिति में नहीं है। मैं मांग करता हूं कि इस तरह से जो राष्ट्रीय धन का दुरुपयोग जो हो रहा है, उसको व्यवस्थित करने की कृपया व्यवस्था करावें। मशीनरी आती है लेकिन चिकित्सक व्यवस्था नहीं होने की वजह से उसका समुचित उपयोग नहीं होता है और समय निकलते ही अपने आप वह एक्सपायरी डेट की हो जाती है। वही हालत, हमारे दो-दो जनरेटर लगे हुए हैं लेकिन उन जनरेटरों की व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं होने

(श्री ओम जोशी)

की वजह से हमारे सीएमएचओ, जाइंट डाइरेक्टर, अधिकारियों का ध्यान आकर्षण समय-समय पर किया गया लेकिन उस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनके माथे पर जूं नहीं रेंगती।

श्री सभापति: माननीय सदस्य कृपया संक्षिप्त करें, आप पर्ची पर बोल रहे हैं।

श्री ओम जोशी (फलौदी): सभापति महोदय, रात को 10 बजे जब बोलने का मौका मिला तब भी 3-4 मिनट में खतम करवा दिया। बडी मुश्किल से ईश्वर की कृपा होती है तब पर्ची खुलती है, पर्ची बहुत तकलीफ से खुलती है।

श्री सभापति: आप पर्ची के माध्यम से बोल रहे हैं तो आप सिर्फ विषय की बात करें।

श्री ओम जोशी (फलौदी): बराबर चक्कर काटते हैं 10 दिन, 15 दिन, महीने तब एक-दो पर्ची निकलती है।

श्री सभापति: कृपया बहस में न पड़ें, आप अपनी बात खतम करें।

श्री ओम जोशी (फलौदी): फलौदी चिकित्सालय में ऊपरी मंजिल का वार्ड बना, 20 लाख रुपये खर्च किये गये लेकिन हमारे अधिशासी अभियंता और तकनीकी अभियंता हैं, की गलती की वजह से रैंप नहीं बनाया गया और आज यह हालत है कि 20 लाख से निर्मित वह वार्ड आज कोई काम नहीं आ रहा है।

मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय का कि उन्होंने तीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों जेमला, मोहला और लखियालपुरा के लिये 10-10 लाख रुपये गत बजट में दिये थे। लेकिन इसके साथ ही यह व्यक्त करना चाहता हूं कि उन तीनों का निर्माण नहीं हुआ। जब वहां के अधिकारियों से समपर्क किया गया तो विभिन्न प्रकार के कारण बताये गये और वह राशि लैप्स हो गई और आज तक उस तीस लाख का निर्माण हमको नहीं मिला है। सभापति महोदय, हमारे यहां पर ब्लड स्टोरेज यूनिट बहुत ही व्यवस्थित ढंग से काम कर रहा है, हमारे यहां गायनोकोलोजिस्ट अच्छा काम कर रहा है, यहां प्रसव की पूरी व्यवस्था है लेकिन ब्लड स्टोरेज यूनिट जब लगा तो मात्र 40 केबिन का यूनिट दे दिया जबकि हमारे यहां पर निरन्तर समय-समय पर दानदाता ब्लड डोनेशन करने के लिये आते हैं। 300-300 यूनिट तक हमारे वहां के युवा प्रदान करते हैं लेकिन ब्लड यूनिट कैबिनेट नहीं

(श्री ओम जोशी)

मिलने की वजह से व्यवस्था नहीं हो रही है। मैंने यहां के जो डाइरेक्टर लेवल के अधिकारी हैं उनसे सम्पर्क किया, आपको पत्र लिखे लेकिन 300 कैबिनेट का जो मैं ब्लड स्टोरेज चाहता था, वह आज तक हमें उपलब्ध नहीं कराया गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वह ब्लड स्टोरेज यूनिट हमें तत्काल उपलब्ध कराया जाए। बाप चिकित्सालय मेरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उसमें आटो एनेलाइजर उपलब्ध कराने की अनुकंपा करावें। सोनोग्राफी मशीन की आवश्यकता थी, मैंने विधायक कोटे से सोनोग्राफी मशीन के लिये 10 लाख रुपये दिये और मैं आशा करता हूं कि आप वहां पर इसके सम्बन्ध में चिकित्सा अधिकारी की समुचित नियुक्ति कराएंगे। इस बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने महती कृपा करते हुए निःशुल्क दवा योजना की श्रेष्ठ क्रियान्विति के लिये, मां जननी सुरक्षा योजना की बढ़िया क्रियान्विति के लिये नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रस्ताव रखा है। नई पीएचसी खोलने का प्रस्ताव रखा है। मेरे इलाके में सूची एक है, मैं आपको पेश करूंगा। मैं चाहता हूं जो हमारा वंचित क्षेत्र रहा है, लम्बे समय से हम उपेक्षित रहे हैं, उस क्षेत्र में 25 स्वास्थ्य उप केन्द्र नये खोले जाएं, 5 पीएचसी खोली जाएं और बाप में हमारी केलेंसर पीएचसी है उसे सीएचसी में कन्वर्ट किया जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप समाप्त करिये।

श्री ओम जोशी (फलौदी): मैं बस कर रहा हूं।

श्री सभापति: मैं अब प्रक्रिया का रूल पढ़ दूंगा आपके लिए। पर्ची पर आप सिर्फ संक्षेप में बोल सकते हैं।

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा व्यवस्था कितनी आवश्यक है, और माननीय अशोक गहलोतजी के दूरदर्शी रवैये की वजह से उनकी सोच की वजह से आज आम आदमी को निःशुल्क दवा जब मिल रही है तो आवश्यक बनता है कि प्रशासनिक तंत्र भी व्यवस्थित हो। मैं आशा करता हूं। आज तक सरकार के सम्बन्ध में, उसकी कमी के बारे में छिद्र ढूंढने की मैंने कभी कोशिश नहीं की लेकिन मुझे पीड़ा हो रही है। अभी जब मैं कान्स्टीट्युएंसी में था तो लगातार दो बार एक्सीडेंट हुए। एक्सीडेंट होने के बाद में जब घायल आते हैं और उनकी सेवा-सुश्रुषा बराबर नहीं हो पाती है, डाक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में जनता जिस तरीके से अपने उद्‌गार व्यक्त करती है तो हम सुन नहीं पाते हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी हमें

(श्री ओम जोशी)

सब कुछ देना चाहते हैं, फलौदी के लिए उन्होंने सब कुछ दिया है, एडिशनल एसपी दिया है, एडिशनल कलक्टर दिया है, मुख्य मण्डी दी है, अण्डरब्रिज दिया है, सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा हब दिया है, उसके साथ-साथ आईटीआई दी है, कई स्कूल दिये हैं, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें हम वंचित रहे हों। लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में सोने की थाली में मेग लगी हुई है, मैं आशा करता हूं कि चिकित्सा मंत्री महोदय सोने की थाली में मेग को हटाकर इसको सोने की थाली बनाएंगे।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री ओम जोशी (फलौदी): धन्यवाद, जय हिन्द।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): माननीय सभापति महोदय, kindly give me two minutes. I want to speak on the same issue. मैं संगरिया विधान सभा क्षेत्र से आती हूं।

श्री सभापति: Please be very specific. I will permit you.

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): I will be very specific, Sir. I wouldn't take more than two minutes.

श्री सभापति: I will permit you.

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): Sir, I would not take more than two minutes. It is very important for my Constituency.

श्री सभापति: आपका यह मिल गया है I allow you.

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): OK. Sir.

श्री सभापति: आप बैठिये। श्री कैलाश चन्द भंसाली।

जोधपुर में सड़कों की दुर्दशा

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): माननीय सभापति जी, मैंने अभी ओमजी जोशी से उनकी पीड़ा सुनी, पीड़ा वह सुना रहे थे, आहत मैं हो रहा था। मैं आज जब विधान सभा में 10 बजे आया, पिछले 6 दिन से फोन आ रहे हैं, खाण्डा फलसा दूध का चोहटा है वहां से लेकर पाटली की अवीर तक 300 मीटर की सड़क ढाई महीने पहले सीवर लाइन चेंज करने के लिए खोदी गई थी, आज वैसी ही पड़ी है। दुःख की बात यह है कि वहां से सारी शव यात्राएं गुजरती हैं शिवांसी के श्मशान जाने के लिए वह रास्ता है- कितने लोग गाली

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

बोल रहे हैं, शव ले जाने में कितनी तकलीफ हो रही है। नवम्बर- दिसम्बर में बारिश हो रही थी उस समय लोगों को और किल्लत हो रही थी। मेरा निवेदन है, स्वायत्त शासन मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, मैंने कलक्टर साहब से अभाव अभियोग की मीटिंग में भी कहा है, पर यह 300 मीटर का एक टुकड़ा भी ठीक नहीं हो पा रहा है, यह बड़े दुःख की बात है।

दूसरी बात, नई सड़क सोजती गेट पुलिस चौकी से राजदादीजी का अस्पताल और वहां से चांदसा तकिया मेडिकल मार्केट, जालौरी गेट बारी तक इसमें भी आधा किलोमीटर का चांदसा तकिया वाला हिस्सा नवम्बर दीवाली के दिन से इतना अव्यवस्थित खड्डेदार, एक-एक फुट के सड़क पर खड्डे हैं, चल नहीं सकते। मैं स्कूटर पर घूमता हूं मुझे कितनी दिक्कत होती है मैं जानता हूं, सम्भल कर चलना पड़ता है। सूर्यकान्ताजी के नेतृत्व में हमने धरना दिया था तब एडीएम साहब ने कहा था कि यह काम हम एक महीने में करवा देंगे। आज उसको 5 महीने हो गये। मैं निवेदन करना चाहता हूं स्वायत्त मंत्रीजी से तथा हमारे जोधपुर के प्रभारी राजेन्द्रजी पारीक साहब से कि कृपया इस मसले को जो मैंने बार-बार उठाया है, हल कराने की कृपा करें। ऐसा ही हाल मधुवन सरस्वती नगर का है, सेन्ट-एन स्कूल के छात्रों ने पाली रोड पर चक्का जाम किया तब एडीएम साहब ने और सीईओ जेडीए ने आकर कहा था कि हम एक महीने में टेण्डर करके तीन महीने में सड़क का निर्माण करवा देंगे। आज 5 महीने हो गये हैं, टेण्डर हो गये हैं, वर्क आर्डर जारी नहीं किया गया है और सड़क जस की तस पड़ी हुई है। शास्त्री नगर ए सैक्टर राचू कालेज का रास्ता सीताराम लालस मार्ग, कल मथुरादास माथुरजी की पुण्यतिथि है, थोड़ी देर पहले मेरे पास फोन आया है कि आप श्रद्धांजली पर पधारें। मैं कल जयपुर में होने के कारण वहां उपस्थित नहीं हो सकूंगा परन्तु उनके प्रति हमारा, जोधपुर का एक विशेष लगाव है और कल उनकी पुण्यतिथि है। यह सड़क, मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा मकान भी उसी स्थान पर है, लोग आते-जाते मुझे गाली देंगे कि क्या कैलाश भंसाली करता है। एक बोर्ड तो जरूर लगा दिया, कैलाश भंसाली मकान का रास्ता, लेकिन सड़क किस तरह की गन्दी है। इसके लिए मैंने कलक्टर साहब से निवेदन किया है, कमिश्नर साहब से निवेदन किया है, सीईओ साहब से, नगर निगम और मेयर साहब से, मेयर साहब को तो खुद को लाकर दिखाया, वह उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं तुरन्त करवा दूंगा।

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

एक्सईएन सुखराम जी को कहा, कि आपका सात दिन में यह काम हो जाएगा लेकिन उस बात को भी एक माह हो गया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): देखिये, साहब, मेरा एक दुर्भाग्य है कि जब भी मैं बोलना शुरू होता हूं, आप श्रीमान सभापति होते हैं। मैं दो मिनट में बात समाप्त करूंगा।

श्री सभापति: इस प्रक्रिया में साफ लिखा है कि आप संक्षेप में अपनी बात कह सकते हैं। मैं दो मिनट आपको और दे रहा हूं उसके बाद आप समाप्त करें।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): हां, ठीक है, मैं दो मिनट में समाप्त कर दूंगा।

इसी प्रकार से नीमाज की हवेली से खापटा चौक, मोती चौक, त्रिपोलिया, वर्कआर्डर जारी नहीं हो रहा है, तीन महीने से मैं पीछे घूम रहा हूं। ग्यारहवीं सरदारपुरा, पालरोड में भी यही हालत है। सन चौराहे से रावण का चबूतरा तक और मथुरादास माथुर सर्किल तक की सड़क का भी यही हाल है। न्यू गवर्नमेंट स्कूल के पास सेन्ट्रल जैल और इसके साथ जो रोड है, उसका भी यही हाल है। सोरसीरी गेट की मुख्य सड़क की एक तरफ की सड़क बहुत खराब है, विशेषकर सूरसागर, जोधपुर और सरदारपुरा, बहुत-सी सड़के चलने के काबिल भी नहीं हैं। पैदल भी नहीं चल सकते। मेरा दोनों माननीय स्वायत्त शासन मंत्री साहब से विनम्र प्रार्थना है कि इस काम में दिलचस्पी लेकर इस काम को पूरा करावें। धन्यवाद।

श्री सभापति: डा. फूलचन्द भिण्डा।

राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अवाप्त भूमि का अनियमित मुआवजा

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय सभापतिजी, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 8 को 6 लेन का बनाया जा रहा है और उसका राजस्थान में प्रवेश द्वार आप स्वयं के विधान सभा क्षेत्र से प्रारम्भ होता है। 165 किमी के लगभग हाइवे राजस्थान सीमा में बन रहा है। किसानों को, भूमिधारियों को व्यापारियों को जो मुआवजा दिया जा रहा है वह अन्यायपूर्ण है, भेदभावपूर्ण है। कई बार इसकी मांग उठी, विधान सभा में भी उठी। मुख्य मंत्रीजी, मंत्रीजी ने यह कहा कि केन्द्रीय कानून आ रहा है, केन्द्रीय कानून आने के बाद हम

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात की तर्ज पर ही मुआवजा देंगे। मुआवजा देना तो बहुत दूर है, आश्वासन देना बहुत दूर है, उस ओर एक कदम भी राजस्थान सरकार नहीं बढ़ी। यह जो हमारा जर्जरित पुराना अधिनियम है, उसमें आज राजस्थान का किसान, भूमिधारी अपने को असहाय मान रहा है। राजस्थान सरकार के पास कोई रजिस्ट्री कराने जाता है, किसान या किसान से जो लेकर रजिस्ट्री कराता है उसे यह कहा जाता है कि आपकी जमीन सड़क पर है, जो डीएलसी रेट है उससे ज्यादा मूल्य आधारित रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बेचारा करवाता है। लेकिन दुर्भाग्य है, वो ही सरकार के पास जब अधिग्रहण के समय जाता है तो सरकार कहती है कि तुम्हें तो सामान्य कृषि डी.एल.सी. रेट से मुआवजा मिलेगा। कितना बड़ा अन्याय राजस्थान सरकार कर रही है! किसानों की धैर्य की परीक्षा मत लो। सभापतिजी, सरकार से मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि इसको बंगाल और यू.पी. मत बनाओ। किसान की स्थिति यह है, किसान, बाइ-द-वे हाईवे पर जमीन है इस कारण से दुकान बनाता है, मकान बनाता है तो कन्वर्जन के लिये लेकर जाता है, एप्लीकेशन जाती है। एस.डी.एम. लिख देता है और तहसीलदार लिख देता है कि आपकी जमीन हाईवे की पेरीफेरी में है इसलिये आपको इतनी चौड़ाई की जमीन छोड़नी पड़ेगी उसके बाद आपकी भूमि का कन्वर्जन होगा। उस समय छोड़ दिया जाता है, वह मान जाता है। शेष जमीन का वह कन्वर्जन करवाता है। जब मुआवजा दिया जाता है, उसको कहेंगे कि यह तुम्हारे बीच में और हमारे बीच में जो जमीन तुम्हारी बची है हाइ-वे के बीच में और तुम्हारी कन्वर्ट जमीन के बीच में जो पट्टी बची है, यह तो सामान्य किसान की दर से ही मिलेगा। कृषि मुआवजा आपको सामान्य दर से मिल जाएगा। कितना बड़ा अन्याय आप राजस्थान में कर रहे हैं। उस किसान की क्या हालत है, उस दुकानदार की क्या हालत है जो आपने पट्टी छुड़वा दी? इतना ही नहीं, ऐसे भी उदाहरण हैं कि अगर मेरी जाति का वह अधिकारी है, अगर मेरा जानकार है, मैं प्रभावशाली हूं तो मेरी जमीन में तो हाइवे की सीमा तक का कन्वर्जन किया गया। मैं उदाहरण दे रहा हूं। सब लोग, आप लोग जाते हैं, इस हाईवे से आप भी जाते हैं, सभापतिजी, वहां एक हाइवे किंग है उस एक होटल को 6 करोड़ रुपये का मुआवजा मिला है। जबकि कोटपूतली से जयपुर तक के किसानों को कुल छह करोड़ का मुआवजा नहीं मिला। क्योंकि उसकी वहां तक कन्वर्ट हो गयी। आप बताइये, जो दुकानदार

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

40 साल से दुकान कर रहा है, उस समय जो नियम थे, उसके हिसाब से उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया, रजिस्ट्री का पैसा दिया, पट्टा बनवा लिया, लेकिन इस राजस्थान सरकार के जो पटवारी थे, जो तहसीलदार थे उन्होंने उसको तरमीम नहीं किया इस कारण से मुआवजा उसको नहीं मिल सकता। उसको मुआवजा सामान्य कृषि दर से ही मिलेगा क्योंकि हमारे रिकार्ड में नहीं है। कितना बड़ा अन्याय। उधर तो आप कह रहे हो कि हाइवे के नजदीक है, इसलिये तुम्हारा रिकार्ड में नहीं है, तुम्हें देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। लेकिन यहां नहीं मिलेगा, तुम्हें मुआवजा नहीं मिलेगा। इस प्रकार का अन्याय हो रहा है। इतना ही नहीं, जो दुकानदार है, जो मकान है उसका मकान टूट रहा है। केन्द्रीय कानून में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कह दिया, उसको डिस्टर्बेंस के रूप में भी मुआवजा और अतिरिक्त मिलेगा। उसके पंखे की, बिजली की फिटिंग, कन्वर्जन, लेट्रीन, बाथरूम, ये जितनी सुविधाएं हैं उनके बदले भी आपको मुआवजा अतिरिक्त मिलेगा। यहां नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, एस.टी. का 40 साल पहले ऐसा नियम नहीं था कि उसको जनरल का खरीद नहीं सकता। उसकी रजिस्ट्री प्रशासन ने की। उसका देखने का काम था लेकिन प्रशासन ने रजिस्ट्री की। उसने पट्टा बना लिया, तरमीम नहीं हुआ। इस कारण से उसको अब कह रहे हैं कि तुम्हें नहीं मिलेगा मुआवजा। तुम्हारी दुकान के पत्थरों का मुआवजा तुम्हें देंगे, लेकिन वह मुआवजा तो जिसके नाम थी, 40 साल पहले, उसको ही देंगे। श्रीमान, आपने बाद में 90-बी के चक्कर में कुछ किया परिवर्तन। शाहपुरा कस्बा भी उसमें आता है इस कारण से वहां पर भी वह पैसा नगरपालिका के खाते में डाल दिया कि तुम्हें नहीं देंगे। ऐसे ही हाईवे पर एक किसान ने एक जमीन दान में दी, कहा, मंदिर बना लो। गांव वालों ने मंदिर बना लिया। उसके बाद किसी ने खरीद ली उसको। वह पूरा का पूरा खसरा नम्बर, क्योंकि पार्ट में होता नहीं था, पूरा का पूरा खसरा नम्बर रजिस्टर हो गया। अब मंदिर का मुआवजा तो पड़ा है अधिकारी के पास में...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आपकी सहायता चाहता हूं। आप थोड़ा-सा करें, क्योंकि आपका भी है। वर्ना मैं वहां आ जाऊंगा, शाहजहांपुर आ जाऊंगा, कि मैंने तो कहा था, सभापतिजी को, सभापतिजी ने मेरा सहयोग नहीं किया। इस कारण निवेदन कर रहा हूं, दो मिनट ज्यादा दे दीजिए मेरे को।

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

सभापतिजी, इस प्रकार अब वह कहते हैं कि वह जमीन तो उसके नाम है इसलिये उसको मुआवजा मिलेगा, मंदिर को उठा ले जाओ तुम। यह धैर्य की परीक्षा मत लो किसानों की। आपने बार-बार कहा कि हरियाणा पास में है। आप बताइये, हाइवे बनाने वाली अथोरिटी एक, नेशनल हाईवे अथोरिटी आफ इंडिया एक अथोरिटी, एक उद्देश्य, दिल्ली से जयपुर तक हाईवे एक, लेकिन मुआवजा? ज्योंही हरियाणा की बाउण्ड्री खतम होती है, वहां मुआवजा चार गुना, राजस्थान में घुसते ही मुआवजा अलग। एक अथोरिटी है। यह समानता का अधिकार क्या कहता है हमारे संविधान का? आपने कानून बना दिये अलग-अलग, यह क्या वाजिब है? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें। पर्ची पर बोल रहे हैं, ध्यान रखें आप।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापतिजी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उसने 'लैण्ड यूजर' शब्द का उपयोग करके कई बार निर्णय दे दिया। उसकी पालना भी राजस्थान सरकार नहीं कर रही। इसलिये आपका मैं सहयोग चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देशित करें। मंत्रीजी हैं नहीं यहां। मंत्रीजी को निर्देशित करें। एक निवेदन मेरा है, 1500 करोड़ का प्रोजैक्ट भारत सरकार का है यह, उसमें वह कम्पनी को दे दिया गया कि मुआवजा भी तुम दोगे और बनाओगे भी तुम और टोल टैक्स भी तुम ही लोगे। इसमें कहां दिक्कत आ रही है राजस्थान सरकार को यदि राजस्थान के किसान को ज्यादा पैसा मिल जाए? राजस्थान के भूमिधारियों को ज्यादा पैसा मिल जाए? +++ दीजिए न कुछ। कुछ सहानुभूति तो उनको दीजिए। हरियाणा में 33 साल तक, अब यह बोनस दे रहे हैं, 33 साल तक, जिसकी 75 प्रतिशत जमीन चली गयी उनके बेटे को नौकरी दे रहे हैं।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): 21 हजार रुपया बीघा के हिसाब से उनको बोनस दे रहे हैं 33 साल तक, जैसे पेंशन मिलती है वैसे ही पेंशन दे रहे हैं। इसमें कहां दिक्कत है? सभापतिजी, आपका मैं सहयोग इसलिये चाहता हूं कि कितने प्रकार से अन्याय हो रहा है। इस अन्याय के बारे में आपका समर्थन चाहते हुए मैं दो बातें निवेदन करुंगा कि एक तो जितना जल्दी हो सके, राजस्थान सरकार भी अधिग्रहण अधिनियम लाए, एक बात। दूसरा, जितने प्रकार के प्रकरण हैं उन प्रकरणों में देखिये, प्रशासन की गलती के

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

कारण यह तरमीम नहीं हुआ और अन्य कारण से गड़बड़ हुई रिकार्ड में, उस कारण से जो असहाय महसूस कर रहा है भूमिधारी, उसको भी सहानुभूति दीजिए आप, गले लगाइये। मैं स्वयं मुख्य मंत्रीजी से मिला हूं, माननीय सी.पी. जोशी साहब से मिला हूं। जनता को लेकर मैं कलक्टर से मिला हूं, लेकिन वे आश्वासन देते हैं। वही ढाक के तीन पात। इस कारण से मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं सरकार से कि सरकार समय से चेते। वरना यह 11 नम्बर हाईवे पर भी दिक्कत होने वाली है।

श्री सभापति: समय समाप्त। माननीय सदस्य, समय समाप्त। मैं अगला नाम बोलने जा रहा हूं।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापतिजी, एक-दो मिनट और दीजिए आप मेरे को।

श्री सभापति: नहीं। बोल दिया आपने। आपको 10 मिनट मिल गये।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापतिजी, आप तुलना कीजिए, औरों को शुरू में दिया जितना। आप हमेशा मेरे साथ अन्याय करते हैं।

श्री सभापति: कृपया आप विराजिये।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापतिजी, आप हमेशा मेरे साथ अन्याय करते हैं। आपको सहानुभूति होनी चाहिए, मैं आपके इलाके का, मेरे इलाके से आप जाते हैं। वरना आपके खिलाफ भी एक दिन धरना दूंगा, वहां रास्ते में जब जाओगे आप।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): सभापति महोदय, यह किसान के साथ लूट हो रही है। राजस्थान सरकार ने यह आश्वस्त किया था प्रदेश की जनता को कि शीघ्र ही केन्द्रीय कानून आ जाएगा, उसके बाद में राजस्थान में हम भूमि अवाप्ति कानून लाएंगे। उस दौरान, उन्होंने यह आश्वस्त किया था कि हम यह भूमि अवाप्ति और मुआवजे की कार्यवाही नहीं करेंगे। लेकिन यह बराबर साथ चल रहा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि आप चाहें तो प्रोजैक्ट में कोई देरी नहीं हो, यह भी हम चाहते हैं, लेकिन जो मुआवजा मिले वह सशर्त मिले, प्रोविजनल मिले कि जब नया कानून आ जाएगा तब उसके साथ में नये कानून की जो शर्तें होंगी, वे लागू होंगी। मुआवजा बढ़कर मिलेगा और दूसरी सुविधाएं भी मिलेंगी। यह व्यवस्था के लिये कृपया आप तो निर्देश दें कि मंत्री महोदय कुछ बात कहें। जो प्रदेश की

(श्री देवीसिंह भाटी)

जनता है, जिन किसानों के साथ लूट हो रही है, ज्यादती हो रही है तो यह एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी किसानों के साथ।

श्री सभापति: मैं माननीय सदस्यों का ध्यान...

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): जवाब दिलवाइये, सभापतिजी, जवाब।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): सभापतिजी, जवाब दिलवाइये।

श्री सभापति: आप किस प्रक्रिया में बोल रहे हैं?

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): साहब, इसके अलावा माध्यम कौनसा है?

श्री सभापति: आपको आसन ने तो परमिशन नहीं दी, आप बोल किस पर रहे हैं?

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): आप हमें सड़कों के ऊपर आन्दोलन करने नहीं देते। धरने पर बैठें तो गिरफ्तार कर लेते हैं। धारा 307 लगा देते हो। आखिर किसान कहां जाए?

श्री सभापति: तो, माननीय सदस्य, आप किस प्रक्रिया में बोल रहे हैं? आसन से आपको कोई परमिशन नहीं मिली, आप किस प्रक्रिया में बोल रहे हैं? बार-बार यह कह रहा हूं मैं आपको।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): परमिशन तो सरकार दे रही है जबरदस्ती की।

श्री सभापति: पर्ची पर जो लोग हैं, वे बोलेंगे। यह विषय कल आ चुका है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापतिजी, सरकार से जवाब दिलवाइए, आश्वासन दिलवाइये। सभापतिजी, आश्वासन दिलवाइये, आश्वासन।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): सभापति महोदय, यह बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है किसानों के साथ। कृपया, हम आसन से यह संरक्षण चाहते हैं कि आप एक सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिये सरकार को निर्देश देंगे तो पूरे प्रदेश की जनता आश्वास्त होगी कि अब हमारे साथ अन्याय नहीं होगा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): आश्वासन दिलवाइये सरकार से, सभापतिजी, आश्वासन दिलवाइये। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। आपसे निवेदन कर रहे हैं, आश्वासन दिलवाइये सरकार से।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा पर्चियों के लिये जो एक प्रक्रिया है उसकी तरफ। माननीय सदस्य अध्यक्ष को उनके वेश्म में अधिक से अधिक प्रातः 11 बजे तक ऐसे महत्वपूर्ण विषय की पर्ची पर लिखकर प्रस्तुत करेंगे। इस प्रक्रिया में अधिक से अधिक चार माननीय सदस्यों को एक दिन की बैठक में अवसर प्रदान किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया से उठाये जाने वाले विषय में कोई बहस का मुद्दा नहीं बनेगा। यदि कोई महत्वपूर्ण मामला हो और सरकार से कोई अपेक्षा की जाती है तो उसके लिये विधिवत प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर ही विषय उठाने की अनुमति होगी। इस प्रक्रिया से उठाये जाने वाले विषयों के लिये राज्य सरकार से वक्तव्य दिलाने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकेगा। माननीय सदस्य संक्षेप में अपनी बात कहेंगे। मैं, माननीय सदस्य भंसालीजी, आपसे निवेदन करुंगा, आप एक मिनट में अपनी बात खतम करें। इसके बाद में मुझे दूसरे सदस्य को बुलवाना है। पर्ची पर बोल रहे हैं आप। आपको बहुत समय दे दिया, एक मिनट के लिये और बोल रहा हूं।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापतिजी, मेरा नाम फूलचन्द भिण्डा है।

श्री सभापति: हां, मैं करेक्शन कर रहा हूं, डाक्टर फूलचन्द भिण्डा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): जी, सभापतिजी, मैं आपका संरक्षण इसलिये चाहता हूं कि किसान को यह प्रापर्टी बाप-दादाओं ने दी है। बरसों से प्रापर्टी पाल रखी थी कि मेरे हाइवे बन गया, मेरा बच्चा कोई न कोई धन्धा कर लेगा, दुकान कर लेगा, वर्कशाप कर लेगा। वह जमीन जा रही है। हरियाणा के लोग उनको 33 साल तक बोनस दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, और राजस्थान सरकार उनको पूरा मुआवजा भी नहीं दिलाना चाहती है। इस कारण से आपका संरक्षण चाहिए और आश्वासन चाहिए। वर्ना यह जनता मजबूर होकर वह करेगी जो उत्तर प्रदेश में किया, जो बंगाल में किया। इसलिए आपसे संरक्षण चाहते हैं और वह वहां से शुरू होता है। आप बताइये, बार-बार हम कहते हैं कि कॉरिडोर बनेगा- जापान का कॉरिडोर दिल्ली से मुम्बई तक। सारे के सारे बीच के जिले छोड़कर पाली, जोधपुर ही विकसित हो रहा है, यह क्या हो रहा है इस प्रकार का? इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि यह पूरा मुआवजा दिया जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपा करके, समय समाप्त। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): सरकार को कुछ कहना चाहिए, साहब, इसमें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं आपकी सूचना के लिए बताना चाहूंगा कि इस विषय के ऊपर कल काफी बहस हो चुकी है और माननीय मंत्री महोदय ने अपना जवाब भी दे दिया। जो आपने विषय उठाया है इसके बारे में चर्चा हो चुकी है, इसको पहले ही कुछ माननीय सदस्यों ने माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में ला दिया है। धन्यवाद। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

रामगंजमण्डी क्षेत्र के किसानों को रेलवे लाइन हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार राज्य में आवश्यकतानुसार सड़क, पुल, नहर, रेलवे ट्रैक आदि बनाने के लिए समय-समय पर किसानों की जमीनों को अवाप्त करती हैं और वर्तमान डी.एल.सी. रेट के अनुसार उन किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा भी दिया जाता है।

बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगंजमंडी में वर्ष 2005 में अधिसूचना जारी हुई। नालोदिया गांव जो रामगंजमंडी के नजदीक ही पड़ता है, पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय वसुन्धरा राजे सिंधियाजी के प्रयासों से रामगंजमंडी-भोपाल रेल लाइन को मंजूरी मिली। उस रेलवे लाइन को मंजूरी मिलने के बाद 2005 से लेकर आज तक वहां के किसानों को, जो कि 18 किसान हैं, उनको एक रुपया भी मुआवजे के नाम पर नहीं दिया गया। उस रेलवे ट्रैक पर मिट्टी डल चुकी, गिट्टी डल चुकी और रेलवे लाइन बिछ चुकी। अगले ही महीने सरकार की मंशा है कि उस रेलवे लाइन पर रेल चालू कर देगी। माननीय सभापति महोदय, मैं बड़े दु:ख के साथ और बड़ी व्यथा के साथ सदन में इस बात को रख रही हूं कि मैं खुद किसानों के साथ ज्ञापन देने जा चुकी हूं, हमने एस.डी.एम., रामगंजमंडी को कितनी ही बार ज्ञापन दिये। कल भी वहां के किसानों ने एस.डी.एम. रामगंजमंडी को यह ज्ञापन दिया है जिसकी प्रति मेरे हाथ में है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय से भी वे किसान मिले। पूर्व मुख्य मंत्री हमारी वसुन्धरा राजेजी थीं, उन्होंने जिला कलक्टर से बातचीत की और जयपुर सचिवालय में भी पता उन्होंने लगवाया कि क्या कारण है कि

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

सात वर्ष बाद भी नालोदिया गांव के किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिला। बड़े दु:ख की बात है कि जब आदरणीय वसुन्धरा राजे सिंधियाजी ने इस बात का पता किया तो सचिवालय से पूरी फाइलें गायब मिलीं। रेलवे प्रशासन ने दुबारा फाइलें तैयार करवाईं और सचिवालय में वे फाइलें भेजीं। पूरे 18 किसान तब से लेकर आज तक फुटबाल की तरह कभी रामगंजमंडी एस.डी.एम. के पास जाते हैं तो रामंगजमंडी वाले एस.डी.एम. साहब उनसे बोलते हैं कि झालावाड़ के एस.डी.एम. हैं उनको इसमें भूमि अवाप्ति अधिकारी बनाया गया है, आप उनके पास जाइये। वो झालावाड़ में जाते हैं तो आप देखें कि सरकार की और प्रशासन की मामूली-सी चूक, कि अवाप्ति अधिकारी एस.डी.ओ. रामगंजमंडी की जगह एस.डी.ओ. झालावाड़ उसमें छप गया और उसको अधिकारी बना दिया गया तो उन किसानों को मात्र इतनी-सी गलती की वजह से कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा।

मेरा आपसे निवेदन है कि रेलवे ने 15 लाख रुपये हमारे रामगंजमंडी एस.डी.एम. कार्यालय में जमा करवा रखे हैं। जब रामगंजमंडी एस.डी.एम. कार्यालय में हम लोग जाते हैं तो एस.डी.ओ. साहब हमसे और किसानों से कहते हैं कि आप झालावाड़ में जाइये। झालावाड़ वाले बोलते हैं कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है जिसके माध्यम से और जिस धारा के माध्यम से मैं इन किसानों को कोई मुआवजा दे दूं। कल उन्होंने एस.डी.ओ. साहब को, एस.डी.एम. साहब को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में यह चेतावनी उन्होंने दी कि अगर हमें पन्द्रह दिन के अन्दर सरकार ने मुआवजा नहीं दिया तो न तो हम उस रेलवे लाइन पर रेल चलने देंगे और न ही हम यहां से किसी भी जन-प्रतिनिधि और किसी भी अधिकारी को निकलने देंगे। यह चेतावनी उन्होंने दी है। रेलवे ट्रैक पर धरने पर वे लोग बैठेंगे। मैं भी इस सदन के माध्यम से आदरणीय मुख्य मंत्रीजी भी यदि मेरी बात को सुन रहे हों तो उनसे भी निवेदन करना चाहती हूं कि 15 दिन के अन्दर-अन्दर यदि उन किसानों को आपने मुआवजा दे दिया तो ठीक है, वरना मैं खुद उनके साथ वहां धरने पर बैठूंगी, क्योंकि हमारे किसान बहुत दु:खी हो रहे हैं, पूरे पांच साल से कोई फसल उनके खेतों में नहीं हो रही। पूरी जमीन थी वह रेलवे ट्रैक में उनकी चली गई और उनको एक रुपया भी मुआवजा के नाम पर नहीं मिला।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

मेरा आपसे इस सदन के माध्यम से निवेदन है कि हमारे जिला कलक्टर साहब भी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, कोटा वाले। उन्होंने 28.2.2012 को ही सचिवालय में लैटर लिखा, उनके लैटर की प्रति भी मेरे पास है, लेकिन उनके लैटर पर भी राज्य सरकार का कोई ध्यान नहीं गया। यह बड़े दु:ख की बात है कि राज्य सरकार का यह रवैया जो किसानों के प्रति उनकी मंशा है, यह बिलकुल ठीक नहीं है। मेरे रामगंजमंडी में जो तागली सिंचाई परियोजना आई है, जिसको मैं मानती हूं कि पांच साल हो चुके हैं, उस योजना को इस समय तक पूरा हो जाना चाहिए था वह आज तक पूरी नहीं हुई। किसानों को मुआवजा नहीं मिला।

मैं इस सदन के माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि जल्दी से जल्दी उन किसानों को मुआवजा दिया जाए, उनका हक दिलवाया जाए ताकि वे दर-दर की ठोकरें नहीं खाएं और फुटबाल की तरह इधर से उधर नहीं जाएं। धन्यवाद।

(13.56 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री प्रताप सिंहजी खाचरियावास। (अनुपस्थित)

माननीय श्री सूरजभानजी धानका। पाइंट आफ इन्फार्मेशन पर एक मिनट में समाप्त करना होता है।

सूचना

राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ में ओलावृष्टि से फसल नष्ट

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परसों के रोज शाम को मेरे क्षेत्र राजगढ़, कुछ लक्ष्मणगढ़ का हिस्सा, रैणी में झाड़ी बेर से लेकर डेढ़ सौ, दो सौ ग्राम तक के ओले पड़े हैं। जो किसान पिछले शीत की मार से उबर नहीं पाये थे, पाले से उबर नहीं पाये थे उनके ऊपर फिर यह आपदा आ गयी है। खड़ी फसल 80 परसेंट से ऊपर, मैं और एस.डी.ओ. साहब गये हैं, देखा है, ठूंठ भी मुड़कर नीचे हो गये कि लावणी करने की जरूरत नहीं है और जो पड़ी हुई फसल है, पूलियां हैं उनमें भी कम से कम 30 परसेंट बालियां झड़ चुकी हैं। बालियां भी इकट्ठी कर लें लेकिन वे दाने बिखर गये हैं। इतने-इतने पानी में पूलियां बह रही हैं, बुरा हाल है। आम

(श्री सूरजभान धानका)

वगैरह की जो कैरियां हैं वे झड़ गयी हैं। उसके अलावा बहादुरपुर रैणी क्षेत्र में आता है वहां पर दो आदमियों पर, रविन्द्र कुमार मीणा और महेन्द्र मीणा के ऊपर आकाश से बिजली गिर गई। जिससे रविन्द्र कुमार की मौत हो गई और महेन्द्र कुमार का घायल अवस्था में इलाज चल रहा है। इस आपदा को देखते हुए एस.डी.ओ., पटवारी ने बहुत तत्परता से खराबे का मौका-मुआयना किया है। मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार खसरेवाइज प्रतिशत निर्धारित करके मेरे पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलवाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: डाक्टर परम नवदीप। थोड़ा संक्षेप में करें, डाक्टर साहब।

(14.00 बजे)

संगरिया में चिकित्सकों के रिक्त पद

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बेसिकली मैं ओम जोशी साहब जो बात कह रहे थे उसी के साथ अपनी वेदना प्रकट करना चाह रही थी। मैं एक डाक्टर हूं एम.डी. (मेडिसिन), मेरी वेदना, मेरा दु:ख मैं इस सदन के माध्यम से पूरी राजस्थान की जनता को सुनाना चाहती हूं।

इन कुछ शब्दों के साथ मैं हमारी राज्य सरकार के चिकित्सा विभाग के चक्षु भी खोलना चाहती हूं। मेरे संगरिया क्षेत्र की एक छोटी-सी टेबिल पेश कर रही हूं- दो सी एच सी हैं एक टिब्बी, दूसरी संगरिया। अब सुनिये साहब, पहले टिब्बी में हमारे स्वीकृत पद हैं वरिष्ठ चिकित्साधिकारी का एक, रिक्त एक। कनिष्ठ विशेषज्ञ औषधि का एक पद स्वीकृत है, रिक्त भी एक है। कनिष्ठ विशेषज्ञ शल्य चिकित्सा का एक पद है, वह भी रिक्त है। चिकित्सा अधिकारी का एक पद है, वह भी रिक्त है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय डा. साहब, एक मिनट आप थोड़ा विराजें, मैं आपको एक अर्ज कराना चाहता हूं। यह जो पाइंट आफ इन्फोर्मेशन है, यह इमिजियेट कोई घटना हो और वह ऐसी हो कि जिस पर अपन सदन में प्रस्ताव नहीं रख पाये हों, वह होता है। चूंकि आपका मामला चिकित्सा व्यवस्था और हास्पिटल का है, इसलिये आप थोड़ा शार्ट करके, क्योंकि मैंने आपको इजाजत दे दी है। सभी माननीय सदस्य इसी आधार पर देते हैं और उन्हीं को परमिशन मिलती है।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): सर, मैं आपकी बात को पहले भी समझ रही थी। यह तो आप लोगों ने ही मुझे पाइंट आफ इन्फोर्मेशन पर बोलने के लिये कहा है otherwise I have been asking for parchi only. यह आपने व्यवस्था दी है, मैं तो व्यवस्था देने के बाद बोल रही हूं। मैं समझती हूं इस चीज को। तीन साल हो गये, पहली बार विधायक बनकर आये हैं तो क्या यह जानते नहीं हैं क्या? आगे चलें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टिब्बी में एक चिकित्सा अधिकारी की स्वीकृति, वह भी खाली पड़ी है। दूसरा हमारे पास एक सी एच सी संगरिया में है- स्त्री रोग कनिष्ठ, एक स्वीकृत, एक रिक्त। शिशु रोग, एक स्वीकृत, एक रिक्त। कनिष्ठ विशेषज्ञ नेत्र, एक स्वीकृत, एक रिक्त। लैब टैक्नीशियन एक स्वीकृत, एक रिक्त (व्यवधान) let me complete. इतना मत डिस्टर्ब करें साहब, आपकी आवाज बुलन्द है, हम जानते हैं, पर हमें बोलने दीजिये। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एक पद स्वीकृत, एक रिक्त। फार्मासिस्ट दो पद हैं, एक दे रखा है। कहां बताएं अपनी वेदना, साहब? तीन साल हो गये, ये चिट्ठियां, कम से कम 15 चिट्ठियां मैं अपने लैटर हैड पर माननीय मंत्री महोदय को दे चुकी हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आपको बोलना है कि नहीं बोलना? (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): क्या हालत है?

श्री उपाध्यक्ष: आप नहीं बोलना चाहते?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): बोल क्या रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनकी पीड़ा में भागीदार बनना चाहिये।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): आपको मेरी वकालत करने की जरूरत नहीं है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सत्ता पक्ष के विधायकों की मंत्री नहीं सुनते, कैसे यह सरकार चलेगी?

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये-विराजिये।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): माननीय सदस्य, मैं मेरी वकालत खुद कर सकती हूं, आपको मेरी वकालत करने की जरूरत नहीं है, rather you are disturbing my approach.

श्री उपाध्यक्ष: यही चाहते थे आप?

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, गलत बात है यह।

श्री उपाध्यक्ष: आप संक्षिप्त करें। थोड़ा संक्षिप्त करें।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से चिकित्सा विभाग से निवेदन कर रही हूं कि संगरिया और टिब्बी जहां पर करीब ढाई लाख जनता निवास कर रही है, ऐसे में यदि सारे ही पद रिक्त रहेंगे तो हम क्या सेवा देंगे? धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। विराजिये।

माननीय ओमजी बिरला, आप संक्षेप में कहें, एक मिनट में। आप घड़ी देख लीजिये, आपकी सीधी निगाह पर घड़ी है।

गेहूं व धनिये की फसल का खराब मौसम से बचाव

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा में गेहूं के समर्थन मूल्य खरीदने में और धनिया की बोली लगने के कारण, बरसात और ओले पड़ने के कारण वहां पर चार लाख से ज्यादा बोरियां खराब हो चुकी हैं। मैं सरकार का यही ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार तुरन्त त्रिपाल और अन्य व्यवस्थाएं करे, ताकि किसान की उपज का ठीक तरीके से मूल्य मिल सके। जो गेहूं खराब हो जाएगा उसको एफ सी आई खरीदेगी नहीं, उसके कारण किसान का नुकसान होगा। धनिया जो खुले में पड़ा हुआ है, उसको ढकने की व्यवस्था नहीं होने के कारण धनिया खराब हो जाएगा, यह मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के तीन प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के निम्न तीन प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, वर्ष 2011

(प्रतिवेदन सं. 1) (राज्य वित्त)

(1) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (प्रतिवेदन संख्या-1) (राज्य वित्त)।

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11

(प्रतिवेदन सं. 2) (सिविल)

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (प्रतिवेदन संख्या-2) (सिविल)।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11

(प्रतिवेदन सं. 4) (वाणिज्यिक)

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (प्रतिवेदन संख्या-4) (वाणिज्यिक)।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। श्री राजेन्द्र पारीक, उद्योग मंत्री स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 64वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 सदन की मेज पर रखेंगे।

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स का 64वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स का 64वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य, विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

याचिका

शेरगढ़ तहसील मुख्यालय पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्वीकृति

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान बजट 2012-13 में की गई घोषणानुसार शेरगढ़ तहसील मुख्यालय पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत करवाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य, राजस्थान विधान एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

अंधे मोड़ों से मुक्ति व अधूरी सड़कों का निर्माण

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से त्रिवेणी चौराहे से देवली सड़क को अन्धे मोड़ों से मुक्त करवाने एवं मोरला चौराहे से देवली तक की छूटी हुई सड़क का निर्माण करवाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा), सदस्य, विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगी।

नदबई (भरतपुर) में डामरीकृत सड़क का निर्माण

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नदबई (भरतपुर) क्षेत्र में डामर सड़क निर्माण करवाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: गैर-सरकारी संकल्प। गैर-सरकारी संकल्पों का प्रस्तुतिकरण। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा। यह आप, माननीय सूर्यकान्ताजी, जो संकल्प आपने दिया है, वही बोलेंगी। बाद में बहस में आएगा। लम्बा, ठीक है?

अशासकीय संकल्प

प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे दाम्पत्य बिखराव को रोकने के लिए प्रभावी कदम

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): पहले संकल्प पर बोलूं न। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत करती हूं:-

यह सदन संकल्प करता है कि प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे दाम्पत्य बिखराव के मामलों को रोकने के लिये सरकार प्रभावी कदम उठाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

प्रदेश में शराब, गुटका, जर्दा, पान मसाला आदि पर पूर्णतः प्रतिबन्ध

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत करती हूं :-

''यह सदन संकल्प करता है कि प्रदेश में सरकार शराब, गुटका, जर्दा, पान मसाला आदि पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाए।'' और इसके साथ-साथ ...

श्री उपाध्यक्षः नहीं-नहीं, अभी नहीं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): अच्छा ठीक है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्षः माननीय श्री अनिल जैन।

राज्य में तम्बाकू एवं गुटके से सम्बन्धित सार्वजनिक स्थलों पर लगाये जा रहे पोस्टर एवं विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबन्ध

श्री अनिल जैन (खानपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत करता हूं :-

''यह सदन संकल्प करता है कि राज्य में तम्बाकू एवं गुटके से सम्बन्धित सार्वजनिक स्थलों पर लगाये जा रहे पोस्टर एवं विज्ञापन पर सरकार पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये।''

श्री उपाध्यक्षः माननीय श्री प्रभुलालजी सैनी।

पत्रकारिता पर प्रेस परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पालना हेतु केन्द्र सरकार को सिफारिश

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं निम्नांकित गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत करता हूं:-

''यह सदन संकल्प करता है कि पत्रकारिता (चौथे स्तम्भ) का दायरा बढ़ाने एवं आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद पर बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर प्रेस कांउसिल आफ इंडिया द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पालना निश्चित कराने हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार को पुरजोर सिफारिश करें।''

श्री उपाध्यक्षः माननीय श्री ओमजी बिरला।

स्वस्थ, शिक्षित, विकसित, स्वर्णिम राजस्थान के निर्माण हेतु आवश्यक कदम

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत करता हूं:-

(श्री ओम बिरला)

''यह सदन संकल्प करता है कि स्वस्थ, शिक्षित, विकसित, स्वर्णिम राजस्थान के निर्माण हेतु सरकार आवश्यक कदम उठाए।''

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्रीमती सूर्यकान्ता जी व्यास।

अशासकीय संकल्प पर विचार

प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे दाम्पत्य बिखराव को रोकने के लिए प्रभावी कदम

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत में मानवीय काम-भाव को पशुता से दिव्यता की ओर उन्मुख करने के लिये सनातन परम्पराओं के रूप में विवाह संस्कार प्रतिष्ठित है। विवाह संस्कार से सामान्य स्त्री-पुरुष का काम भाव मर्यादित होकर गरिमापूर्ण हो जाता है और समाज में मनुष्यता का विकास होता है। यही कारण है कि विश्व के तथाकथित विकसित कहे जाने वाले राष्ट्रों में उन्मुक्त काम भाव निरन्तर पशुता के स्तर तक पतित हो रहा है। इसी कारण भोग की सर्वाधिक उपलब्धता और सामर्थ्य होने के बावजूद वहां के श्रेष्ठ कहे जाने वाले लोग भी भारत में आकर शांति की तलाश कर रहे हैं।

परन्तु अत्यन्त खेद का विषय है कि भारत में इन सनातन संस्कारों को संरक्षित रखने के प्रति गम्भीर लापरवाही बरती जा रही है। यही कारण है कि निरन्तर दाम्पत्य सम्बन्धों के विघटन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पूरे देश में पारिवारिक न्यायालयों में तलाक के मुकदमों के ढेर लगे हुए हैं। मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर गम्भीरता से ठोस चिन्तन हो और इसे रोका जावे।

आइये इस समस्या के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारणों और उपायों पर चिन्तन करें:-

उपाध्यक्ष महोदय, संयुक्त परिवारों का विघटन:- भारत में संयुक्त परिवार एक समृद्ध परम्परा रही है। संयुक्त परिवार में वरिष्ठ नागरिकों से परिवारों के बच्चों को अद्‌भुत स्नेह और वात्सल्य मिलता है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रेम के इन स्वरूपों से बचपन से किशोर अवस्था तक सिंचित होने से बच्चों को प्यार का अभाव अनुभव नहीं होता है। इस कारण वह बाहरी परिवेश में प्यार को नहीं तलाशता है। इससे भटकाव का खतरा कम रहता है। साथ ही परिवार में इतने सारे लोगों के साथ रहने के

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

कारण सामंजस्य बिठाने की प्रवृत्ति और सहन करने की क्षमता का सहज विकास होता है। उपाध्यक्ष महोदय, आजकल परिवार बिखरता ही जा रहा है। परिवार के बिखरने का एक और भी कारण है। संयुक्त परिवार में एक साथ नहीं बैठने के कारण आज यह स्थिति हो रही है परन्तु गत कुछ दशकों से लगातार संयुक्त परिवार बिखर रहे हैं। इस कारण अब परिवार के नाम पर न्युक्लियर फैमिली का चलन बढ़ रहा है। ऐसे परिवारों में माता-पिता और दो बच्चे सदस्य के रूप में होते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब पिता के कमाने के लिए बाहर निकलने पर अकेली माता जब घर के कार्यो में व्यस्त होती है तो अबोध बालक को सम्भालने और दुलारने के लिए माता के घर के कार्यों से सामंजस्य के कारण बच्चों के प्रति स्नेह और दुलार में कमी रह जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, आजकल का यह जमाना हो गया कि मां को बच्चों को सम्भालने में ही तकलीफ होती है और बच्चों को दाई वगैरह सम्भाल लेती हैं तो परिवार बिखर जाता है। उन परिवारों में जहां दोनों ही अभिभावक कमाने जाते हैं, वहां तो बच्चे या तो पालना गृह अथ्वा दाइयों के भरोसे पलते हैं। ऐसे बच्चे वात्सल्य के अभाव में माता-पिता की तरह धन को ही अधिक वरीयता देना सीख जाते हैं। ऐसे बच्चे किशोरवय तक आते-आते पारिवारिक स्नेह के अभाव में घर से बाहर प्रेम तलाशते हैं, जहां उन्हें ऐसे ही एक समूह में संगत मिलती है जो खुद पहले से स्नेह के अभाव में जी रहा है। ऐसे में यह समूह गम्भीर खतरनाक नशे के साधनों में पड़ कर और कानफोड़ू संगीत पर थकने तक थिरक कर प्राय: बेहोशी में ही जीता है।

उपाध्यक्ष महोदय, यही कारण है कि बड़े अच्छे परिवारों से अच्छे पढ़े-लिखे परिवारों के बच्चे घातक नशे की प्रवृत्तियों में पड़ कर अपराधों में लिप्त हो रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में स्नेह और प्रेम के अभाव में अतृप्त व्यक्ति आगे की पीढ़ियों तक स्नेह कैसे पहुंचाएगा? तब बच्चे का जन्म भोग करते समय असावधानीवश प्राप्त हुआ बाई-प्रोडक्ट होता है और गर्भधारण के समय से ही एक भूल समझा जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें समझना है कि गर्भ धारण संस्कार का अर्थ होता है, पूरी चेतना के साथ एक नई पीढ़ी के सृजन का सात्विक प्रयास हो रहा है। स्थूल दृष्टि से तामसिक पशुतापूर्वक भोग और पीढ़ी सृजन को भूल माना जा रहा है। ऐसा ही अन्तर समाज में परिलक्षित हो रहा है। इस हेतु आवश्यकता है कि पाठ्यक्रमों में इन संस्कारों के दर्शन को आज की तकनीकी

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

भाषा में समझाया जाए। कालेज के बाद गृहस्थ प्रवेश करने वाले युवाओं में गृहस्थ अधिकारों और दायित्वों के सामंजस्य से अवगत कराया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, इस हेतु सभी धर्मों के आध्यत्मिक संत बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। यदि सरकार इनके साथ मिलकर कार्य करे और सभी धर्मों-पंथों की परम्पराओं के अनुसार दाम्पत्य और पारिवारिक अधिकारों-कर्तव्यों के बारे में लाभ हानि सहित विवेचना को शिक्षा पाठ्यक्रम में अंग के रूप में समाहित किया जाकर सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाई जाए तो ठोस परिणाम प्राप्त होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह मानना है कि परिवारिक न्यायालयों और पुलिस थानों में मुकदमा कार्यवाही से पूर्व काउंसलिंग को प्रभावी बनाते हुए एक मनोवैज्ञानिक को शामिल किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं काफी लम्बे अर्से से महिला एवं बाल विकास समिति की सभापति भी हूं। मेरी कमेटी के अन्दर कितने ही इस तरह के केस आते हैं जिनका यदि एक-एक का वर्णन करें तो आप सोचेंगे कि हो क्या रहा है। समाज के अन्दर ऐसी क्या स्थिति फैल गयी है जिससे दाम्पत्य जीवन के अन्दर ऐसा हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में ईगो के छोटे-मोटे झगड़े भावावेश में तलाक के मामलों में तब्दील हो जाते हैं। तलाक के केस दर्ज होने पर कई बार प्रतिक्रिया स्वरूप दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा के मुकदमे रक्षत्मक तरीके से दायर किये जाते हैं परन्तु इनका परिणाम होता है जेल जाने की नौबत और कोर्ट के चक्कर काटने के फेर में गृहस्थी उजड़ जाती है, मेरा ऐसा सोच है। इसलिए आवश्यक है कि भावावेश में कोर्ट पहुंचे जोड़ों को आत्मीय प्रेम और मानव मन को समझने वाले मनौवैज्ञानिक के द्वारा सुना और समझाया जाए। ऐसी कोई कमेटी बनायी जाए, ऐसा कुछ भी किया जाए जिससे इनको समझाया जाए। इस हेतु आरम्भिक प्रयास में केवल सुनना होता है क्योंकि तात्कालिक झगड़ों के भावावेश में आहत अहंकार आपसी प्रेम को ढक देता है और दूरगामी परिणामों के विवेक को नष्ट कर देता है।

उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम चार-पांच राउण्ड काउंसलिंग होनी चाहिए। इसमें आवश्यकता हो तो मनोवैज्ञानिक के साथ जोड़े विशेष के समाज

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

और श्रद्धा केन्द्रों से भी समझाइश करवायी जाए। आधे मामलों में तो यह समझाइश कारगर सिद्ध होगी ही।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उपन्यास वगैरह तो पढ़ती नहीं हूं मगर मैं धार्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ती हूं। तो मेरा ऐसा सोच है कि आज इलेक्ट्रिक मीडिया की शक्ति के सकारात्मक उपयोग की आवश्यकता है। वर्तमान में सोप आपैरा सीरियल के रूप में दिखाये जा रहे पारिवारिक सीरियल देशभर के परिवारों तक पहुंच रहे हैं। ये सीरियल वर्तमान में ईर्ष्या, द्वेष के भावों को बढ़ा चढ़ाकर परिवारों के भीतर रक्त सम्बन्धियों को एक दूसरे पर आपराधिक कृत्य तक करते दिखा रहे हैं। सीरियल देखने से लोगों का ऐसा मन हो जाता है, धार्मिक पुस्तकों के अन्दर ऐसा लिखा हुआ है कि एक तो व्यक्ति सोते समय, एक भोजन करते समय जैसा विचार रखेगा, वही उसके दिमाग के अन्दर घूमता रहेगा। ऐसा माना जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, सायंकाल पूरा परिवार भोजन करते अथवा सोने को जाने से ठीक पहले तक इन पारिवारिक सीरियल के बहाने एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भावों के अतिरंजनापूर्ण प्रदर्शन को देख रहा है। भोजन करते समय और नींद से ठीक पूर्व मन की ग्रहणशीलता सीधे अवचेतन तक होती है, तो ऐसे समय में देखे गये ये भाव सीधे भारतीय जन मानस के अन्तर्मन तक पहुंच रहे हैं। जिसका परिणाम यह हो रहा है कि समाज में तो क्या कहें, एक ही परिवार के भीतर टीवी देखने के नाम पर आपसी संवाद कम हो रहा है और इन टीवी सीरियल्स की सामग्री से परिवार तोड़ने के भावों की गहरी पैठ हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, क्या इन टीवी चैनल के माध्यम से इसके विपरीत सकारात्मक भावों की प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती? हां, बिलकुल की जा सकती है। इस हेतु आवश्यकता है और इस ठोस सार्थक भागीरथी प्रयास का संकल्प यदि प्रदेश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक सदन के स्तर से हो, तो विधान सभा के एक संकल्प के साथ विस्तृत उपायों का विवरण भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भेजा जाए ताकि चैनल संचालक और मालिक स्वप्रेरित होकर अपने माध्यम का प्रयोग समाज के सकारात्मक भावों को बढ़ाने के काम में लगाएं। सनातन संस्कृति के भावों के प्रचार का कार्य चैनल सहजता से कर सकते हैं।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय ऐसा है जिस पर घंटों की चर्चा भी कम पड़ती है। परन्तु अति आवश्यक विषयवस्तु संक्षेप में आपके सामने रख कर मैं प्रार्थना करती हूं कि उक्त तीनों ही सुझावों के सम्बन्ध में समाज रचना की प्राथमिक इकाई और आधार परिवार की रक्षा के लिए सनातन विवाह संस्कार की पवित्रता और उपयोगिता को पुनः प्रतिष्ठित किये जाने की आवश्यकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परिवार की रक्षा से समाज की रक्षा होगी। समाज में बढ़ता अपराधीकरण कम होगा। इस हेतु समाज में एक समेकित भागीरथी प्रयास पुनः प्रारम्भ हो।

इसी आशा और विश्वास के साथ मैं यह संकल्प माननीय विधान सभा सदस्यों के सामने रख रही हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज परिवार क्यों बिछड़ रहा है? सब एक-दूसरे से अलग-अलग रह रहे हैं। अगर संयुक्त परिवार और संयुक्त बैठ कर कोई भी काम करें तो मैं समझती हूं, परिवार में कोई भी ऐसी बात नहीं होगी। मगर आजकल क्या होता है कि जैसे ही शादी हुई तो कहेंगे, हम तो अलग रहेंगे। अलग रहने का मतलब है कि समाज से वंचित हो जाते हैं। समाज में कोई सामूहिक बैठ कर बात नहीं करते हैं। एक जमाने में एक ही परिवार में 50 लोग होते थे तो भी साथ रहते और 100 लोग होते तो भी साथ रहते थे। अब वो बात तो सारी खतम हो गयी है। आजकल टी वी चैनल एक ऐसा आ गया जिससे सारी मर्यादा ही भंग हो गयी है।

तो मैं यह विधान सभा के सभी माननीय सदस्यों से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि इस संकल्प पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और इसको पास कराने की कृपा करें क्योंकि यह एक ऐसा संकल्प है जो समाज से जुड़ा हुआ है और परिवार से जुड़ा हुआ है। आप इसे पास कराने में मदद करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः कोई और तो है नहीं। माननीय मंत्री श्री अशोकजी बैरवा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): और कोई बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

श्री उपाध्यक्षः कोई बात नहीं, अब अगले में बोल लेंगे।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री):

(श्री अशोक बैरवा 'खण्डार')

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प माननीय सदस्यों ने रखा है, जिस तरह से दाम्पत्य में बिखराव हो रहा है, तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश में, यह आज की वर्तमान परिस्थिति में हम सब को विदित है।

जब समाज की उत्पत्ति हुई, समाज की स्थापना हुई तब परिवार बने और हम सब लोग संयुक्त परिवार में रहने लगे और एक अवधारणा बनी कि हम सब लोग संयुक्त परिवार में रहें। उस समय का वातावरण, उस समय का प्रेम और उस समय का एक आपस में कमिटमेंट था। धीरे-धीरे आधुनिक दौर में जिस तरह की दूरियां बढ़ी हैं और जिस तरह का आपस में एक अलगाव-सा हुआ है वो धीरे-धीरे परिवार में भी देखने को मिला है। उसके कई कारण हैं।

माननीय सदस्या ने सारी बातें विस्तार से बतायी हैं। आधुनिक इस दौर में, जिस तरह से माननीय सदस्या ने बताया, टी वी का बड़ा रोल है कि परिवार में बिखराव हुआ है। जिस तरह से टी वी सीरियल और धारावाहिकों का प्रस्तुतीकरण हो रहा है, ऐसे कई पारिवारिक धारावाहिक प्रसारित होते हैं जिनको महिलाएं बड़े चाव से और गौर से देखती हैं और वो उनके मन-मस्तिष्क में एक विचारधारा को प्रभावी रूप देता है कि हम अकेले रहेंगे तो हम को ज्यादा आनन्द आएगा। इस तरह से परिवार विखंडित होने लगे, लोग एकाकी परिवार में जीवन जीने लगे। अलग-अलग जीने की उनकी मन में एक इच्छा जाग्रत हुई और संयुक्त परिवार में जो कमिटमेंट था उससे लोग दूर होने लगे। आज का युग और आज की जो हमारी पीढ़ी है, आज के युवा शादी के बाद तुरन्त अलग-अलग रहना चाहते हैं और परिवार में अपनी रेस्पांसिबिलिटी को भूलने लगे हैं।

यह सारी बात इस परिप्रेक्ष्य में देखी जानी चाहिए कि यह एक व्यक्तिगत सोच है, यह किसी कानून के दायरे में बंधना मुनासिब नहीं है। आपको और हम सब को मिलकर, जिस तरह से भारतवर्ष में परम्परा रही है संयुक्त परिवार की, एक साथ जीवन जीने की, आपस में प्रेम और भाईचारा रखने की, सामंजस्य रखने की भावना कम हुई, उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। इसके दूरगामी परिणाम हमको भुगतने पड़ रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह मानना है कि हम सब को माननीय सदस्या के संकल्प के साथ में अपनी सहमति जाहिर करनी चाहिए और सरकार के माध्यम से भी और अपने-अपने स्तर पर भी अपने-अपने

(श्री अशोक बैरवा 'खण्डार')

प्रयासों से समाज में संदेश देने के प्रयास करने चाहिए। हम जन प्रतिनिधि हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि समाज एक रहे, समाज में एकता रहे, भाईचारा रहे, प्रेम रहे, सामंजस्य रहे और साम्प्रदायिक सौहार्द रहे। एक तरह से देश को विखंडित करने के कारणों को हम को रोकना पड़ेगा, हम सब को अपनी भागीदारी जोड़नी पड़ेगी। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग नि:शक्तों के लिए, वंचितों के लिए, गरीबों के लिए कई योजनाएं चलाता है लोक कल्याणकारी। वो अपना काम करता है- विधवाओं के लिए कमिटमेंट करता है, विधवाओं के पुनर्विवाह की बात करता है। परन्तु दो पति-पत्नी एक साथ कैसे रहें, उनमें प्रेम कैसे बढ़े, उनमें एक-दूसरे के प्रति कमिटमेंट कैसे हो, यह तो एक तरह से अलग बात है जिसके लिए समाज में हम सब को जाग्रत होकर काम करने की आवश्यकता है।

इस बारे में कई संतों ने भी प्रयास किए हैं, हमारे समाज में कई ऐसे जन नेता भी हुए हैं जिन्होंने समाज को एकजुट रखने की बात की है, समाज में प्यार-मोहब्बत को बनाने की बात की है, समाज में समरसता की बात की है। कई ऐसे संत भी हैं जिन्होंने आर्ट आफ लिविंग के भी कोर्सेज चलाये हैं, प्यार और मोहब्बत की बातें भी शुरू की हैं। उनको लोग जानते हैं और उनके संदेश सुनने के लिए लाखों की भीड़ भी जा रही है।

भारतवर्ष की इन परम्पराओं को जो आदिकाल से, सनातन से चली आ रही हैं, उनको लोग विदेश से भी देखने आते हैं। आज हमारे राजस्थान की पृष्ठभूमि को देखें तो लोग पुष्कर में धार्मिक, आध्यात्मिक भाव को देखने के लिए आते हैं, वृन्दावन में लोग आते हैं। भारतवर्ष की सांस्कृतिक परम्पराओं को देखने के लिए आते हैं और अपने आप को, जीवन को सार्थक करने के लिए, शांत-चित्त मन से अपने जीवन का निर्वहन करने के लिए लोग भारतवर्ष में आते हैं। परन्तु भारतवर्ष के लोग ही आज अगर इनको भूलना चाहेंगे तो ये तो ये हमारे देश के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं।

मेरा यह मानना है कि ये जो सीरियल हैं, उनके लिए हमारा जो सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग है ...

अब बात छेड़ी है तो पूरी सुन लीजिए, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: बोलिये आप, बोलिये।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री):

(श्री अशोक बैरवा 'खण्डार')

तो हमारा वो विभाग भी उन पर ऐसे अंकुश लगाए, ऐसे धारावाहिक प्रसारणों को रोके। ऐसे संदेश और ऐसे धारावाहिक चलवाए जो समाज में एकता को रखने के लिए, परिवारों को जोड़ने के लिए काम करें। कुछ हमारे एन.जी.ओज. काम करें।

जब विवाह विच्छेद की बातें आती हैं, तलाक की बातें आती हैं तो हमारे फैमिली कोर्ट आगे बढ़कर काम करें। कमेटियां बनें, जिला स्तर पर बनें और हम सब लोग मिलकर ऐसे प्रयास करें कि आने वाली पीढ़ी मिल-जुलकर एक साथ प्यार-मोहब्बत से अपने परिवार का निर्वहन करे। परिवार में खुशियां आएं, उनके बच्चे पढ़े-लिखें और वो भी एक नये संस्कार के साथ नये जीवन की शुरूआत करें।

मैं इस संकल्प में अपनी सहमति देता हूं और मैं चाहता हूं कि सदन अपनी सहमति आपके साथ रखता है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प का प्रस्ताव माननीय सूर्यकान्ताजी ने दिया है, उसमें यह कहा गया है कि सरकार प्रभावी कदम उठाए।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने अपनी तरफ से किसी भी हिन्दू अनडिवाइडेड फैमिली या मुस्लिम अनडिवाइडेड फैमिली का डिवीजन करने के लिए कभी कोई कानून का प्रोत्साहन नहीं किया, कभी किसी का प्रोत्साहन नहीं किया और यही कारण है कि लड़कियों में एजुकेशन बढ़ाने का सरकार का जो प्रयास था वो काफी हद तक सफल हुआ है। कोई जमाने में लड़की कभी इंजीनियर नहीं बना करती थी, डाक्टर की संख्या भी बहुत कम हुआ करती थी, एम.बी.ए. में भी लड़कियां बहुत कम जाया करती थीं, कालेज एजुकेशन भी बहुत कम लड़कियां लिया करती थीं। उसके पीछे परपज यही था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जो उसका हसबैंड है वो अपनी अनपढ़ बीवी के साथ किसी प्रकार का अत्याचार करके दाम्पत्य जीवन में बिखराव ला दे। तो उसको रोकने के जितने भी प्रयास थे, चाहे वो एजुकेशन को बढ़ाने के थे और चाहे सोशल जस्टिस को देने के थे, और चाहे कानून में परिवर्तन के थे, अभी भी देखा होगा कि शारदा मैरिज एक्ट में परिवर्तन आ रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसमें लिखा कि, साहब, अगर मान लीजिए, किसी अपराधी को आजीवन कारावास होता है तो फिर उसकी पत्नी को तलाक मांगने का पूरा

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

हक है। यह सब कुछ होगा लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है कि किसी प्रकार के बिखराव की कोई आवश्यकता हो।

इसलिए इसमें सरकार के जितने भी अभी प्रयास हैं, मैं यह समझता हूं कि वो बिलकुल सक्षम हैं, आवश्यकता के अनुसार हैं इसलिए इस संकल्प की कोई आवश्यकता नहीं है, इस संकल्प को आपको विथड्रा करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: जो संकल्प माननीय सूर्यकान्ताजी व्यास ने प्रस्तुत किया है...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह विवादित हो गया। विवादित इसलिए हो गया कि जो इससे संबंधित मंत्री हैं वह तो अपनी सहमति देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी ने जवाब दे दिया, पहले आप बोलते।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैंने कहा कि मैं आपकी भावना से सहमत हूं लेकिन यह सरकार के दायरे में नहीं है, हम सबको अपने आपसे एक कमिटमेंट करना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): नहीं, जो वर्डिंग इसमें आपके आए हैं वो वर्डिंग आप निकाल लो। आपने कहा है, इसका समर्थन आप भी करें।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): सहमत हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आप देख लो। जो मैंने सुना है उसमें आपने उस पर बोलते हुए अपनी बात को कहते हुए आप सब माननीय सदस्य भी इसका समर्थन करें, ये आपके शब्द हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह संकल्प किसी भी मंत्रालय से संबंधित नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं, किसी से भी नहीं है, आप इस संकल्प को अच्छी तरह से पढ़ लें। यह मोटे तौर पर अगर देखा जाएगा तो यह होम डिपार्टमेंट में आएगा, बाकी यह सोशल जस्टिस में नहीं आएगा, नहीं आएगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह सामाजिक, जो संयुक्त परिवार है यह उसी में आता है। संयुक्त परिवार जो है, उसके बारे में आपका

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सामाजिक न्याय मंत्रालय है, इसी के अन्तर्गत आता है। इसी के अन्तर्गत यह तैयारी करके खड़े होकर बोले हैं। वो तो आप उलझ गये क्योंकि संकल्प पास हो रहा है इसलिए उलझन हो जाएगी। सहमत होते हुए भी अन्त में एक शब्द जोड़ दिया।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं अर्ज करूं कि संकल्प का जो प्रस्ताव है वो ये प्रस्ताव है कि सरकार प्रयास करे। सरकार प्रयास किसके माध्यम से करती है? सरकार प्रयास करती है कानून के माध्यम से, नियमों के माध्यम से। तो फिर तो यह ला में जाएगा, सोशल जस्टिस का क्या काम है इसमें? सोशल जस्टिस का काम तो है किसी विकलांग को पेंशन दिलवा देना, समाज कल्याण के काम करवा देना, यह करवा देना, वो करवा देना। न तो फैमिली कोर्ट इनके अण्डर में आती, न एजुकेशन इनके अण्डर में आती, न रोजगार देना इनके अण्डर में आता, इसलिए उसमें नहीं है यह ।

जहां तक माननीय मंत्रीजी का मंतव्य था, वह मंतव्य यह नहीं था कि इसको पास करवा दिया जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह संकल्प कोई कानून तो है नहीं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं, संकल्प कानून बनने जा रहा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): संकल्प क्या कानून बनेगा, यह केवल हमारी भावना है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): संकल्प अगर पास हो जाता है तो अगली बार आपको प्राइवेट मैम्बर बिल लाने का हक हो जाएगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): नहीं, इसमें ऐसा कहीं न तो इनका भाव था। संयुक्त परिवार जिस ढंग से टूट रहे हैं, संयुक्त परिवार अगर रहते हैं तो उसका अपना लाभ है- यही विषय था। यह नहीं है कि कल से संयुक्त परिवार बना दो, यह कानून बना दो। ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें। संकल्प में एक उनका इतना ही था कि जो एक अच्छी परम्परा इस देश की रही है संयुक्त परिवार के कारण से और जिस प्रकार का संस्कार और जिस

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

प्रकार का निर्माण होता था, उसके अन्दर जो कमी आयी है, इनका संकल्प इतना ही है कि इस प्रकार के अगर भाव रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियों में संस्कार रहेंगे और जो लोग ओल्ड एज में जाते हैं उनको भी अपना सुखद जीवन बिताने में एक सहूलियत मिलेगी। संकल्प कोई कानून नहीं है। संकल्प है, कानून नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी के जवाब के बाद, आप अगले में बोल लेना आपको बोलना है तो अगले संकल्प में। ठीक है, मंत्रीजी का आ गया जवाब ।

यह जो संकल्प प्रस्तुत हुआ है माननीय श्रीमती सूर्यकान्ताजी व्यास के द्वारा कि प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे दाम्पत्य बिखराव के मामलों को रोकने के लिए सरकार प्रभावी कदम उठाए- माननीय, यह संकल्प जो प्रस्तुत हुआ है, इस पर विचार-विमर्श हुआ। माननीय सदस्य चाहें तो इस संकल्प को वापस ले सकती हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): वापस कैसे लें, वापस लेने का तो सवाल ही नहीं है। पास करवाओ, मंत्रीजी ने खुद सहमति दी है। परिवारों को तोड़ना थोड़े ही चाहते हैं अपन, पास करवाओ।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजें। सदन की राय जान लेते हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): पास करवाओ। इसमें क्या है।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजें। सदन की राय जान लेते हैं, कोई बात नहीं।

प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्रीमती सूर्यकान्ताजी व्यास, सदस्य विधान सभा ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए? (व्यवधान) जो पक्ष में हो, हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य : हां।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सत्ता पक्ष ने भी हां की है, हां, हां कर दी। शिक्षा मंत्रीजी ने हां की है। (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (संसदीय सचिव): मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पूरा बोला ही नहीं, एक मिनट।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): पूछा ही नहीं, आपने क्यों बोला? नो पूछा कब था जो आपने हाथ खड़ा कर दिया?

श्री उपाध्यक्ष: जो विपक्ष में हों ना कहें।

अनेक माननीय सदस्य: नो।

(अस्वीकृत)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, पहले हां कहते हैं फिर ना कहते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): आप चाहते ही नहीं हैं कि कोई साथ रहे, प्रेम से रहे, आप परिवार को तोड़ना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: वाइस वोट से यह संकल्प अस्वीकार किया जाता है।

श्रीमती चन्द्रकान्ताजी मेघवाल।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): यह तो इसका मजाक उड़ा दिया आपने। जब वो कह रहे हैं मतदान ले लिया, हम जीत गये।

प्रदेश में सरकार शराब, गुटका, जर्दा, पान मसाला आदि पर पूर्णतः प्रतिबन्ध

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): उपाध्यक्ष महोदय, आज गैर सरकारी दिवस है और इस दिन सदन में संकल्प लिया जाए शराब, सिगरेट, पान मसाला, जर्दा, गुटखा पर प्रतिबंध का। वैसे किसी को इस बात के लिए मैं पाबन्द तो नहीं करूंगी लेकिन मेरे मन की पीड़ा है और मन की बात मैं इस सदन में निवेदन पूर्वक कह सकती हूं। मैं मेरी बात को यहीं से शुरू करना चाहती हूं कि सदन के अन्दर जो हमारे 200 विधायक हैं, जितने भी कर्मचारी हैं और जितने भी अधिकारी हैं, अगर उनका दिल इस बात के लिए गवाह दे दे कि इस संकल्प को लेने का हमारा दिल गवाही दे रहा है तो वो लोग इसमें शामिल हो सकते हैं।

मैं कहना चाहूंगी, माननीय कि काया एक देवालय है। इस विषय में गीता में कहा गया है कि यह नौ द्वारों की एक आध्यात्मिक राजधानी है जिसमें परमात्मा स्वयं विराजते हैं। सभी धर्म शास्त्रों में तम्बाकू और शराब का निषेध है। तम्बाकू एक विषैला पदार्थ है और इसका निर्माण तुच्छ औषधियों के द्वारा किया जाता है। पुराने जमाने में हुक्का पीने की परम्परा थी जिससे सामाजिक समृद्धि का पता लगता था। आज इसका नया अवतार आ गया साइबर कैफे या काफी हाउस । बड़े-बड़े नगरों में लोग हुक्का पीकर अपनी तलब मिटाते हैं। तम्बाकू का सेवन किसी भी रूप में सभ्य समाज के लिए वर्जनीय होना चाहिए। भारत में सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान प्रतिबंधित हो गया है उसके बावजूद भारत में प्रति दिन धूम्रपान से मरने वालों की संख्या,

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों के मुकाबले बीस गुना है। एड्स से जितनी मौतें देश में आठ वर्ष में होती हैं उतनी मौतें धूम्रपान से मात्र एक सप्ताह में हो जाती हैं। भारत में प्रति वर्ष लगभग दस लाख लोग इस कारण मौत के साये में सो जाते हैं। धूम्रपान से हृदय रोग, लकवा, मोतियाबिंद, पेट में अल्सर, बांझपन, गर्भपात, गुर्दे तथा फेफड़ों का कैंसर, दमा, अम्लपित्त, मिर्गी जैसे खतरनाक रोगों के शिकार होते हैं। चौदह प्रतिशत स्कूली बच्चे किसी न किसी रूप में तम्बाकू का सेवन करते हैं और पच्चीस प्रतिशत युवाओं को दस वर्ष की आयु होने तक इसकी लत लग जाती है। व्यक्ति जीवन भर के लिए इसका गुलाम बन जाता है। छह माह के बच्चे के मां-बाप उनके नजदीक अधिक धूम्रपान करते हैं तो बच्चे में आठ साल की उम्र तक जो संक्रामक बीमारियां होती हैं वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि मां-बाप का अधिक धूम्रपान करना बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। बच्चों को श्वांस सम्बन्धी बीमारियां होने लगती हैं।

राजस्थान में तम्बाकू का सेवन करने वाले शिक्षकों का प्रतिशत और उच्च विद्यालयों के छात्रों का प्रतिशत भी कम नहीं है। अतः जाहिर सी बात है कि तम्बाकू, नशा मुक्ति उन्मूलन सेवाओं का राज्य में मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं में भी भाग होना चाहिए।

स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को तम्बाकू और नशा उन्मूलन का प्रशिक्षण भी देना चाहिये। मेडिकल की पढ़ाई में तम्बाकू और नशा उन्मूलन को शामिल करना चाहिये, यह मेरा सुझाव है। मद्यपान को प्रोत्साहन देने वाले मानवीय अधिकारों के अथवा स्वतन्त्रता के संरक्षक नहीं है, अपितु यह पशुता के अधिकार का संरक्षण है। अगर हम इन लोगों का बचाव करते हैं तो वास्तव में यह पशुता का संरक्षण है, यह मेरा मानना है क्योंकि शराब पीकर आदमी विवेक शून्य हो जाता है। मननशील एवं विवेकशील होने से ही व्यक्ति मनुष्य कहलाता है। अगर उसमें विवेक नहीं होगा और मननशील नहीं होगा तो हम एक मानव को मानव भी नहीं कह सकते, यह मेरा मानना है। शराब मनुष्य को जड़, मूढ़ व पशुवत् बना देती है। यह सभी लोग पीने वाले भी जानते होंगे और देखने वाले भी इस बात को मानते हैं। अतः शराब को संरक्षण व प्रोत्साहन देना, नशा करना और नशे के साधन उपलब्ध करवाना, ये तीनों ही कार्य तथ्य, तर्क, जमीनी हकीकत एवं मानवीय मूल्यों के आधार पर नैतिक व सामाजिक अपराध की श्रेणी में आते हैं।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

क्या कोई सिगरेट या शराब आदि का व्यापार करने वाला पिता यह चाहता है कि उसके मासूम बच्चे नशे के विनाशकारी कुचक्र में फंसें, अथवा उनका जीवन और उनकी जवानी बरबाद हो? ऐसा कोई पिता नहीं चाहता। नशे में फंसा हुआ इन्सान भी अपने बच्चों को नशे से बचाना चाहता है। वह भी चाहता है कि मेरा बच्चा नशे से दूर रहे। नशा, शराब तो एक सामाजिक अपराध एवं सर्व विनाश की जड़ है। शराब, तम्बाकू, कोकीन, चरस, गांजा आदि यह नशा कामुकता, दुराचार, व्यभिचार और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार को बढ़ावा देता है, यह मेरा मानना है। मैं मानती हूं कि लाखों लोगों की बेगुनाह मौतों का कारण शराब, तम्बाकू आदि का व्यापार करने वाला प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसमें भागीदार है।

अमेरिका जैसे विकसित देश में तम्बाकू, शराब आदि नशीले पदार्थों का सेवन करके बीमार हुए लोगों के उपचार के लिये नशा विक्रेताओं के ऊपर 5 हजार करोड़ का जुर्माना किया जाता है। 148 लोगों की हत्या के आरोप में जब सद्दाम को फांसी पर चढ़ाया जा सकता है तो लाखों लोगों की मौत के गुनहगार, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से करोड़ों लोगों की जिन्दगी, घर, परिवार, उन बच्चों को विनाश के लिये जिम्मेदार इन नशा व्यापारियों, शराबियों, माफियाओं पर हत्याओं के मुकदमे चलने चाहिये। यह भी मेरा मानना है कि इनको सलाखों के पीछे रखना चाहिये, अथवा फांसी पर लटकाना चाहिये।

हो सकता है, इस सदन में बैठने वाले कई सदस्यों को यह स्वीकार नहीं हो, लेकिन मैं मेरे मन की पीड़ा व्यक्त कर रही हूं। जो लोग नशे की गिरफ्त में बस चुके हैं उनसे उनको बाहर निकालने के लिये राज्य सरकार और केन्द्र सरकार जितने भी उपाय करे, वे उपाय करने चाहिये। इससे प्रत्येक परिवार का भला होगा। इस देश का भला होगा और प्रदेश का भी भला होगा। एड्स से भी खतरनाक मैं इस बीमारी को मानती हूं। मुझे लगता है कि एड्स से भी खतरनाक यह बीमारी है- शराब, तम्बाकू। इसलिये तम्बाकू के सेवन व बिक्री पर आज से ही इस राज्य सरकार को प्रतिबन्ध लगाना चाहिये।

इसमें मेरे साथ पूरे सदन को संकल्प लेना चाहिये। क्योंकि वैसे भी यह गांधीवादी सरकार है। गांधीजी के विचारों पर अगर हम चलना चाहते हैं तो सभी सदस्यों को मुझे इसमें सहयोग देना चाहिये। खासकर सरकार को मेरा सहयोग करना चाहिये। नशा परिवार के वातावरण को खराब करने वाला है।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

दाम्पत्य जीवन को दूषित करने वाला है। भावी पीढ़ी पर दुष्प्रभाव छोड़ने वाला है। परिवार के बजट को गड़बड़ करने वाला भी यह है और स्वास्थ्य को बरबाद करने वाला भी है। मेरा इस सदन और सरकार से आग्रह है कि सभी मेरे साथ कृत संकल्पित हों और इस सदन में संकल्प लें कि इन दुर्व्यसनों पर कहीं न कहीं रोक लगे, शराब पर रोक लगे ताकि हमारी महिलाएं जो अनेक यातनाएं सह रही हैं उन्हें भी मुक्ति मिले, उनके बच्चे भी शांति से रहें और किसी तरह की परेशानी उनको नहीं हो। यही मैं कहना चाहूंगी।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। कोई माननीय सदस्य? हां, बोलिये, कुमावत जी। संक्षेप में, मूल बात तो बता ही दी उन्होंने।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदस्या बहन चन्द्रकान्ता की तरफ से नशे के सम्बन्ध में जो सुझाव आये हैं, ये स्वागत योग्य हैं। इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी ने टैक्स बढ़ाने का जो प्रावधान किया, वह भी इसी से जुड़ा है। इतिहास गवाह है, ये शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। आम आदमी की धारणा है यह बन्द हो, परन्तु जब-जब इस सम्बन्ध में ज्यादा प्रतिबन्ध और नियम बने तो उनके प्रभाव उलटे पड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर चाहे गुजरात ले लो। गुजरात में प्रतिबन्ध की वजह से राजस्थान में सरकार को इतनी परेशानी है कि आये दिन ट्रक पकड़े जाते हैं। बन्द के बावजूद अगर वहां सर्वे कराया जाए तो सबसे ज्यादा शराब बिक्री अगर कहीं होती है तो वह गुजरात में होती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चाहे बीड़ी-सिगरेट हो, चाहे शराब हो, यह परम्परा और शुरूआत आज से नहीं, सदियों से इसको सोमरस के नाम से जाना जाता था। राजस्थान में बन्द हो, नहीं पीना चाहिये, मैं इसका पक्षधर हूं, लेकिन प्रतिबन्ध कोई रास्ता नहीं है। जब भी किसी चीज पर ज्यादा कानूनी रोक हो, उस चीज का महत्व डबल बढ़ जाता है।

उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करता हूं, आज की देश की आजादी को 65 साल हो गये, अफीम के ऊपर रोक है। नियम एक अलग चीज है लेकिन राजस्थान में जिन जिलों में परम्परा है वहां एक सर्वे कराया जाए, आज भी बन्द नहीं के बराबर है। तो 65 सालों में इतने प्रयासों के बावजूद अफीम खाने वालों के ऊपर रोक नहीं लग सकी। यह नियम में है कि 20 साल की

(श्री मदन प्रजापत)

सज़ा है, उसके उपरान्त भी उसका महत्व डबल हो गया कि आज गाड़े के ऊपर अफीम बाजार में लेकर घूम रहा है। अफीम ले लो, अफीम ले लो तो शायद कोई खाने वाला नहीं मिलेगा। मेरा निवेदन यह है कि जैसे कोई संगठनों के ऊपर प्रतिबन्ध लगे, वे संगठन डबल मजबूत हुए हैं। प्रतिबन्ध लगने की वजह से उनका महत्व बढ़ जाता है। ये बन्द हों, शरीर को नुकसान करते हैं, लेकिन समाज में संस्कार और समझाइश हो और इनके प्रति घृणा हो कि ये शरीर के लिये खराब हैं। आम आदमी मन से जब इन नशीले पदार्थों को छोड़ेगा तब ये नशीले पदार्थ मिट सकते हैं। बाकी मेरे ख्याल से नियम कितना भी कठोर बनाया जाए, आज जैसे लोकपाल बिल वगैरह की बातें चल रही हैं, लोगों को मालूम है कि आदमी का मर्डर करने से उम्र कैद और फांसी भी होती है, तो भी वह जान-बूझकर आदमी का मर्डर कर देता है। इतने कठोर नियम के बावजूद भी जो अपराध करने वाला व्यक्ति है...

श्री उपाध्यक्ष: संक्षेप। संक्षिप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): एक बात कहते हुए मैं निवेदन करता हूं कि दिमाग में संस्कार की कमी के कारण ही इस प्रकार के लोग अपराध जान-बूझकर करते हैं। तो बन्द जरूर हो लेकिन बन्द के लिये सुझाव, जो रास्ता बहन ने दिया। इनकी पीड़ा है कि समाज में इनका उपयोग नहीं हो तो कानून से यह उपयोग नहीं रुक सकता। सदियों से जो सोमरस जाना जाता है। राजस्थान में कई प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो भगवान को मानते हुए, उनकी धारणा है, और यह बात पूर्व सरकारों में भी हुई कि इसका सेवन आदमी ही नहीं करता, राजस्थान में भगवान और देवताओं को चढ़ाया जाता है। यह इनकी मान्यता है। इसलिये मेरा मानना है, सुझाव अच्छा है, उपयोग में नहीं लें, मन में तय करें कि इस गन्दी चीज को काम में नहीं लेंगे। लेकिन नियम बनाने से सोमरस हो, चाहे शराब हो, यह नहीं मिट सकता। इस बात के ऊपर मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने 50 परसेंट टैक्स लगाया। होर्डिंग्स लगे हुए हैं। आम जनता के सुझाव आये, कोई भी चीज पर टैक्स लगता है तो लोग विरोध करते हैं। लेकिन आज तम्बाकू के ऊपर टैक्स लगा है तो उसका जनता स्वागत कर रही है। लेकिन समाज में ऐसे संस्कार, ऐसे प्रयास करें कि मन से लोग घृणा करें। हम जो गांवों में आंखों से देख रहे हैं, देवता को धार चढ़ायी जाती है। प्रैक्टिकल है, सभी जानते हैं।

(श्री मदन प्रजापत)

इसलिए समाज में ऐसा प्रचार करें कि यह उपयोग नहीं हो। काम में नहीं लेवें।

श्री उपाध्यक्ष: विराजें, विराजें माननीय सदस्य।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): लेकिन प्रतिबंध और नियम से इसका कोई मतलब नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये, माननीय सदस्य। इसमें आपको पता है, मूल प्रस्तावकर्ता भी 15 मिनट से ज्यादा किसी हालत में नहीं बोल सकता। आपको 15 मिनट से ज्यादा हो गये हैं, अब समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिबंध से यह चीज नहीं मिट सकती है, मेरा यह सुझाव है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय अब्दुल सगीर खां जी।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं शराब के खिलाफ हूं लेकिन मैं नशे के खिलाफ नहीं कि -

'तूने मयखाना निगाहों में छुपा रखा है।
होश वालों को भी दीवाना बना रखा है।
क्या तेरे जर्फ का अंदाजा करेगा कोई
मुस्करा कर गम कोने में छुपा रखा है।'

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): किसने कहा शराब में नशा है, नशा तो गम में होता है यारों।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): क्या बात है। (व्यवधान) बैठो, बैठो, माननीय सदस्य।

श्री उपाध्यक्ष: जवाब आवश्यक नहीं है।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): 'वक्त-ओ-तौबा को तोड़ दे साकी
गर्दन-ए-कुम्भ मरोड़ दे साकी।
होगा एहसान तुम्हारा लोगों पर
अपना दामन निचोड़ दे साकी।'

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वाह, क्या बात है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: हां, माननीय मंत्रीजी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): शम्स, नेम आफ दी पाइट, शायर का नाम है। शम्स मयसर में जिस दम गया- जब शम्स स्वर्ग में गया, शम्स मयसर में जिस दम गया, दी फरिश्तों ने बेसाख्ता ये सदा, फरिश्तों ने साफ-साफ अपनी तरफ से यह सलाह दी।

श्री उपाध्यक्ष: अब्दुल सगीर खांजी बहुत प्रभावित हो रहे हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री):

'शम्स मयसर में जिस दम गया
दी फरिश्तों ने बेसाख्ता ये सदा
ये नशे में है शायद खुदा तू इसे टाल दे
न जाने ये क्या मांग ले।'

एक माननीय सदस्य: इसे कहते हैं सवा सेर।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर):

'साकी शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर
या वो जगह बता दे जहां खुदा ना हो।'

श्री उपाध्यक्ष: अब आप बैठिये। हां, माननीय सदस्य। बात कहने दें अपनी।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): उपाध्यक्ष महोदय, रामगंजमण्डी से आने वाली माननीय सदस्या ने नशे के बारे में, शराब के बारे में बहुत ही अच्छा संकल्प पेश किया है और हमारे दूसरे माननीय सदस्यों ने भी अपने विचार रखे हैं। लेकिन यह बड़ा ही गम्भीर विषय है और ऐसे गम्भीर विषय पर साकी शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर या वो जगह बता जहां पर खुदा नहीं, इस तरह से उस गम्भीरता को खतम किया जा रहा है और मुझे भी कहा जा रहा है कि आप भी एक-दो शेर सुना दो। मैं नहीं सुनाऊंगा। और आप कहो तो सुना भी दूंगा, ध्यान रखिये आप ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप परीक्षा क्यों लेना चाहते हो?

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): मैं बजाय उर्दू, हिन्दी, संस्कृत के ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप उनका स्टेटमेंट आने दो।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): फारसी में सुनाना चाहता हूं।

'अगर आ तुर्के शिराजी बदस्त दिले मारा
बखाले हिन्दुकुश बख्शम समरकन्दो बुखारा
दये साकी मये बाकी कि दर जन्नत न ख्वाही याफ्त
कनारे आबे रूक्नाबाद के गुलगश्ते मसल्लारा।'

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हम समझे नहीं, इसका हिन्दी अनुवाद करो।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): अगर कोई शिरानी लड़की मेरे ऊपर दिल दे दे तो मैं समरकंद व बुखारा जैसे शहरों को भी उसके ऊपर निछावर कर सकता हूं। हे साकी! जो भी बची हुई शराब है मुझे पिला दे, नहीं तो जन्नत में जाने के बाद में मुझे यह जन्नत में फिर नहीं मिलेगी। वहां ये आम के बाग़, ये नहरें और इस तरह के हालात मिलेंगे। मैं यह बोलना नहीं चाहता था। आप फिर बाद में निपट लेना। यह बड़ा गहरा विषय है। मैं इस मामले में मेरी जिंदगी में सबसे पहले रहा हूं, बहुत छोटी-सी जगह रहने के बाद में भी। आप कहीं भी अख़बार पढ़ लीजिये, जो भी गम्भीर से गम्भीर अपराध होंगे उनमें यह जरुर आएगा कि वह शराब का आदी था। कइयों ने अपनी औरतों की, बच्चों की गर्दनें काट दीं। कई साम्राज्य बरबाद हो गये। जो लोग धर्म का आसरा लेकर कह रहे हैं, मैं अपने विचार बताता हूं, इनके सबके कुछ भी विचार हों। मगर किसी भी धर्म को लेकर आप कोई बात कहेंगे तो सदियों से धर्मों में विभिन्न प्रकार की बातें चलती आ रही हैं। वे ऐसी हैं जिनको आज हम स्वीकार नहीं कर सकते। मगर जो आदमी यहां रहने के बाद में भी संकल्प ले, कानून बनाए, नियम बनाए, जो आदमी कुछ कहना चाहता है उसके भीतर होना चाहिए। मैं बोलने खड़ा हुआ हूं तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में, कई लोग और भी यहां पर हैं जिन्होंने शराब, गांजा, भांग, अफीम, बीड़ी, सिगरेट इनको नहीं छुआ, मैं विश्वास के साथ में इस न्याय के मंदिर में यह बात कहना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में इस तरह की बात तनिक मात्र भी नहीं रही।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस गांधी वादी सरकार की बात यहां कह रहे हैं, वाकई में हमारी सरकार का, हमारे नेता का खुद का चलन शुरू से ऐसा है कि वह खुद इन बातों से दूर हैं। गांधीवादी सरकार की वजह से ही पिछली बार भी

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

उन्होंने टैक्स लगाया ताकि उस टैक्स की वजह से कम लोग-बाग़ पिएं। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य विराजमान हैं, गुलाबचन्दजी कटारिया जी, इन्होंने उस वक्त अपने जवाब में यह कहा था कि गरीब के एक बीड़ी ही तो है जिसको पीता है, उसको कहां साधन मिलते हैं। उस पर भी टैक्स लगा दिया! विचार ऐसे होने चाहिए जो सर्वव्यापी हों। हमेशा तक के रहने वाले हों। जिसको आने वाली पीढ़ियां भी यह मानें कि वाकई में इन बातों से गरीब बरबाद हो रहा है, धंधे वाला आदमी बरबाद हो रहा है। इस नशे ने सारे लोगों को बरबाद करके रख रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय, धर्म में, शास्त्रों में क्या होता होगा, लेकिन आज इस बात को मानना होगा कि हम जहां भी झोंपड़ी में रहें, हमारे लोगों ने इंकार करने की बात कही। शिक्षक रहे तो अपने साथियों को छुड़वाने की बात कही। अधिकारी रहे, कई अधिकारी ऐसे थे जो रात-दिन इस बात को देखने, करने वाले थे, हमने उनको उन रास्तों से हटाने की बात की। यही हमारे महात्मा गांधी ने पूरे देश को सत्य का प्रयोग करने के लिए कहा। ये देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए सबसे खराब चीजें हैं, इनको बिलकुल बंद किया जाए। उसी गांधीवादी तरीके से गांधीवादी मुख्य मंत्री ने कहा कि इन पर टैक्स लगाओ ताकि इसकी खपत कम हो। इसके नुकसान कम हों। अगर आज हमको संकल्प में कोई बात देखनी है, हर आदमी को अपने खुद को देखना चाहिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोय। जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोय। खुद अपने आप में देखो और उनसे दूर रहो। अपने परिवार को सुधारो। दूसरे लोगों को सुधारो। अपना समाज सुधरेगा, मोहल्ले सुधरेंगे, शहर सुधरेंगे, गांव सुधरेंगे, राज्य सुधरेगा और राज्य सुधरेगा तो राष्ट्र पर असर पड़ेगा। वाकई में यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस महत्वपूर्ण बात को किसी और मामलों में लपेटने के बजाय उसका तिरस्कार करना चाहिए और लोगों को उससे दूर रहने की बात करनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सुखरामजी।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मुझ पर आरोप लगाया था।

'साकी सुरा जाम का गालिब नहीं असर,
काफी है एक निगाह तेरी वादा खार को।'

श्री सुखराम (बसेड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, हमारी माननीय सदस्या ने

(श्री सुखराम)

जो संकल्प रखा है, यहां पर हमेशा से ही अगर देखें, पुराने समय से लेकर जितने भी साम्राज्य हुए हैं, उनके बरबाद होने का कारण कोई था तो यह शराब थी। नशीले पदार्थ थे। अगर कोई भी परिवार आज विघटन की त्रासदी से गुजरता है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है तो ये नशीले पदार्थ ही होते हैं। हमारे समाज में, हमारे राज्य में जितने भी अपराध हुए हैं अगर उनका आकलन किया जाए तो उनके पीछे कोई न कोई कारण निकलेगा तो शराब और नशीले पदार्थों का निकलेगा। महात्मा गांधीजी की बात करके अभी जो

(15.00 बजे)

बात कही गयी थी, महात्मा गांधीजी ने यह संदेश दिया था समाज के लिए कि समाज में नशा मुक्ति होनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टैक्स लगाना इस समस्या का समाधान नहीं है। अगर आप इस पर 100 गुना टैक्स भी लगाएंगे तो भी पीने वाला है वह रुक नहीं सकता, कितना भी टैक्स लगा लो। और टैक्स लगाना किसी समस्या का समाधान नहीं है। यह समस्या, मैं समझता हूं और मानता हूं कि जब तक इन्सान अपने मन से इसके प्रति समर्पित नहीं होगा, मन से इसको नहीं छोड़ेगा तब तक तो छूट नहीं सकती। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं परन्तु फिर भी जब तक हम कठोर निर्णय नहीं लेंगे, जब तक हम कठोर कानून नहीं बनाएंगे और इस पर पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं लगाएंगे, तब तक जितने भी परिवार हैं जो बिखर रहे हैं, उन बिखरे हुए परिवारों को बचाया नहीं जा सकता। इसलिये माननीय सदस्या ने जो यह संकल्प रखा है, निश्चित रूप से गांधीजी के उन विचारों को दृष्टिगत रखते हुए, उन विचारों को मन में रखते हुए पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने का यह सदन संकल्प ले।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहन चन्द्रकान्ताजी ने जो संकल्प इस विधान सभा में रखा है, मैं यह चाहती हूं कि बंद तो शराब होगी या नहीं लेकिन आप यह व्यवस्था जरूर कर दें, दो मिनट के लिए सभी सदस्यों को खड़ा करके, इस पवित्र सदन में प्रवेश किया है सभी ने, तो कम से कम वे तो संकल्प लें कि हम हमारी जिन्दगी में कभी भी नशा और शराब का सेवन नहीं करेंगे। कम से कम यहां जो विराजमान सदस्य हैं, वे तो संकल्प ले लें। बंद होगी या नहीं होगी लेकिन खुद संकल्प जरूर लें यहां खड़े होकर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप यह व्यवस्था जरूर

(श्रीमती कमसा मेघवाल)

करें। यह आप जरूर करें कि जो विराजमान सदस्य हैं वे खड़े होकर गांधीजी के सामने खड़े होकर जरूर शपथ लें कि हम नशा नहीं करेंगे।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको कह रही हैं माननीय सदस्या कि आप संकल्प लो। आपको कह रही हैं माननीय सदस्या।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्या, आपका सुझाव तो अच्छा है। माननीय प्रतापसिंहजी खाचरियावास को बोलने दें, उसके बाद आपका ... (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): उपाध्यक्षजी, वैसे यह जो चन्द्रकांता मेघवालजी ने प्रस्ताव रखा है, यह बहुत अच्छा प्रस्ताव दिया है। गैर सरकारी दिवस की बहुत बड़ी शुरूआत हुई है। चन्द्रकांताजी, इसमें आपसे एक ही गड़बड़ हो गई, आपने इसमें शराब जोड़ दी इसलिए गड़बड़ हो गई। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं शराबबंदी के खिलाफ हूं। शराबबंदी, इसमें आप पीछे इतिहास में जाइये। 1977 में पहली गैर कांग्रेस सरकारी बनी, आदरणीय गोकुल भाई भट्ट के आंदोलन को हम भूल नहीं सकते। पूरा राजस्थान उनका बहुत सम्मान करता है। गोकुल भाई भट्ट और इस देश के गांधीवादियों ने सब जगह आंदोलन चलाया और यह कहा कि शराबबंदी लागू हो। तो आपातकाल के समय भैरोंसिंहजी ने यह कहा था कि मैं मुख्य मंत्री बना तो शराबबंदी लागू करूंगा। 1977 में भैरोंसिंहजी चीफ मिनिस्टर बने और उन्होंने राजस्थान में शराबबंदी लागू कर दी। यह इस सदन को पता होना चाहिये, काफी लोगों को पता नहीं होगा। जब शराबबंदी लागू हो गई तो उसके बाद पूरे राजस्थान में दो नम्बर की शराब की बिक्री बढ़ी, कई लोग हथकढ़ शराब पीकर मारे गये। गुलाबजी भाई साहब को ज्यादा पता होगा। आखिर में आदरणीय भैरोंसिंहजी शेखावत ने खुद मीटिंग बुलायी, सबके साथ मीटिंग हुई। लोग बताते हैं मुझे कि 1977 में उनकी इच्छा नहीं थी वापस चालू करने की, लेकिन जो हाहाकार मचा तो पहले परमिट से शराब मिलती थी, उन्होंने शराबबंदी से प्रतिबन्ध हटाया और शराब वापस बिकने लगी राजस्थान में।

शेरो शायरी करना अपना अधिकार है, मजे भी लेने चाहिये। बिना मजे के तो जिन्दगी का मतलब ही क्या है, सिर्फ नीरस जिन्दगी थोड़े ना होती है। आदमी आया है तो सब कुछ करना चाहिये। आजाद साहब जब बोल रहे थे, मुझे लगा कि अब गड़बड़ हो गई। लेकिन मुझे लगा कि आज भी सफेदी

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

में जवानी बाकी है। इसका मतलब झटके से बात ढूंढ कर लाये तो मतलब दम है इसमें जो भी है। मैं कह सकता हूं कि यह प्रस्ताव बहुत अच्छा है, यूनानिमसली सदन को फैसला करना चाहिए। इसमें एक जगह लिखा हुआ है, शराब, गुटखा, पान मसाला- यह गुटखा नया आया है कुछ वर्षों में। यदि यह सदन इस राजस्थान के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, कालेज के बच्चों को बचाना चाहता है और आने वाली पीढ़ी को तंदुरुस्त रखना चाहता है तो मैं आज आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर हमने टैक्स लगाकर बहुत अच्छा किया, लेकिन यदि गुटखे पर यह सदन प्रतिबन्ध लगा दे यूनानिमसली प्रतिबंध लगा दे तो पूरा राजस्थान इस सदन को दुआ देगा। इसलिए दुआ देगा कि यह जो गुटखा है, यह इस देश को, इस प्रदेश को बरबाद कर रहा है। इस गुटखे पर प्रतिबन्ध को लेकर राजस्थान के लीडिंग न्यूजपेपर्स ने अभियान चलाया, युवाओं ने अभियान चलाया, पोलिटिकल पार्टियों ने अभियान चलाया। गुटखे पर प्रतिबन्ध लगाना इसलिए जरूरी है कि कहीं से कुछ तो शुरूआत होनी चाहिए। जहां तक शराब का सवाल है, मैं यह मानता हूं, जब 8 बजे दुकानें बंद होने लगती हैं, कल भी मैंने कहा था, जैसे गोविन्ददेवजी के मंदिर में हाथ ऊपर करते हैं, उसी तरह लोग खड़े रहते हैं। 80 प्रतिशत लोग शराब पीते हैं, बहुत ज्यादा संख्या है। वैसे तो, मेरे दोस्त, पाप का कोई माप नहीं, पर्दे के पीछे छिपकर किया गया पाप कोई पाप नहीं। अब पर्दे के पीछे छिपकर कौन पी रहा है और कौन लोग हैं जो खुले में पी रहे हैं? कुछ लोग हैं जो पर्दे के पीछे पी रहे हैं, लेकिन मेरा आकलन है कि 90 प्रतिशत दारू पी रहे हैं। जो 10 प्रतिशत हैं वही बचे हैं, बाकी कोई बचा नहीं है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह जो गुटखा है वह पीढ़ियों को बरबाद कर रहा है। शराब के मामले में पहले 1977 में प्रतिबन्ध लग चुका है, शराबबंदी के रिजल्ट अच्छे नहीं आये राजस्थान में। गुजरात में हालत यह है कि यहां पर तो लेने के लिये लोग जाते हैं लेकिन गुजरात में फोन पर आती है, किसी भी ब्राण्ड की मंगवा लो आप। हरियाणा से राजस्थान से खूब सप्लाई होती है। कई लोग इसी काम में इतने पनप गये, इतने पैसे कमाये कि आप अंदाजा नहीं कर सकते।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चन्द्रकांताजी को बधाई दूंगा कि आपने बहुत जोरदार प्रस्ताव दिया है। अब यहां पर यह स्वीकार हो या नहीं हो, लेकिन आपको मैं बधाई दूंगा इस बात के लिए। इसमें से आप शराब को तो खुद ही काट दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय प्रतापसिंहजी, चन्द्रकांताजी इस सदन में उस तरफ विराज रही हैं, आप इस तरफ विराज रहे हैं, दोनों एक साथ हो जाएंगे तो स्वीकार हो जाएगा, दोनों अलग-अलग हों तो कैसे स्वीकार होगा? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने किसी प्रकार का नशा नहीं किया है लेकिन मैंने एक बात जरूर देखी है, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में जहां भगत आंदोलन के कारण से परिवारों ने शराब छोड़ दी। आज आप पूरे ट्राइबल क्षेत्र का सर्वे करेंगे तो उनके सब बच्चे अच्छे पढ़े-लिखे हैं, अच्छी नौकरियों में लगे हैं, परिवार उनके सम्पन्न हुए हैं, वहां के भगत आंदोलन के कारण से उसका असर हुआ है। इस देश में भी अगर किसी गरीब को बचाकर उसकी जिन्दगी को ठीक बनाना चाहते हैं और आज की तारीख में उसका सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो शराब ही है। अगर कोई सम्पन्न व्यक्ति अपनी आमदनी के कारण से उसका सेवन करता है तो वह तो कम से कम समझ से करेगा लेकिन जो अपनी मजबूरी और गरीबी के कारण से इसका आदी होता है उसका असर उसकी पीढ़ियों तक जाता है। इस कारण से इस संकल्प में और कुछ करें नहीं करें, अगर सम्भव हो सकता है तो जैसे आपने बीड़ी, सिगरेट पर सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित किया है, एक स्टेज आगे बढ़ जाएं कि कम से कम सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन अगर कोई करेगा या करता हुआ पाया जाएगा, कानून है उसको सख्ती से लागू करेंगे। इसका असर आज नहीं आएगा लेकिन 20 साल के बाद। आज की तारीख में आप और मैं रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैण्ड पर जाते हैं, आज के दस साल पहले जाते थे तो स्वयं को भी घुटन महसूस होती थी जब बगल में बैठा हुआ कोई बीड़ी पी रहा होता, आज कम से कम कानून ने इतना तो ला दिया कि आप वहां शांति से बैठ सकते हैं। तो सार्वजनिक स्थानों पर इनके सेवन को किसी प्रकार से प्रतिबंधित करके इसको रैगुलेट किया जा सकता हो तो जरूर करें। इससे गरीब के परिवार को बहुत बड़ी राहत इसमें मिलेगी और उसको आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय खाचरियावासजी।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): देखिये, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर शराब पर पाबन्दी लग सकती तो लगा दी जाए। लेकिन लग ही नहीं सकती। मैं यह खुद मानता हूं कि आज भी हम लोग रोजमर्रा में

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

पब्लिक जीवन में रहते हैं, आये दिन जयपुर में भी बहुत-सी जगह दो नम्बर की शराब पकड़ी जाती है। शराब पीने वाले कई तरह के होते हैं। उपाध्यक्षजी, ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक आदमी होता है, जो छिप कर पीता है। अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग-अलग स्टाइल है। सीकर डिस्ट्रिक्ट के लोग क्या करते हैं, अपने माता- पिता के सामने नहीं पीते। शेखावाटी बैल्ट में छिप कर पीते हैं तो वह ज्यादा पीते हैं और ज्यादा पीने से वहीं गिर जाते हैं। एक होते हैं मेवाड़ के लोग, ये लोग बड़े होशियार हैं, मैंने उनको देखा है, ये दादा, पोता और पिता सब साथ में बैठ कर पीते हैं, वह थोड़ी-थोड़ी पीते हैं। शेखावाटी वाले ही बेचारे इसमें पिछड़े हुए हैं। वे छुपा छुपी में पीते हैं, बाप के सामने डरते हैं। जैसे ही कहीं अकेले में लगाई और वहीं चित्त, ज्यादा हो जाती है। तो यह शराब का तरीका तो अलग-अलग है। लेकिन शराब का इसमें जब प्रस्ताव आया है तो इस सदन में, इसमें कोई दो राय नहीं, उपाध्यक्षजी, यह सदन कई बार मैंने देखा है, अच्छे से अच्छे मुद्दों पर भी कई बार हम सच नहीं बोलते हैं। हम यदि सत्ता में बैठे हैं, हम हमारी बात करें, वे विपक्ष में बैठे हैं तो अपनी बात करेंगे। कुछ मुद्दों पर तो मैं यहां, उपाध्यक्षजी, कई बार यह कहता हूं, आज आप सदन की मेज पर बैठे हो, इनकी दोनों की ड्यूटी तो फिक्स है लेकिन हमारे यहां, मैं माफी के साथ कहूंगा, इस कुर्सी पर भी किसी को बैठा दो, वे भी बहुमत की बात करते हैं। बहुमत के साथ आपका स्पेशल कमेंट कभी नहीं आता।

श्री उपाध्यक्ष: आया न? अभी मैंने आपसे अर्ज किया, दोनों एक हो जाएं तो पास हो जाएगा। दोनों एक नहीं तो पास कैसे होगा? सदन के ऊपर है सब।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): यह, उपाध्यक्षजी, आपने आज हिम्मत दिखाई कि दोनों एक हो जाएं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैं तो देखो गुटखा भी नहीं खाता और पान भी नहीं खाता हूं। माननीय रघुजी।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): मेरे एक बात समझ में नहीं आई ...(व्यवधान) नहीं, नहीं, मेरी बात सुनें, कटारिया साहब का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने क्या कहा? शराब, गुटखा यह बात नहीं कही उन्होंने, उन्होंने कहा, मैंने किसी प्रकार का नशा नहीं किया। अब राजनीति में हो, लोग तो कहते हैं कि राजनीति का भी नशा होता है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैंने वो भी नहीं किया।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): हैं, सर?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैंने वो भी नहीं किया।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): है न सर, इसीलिए तो विराजे हो ...(व्यवधान) नशे किस-किस प्रकार के होते हैं, वह बताइए, किसी भी प्रकार का नहीं किया? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: उपाध्यक्षजी, गुटखा, बीड़ी के अलावा तीसरी चीज भी है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय प्रताप सिंहजी खाचरियावास, आप उनको बोलने दो, उनको कम्प्लीट करने दो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): इतना ज्ञान तो मेरा नहीं है, पर मैं यह कह सकता हूं कि मैं राजनीति का भी नशा नहीं करता।

श्री उपाध्यक्ष: उनको बोलने दो, प्लीज कम्प्लीट करें ...(व्यवधान) अब आप पूरा कर लें ...(व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): महेन्द्र जी चौधरी ने एक नई बात कह दी है कि रोटी का भी नशा होता है, राबड़ी का भी नशा होता है, नींद ही नींद आती है। चौधरी साहब यहां नहीं हैं, नहीं बता देते आपको। आदरणीय, जब यह चर्चा चल रही है तो इस बात में कोई दो राय नहीं, सब सदस्य दबी जबान में कह रहे हैं कि गुटखा पर तो प्रतिबंध लगना ही चाहिए। जब गुटखा की बात आई है तो, उपाध्यक्षजी, सदन में जितने सदस्य बैठे हैं, देखिए, इसमें न तो कोई पार्टी जीतेगी, न कोई पार्टी हारेगी, इसमें तो राजस्थान ही जीतेगा और राजस्थान ही हारेगा। गुटखा पर प्रतिबंध लग गया तो यह प्रदेश जीतेगा और पूरे हिन्दुस्तान में संदेश जाएगा कि सदन के लोगों ने पार्टीबाजी के ऊपर उठकर एक बुराई का अंत किया है और बुराई के अंत के कारण की शुरूआत की है। आप स्कूल के बाहर जाओ, जाकर देखो, स्कूल के अन्दर जाओ, गुटखा दबा कर स्टूडेंट बैठा है, टीचर भी खा रहा है, स्टूडेंट भी खा रहा है। होड़ लगी हुई है लगातार ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय महेन्द्रजी, डिस्टर्ब नहीं करें, कम्प्लीट करने दें। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): इसमें कोई दो राय नहीं कि गुटखा दोनों तरफ के लोग खाते हैं। मैं गुटखा की बात कर रहा हूं,

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

जर्दा की नहीं कर रहा हूं। जर्दा उसके लिए रास्ता रहेगा बचा हुआ। यदि आप गुटखा रोक दोगे तो आपके पास जो सदियों से जर्दा चला आ रहा है, उसमें कुछ तो रोक लगेगी। अभी तो रेडीमेड मिल रहा है। उसमें कितना वह मिला रहे हैं कांच, कितना उसमें वह डाल रहे हैं तेजाब, पता नहीं क्या-क्या डालते हैं। गुटखा की हालत बहुत खराब है लेकिन हम गुटखा पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहते। आपके राज में नहीं लगा, हमारे राज में भी नहीं लगेगा, सबसे बड़ा कारण है कि गुटखा से हमको रेवेन्यू मिलती है, वह आगे भी मिलेगी। लेकिन आपको यह जो रेवेन्यू मिल रही है, यदि आप एसएमएस के विभाग में चले जाएं, उनकी हालत आप देख लें, आपकी आंखों में आंसू आ जाएं। एसएमएस में अधिकतर लोग गये हुए हैं, मुंह कटे हुए पड़े हैं, खतम कर रहा हूं दो मिनट में। मुंह कटे हुए पड़े हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, चन्द्रकांता जी मेघवाल जो प्रस्ताव लाई हैं, यह प्रस्ताव आज गैर सरकारी दिवस पर आया है, कानून बनाने के लिए। यह सबसे बढ़िया प्रस्ताव है, इसके लिए चन्द्रकांता जी आपको बधाई। आपने कइयों की तो जवानी जगा दी, कइयों का बुढापा जगा दिया, कइयों में जोश आया है बहुत और कई सदन के सदस्यों की अन्तरात्मा भी जाग गई है कि गुटखा पर प्रतिबंध लगना चाहिए। शराब की बात तो मैं इसलिए नहीं करता कि प्रैक्टिकल बात करनी पड़ेगी, लग नहीं सकती। लगेगी तो नुकसान हो जाएगा। तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, उपाध्यक्षजी, गुटखा पर प्रतिबंध लगाने के ऊपर सब सदस्य, मैं, मेरी तरफ से बोल रहा हूं, मेरे सत्ता पक्ष की तरफ से, बाकी सब हारेंगे या जीतेंगे, वह तो अभी फैसला होगा, बाकी मेरी पार्टी जो स्टैण्ड लेगी, मुझे भी लेना पड़ेगा, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से आपके साथ हूं, गुटखा पर निश्चित रूप से इस विधान सभा को पार्टीबाजी से ऊपर उठकर प्रतिबंध लगाना चाहिए। कहीं पर कोई आदमी मर रहा हो, कोई आदमी रास्ते में घायल हुए पड़ा हो, हम इसलिए छोड़ कर चले जाएं कि हम फंस जाएंगे? क्या जिंदगी में सिर्फ राजनीतिक सफलता ही सब कुछ है? क्या सिर्फ इसलिए हम इस सदन में आए हैं कि, साहब, चाहे पूरा देश जलता रहे लेकिन हम तो किसी भी कीमत पर सच नहीं बोलते। फिर हमको भी यह राजस्थान माफ नहीं करेगा। इस गुटखा के मामले में तय करना चाहिए, प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से आया है लेकिन इस सदन में विपक्ष और पक्ष के अलावा एक और ड्यूटी है हमारी भी इस प्रस्ताव के प्रति, इस राज्य के प्रति, इस राज्य की जनता के प्रति जिन्होंने आपको देवदूत बनाकर भेजा है। कल

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

राजस्थान की जनता आपको बधाई देगी, धन्यवाद देगी, यदि आप गुटखा पर प्रतिबंध लगाओगे। मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्षजी, गुटखा को बिलकुल बंद करना चाहिए और पूरे सदन को एकमत से निर्णय लेना चाहिए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीया डा. परम नवदीप, दो मिनट से ज्यादा नहीं लें, क्योंकि इसमें अमैंडमेंट किसी का नहीं आया है इसलिए मैं इजाजत दे रहा हूं। बाकी प्रोसीजर है इसमें ...(व्यवधान) आपको उसके बाद। सब को बुलाऊंगा, आप चिंता मत करिए। हालांकि बोलने का अधिकार तो अपन ने खो दिया, अमैंडमेंट नहीं देकर। फिर भी इतनी अच्छी शुरूआत है। आप यदि आधे मिनट में, एक मिनट में, वही बात रिपीट करें तो सदन का समय भी जाया हो और रिजल्ट भी नहीं निकले, इसलिए कृपया बहुत संक्षेप में बात करें।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद माननीया सदस्या, आपका जो प्रस्ताव है, मैं आपको आपके प्रस्ताव के लिए बधाई देती हूं। इसका क्या हश्र होगा, उसका एक नमूना तो अभी आपने देख ही लिया। अभी भाई गुटखा पर तो प्रतिबंध लगाने को तैयार हैं, शराब पर नहीं। अब किस-किस की अन्तरात्मा जगाएं? मैं तो सदन में खड़ी हुई हूं बहन, आपकी बात को रिपीट करने के लिए, कम से कम राजस्थान का रिप्रजेंटेशन करने वाले 200 एमएलए, हम तो लें यह संकल्प कि हम नहीं लेंगे, है माद्दा तो खड़े हो जाओ। बहन, मैं आपके प्रस्ताव का समर्थन करती हूं। जिस-जिस की आत्मा जागती है तो लीजिए न संकल्प यहां पर आज सदन में खड़े होकर कि कम से आप न लें, आप यह नशा न करें। धन्यवाद, सर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इसके बाद में, इसके बाद में। वह खड़े हो गये, ...(व्यवधान) इसके बाद श्रवणजी। इसी तरह से संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): हां, बहुत संक्षेप में कहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संकल्प आज चन्द्रकांताजी ने लगाया है, वास्तव में सराहनीय है। मगर जैसा कि प्रताप सिंहजी खाचरियावास ने कहा है, 90 प्रतिशत लोग दारू पीने वाले हो गये हैं। क्या हम यह नहीं सोचें कि पूरा राष्ट्र दारू पीने लग गया तो पूरा राष्ट्र ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह किसी के पास सर्वे नहीं है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मतलब कम से कम यह सोच है।

श्री उपाध्यक्ष: आप तो अपनी बात बताओ।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): चाइना में पूरा देश अफीमची हो गया था लेकिन ऐसा प्रतिबंध लगा पूरे देश में अफीम के लिए। आज चाइना की क्या हालत हो गई? बिलकुल सुधर गया। हम कहते हैं कि आज का एक दिन राजस्थान की विधान सभा का हमने इस संकल्प पर जाया किया है। पूरा दिन गुजर रहा है, तो इस पूरे दिन का उपयोग तभी सार्थक है कि हम आज किसी न किसी एक चीज पर, जिस तरह से प्रताप सिंहजी ने कहा है, गुटखे पर प्रतिबंध लगे, इसी तरह से शराब पर, सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगना चाहिए या कोई ड्राइविंग करते हुए शराब पीता है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, समाप्त करें प्लीज।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो इतने एक्सीडेंट और मर्डर केस होते हैं, क्राइम बढ़ रहा है, वो सिर्फ शराब के कारण से बढ़ रहा है। मेरा मानना है कि आज जो संकल्प सदन में आया है, इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाएं।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): या कम से कम यह तो करें कि सार्वजनिक स्थलों पर ऐसा नहीं करें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सभी के अलग-अलग विचार हैं। मैं तो चाय भी नहीं पीता, बीड़ी-सिगरेट भी नहीं पीता, पान भी नहीं खाता, अण्डा भी नहीं, दारू भी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: गारंटी क्या है?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मेरा तो चाय का सपना भी अभी तक पूरा नहीं हुआ, मैंने कभी चाय भी नहीं पी। हम इस सदन में सबसे पहले संकल्प यह लें कि रिश्वतबाजी बंद कर दें, भ्रष्टाचार बंद कर दें सब ठीक हो जाएगा। यह तो संकल्प कोई लेता नहीं है। यदि यह ले लें तो सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, बजट बढ़ता जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: आप इसमें बताइए कुछ।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह सबसे बड़ा काम बता रहा हूं। यह नहीं कर रहे हैं। इसमें अधिकारी भी आ जाएंगे, कर्मचारी भी आ जाएंगे और जनता खुश हो जाएगी। यह काम करो। यह संकल्प लें कि आज कोई भी सदन में चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, एक रुपया भी जनता का बजट का खराब नहीं होगा, एक रुपया लेंगे नहीं और न लेने देंगे। अपने आप सब गुटखा खाने वाले ठीक हो जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, विराजिए। विराजिए, विराजिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): क्योंकि जिसके पास पैसे होंगे, धनराशि आएगी तो आवश्यकता बढ़ेगी, आवश्यकता बढ़ेगी तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। गुटखा बंद हो जाएगा अपने आप। लेकिन गुटखा तभी बंद होगा जब भ्रष्टाचार बंद होगा।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। नाथूरामजी, इसके बाद में प्लीज। वे पहले खड़े हो गये थे। एक मिनट।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): माननीय उपाध्यक्षजी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए धन्यवाद। माननीय सदस्या चंद्रकांता जी ने संकल्प पेश किया है वह बहुत सराहनीय है। मैं दो ही बात कहना चाहूंगा। अभी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कम से कम गुटखे पर रोक होनी चाहिए, मैं समर्थन करता हूं। गुटखे के साथ-साथ जर्दे पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। अभी गंगानगर से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि हम 200 सदस्य संकल्प लें। यदि 200 सदस्य संकल्प लेंगे तो पूरा राजस्थान ही संकल्प लेगा। लेकिन ऐसा होगा या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। शराब के अन्दर 13 हजार करोड़ की वार्षिक रेवेन्यू होती है, मेरे हिसाब से इसको सरकार पास नहीं कर पाएगी। मेरा आपसे निवेदन है कि गुटखा और जर्दे पर यह संकल्प पास होना चाहिए। सब सदस्य चाहें तो यह हो जाए, तो अपना राजस्थान सुधर जाएगा, अग्रणी राज्यों में आ जाएगा। कम से कम हैल्थ डिपार्टमेंट इससे बहुत आराम पाएगा, पूरा परिवार आराम पाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, माननीय नाथूराम सिनोदिया।

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, है तो कानून अच्छ्यो, पर पैली कई कानून लगा मेल्या है ब तो पार कोनी पड़ रह्या है। बाल विवाह पर थै प्रतिबंध लगा राख्यो है, पर आखातीज न सब परणीज रह्या है। ब

(श्री नाथूराम सिनोदिया)

पुलिस वाला कहवै है, म्हे कोनी परणाबा द्यां। तो ई गांव में कोनी तो सारला गांव में परणा देवां। बठै तो पुलिस बैठी है, पर दूजा गांव में जार परणा दे। तो बीड़ी पिबाळा मानसी कै, ए जार ओठा पी लेवै। गुजरात मां जारी है दारू रोज। इंदिरा गांधी को राज चलेगो नसबंदी मां, अर आज नसबंदी मतै करवा रह्या है। समझ मां आगी लोगां कै। समझ मां आयां रुकसी। आप-आपका मनां मां सुधर जावो सगळा। मैं कहवूं कि मैं न पीवूं, दारू भी न पीवूं, सिगरेट भी न पीवूं, बीड़ी भी नहीं पीऊं, जर्दो भी नहीं खावूं। आप-आपको प्रस्ताव ल्यो। कोई कोनी मानै। पैल्यां बाल विवाह न रोको। एमएलए साहब जावै तो कहवै कि मैं फोटो कोनी खिंचाऊं। क्यों? कहवै म्हारो फोटो मां नाम आ जावे, म्हारो टिकट कट जावै। पाछा सूं आंदळी दे देवै। एक बात बताओ, आ दारू तो खुद एमएलए पावै है। चुनाव के मायन गाड़ी की गाड़ी ल्यावो थे सब। क्यों पाओ थे दारू? बोलो, नहीं पावो तो?

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, विराजिए।

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): एक सरपंच चुनाव कोनी लड़ै। म्हारलो सरपंच है बो भी माथा पर ले जार कहवै, दारू पी।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए, नाथूरामजी।

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): कटारिया साहब, आ बात असत्य है के? कटारिया साहब तो भला आदमी है, अ पिबाळा कोनी। लेकिन ब नहीं पावै तो कार्यकर्ता पावैं ले जार। आप तो बैठे रहो, मैं ले जार देऊं पेटी में। तो कानून बणाबा की बजाय थै खुद ही सुधर जाओ तो सबकै फायदो हो जावै।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय प्रमिलाजी कुण्डारा। (व्यवधान) आप बोल लिये। माननीय सदस्या खड़ी हैं, आप संक्षेप में पिन पाइंट हो तो बता दो। (व्यवधान)

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): उपाध्यक्षजी, आज गैर सरकारी दिवस पर यह संकल्प पेश किया है, मैं यही कहना चाहूंगी कि शराब, तम्बाकू, पान, जर्दा ये सब बहुत ही नाशकारी चीजें हैं। कहा गया कि पहले सोमरस के नाम से शराब हुआ करती थी, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगी, आज कलियुग में यह मृत्युरस के नाम से जानी जाती है। देखने में आता है, हम ग्रामीण इलाकों में जाते हें तो महिलाएं इतनी परेशान हैं, दुःखी हैं, रो-रोकर हमसे यह पीड़ा कहती हैं कि रोजाना दारू पीकर आते हैं, मारते हैं, काम कुछ करते नहीं हैं।

(श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा)

नरेगा का पैसा जो उनको मिलता है वह भी उनसे छीन लेते हैं। तो बच्चों पर क्या असर होता है, उन माताओं या बहनों का क्या हाल हो रहा है? मैं कहना चाहूंगी गुटखा की बात की है माननीय सदस्य ने, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गुटखा से कैंसर जैसा भयंकर रोग होता है, अस्पतालों में प्राय: देखा जा रहा है। तो इस तरह का संकल्प पेश किया है, मैं इस संकल्प का समर्थन करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। यह कोई जनरल नहीं है, माननीय सदस्य। (व्यवधान) अगले में बोल लीजिए। माननीय राजेन्द्रजी पारीक, मंत्री महोदय, बोलना चाहेंगे?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नशा वास्तव में ही एक सामाजिक बुराई है और जिन परिवारों में इस तरह के लोग-बाग़ आदतन हो जाते हैं उन परिवारों की आर्थिक हालत, सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियां काफी विषम होती हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं इस बात को गम्भीरता से लेते हैं। राज्य सरकार को निश्चित रूप से इससे राजस्व मिलता है, लेकिन केवल राजस्व अर्जित करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम जिस चीज को रोकने की बात कर रहे हैं क्या वास्तव में उसको प्रभावी तरीके से रोक पाएंगे? राज्य सरकार 1 अप्रैल, 1980 को एक निर्णय हुआ कि राजस्थान में शराबबंदी होनी चाहिए। उसके बाद जो हालात बने- नैक्सस बने, संगठित गिरोह बने, शराब की तस्करी होने लगी, अवैध शराब निर्मित होने लगी और हालात ये हो गये कि जगह-जगह संगठित गैंगवार शुरू हो गई। राज्य सरकार के राजस्व की हानि हो रही थी और सामाजिक विद्वेष की ऐसी भावना खड़ी हो गई थी कि आपसी मनमुटाव के चलते जहां देखो वहां झगड़े होने लगे। तत्समय सरकार को मजबूरन अपना निर्णय वापस लेना पड़ा और 11 अगस्त, 1981 को शराबबंदी का प्रस्ताव राज्य सरकार ने वापस लिया। हरियाणा में भी लागू हुआ, आंध्र प्रदेश में भी लागू हुआ लेकिन वहां के हालात भी ऐसे के ऐसे ही बने, निर्णय वापस लिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सबको पता है, पूरा सदन इस बात को जानता है कि गुजरात में पूर्ण शराबबंदी है। लेकिन गुजरात में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद जितनी शराब गुजरात में जाती है, जितना कंजम्पशन गुजरात में होता है शायद उतना राजस्थान में भी नहीं होता। उनके सामने

(श्री राजेन्द्र पारीक)

यक्ष प्रश्न है कि इस अवैध आयातित शराब को कैसे रोकें। अधिकतर शराब राजस्थान के रास्ते गुजरात जाती है। क्या बंदी हो गई वहां पर? उन्होंने इस रूप में ले लिया और वे आंख बंद करके बैठे हुए हैं। शराब वहां पर खूब जा रही है। हर आदमी जानता है। वहां ईजीली शराब घरों में अवेलेबल है, लोगों को डिलीवर हो रही है। सरकार भी इस बात को जानती है। लेकिन एक निर्णय कर लिया। सारी बातों के बावजूद भी आज वहां पर संगठित गिरोह भी है, वहां पर लोकल शराब भी बनती है, कंट्री लिकर भी वहां पर बनती है और ये सारे हालात बनते हैं। वर्तमान समय माननीय मुख्य मंत्री महोदय की मंशा के अनुरूप हम पूर्ण शराबबंदी तो नहीं कर सकते लेकिन हम मद्य संयम की नीति अपना कर जहां तक कोशिश हो, इसमें कुछ नियम बनाएं, लोगों को कुछ प्रेरणाएं दें, ऐसा कुछ मोटिवेशन दें, ऐसे कुछ अवेयरनैस कैम्प लगाएं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हों और लोग इस बात को समझें कि जो काम वो कर रहे हैं वो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमने यह भी कर दिया, शराब की बोतल पर लिखा हुआ है कि शराब पीना हानिकारक है। मैंने कल आपको जानकारी दी कि जहां आईएमएफएल की 1800 दुकानें थीं, कम करके 1000 कर दीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहली बार इस पर वैट लगाया है। रेवेन्यू भी बढ़ी और हमको यह भी लगा कि वैट लगाने से इसकी कीमत बढ़ेगी तो लोग शायद इसको कम पिएंगे। लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि वैट लगाने के बावजूद जो ग्रोथ हुई है वो कल्पना के बाहर है। ज्यादा हो गई। इसका मतलब हम कीमत के जरिए रोकने की स्थिति में नहीं हैं। हम जितना प्रतिबंधित कर सकते थे, उतना किया। आज सुबह ही एक क्वेश्चन था कि बार लाइसेंस आपने कितने दे दिये। हमने बार लाइसेंस में इतनी-इतनी सख्तियां कर दीं कि जहां पहले दस लाख का टर्न ओवर और 5 लाख का सेल्स टैक्स से वैरिफिकेशन था, उसको बढ़ाकर हमने 15 लाख कर दिया, 10 लाख का सर्टिफिकेशन कर दिया। तब भी लोग नहीं रुक रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि इसको कानून के जरिए हम नहीं रोक सकते हैं। निश्चित रूप से यदि इसको रोका जाना है तो आदमी स्वयं इससे प्रेरणा लेता है, परिवार के कोई संस्कार होते हैं और उन संस्कारों का असर जब परिवार पर आता है तो निश्चित रूप से रूकती है। बाकी यह एक ऐसी सामाजिक बुराई है जिसके चलते परिवारों के वास्तव में हालात ऐसे बनते हैं कि बच्चे अनाथ हो जाते हैं, परिवार पलते नहीं हैं। शराब का नशा करने के बाद आदमी अपने

(श्री राजेन्द्र पारीक)

परिवार को नहीं पालता, पूरा पैसा शराब के नशे में उड़ा देता है। हम इसको कानून के जरिए प्रतिबंधित नहीं कर सकते।

सरकार ने जैसा शराबबंदी के मामले में किया वैसा ही तम्बाकू के मामले में भी किया है। सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित किया है कि आप वहां सिगरेट नहीं पिएं। सार्वजनिक बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उन पर भी ला के जरिए हमने यह कानून पारित कर दिया कि आप इन बिल्डिंग्स पर इस तरह के पोस्टर नहीं लगा सकते, वहां पर होर्डिंग्स नहीं लगा सकते, आप वहां पर कोई ऐसे बिल चस्पा नहीं कर सकते। तो कानून के जरिए तो हम सारी कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम असफल हैं। हमने इसके लिए नवजीवन योजना भी शुरू की ताकि नवजीवन योजना के माध्यम से हम लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि आप इस काम से विमुख होकर अच्छे काम में लगें। लेकिन हालात तब भी यही बन रहे हैं कि इसको हम कानून के जरिए नहीं रोक सकते। हां, सुनने में यह बात बहुत अच्छी लगती है। मैं पूरे सदन की भावनाएं जान रहा था, बात खूब अच्छी लगती है, स्वयं को खूब अच्छी लगती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो अक्षरश: पालन करने वाला आदमी हूं। किसी तरह का मैं नशा नहीं करता तो यह मेरी स्वयं की प्रेरणा है, संस्कार है। लेकिन कोई यदि करे तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं? इसलिए इसको सामाजिक बुराई हमको मानना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा कि इस बार 50 प्रतिशत वैट तम्बाकू पर लगाया है, तब भी लोग पी रहे हैं। सिगरेट भी पी रहे हैं, गुटका भी खा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि गुटके और तम्बाकू के पैकेट पर बिच्छू का चित्र बना रहता है, मौत के सिम्बल उस पर बने रहते हैं। वो आदमी रोज अपनी मौत को देखता है फिर भी इसका सेवन कर रहा है। केवल लोगों को प्रेरित करके, लोगों में मोटिवेशन करके, लोगों में अवेयरनैस करके और परिवार स्वयं यह निर्णय कर ले कि हमको यह नहीं करना है, तभी सम्भव है। बाकी तो शेरो-शायरी दोनों तरफ से काफी अच्छी हुई, ये शेरो-शायरी सुनने में तो अच्छी लगती है लेकिन मुझे एज ए मिनिस्टर बोलना जरूरी है।

सहर का वक्त है जाम में शराब नहीं,
जो तौबा की तूने तो

(श्री राजेन्द्र पारीक)

घटाओं ने आकर घेर लिया,

जो तौबा तोड़ी तो मयखाने में शराब नहीं।

इसलिए ये सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन हमको इसको सिन-गुड्स में मानना चाहिए, सामाजिक बुराई मानना चाहिए। हमको कोशिश करनी चाहिए, यदि हमारी कोई बात माने तो हमको उसको प्रेरित करना चाहिए कि आपको इस शराब के नशे से, गुटके के नशे से, जर्दे के नशे से विमुख होना चाहिए। जो परिवार हमारी सलाह मानें उन परिवारों को सलाह देनी चाहिए। सदन में आप इतने लोग सुन रहे हैं, आप यदि सुनकर कोई प्रेरणा लेकर जा सकते हैं तो कोई पाबंदी नहीं है, न आपको खड़े होने की जरूरत है। मन में संकल्प लेकर जाएं कि हम इस बुराई से दूर रहेंगे, हम इस बुराई से बचेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं। संकल्प लेना और संकल्प पारित करना, यह कोई इसकी सफलता का राज नहीं है। सफलता इसी में है कि हम जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, हम कोशिश करें, लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को जाकर प्रेरणा दें कि ये ऐसी बुराइयां हैं जिनसे हमको दूर रहना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्या श्रीमती चन्द्रकांताजी मेघवाल ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है कि प्रदेश में सरकार शराब, गुटका, जर्दा, पान मसाला आदि पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाएं, उसके जरिए इस सदन में बहुत ही अच्छी और ज्ञानवर्धक चर्चा हुई। चन्द्रकांताजी यदि चाहें तो इस संकल्प को वापस कर लें क्योंकि आपके संकल्प के माध्यम से जो मैसेज आपको सदन के माध्यम से देना था, वो दिया जा चुका है।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): संकल्प को वापस तो नहीं लूंगी, दुबारा यही आग्रह करूंगी कि कम से कम जो स्कूल छात्र हैं, जो हमारे सरकारी कार्यालय हैं वहां तक तो यह पान मसाला, गुटका इन सब पर पाबंदी लगाने के लिए कुछ निर्णय लिया जाए। मैं वापस नहीं ले सकती संकल्प।

श्री उपाध्यक्ष: वो तो नियम में है। आलरैडी है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): स्कूलों के बाहर गुटके की दुकान नहीं खुलेगी, 18 साल के बच्चों को शराब की बिक्री नहीं होगी, ये नियम आलरैडी हैं। ये सब नियमों में हैं इसके बावजूद भी आप सब हकीकत जानते

(श्री राजेन्द्र पारीक)

हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्कूलों के बाहर आप गुटके की दुकान नहीं खोल सकते, 18 साल से कम आयु के बच्चे हैं उनको आप शराब की बिक्री नहीं कर सकते, गुटका आप उसको नहीं दे सकते, जर्दा आप उसको नहीं दे सकते।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): उपाध्यक्ष महोदय, यह जन-जागरण का विषय है। हम कहते हैं कि मृत्युभोज नहीं होना चाहिए लेकिन वो हो रहा है। हम लोग कहते हैं कि बाल-विवाह नहीं होना चाहिए लेकिन बाल-विवाह हो रहा है। जहां जाते हैं वहां कहते हैं उसके बावजूद भी हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, अब इस शराब को बंद करने की बात आ रही है, वो समाज जिसके अन्दर यह वर्षों से चला आ रहा है उसके अन्दर यह सामाजिक बुराई है, लेकिन वो समाज इसको अडाप्ट कर रहा है जिसके अन्दर उसकी तरफ देखना भी गुनाह था। वह समाज इसको अपनाता जा रहा है तो यह बंद होने का कोई अर्थ ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: चर्चा समाप्त हो चुकी है। चर्चा समाप्त हो चुकी है, माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): इसके लिए अपने तो यहां संकल्प यह पारित होना चाहिए कि गुटका बुरा, शराब बुरी, तम्बाकू भी बुरी, सब बुरी और इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करें।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजें। माननीय चन्दकांताजी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): कम से कम साहब गुटके, जर्दे पर तो बिलकुल पाबंदी लगा सकते हैं, मेरा यह निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: वो कानून है। आप तो अपनी बात बताइये कि आप क्या कर रहे हो।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): आप देखिए कि टीचर स्कूल में शराब पीकर जाते हैं, मैंने खुद देखा है।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए। वो कानून तो है लेकिन आप विराजिए।

प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल, सदस्य, विधान सभा ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

संकल्प अस्वीकार किया गया।

माननीय अनिलजी जैन। (अनुपस्थित) श्री प्रभुलालजी सैनी। माननीय प्रभुलालजी सैनी। आपको शायरी करनी हो तो मौका आ गया, बाकी पहले उनको बोलने दीजिए।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में निजी संकल्प पर चर्चा हो रही है...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय अब्दुल सगीर खांजी, कृपया प्रभुलालजी को बोलने दें।

पत्रकारिता पर प्रेस परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पालना हेतु केन्द्र सरकार को सिफारिश

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): उपाध्यक्ष महोदय, सदन में अब तक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका पर चर्चाएं होती रही हैं पर न्यायपालिका और चौथे स्तम्भ मीडिया के सम्बन्ध में निजी संकल्प के माध्यम से चर्चा में अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं वाल्टेयर जी के शब्दों को प्रस्तुत करके अपनी बात को आगे बढाऊंगा'', ''हो सकता है, मैं आपके विचारों से सहमत न होऊं, फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा।'' अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की मूल आत्मा है और लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र क्या होगा, हमारे संविधान में क्या व्यवस्था होगी, तो अब्राहम लिंकन ने कहा, ''Government of the people, for the people and by the people." यानी जनता का राज जनता के लिए होगा, जनता के द्वारा किया जाएगा। संविधान में व्यवस्था की गई कि सरकार के तीन अंग होंगे- कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका और चौथे अंग के रूप में मीडिया ने पार्टिसिपेट किया जनता के बीच में और सरकार के बीच में। मीडिया एक सेतु का काम करता है और लोकतंत्र में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में समुचित ढंग से कार्यवाही नहीं हो पाती हो, तब लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ मीडिया को अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए।

(15.40 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

(श्री प्रभुलाल सैनी)

चौथे स्तम्भ के रूप में मीडिया अपनी नकारात्मक भूमिका को सकारात्मक भूमिका में परिवर्तित करके यदि सशक्त तरीके से पेश करता है तो निश्चित रूप से उतना ही अधिक सकारात्मक परिवर्तन होता है।

माननीय सभापति महोदय, एक विद्वान ने अपने विचार व्यक्त किये, उसमें कहा, समाचार-पत्र, मीडिया जनता की संसद है जिसका अधिवेशन सदा चलता है। इस समाचार रूपी संसद का कभी भी सत्रावसान नहीं होता है यानी 12 घंटे, रात और दिन। चौथा स्तम्भ अपना काम करता है लोकतंत्र की रक्षा के लिए और आम जनता को जाग्रत करने के लिए। सरकार की योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए और प्रदेश में जो कमियां हैं उनको उजागर करने के लिए चौथा स्तम्भ काम करता है, उस पर आज सदन में चर्चा हो रही है।

पत्रकारिता एक मिशन है, मीडिया एक धर्म है और व्यवसाय उसका कर्म है। यदि मीडिया अपने कर्तव्यों को अपने कर्म और धर्म से जोड़कर काम करता है तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि चौथा स्तम्भ समाज का एक दर्पण है। समाज के दर्पण से तात्पर्य है कि आइने के सामने जो भी जाएगा, शक्ल उसकी वैसी की वैसी नजर आएगी। आइना झूठ नहीं बोलता है। जब आइना झूठ बोलता है तो फिर वह आइना नहीं होता है, वह आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद की ओर बढ़ जाता है। सभापति महोदय, मेरा तात्पर्य यह है कि मीडिया चाहे इलेक्ट्रोनिक हो चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे ब्राडकास्टिंग मीडिया हो, सबका अपना-अपना धर्म है। जहां तक समाचारों की बात है, कोई भी समाचार प्रिंट मीडिया में छपता है तो 6.86 करोड़ लोग प्रातः उसको पढ़ते हैं और उस पर विश्वास करते हैं कि यह चौथे स्तम्भ ने इसको लिखा है, निश्चित रूप से इस प्रकार की कोई घटना घटी होगी, इस प्रकार की व्यवस्था बनी होगी। इसलिए चौथा स्तम्भ अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है...

(15.43 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आंतरिक लोकतंत्र मीडिया में आवश्यक है। यह मैं नहीं कह रहा हूं। अन्तरराष्ट्रीय मीडिया, देश का मीडिया और प्रदेश का मीडिया, इनके प्रमुख हाउस, उन्होंने स्वयं माना है। धीरे-धीरे मीडिया में कुछ विकृतियां आने लगी हैं। पेड न्यूज का प्रभाव बढ़ने लगा है।

(श्री प्रभुलाल सैनी)

यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह मीडिया स्वयं ने कहा है। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि कोई भी पत्रकार चाहे वह इलेक्ट्रोनिक मीडिया का हो, चाहे प्रिंट मीडिया का हो, कभी भी मीडिया के जर्नलिस्ट को अपने व्यक्तिगत समाचार से नहीं जोड़ना चाहिए। समाचार उसकी प्रापर्टी नहीं है, उसका काम तो यथार्थ चित्रण है। जो है वैसा उसको लिखना है, यह मीडिया का असली काम है। यदि जर्नलिस्ट के मन में नि:स्वार्थता है, जवाबदेही है, पारदर्शिता है, ईमानदारी है, विश्वसनीयता है और यदि समाचार की आब्जेक्टिविटी है, वस्तुनिष्ठता है तो निश्चित रूप से चौथा स्तम्भ अपने नैतिक दायित्व के साथ-साथ सामाजिक संरक्षण की दिशा देने का काम भी करता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अमेरिका के चीफ जस्टिस लार्ड नोलन ने अन्तरराष्ट्रीय प्रेस वार्ता में कहा कि Media have seven principles. पहला उन्होंने बताया सैल्फलैसनैस, फिर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, आनेस्टी, लायल्टी, ओब्जेक्टिविटी और इंटेलीजेंसी। ये सात बातें मीडिया यदि अडाप्ट करता है तो निश्चित रूप से एक आइने के रूप में मीडिया काम करता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी ने मीडिया के तीन सूत्र बताये, उन्होंने कहा, समाचार पत्र का पहला उद्देश्य जनता की इच्छाओं और विचारों को समझना और उन्हें व्यक्त करना है। उन्होंने दूसरा उद्देश्य बताया, जनता की वांछित भावनाओं को जाग्रत करना। और तीसरा उन्होंने बताया, सार्वजनिक दोषों को निर्भयतापूर्वक प्रकट करना, यही मीडिया का वास्तविक धर्म है, यह महात्मा गांधीजी ने कहा है। मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहूंगा, पत्रकार क्रांतिकारी मूल्यों का सृजक होता है और उसकी जागरूकता एवं सहिष्णुधर्मिता इतिहास निर्माण की दिशा में एवं समाज रचना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य होता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मीडिया कितना ताकतवर है, मीडिया की कितनी ताकत है? तीनों स्तम्भ उसकी तरफ देखते हैं। मीडिया यदि जवाबदेह नहीं हो, मीडिया यदि वास्तविकता से दूर रहा हो तो मैं कहना चाहूंगा, अकबर इलाहाबादी, सबने उनके शेर पढ़े हैं, मैं शेर नहीं पढ़ रहा, उन्होंने क्या कहा, वह मैं कहना चाहूंगा। ''खींचो न कमान, न तलवार, जब तोप मुकाबिल हो तो अख़बार निकालो।'' आपको तलवार की जरूरत नहीं, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपको तोप की जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: आपका समय पूरा हो गया है, 15 मिनट हो गये हैं।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): नहीं, अभी तो मैं शुरु भी नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष: इसमें समय निश्चित है।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): चलो, मैं शार्ट करता हूं इसको।

श्री उपाध्यक्ष: हां, समाप्त करिये।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): ...नेपोलियन बोनापार्ट ने मीडिया के लिए क्या कहा? दुनिया में दो ही चीजें ताकतवर हैं...

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये इतना अच्छा बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप डिस्टर्ब करोगे उनको? ये डिस्टर्ब होंगे आपसे। ये गांव के हैं।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): उपाध्यक्ष महोदय, इतना अच्छा बोल रहे हैं, इनको एक घंटे का समय दीजिये, सर। एक घंटे का समय दीजिये, आप-हम सब लोग सुनेंगे इनको। इतनी बढ़िया बात बोल रहे हैं, पत्रकारों के लिए बोल रहे हैं।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): नहीं, मैं रिक्वैस्ट कर लूंगा आपसे। आप विराजो। मुझे पता है, मुझे समय मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष: इसमें क्या कह रहे हैं? इससे ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): आपकी इजाजत हो जाए तो दे सकते हो आप। दे दो आप तो।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): समय इतना तो दें कि विषय को कम्प्लीट कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष: फिर भी आपकी सिफारिश दो मिनट के लिए मान ली जाएगी।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप काफी गम्भीर हैं। मैं निवेदन कर रहा था, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि दुनिया में दो ही चीजें ताकतवर हैं- पहला कलम और दूसरा तलवार और अंततः तलवार हारती है, कलम जीतती है। फिर उन्होंने आगे और कहा, मैं चार बटालियनों से नहीं डरता हूं, मैं डरता हूं तो चार अखबारों से डरता हूं। यह नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा।

(श्री प्रभुलाल सैनी)

मानननीय उपाध्यक्ष महोदय, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जेफरसन ने कहा, ''Newspaper without government and the government without the news-paper," दोनों में से यदि मुझे चुनना पड़े तो मैं चुनूंगा, ''Newspaper without the government" मेरी पहली प्राथमिकता होगी। यानी पूरे विश्व में समाचारपत्रों का, मीडिया का लोकतंत्र में कितना महत्व है, यह मैं जानकारी देना चाहूंगा। लेकिन मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, अन्तरराष्ट्रीय पत्रकारिता में और हमारी प्रदेश की पत्रकारिता में रात और दिन का अंतर है। हमारे प्रदेश की पत्रकारिता मर्यादित है, संयमित है और अपने देश को, प्रदेश को समझने का काम करती है।

अमेरिका के एक राजनयिक थे और जो अच्छे डिबेटर थे, उन्होंने कहा था, ''An Editor is someone who separate the wheat from the chaff and print the chaff" उन्होंने अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर कहा कि एक एडिटर दिन भर में गेहूं निकालता है भूसे से, लेकिन गेहूं को नहीं छापता है और भूसे की खबर शाम को छपती है। यह अन्तराष्ट्रीय स्तर के डिबेटर ने कहा है। उसने यह भी कहा...

श्री उपाध्यक्ष: संक्षिप्त करें।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): हां, बस संक्षिप्त ही हो रहा है मेरा। एल्बर्ट हर्बर्ड ने कहा, "An Editor, a person employed by the Newspaper whose business is to separate the wheat from the chaff and to see the chaff is printed." यानी हमारा जो लोकतंत्र है, इस देश का लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मीडिया ने इस लोकतंत्र की मर्यादा को पूरी तरह बचाये रखा है। अब मैं मेरी बात को संक्षेप में करता हुआ आपसे निवेदन करना चाहूंग हमारे देश के जाने-माने पत्रकार पी. साईनाथन राजेन्द्र माथुर स्मृति व्याख्यान में नई दिल्ली में अपना उद्‌बोधन दे रहे थे, और 2007 में बाम्बे में उसी दिन लैक्मे फैशन शो आयोजित किया जा रहा था। उस लैक्मे फैशन शो में सूत से बने, कपास से बने, काटन से बने कपड़ों का प्रदर्शन होना था, डिस्प्ले होना था। दूसरी तरफ विदर्भ में कपास के किसान आत्महत्याएं कर रहे थे। 514 अन्तरराष्ट्रीय पत्रकार तो पहुंचे उस फैशन वीक शो को देखने और किसानों की आत्महत्याएं विदर्भ में हो रही थीं वहां पर कवरेज करने पहुंचे 6 लोग, 6 मीडिया। यानी इस देश का 75 परसेंट, किसान जो गांवों में रहता है, भूख, गर्मी, प्यास सहता है, वह यदि आत्महत्या कर रहा है, यह समाचार नहीं है। किसी कुत्ते ने आदमी को

(श्री प्रभुलाल सैनी)

काट खाया, यह समाचार नहीं है। यदि आदमी ने कुत्ते को काट खाया तो मुख्य समाचार, मुख्य लीड। (व्यवधान) यानी मेरे कहने का तात्पर्य यह हुआ, ऐसे पत्रकार पी. साईनाथन को मैग्सेसे मिल रहा है....

श्री उपाध्यक्ष: आप कृपया ऐसे शब्द का उपयोग नहीं करें जिससे सदन में गर्माहट आ जाए।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): मेरा एक भी शब्द अब मैं बोलूंगा, मेरा नहीं बोल रहा हूं। मैं अभी आपको कोट कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: चर्चाएं शुरू हो गईं इसलिए अब...

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): अब मैं अंत में आपसे कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, चौथा स्तम्भ देट इज काल्ड, कहा जाता है, संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, प्रेस को स्वतंत्रता है, बिलकुल है स्वतंत्रता, होनी भी चाहिए। जब तक निर्भीक पत्रकारिता नहीं होगी तब तक सही तथ्य सामने नहीं आ सकते। लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, आप भी वकील हैं, आर्टिकल 19...

श्री उपाध्यक्ष: किसने कहा?

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): मैं कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मैं तो उपाध्यक्ष हूं।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): मैं जानता हूं आपको। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्लाज 1 यह बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चाहे वह मीडिया हो, चाहे वह आदमी हो, चाहे वह नागरिक हो, इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का वह संविधान की धारा प्रोटेक्शन करती है। हमको संरक्षण देती है और मीडिया को भी उसी में संरक्षण मिला है। लेकिन यदि उसका वायलेशन होता है तो उसके प्रावधान जो एक सामान्य नागरिक के लिए हैं, उसी प्रकार उनके लिए भी होते हैं। मेरे दो विषय थे संकल्प के जिन पर संक्षेप में दो लाइन कहूंगा आपको। मीडिया का सकारात्मक समाजोन्मुखी सोच, उस पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में राजस्थान के प्रमुख अख़बार, हिन्दी के जो प्रमुख अख़बार हैं, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि पूरे राजस्थान में एक क्रांति पैदा कर दी। उन कामों से प्रमुख हरियालो राजस्थान के नाम से

(श्री प्रभुलाल सैनी)

आयोजित था, एक मुट्ठी अनाज के नाम से आयोजित था, जागो जनमत के नाम से था, परिण्डा बांधने के कार्यक्रम थे, पानी बचाओ अभियान था, अमृतम जलम् कार्यक्रम था, विवाह पंजीकरण कार्यक्रम थे, ब्लड डोनेशन कैम्प थे, ड्राइविंग लाइसेंस थे, यानी ये सारी की सारी चीजें सामाजिक सरोकारों को आगे बढ़ाने के लिए मीडिया ने कीं। उसका इतना लाभ हुआ कि इलेक्शन में जब वोट हुए तब मतदान प्रतिशत में भी उसका असर हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, जैसे गुटखे पर चर्चा चल रही थी, मैं तो मीडिया से आह्वान करना चाहूंगा कि मीडिया सामाजिक सरोकारों के दायरे में ऐसे बिन्दु भी जोड़े और जगह-जगह इस प्रकार के कैम्प आयोजित करे। एक मिनट, अंत में मैं निवेदन करना चाहूंगा, कि मीडिया की खबरों को माननीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने बहुत गम्भीरता से लिया है और स्वप्रेरणा से आईपीएल दर्ज हुई हैं। आपने देखा होगा अभी जोधपुर की घटना, बेटे को हक दिलाया। दूध में मिलावट, तरकारी में सेंधमारी, इस प्रकार के समाचार को सर्वोच्च और उच्च न्यायालय ने भी तवज्जोह दी है। आपको जल्दी है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा मेरी तरफ से...

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, बिरलाजी दुःखी हो रहे हैं।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): बस संकल्प, संकल्प। नहीं, बिरलाजी कहां जाएंगे, हिंदुस्तान में रहना है इनको। एक घंटा पड़ा है न, कोई पांच मिनट इनका ही थोड़े ही बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, समय हो गया न।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): मैं जो संकल्प की बात लेकर आया हूं, इसके पीछे मेरा एक ही लाजिक है, माननीय, कि इस देश में प्रेस के लिए इण्डियन प्रेस कौंसिल बनी हुई है और इण्डियन प्रेस कौंसिल में ये प्रोविजन्स दिये गये हैं....

श्री उपाध्यक्ष: प्रेस कौंसिल आफ इण्डिया है।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): हां। पत्रकारिता के व्यावसायिक मापदण्डों को बनाये रखना है उसका दायित्व। दूसरा सिविल कोर्ट में सम्पूर्ण अधिकार, कि दण्ड की शक्तियां उसके पास नहीं हैं, आत्मानुशासन कायम रखने में बाधाएं आ रही हैं। न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू ने कहा है कि प्रेस परिषद

(श्री प्रभुलाल सैनी)

को दण्ड शक्ति दी जाए, कि पेपर टाइगर विद रबर टीथ। यानी मैं बैठा तो हूं, मैं कागज का शेर हूं लेकिन मेरे दांत रबर के हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। I can't do. तो यह संकल्प इसलिए लेकर आये हैं कि आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से मीडिया जो आज का दर्पण है, इसमें पेड न्यूज सम्बन्धी प्रकरण आये हैं, दूसरे मामले हैं, मीडिया ने खुद अपने आडिटोरियल में लिखा है, इस पर सुधार करने की जरूरत है। इलेक्ट्रानिक मीडिया जो है, इन्होंने भी अपने ये बनाये हैं। लेकिन मैं आज सदन के माध्यम से संक्षेप में मेरे सुझाव संकल्प के रूप में निवेदन करना चाहूंगा। हम उम्मीद करते हैं कि समकालीन सामाजिक समस्याओं के लिए मीडिया स्वयं समस्या नहीं, समाधान बने, नम्बर वन। प्रदेश में पत्रकारिता विश्वविद्यालय खोलने की बजट में घोषणा की है, यदि क्रियान्विति पूरी होती है तो विश्वविद्यालय ऐसे प्रशिक्षित पत्रकार तैयार करेगा जो सही अर्थों में सामाजिक सरोकारों को पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से निर्वहन करेगा। नम्बर तीन, प्रेस कौंसिल आफ इण्डिया की तरह राजस्थान में प्रेस कौंसिल आफ राजस्थान का गठन होना चाहिए ताकि आंतरिक स्वशासन की स्थापना हो सके। हर समाचार पत्र का भी एक स्वतंत्र लोकपाल इनके स्वयं के स्तर पर बनना चाहिए। सूचना सम्पन्न समाज ही सही अर्थों में विकास कर सकने में सक्षम है, इसका दायरा बढ़ाना चाहिए। यह सदन समाचार पत्रों के मालिकों, संगठनों और मीडियाकर्मियों से यह भी अपील करता है कि वे चौथा स्तम्भ होने के नाते एक ऐसी स्वनियंत्रित व्यवस्था निर्मित करें ताकि समाज में स्वस्थ एवं रचनात्मक पत्रकारिता को प्रोत्साहन मिल सके। हम मीडियाकर्मियों से भी यह अपेक्षा करेंगे कि वे अफवाहों, अपुष्ट समाचारों को प्रकाशित करने से पहले संयम बरतें। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो मुझे समय दिया, निश्चित रूप से जो सदन में मेरे भाई बैठे हैं, यह कोई राजनीतिक विषय भी नहीं है, यह सबका विषय है, पूरे देश का विषय है, प्रदेश का विषय है, मैं समझता हूं, सब गम्भीरता से यह विचार करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री फूलचन्दजी भिण्डा। माननीय, इनके बारे में कुछ पिन पाइण्ट बात हो तो फरमाइये।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय उपाध्यक्षजी, यह जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, उसके समर्थन में मैं कुछ बातें निवेदन करना

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

चाहता हूं। संविधान में तीन व्यवस्थाएं हैं- विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, तीनों के बारे में समाज में जो धारणा बनी है, वह कमजोर हुई है। लेकिन प्रजातंत्र का जो चौथा खम्भा है, चौथा स्तम्भ माना जाता है प्रेस को, मीडिया को, उसके प्रति भी समाज में अश्रद्धा पैदा हुई है। अगर चारों ही स्तम्भों का ह्रास किसी न किसी कारण से हुआ है तो निश्चित तौर पर यह देश और समाज के लिए और भविष्य के लिए कष्टकारक होगा, ऐसा मैं मानता हूं। एक उदाहरण के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, आज हम किसी भी काम के लिए जाते हैं, उद्‌घाटन-समापन जो भी है, उसमें व्यक्ति ने क्या कहा समाज के लिए, यह गौण है। किसने दीपक जलाया, किसने माला पहनी, यह अगर मीडिया में आ गया तो फिर सामाजिक सरोकार समाप्त हो गया। वहां कोई टिप्पणी की गई, केवल एक वाक्य को, उदाहरणतः टोंक में हमारे माननीय शिक्षा मंत्रीजी गये थे, उन्होंने यह कहा था कि भई निराश मत हो, बच्चों को यह कहा, वह स्कूल का मामला था इसलिए बच्चों को उन्होंने इस नाते ही कहा कि तुम निराश मत हो। अगर रिजल्ट कमजोर पड़ता है तो भी निराश मत हो। उदाहरण हालांकि उन्होंने गलत दिया था लेकिन उसको मीडिया

(16.00 बजे)

ने बिलकुल प्रमुखता से छापा कि गजनी ने 16 बार युद्ध हारने के बाद 17वीं बार फतह किया। उदाहरण दिया, उसको मीडिया ने आधार बनाया। तो यह समाज को दिशा नहीं जाती। मीडिया चौथा स्तम्भ है, चैक एण्ड बैलेंस के रूप में भी हम मानते हैं आधुनिक युग में। चैक एण्ड बैलेंस संविधान का भी है, सरकार का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और उसमें मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है, यह मैं मानता हूं। लेकिन अगर सामाजिक सरोकार का दृष्टिकोण कमजोर होता है, समाज में इसके कारण से विकृति आती है कि किसी ने अख़बार की न्यूज पढ़ी और वैसा ही कर दिया उन्होंने- चाहे उसने बाप की हत्या की हो, चाहे पत्नी ने पति की हत्या की हो या आत्महत्या की हो, ये जो इस प्रकार की बातें आती हैं इससे समाज को हमें बचाना जरूरी है। कार्यपालिका, विधायिका सबका दायित्व बनता है। हम चारों मिलकर प्रजातंत्र को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, दुनिया की जितनी भी पद्धति हैं उनमें इसे श्रेष्ठ घोषित करना चाहते हैं तो जरूरी है कि चारों मिलकर चलें। मैं यह नहीं कहूंगा कि कानून बनाएं प्रेस के लिए। लेकिन आत्मनुशासन के रूप में वे अपना कानून बनाएं, अपनी मर्यादाएं तय करें। उससे समाज को लाभ होगा। उससे व्यवस्था को भी

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

लाभ होगा। और उसके कारण से उनके प्रति समाज की भी श्रद्धा बढ़ेगी और हमारे प्रति भी बढ़ेगी। आज इस सदन में बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही गई हैं, उसको हाइलाइट नहीं करके किसी ने टोकाटोकी कर दी, वह प्रेस में आकर समाचार बनता है तो उसका लाभ समाज को नहीं होता है। इस कारण से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह संकल्प है, इसके बारे में हमारा यह सदन कोई व्यवस्थित कमेटी बनाकर इस संकल्प को व्यवस्थित करे। आपने समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री अब्दुल सगीर खांजी। आप पहले बोल लिए थे लेकिन अब आपकी इच्छा है।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): Hon'ble Deputy Speaker Sir, I would not take much of time. I will just restrict myself to certain points. Hon'ble Deputy Speaker Sir, I have heard the debate over this issue. I would applaud the role of the press, the electronic media and the media itself. The exposures about the Politicians, the scam that is the credit which goes to the press and the electronic media and if you bring about the resolution saying that there should be certain restrictions on the press and the electronic media, I would say that the democracy in India itself will collapse. It is because of the media, it is because of press and it is because of the electronic media today that the scams in the country have been exposed. It is because of the media that the sting operations have been conducted and carried out and the Politicians have been exposed. They should be given full liberty and freedom. They should restrain themselves at their own. There should be no restrictions. The Constitution has given liberty, freedom of expression to individual, to the press, to everybody, to every citizen in India and we the Politicians are scared of the press because they are watch dogs. They are watching what is happening and they are reporting it in the press and we people are scared of it. And that's why we want to bring about a resolution saying that there should be restrictions on their liberty. Not at all. I do not stand in favour of restrictions to be imposed on them. I would simply like themselves to restrain if they can and the Law of the Land is there, if they commit any offence, they will be brought to book by the law of the land. So there is no need of placing any restriction on the press and I applaud the Indian press, the electronic media, the applaudable job that they have done recently and I salute them and the media of India and the electronic media have to be respected. That's it.

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा विषय माननीय प्रभुलालजी ने उठाया है। निश्चित रूप से मीडिया पर हम सब लोगों को चर्चा करनी चाहिए और उसके प्रोस एण्ड कास पर विचार

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

करने का एक संकल्प सदन को पास करना चाहिए। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मीडिया का प्रतिबंध हमारे देश में एक बार लगा था आपातकाल के समय, उस वक्त मैं स्वयं भी जेल में था। जिस प्रकार से सेंसरशिप होकर खबरें आती थीं, सारा मीडिया डरा हुआ था। उसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हमारे राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र में हुआ। जिन लोगों ने सेंसरशिप लगाई थी उन लोगों के पास भी खबरें छन-छनकर पहुंचती थीं। जी हुज़ूरी की खबरें पहुंचती थीं। उन जी हुजूरी की खबरों का असर यह था कि श्रीमती इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थीं और कांग्रेस का उत्तर भारत में पूरा सफाया हो गया था।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप एक बार विराजिए। इसमें, देखिए, हम संकल्प तक सीमित रहें। यह संकल्प आप दुबारा पढ़ लीजिए, 'यह सदन संकल्प करता है कि पत्रकारिता (चौथे स्तम्भ) का दायरा बढ़ाने एवं आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद पर बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर प्रेस काउंसिल आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पालना सुनिश्चित कराने हेतु' यह शब्द है, कृपया वहां तक ही रेस्ट्रिक्ट रहें।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): मैं वहीं आ रहा हूं। यह ऐतिहासिक तथ्य है, इसमें किसी भी पक्ष को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष: जो भी है। नहीं, पक्ष का सवाल नहीं है, संकल्प का सवाल है।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): पार्लियामेंट ने यह तय किया कि आगे से भविष्य में आपातकाल नहीं लगेगा। प्रेस पर सेंसरशिप नहीं लगेगी और प्रेस स्वयं में अनुशासित रहकर अपने कार्यों को स्वयं देखेगी। इस प्रकार की पार्लियामेंट ने व्यवस्था की है कि प्रेस काउंसिल आफ इण्डिया के माध्यम से वह अपने स्वयं के कार्यों को देखे, अपने स्वयं को अनुशासन को देखे। मैं समझता हूं कि यदि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को मीडिया की किसी खबर पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो निश्चित रूप से प्रेस काउंसिल में जाना चाहिए। लेकिन अधिकांश लोग मीडिया के डर की वजह से कि वह गलत-सलत छापेगा, छोटी-मोटी छाप देगा, चार लाइनें छापेगा, बड़ी लाइनें और छाप देगा, बड़ी खबरों में कुछ और देगा और नीचे चार लाइन का

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

खण्डन दे देगा और प्रमुखता से अपनी न्यूज दे देगा, इस प्रकार की कई बातें हैं। स्वयं मीडिया को अनुशासित रहने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि आजकल मीडिया में भी इतना बड़ा काम्पीटिशन हो गया आपस में, इतने अख़बार, इतने चैनल्स और इतनी बातें हो गईं कि सत्यता की सब खबरें अपने आप आ जाती हैं। एक अख़बार कुछ लिखेगा। दूसरा अख़बार कुछ लिखेगा, एक पत्रकार कुछ लिखेगा, दूसरा पत्रकार कुछ लिखेगा। जिस प्रकार से आपने देखा कि चुनावों से पूर्व सर्वेक्षण आते हैं, इसके इतने सर्वेक्षण, उसके उतने सर्वेक्षण, इतने सर्वेक्षण, बारह बजे तक तो कोई जीत रहा है, एक बजे बाद कोई जीत रहा है, दो बजे बाद कोई जीत रहा है, चार बजे सारे हारकर एक साथ जीतने की तैयारी हो जाती है। तो ये सब बातें जनता देख रही है और जनता को मालूम है कि कितनी सैंसेशनल खबरें मीडिया में आ रही हैं। आती-आती वह और डाउन हो जाती है, फिर वह सेंसेशनल बन जाती है। वैसे ही स्वयं समाज अपना निर्णय करे, स्वयं व्यक्ति अपना निर्णय करे। कई पत्रकारों से मेरी बात हुई है कि हम पेपर में ज्योतिष की खबर भी छापते हैं, आप ज्योतिष क्यों नहीं देखते हो? हम अच्छे संतों के वचन भी छापते हैं, वह क्यों नहीं देखते हो आप? हम जो है प्रवचन भी छापते हैं, वह क्यों नहीं देखते हो? हम लेख छापते हैं, वह क्यों नहीं देखते हो? हम विभिन्न प्रकार के विषयों पर सामग्री देते हैं बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, कालेज छात्रों के लिए, वह क्यों नहीं देखते हो? अब आपकी नजर केवल ऐसी खबरों पर जाती है सैंसेशनल। उसको मत देखो आप। हमारा अख़बार या हमारा मीडिया सभी ख़बरें देता है, आप सारे पेज देखिए। जिसमें इंटरेस्ट हो वह देख लीजिए। जिसकी जैसी भावना, वैसा ही देखें। बात समझ में आई मीडिया के बारे में। वह कहते हैं, हम तो सब देंगे। जैसा समाज है और समाज में जैसे व्यक्ति रहते हैं और जैसी समाज की सोच के व्यक्ति हैं, उसी प्रकार की खबरें उस पेज पर जाकर देखें। मैं कई मित्रों से बात करता हूं, कि अख़बार में क्या तुम देखते हो? तो वह कहता है, मैं तो सबसे पहले स्पोर्टस पेज देखता हूं। उसको राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है। घर में हम अपनी बहू-बेटियों से पूछते हैं, क्या देखते हो? वे कहती हैं, ज्योतिष देखती हूं। अच्छा भाई, ज्योतिष देख लो। कोई बड़े-बूढे व्यक्ति से पूछें वे कहेंगे संस्कार चैनल देखता हूं। संस्कार की कोई बातें पढ़ते हैं, बुद्ध का कोई हो, कोई भगवान राम का हो, भगवान कृष्ण का हो, अल्लाह का हो तो वह देखता हूं। राजनीति वालों से पूछो, ओम बिरलाजी को पूछो तो वह कहेंगे, अभी राजस्थान की बात करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: ओम बिरलाजी परेशान हो रहे हैं, इनका एक ही है वह आ जाए।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): इसीलिए मैं कह रहा हूं। मैं बोलूंगा, ओमजी, आपके संकल्प पर...

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, बोलना नहीं है, समय पर आ जाए वह।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि समाचार पत्रों में सब चीजें आती हैं, जैसी जिसकी भावना हो, वैसा ही उस दृष्टि से देखता है, वैसा ही उसको ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद वैसा एक्सपैक्ट करता है। इसलिए इस प्रकार से मीडिया को रैस्ट्रिक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हम स्वतंत्र समाज में रहते हैं, स्वतंत्रतापूर्वक हर व्यक्ति को जीने का हक है, हर व्यक्ति को कहने का हक है। लेकिन नियमित रूप से, संयमित रूप से, अनुशासन में रहकर बात करने का समय है, यही मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा। धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया उसके लिए।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब थोड़े ही दे रहे हो?

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): नहीं मैं दे नहीं रहा हूं, मैं उसको पूरा कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आपका जवाब थोड़े ही है। आप बोल लिये।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): जवाब नहीं दे रहा हूं, मेरा संकल्प है। जो विषय आया है वो क्लीयर तो हो न, साहब।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, जिसका प्रस्ताव है वो बोले। संशोधन दिया नहीं और बोल रहे हैं। संशोधन दें न। कोई बात नियम-कानून से होती है, वो संशोधन दे देते।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): एक मिनट, प्लीज।

श्री उपाध्यक्ष: संशोधन का समय है क्या?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): संशोधन दो न, नियम प्रक्रिया से चलती है विधान सभा।

श्री उपाध्यक्ष: संशोधन का कोई इसमें है नहीं, आप बोलिये, क्या चाहते हैं?

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर से

(श्री प्रभुलाल सैनी)

आने वाले माननीय सदस्य और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य गुप्ता जी ने जो कहा, शायद उन्होंने इस संकल्प को ठीक से नहीं पढ़ा। जैसा आपने अभी उद्धृत भी किया है, किसी भी मीडिया पर किसी भी प्रकार का इस संकल्प के माध्यम से न सेंसर लगाने का मतलब है और न ही इस पर किसी प्रकार के रैस्ट्रिक्शन लगाने का प्रश्न है। यह संकल्प इस बात का है कि सामाजिक सरोकारों के दायरे को और अधिक बढ़ाया जाए क्योंकि मीडिया से जनता को, आम नागरिक को और अधिक लाभ मिले। यह सकारात्मक है। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार बात कही है, ऐसा कुछ नहीं है। यही आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है- जो नहीं है उसको बढ़ा-चढ़ा कर बोलना। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: अब माननीय श्री प्रभुलालजी सैनी द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है- 'पत्रकारिता (चौथा स्तम्भ) का दायरा बढ़ाने एवं आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद पर बढ़ती हुई प्रवृत्ति को प्रेस काउंसिल आफ इंडिया द्वारा निर्धारित मापदंडों की पालना निश्चित कराने हेतु राज्य सरकार केन्द्र सरकार को पुरज़ोर सिफारिश करे।' इस पर मंत्रीजी।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, we always talk about the fourth pillar of democracy. But virtually what we have done for them. this is an important subject to be thought about. We always think that the fourth pillar of democracy should narrate every fact of society. But the fourth pillar of democracy needs the shelter of the government. We know the fact. But in private sector, whether it is visual media or the print media, they cannot defend the benefits of journalists. So this is an important matter for the government also to protect the rights of the journalists. I would like to thank our hon'ble Chief Minister. About a decade back, I was Information Minister in the Government of Rajasthan and hon'ble Chief Minister started the mission as to how to do something for the fourth pillar of democracy. If the pillar will not be strong, the building will collapse. And that is the change. At that time, my friends are sitting in the Press Lobby, it was decided that if a journalist was in the problem, day to day problem, for his kids, for his residence problem, for his medical treatment, it was the subject of the government to defend him. Hon'ble Chief Minister decided that accredited journalists should have land in the district or wherever they are residing. They should have their life insurance policy also. They should be given help for the medical treatment also.

Sir, we had a meeting in Delhi. At that time, Shri Atal ji was the Prime Minister and when I just described what the Rajasthan Government was doing for the journalists, he immediately ordered, Shushma ji was the Information Minister at that time, he just asked her that what the Rajasthan Government is doing, it should be implemented at the Centre. So what the Chief Min-

(डा. जितेन्द्र सिंह)

ister did for the State, that was followed by the Government of India. Hon'ble Sir, Chief Minister is definitely doing what is best possible, how we should strengthen the journalists also. Already we have started, in Budget it has been declared that a University for Journalism will be opened in Jaipur, Rajasthan. The insurance policy for the journalists has been increased from 1 lakh to 2 lakh and 90 per cent of the money will be given by the government. I am not saying that the government is obliging them. But it should be policy of every government, whether it is from this side or that side. They should be defending the rights of the journalists. What journalists have not done? And otherwise also I would like to say that a common man, a man sitting in the 'dhani' he believes what he is seeing on the visual media, what he is reading in the press. If something comes in the paper, he feels it as the correct news. If it disappears next day, it does not disappear from the grey matter in the brains.

So I would like to request the journalists also. You should criticize the government, if the government is failing somewhere. But the other way, if the myself or yourself, they are speaking the policy of the government for the poor, for other beneficiaries, as an example I would like to say that Government is having very good projects like Janani Suraksha Yojana, Mukhya Mantri Sahayata Yojana, they are good judgments or acts of the government, they should be recognized and they should be spread by the press. If a leader speaks on the mike, he just speaks to hardly a thousand people but when press speaks, it will be to crores and crores of people. So I will request to my press fellows that if the Government is lapsing you should criticise in a blunt manner. But the Government is doing good for poor people sitting there Dr. Jitendra Singh speaks or Hon'ble my friends speak or Hon'ble Sir coming from Udaipur speaks then hardly a few people will listen to us. But if you will speak the whole world will listen you. So this is very important. The Government is liberal for you and the Government is doing everything for you.

In short, I would like to say, there should be restrictions on visual media also. What happened on 9th and 11th September attack in USA where the Twin Towers were demolished. More than 5000 people died in that accident. But on the very next day, none of the papers of USA showed that serial. I am sorry if such thing would have happened, I have seen the disaster. What happened in Bhopal? Still I remember the face of a baby with white eyes and it was above the price on what cost. So we have to be very serious about it. If a disaster, some scenes over there, directly affect the kids and the female. The grey matters affect very fast to that show. We should be very serious about it because the press, You are responsible for the whole of the country. Your one statement will spread faster than any message. I would like to say. So nothing to say much about it. It is very important. I would like to thank my colleagues coming from Hindauli. He spoke very well and definitely how we should defend our press people also. The Government is trying to do what ever possible.

Sir, in the last I would like to say that under the Constitution of India

(डा. जितेन्द्र सिंह)

Schedule VIIth, we can not check. We can not ask anything as Constitution of India Schedule VIIth in List 3 Entry No. 39th says that the newspaper, then the printing press it is the Central Act which decides everything. So the Government is not bound to change the Act. Of course what the Hon'ble Member from Hindauli says is a valuable idea but the State Government is not bound to make any Act.

Thank you, Sir.

मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसको...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य प्रभुलालजी सैनी द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है, इस पर बहुत अच्छी चर्चा हुई इसके लिये तो बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन मंत्रीजी के जवाब के बाद ...(व्यवधान) आप मेरी बात तो सुनिए, थोडा ध्यान रखिए उसके बाद यदि प्रभुलालजी चाहें, क्योंकि जिस भावना से आपने प्रस्ताव पेश किया है उस भावना से सदन में इस पर चर्चा हुई और मंत्रीजी का जवाब आया है, आप चाहें तो इसको विथड्रा कर सकते हैं।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा..

श्री उपाध्यक्ष: आकर्षित नहीं।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): बस दो-तीन लाइन। माननीय मंत्रीजी ने जिस प्रकार अपने रिप्लाई में कहा कि मीडिया पर रैस्ट्रिक्शन होना चाहिये, उनकी प्राब्लम हैं- एजुकेशन की प्राब्लम है, सारी प्राब्लम हैं, मैं भी इसी बात में शामिल हूं लेकिन मेरा प्रस्ताव यह नहीं है जो आपने कहा। आपने अपने हिसाब से जो भी कहा वह ठीक कहा, लेकिन मैंने जो संकल्प दिया है वह पाजिटिव सैंस में है कि इस देश को आगे बढाने के लिये, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिये मीडिया को और सशक्त बनाकर इनको और अधिकार दिये जाएं और इन-हाउस दिये जाएं Not for Government. The State Government or the Central Govt. has no power because of Article 191 Clause (i) of the Constitution. अभिव्यक्ति और वाक्य की स्वतंत्रता इनको दी गई है। वैसे कहीं भी कांस्टीट्यूशन में प्रोविजन नहीं है कि चौथा स्तंभ है। बाकी यह लोकतंत्र ने माना है कि तीन स्तंभों के बाद चौथा स्तंभ होगा जो हमारे सेतु का काम करेगा। इस सेतु को मजबूत करें यही मैं कहना चाहूंगा। जो मेरा संकल्प है वह मेरी तरफ से सही संकल्प है, इस पर विचार किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: यह संकल्प सजेस्टिव होते हैं, यह तो आप भी मानते हो। माननीय प्रभुलालजी, मेरा जहां तक ख्याल है आपके प्रस्ताव को कोई समझ नहीं पाया। कोई तो समझ पाया होगा, बहुत-बहुत धन्यवाद। चूंकि माननीय प्रभुलालजी इसको विथड्रा नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं इसको सदन के सामने प्रस्तुत करता हू।

प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री प्रभुलालजी सैनी ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संकल्प अस्वीकार किया गया।

माननीय श्री ओम बिरला। माननीय ओमजी, आप एक मिनट विराजें तो मैं अर्ज कर दूं। यह शायद पहला मौका होगा जब सभी संकल्पों पर विचार करके पारित या अस्वीकार जो भी है, हो रहा है। इसलिए आप संक्षेप में बोलें और कोई माननीय सदस्य बोलना चाहे तो ...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): पांच बजे तक विधान सभा है।

श्री उपाध्यक्ष: क्योंकि आप यह मानकर चलिये कि पांच बजे से ज्यादा आज सदन की कार्यवाही बढाने का नहीं है इसलिए आप उसी लिमिट में बोलें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ठीक है, साहब।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): कितना समय दिया है इनको?

श्री उपाध्यक्ष: यह तो एक मिनट में समाप्त कर सकते हैं। नियम की बात अलग है, समय निश्चित है।

स्वस्थ, शिक्षित, विकसित, स्वर्णिम राजस्थान के निर्माण हेतु आवश्यक कदम

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, आज राजस्थान विधान सभा में जो संकल्प मैंने पेश किया है, मुझे आशा है कि मेरे सत्ता पक्ष के लोग ...

श्री उपाध्यक्ष: सदन के लोग, यह संकल्प पक्ष-विपक्ष का नहीं है, माननीय सदस्यगण, साथीगण।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सदस्य इस संकल्प को पारित करके स्वर्णिम राजस्थान को बनाने के लिये कृत संकल्प होंगे।

(श्री ओम बिरला)

उपाध्यक्ष महोदय, 30 मार्च, 1949 को तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय की रियासतों को विलय करके एक स्वर्णिम राजस्थान बनाने का संकल्प लेकर इस राजस्थान का निर्माण किया। इस निर्माण के बाद हमें 63 वर्ष हो चुके हैं, आज राजस्थान इस देश का सबसे बड़ा भू भाग है। श्रीलंका से 5 गुणा, इंग्लैण्ड से 2 गुणा और जापान के बराबर क्षेत्रफल 3042229 किलोमीटर का यह राजस्थान, आज भी देश में वीर प्रसूता की धरती वाला राजस्थान जिसका जवान आज भी देश की सुरक्षा के लिये खड़ा है। राजस्थान का मस्तक इसलिए ऊंचा रहता है कि हमारा देश का जवान, हमारा सपूत भारत की रक्षा के लिये कटिबद्ध और संकल्पित है। एक अटूट समर्पण और निष्ठा उसमें देश के लिये है। उसके कारण राजस्थान पूरे देश में विशिष्ट पहचान रखता है। सभापति महोदय, राजस्थान लोक कला में, लोक संगीत में, हस्त शिल्प में और इसके साथ को, पूरे देश-विदेश के सैलानियों की ''आवो म्हारे देस'' की आवभगत के लिये आज भी आकर्षण का केन्द्र है। उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद कई प्रदेश हमारे बाद बने हैं, हमारे सीमावर्ती प्रदेशों में मध्य प्रदेश भी है, हरियाणा भी है, गुजरात भी है, हम जब उनकी तुलना करते हैं और तुलनात्मक आधार पर जब विवरण करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सामाजिक आधारभूत ढांचे में भी, हम भौतिक आधारभूत ढांचे में भी हमारे पडौस के प्रदेशों से अभी पीछे चल रहे हैं। सामाजिक ढांचा शिक्षा, चिकित्सा, समाज में रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और आधारभूत ढांचे में पानी, बिजली, सड़क और व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताओं में हम आज भी पीछे चल रहे हैं। इसीलिए हम विधान सभा में यह संकल्प लेना चाहते हैं कि हम राजस्थान को वह स्वर्णिम राजस्थान बनाएं जिसकी कल्पना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। उपाध्यक्ष महोदय, आज सौभाग्य है कि 17 साल बाद राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार है। और इसी कारण हमारा विचार भी होता है। राजस्थान आज भी विशिष्ट श्रेणी के 18 राज्यों में आता है और इसी कारण हमें केन्द्र से सहायता का 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में मिलता है। लेकिन हम सबका विचार है कि राजस्थान को विशिष्ट राज्यों की श्रेणी में लाने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी जाएं तो उसके कारण हमें केन्द्र का 90 प्रतिशत अनुदान मिले। जिस सामाजिक, जिस आधारभूत ढांचे में हम पीछे हैं, विषम परिस्थितियों के कारण

(श्री ओम बिरला)

जम्मू कश्मीर के अन्दर मिला हुआ है, अन्य राज्यों को मिला हुआ हैं। अगर उन राज्यों की तुलना करें तो हमारा राजस्थान भी विषय परिस्थितियों से गुजर रहा है। जब 90 प्रतिशत का अनुदान हमें मिलेगा, सहायता मिलेगी तो हम स्वर्णिम राजस्थान के सपने को साकार कर पाएंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का 41.11 प्रतिशत क्षेत्रफल पश्चिमी राजस्थान में आता है जिसमें 40 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। जहां हमेशा अकाल की हालत बनी रहती है, पाले के कारण हमारी फसलें नष्ट हो जाती हैं और किसान बरबादी के कगार पर पहुंच जाता है। मरूस्थलीय क्षेत्र में लवणीय जल होने के कारण वह पीने के योग्य पानी नहीं होता और मिट्टी के अपद्रव की समस्या हमारे राजस्थान में बनी रहती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान 6 करोड़ 46 लाख लोगों का राजस्थान है, राजस्थान की जनगणना की वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक है। सामाजिक रूप से चाहे वह स्त्री साक्षरता हो, चाहे लिंगानुपात हो, आज भी हम पीछे चल रहे हैं। अगर महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, प्रदेश शिक्षित नहीं होगा तो हम स्वर्णिम राजस्थान की कल्पना नहीं कर सकते। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां कुछ दिन पहले केन्द्रीय चिकित्सा राज्य मंत्री आये थे, उन्होंने जिक्र किया था कि यहां कन्या भ्रूण हत्या अभी तक सरकार नहीं रोक पायी, जनसंख्या नियंत्रण के जो सार्थक प्रयास सरकार को करने चाहिए थे वे सार्थक प्रयास भी नहीं हुए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया था और तीन-तीन बजट लागू करने के बाद भी हम आज राजस्थान के अन्दर शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और संस्थागत प्रसव पर कहीं प्रगति नहीं कर पाये। हमने वादा किया था कि हम शिशु मृत्यु दर कम लाएंगे, मातृ मृत्यु दर कम लाएंगे, संस्थागत प्रसव बढाएंगे, लेकिन आज दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि सारी योजनाएं लाने के बाद भी उसका ठीक मानिटरिंग नहीं होने के कारण, राजस्थान की और प्रदेशों से तुलना की जाए तो जो राजस्थान अव्वल प्रदेश होना चाहिए था, हम आज भी प्रगति के आयाम पर नहीं पहुंचे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा व्यवस्था की हालत बहुत खराब है। सत्ता पक्ष की माननीया सदस्या कह रही थीं कि क्या व्यवस्था चिकित्सा की है। गांव-ढाणी के अन्दर आज 63 साल बाद भी हम लोगों को चिकित्सा व्यवस्था नहीं दे पाये, यह हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां चिकित्सा मंत्री बैठे

(श्री ओम बिरला)

हुए हैं, मैं चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप प्रगति के बहुत आंकड़े देते हैं, आप नि:शुल्क चिकित्सा की बात भी करते हैं, नि:शुल्क दवाइयों की बात भी करते हैं लेकिन क्या हालत है, क्या हम उन पैरामीटरों पर पहुंच पाये जिन पैरामीटरों का लक्ष्य हमने तय किया था? हम कोई ऐसा माडल नहीं ला सकते जिसमें एएनएम वहां रूके, डाक्टर वहां रूके? उसके मन में भावनात्मक रूप से जो चिकित्सा सेवा का दर्द होना चाहिए, उस दर्द और पीड़ा का एहसास हम करा सकें। साक्षरता के लिए हमारे स्वर्गीय उप राष्ट्रपतिजी माननीय भैरोसिंहजी शेखावत ने इसी विधान सभा में चिंता की थी और राजस्थान में हर व्यक्ति पढ़ा-लिखा बने इस संकल्प के साथ उन्होंने बजट का बड़ा हिस्सा यहां दिया था। दर्द इस विधान सभा में व्यक्त किया था कि मैं राजस्थान में हर व्यक्ति को साक्षर देखना चाहता हूं। आज क्या हालत है? महिला साक्षर में हम सबसे नीचे, साक्षरता के अन्दर हमारे कदम आगे बढ़े नहीं। शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो गया लेकिन क्या हालत है गांव-ढाणियों के लोगों की? आज भी महिला शिक्षा में हम सबसे नीचे हैं, यह हमारी चिंता का विषय बना हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कृषि प्रधान राजस्थान माना जाता है, हमारी कुल आबादी का 70 प्रतिशत हिस्सा कृषि पर आधारित है। लेकिन हमारे क्षेत्रफल का केवल 30 प्रतिशत भाग अभी सिंचित है। हमारी चिंता इसलिए भी है कि यहां पर प्राकृतिक आपदाएं भी होती रहती है, यहां पर सतही जल भी बहुत कम है। वर्षा का औसत अगर हम तुलना करें तो राजस्थान में कम है। एक प्रतिशत सतह जल है और जमीन के पानी का दोहन लगातार बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि कृषि के उत्पादन में उतार-चढ़ाव के कारण हम कृषि के क्षेत्र में जो विकसित होने चाहिए थे उसमें हमने विशेष प्रोगेस नहीं की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में नवीन कृषि पद्धतियों के प्रयोग की प्रबल सम्भावनाएं हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर केवल एक, खरीफ की फसल होती है, रबी की फसल नहीं होती, उसके बाद भी उद्यानिक फसलों में, फल सब्जी में, मसालों में, फूल में, औषधियों में हमारे विकास की प्रबल सम्भावनाएं हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस देश के अन्दर मसालों- धनिया, जीरा, मैथी के उत्पादन के अन्दर हम लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए आवश्यक है हम कृषि की नई तकनीकी अपनाएं, कृषि वैज्ञानिकों के नये प्रयोग करें। बहुत बड़ा भूभाग होने के

(श्री ओम बिरला)

कारण कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने वैज्ञानिक तरीके से काम किया। हमने जल का सरंक्षण करके, एग्रीकल्चर बेस को आधार बनाकर इस प्रदेश में प्रगति की तो हम देश में अग्रिम पंक्ति पर आ सकते हैं। गुजरात के मुख्य मंत्रीजी का विजन देखा? उनके यहां भी बहुत बड़ा इलाका रेगिस्तान था, खराब था, नई तकनीक लाये, नये एग्रीकल्चर सिस्टम लाये-कि मुझे कृषि के उत्पादन को बढ़ाना है, कृषि के आधार पर गुजरात को आत्मनिर्भर करना है। इसी कारण आज गुजरात कृषि की ओर बढ़ रहा है। राजस्थान में भी कृषि के अन्दर बहुत क्षमता है, उन क्षमताओं का उपयोग करके हमें आगे बढ़ना है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम इसलिए विशेष दर्जे की मांग करते हैं कि पूरे देश के अन्दर वन क्षेत्र 33 प्रतिशत न्यूनतम माना जाता है लेकिन हमारा वन अल्पमत में है। 9.51 प्रतिशत हमारा वन है, कारण? कि वनों का विकास नहीं हो पाया! जिसके कारण हमारा पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है और जिसके कारण जो औसत वर्षा होनी चाहिए, वह कम हो रही है। इसलिए हमारी चिंता है, हमें वन को बढ़ाना चाहिए, वन को बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनानी चाहिए। जिससे जो पर्यावरण असंतुलित हो रहा है उसको संतुलित कर सकें, अच्छी वर्षा कर सकें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपको कहा था, जितनी देर आपने समय दिया, 5 बजे तक बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, समय नहीं दिया। इसमें निश्चित है 15 मिनट, 15 मिनट आपको हो गये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मैं अपनी बात 10-15 मिनट में खतम कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: 15 मिनट हो गये आपको।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 10 मिनट।

श्री उपाध्यक्ष: खतम कीजिए, 15 मिनट हो गये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश उद्योग के अन्दर आगे बढ़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष: इसलिये आप दो मिनट में ही समाप्त करिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 5 बजे तक सदन चलाना है, आपने कह दिया। मैं बात खतम कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: सिस्टम है, नहीं-नहीं, सिस्टम है। 5 बजे के बाद तो नहीं बढ़ेगा लेकिन सिस्टम है। रुल्स और प्रक्रिया से अपन सब बंधे हुए हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हां, मैं कर रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खतम कर रहा हूं।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलना है। टाइम फिक्स करें उसके लिये सबका।

श्री उपाध्यक्ष: हां। आप समाप्त करिये। आप ही का है। चर्चा होगी। उसमें आपका सहयोग चाहिए।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो रख दूं। जो प्रस्ताव मैं रखूंगा, संकल्प रखूंगा, तभी तो चर्चा करेंगे। प्रस्ताव नहीं रखूं तो क्या चर्चा करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष: सदन का संकल्प है यह, पार्टी का नहीं है। आप करिये। (व्यवधान) आप समाप्त करिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उद्योगों की दृष्टि से भी हमें नये आयाम छूने चाहिए। हम उद्योगों का विजन रखेंगे, नया औद्योगिक वातावरण विकसित करेंगे। उद्योगों के लिये, औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिये हम लोगों को आमंत्रित करेंगे तो शायद हम राजस्थान में प्रगति की ओर बढ़ें। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये आवश्यकता है कि उद्योगों के विकास के लिये संकल्पबद्ध होकर नये उद्यम, घरेलू उद्योगकर्ता, एन.आर.आई....

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, यह संकल्प इन्होंने व्यक्त कर दिया। इस पर जो माननीय सदस्य बोलना चाहे, उनको भी तो मौका दो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को हम यहां पर ला सकें।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): इतना लम्बा-लम्बा भाषण नहीं हो।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हां, मैं संकल्प पर आ रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय। संकल्प पर तो आऊं मैं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप संकल्प व्यक्त करके बोल जाओगे और बहस दूसरे करेंगे?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हम करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि ऊर्जा का क्षेत्र राजस्थान के लिये सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ऊर्जा के क्षेत्र में हमें नई प्रगति करने की आवश्यकता है। हम ऊर्जा के अन्दर आत्मनिर्भर होंगे। हमारी खनिज भण्डार क्षमता...

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, 15 मिनट हो गये और 15 मिनट का टाइम संकल्प के लिये है, आखिर कोई लिमिट तो होनी चाहिए।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): राजस्थान का विकास तो करना है, स्वर्णिम राजस्थान बनाना है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): यह 15 मिनट का रूल्स आफ बिजनस में है।

श्री उपाध्यक्ष: बिरलाजी, यह आपका संकल्प है, यदि और माननीय सदस्य भी बोलेंगे तो ज्ञानवर्द्धन होगा सदन का। (व्यवधान) इसलिये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हां, तो मैं संकल्प तो करूं। संकल्प तो करूं। इसलिये अब मैं समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप बिलकुल समाप्त करिये। आपका संकल्प है, आपको चाहिए कि दूसरे बोलें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): यह संकल्प है क्या? आप संकल्प करिये न! कभी किस में जा रहे हैं, कभी किस में। उपाध्यक्षजी, थोड़ा देखिये इसमें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): इसलिये ऊर्जा के क्षेत्र में और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): उपाध्यक्ष महोदय, समय मत बढ़ाओ आप, एक तो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): खनिज भण्डार क्षमता का ठीक से दोहन करें। उसके लिये हमें रोड कनेक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। परिवहन साधन उपलब्ध करावें। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): पांच बजे बाद इनको यहां बैठा देना, बोलते रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: अब धन्यवाद देना पड़ेगा, देखिये। (व्यवधान) नहीं, नहीं, आप समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): नहीं, नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वर्णिम राजस्थान के लिये, राजस्थान को विशेष दर्जा मिले, सदन के सभी माननीय सदस्य हमारे मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में दिल्ली में जाएं ताकि विशेष दर्जे के आधार पर हम स्वर्णिम राजस्थान का निर्माण कर सकें। यह मैं संकल्प लेने के लिये माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय प्रतापजी, आप बोलेंगे? माननीय प्रतापजी खाचरियावास। (व्यवधान) आप, भिण्डा साहब, बोल लिये, हर जगह बोलना जरुरी है क्या? आप जानते हो समय। अपन चाहते हैं, आज निर्णय हो जाए। एक अच्छी परम्परा पड़ेगी, आज पहली दफा चार संकल्प हैं, उन पर विचार होकर जो भी होगा, निरस्त या पारित, हो जाएगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): हमारी पार्टी से बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: सदन है यह तो, इसमें पार्टी का नहीं है, चन्द्रकान्ताजी। पार्टी का नहीं है, सदन की भावना है। माननीय सदस्य का है व्यक्तिगत।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय उपाध्यक्षजी, गला खराब हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: तो आपकी भावना मान लें।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): नहीं, ऐसे कैसे मान लें? अब गला ठीक हो जाएगा। मैं करता हूं गले को ठीक।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): एक घण्टा बोलो फिर आप तो।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): एक घण्टा क्या, आप कहो उतना बोल सकता हूं, पर मैं 15 मिनट में इलाज कर दूं अभी पूरा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो प्रस्ताव किये गये गैर-सरकारी दिवस के दिन, उसमें सारे प्रस्ताव हम मान सकते हैं कि कहीं न कहीं राजनीति से ऊपर उठकर हैं। लेकिन यह जो पांचवां प्रस्ताव है, यह तो टोटल राजनीति है। जो काम हो रहा है, चल रहा है तीन साल से, उस काम के लिये आप प्रस्ताव करके क्या साबित करना चाहते हैं? आप मुख्य मंत्री हैं क्या?

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

आपने किये हैं तीन वर्षों में ये काम? ''कि यह सदन संकल्प करता है कि स्वस्थ, शिक्षित, विकसित, स्वर्णिम राजस्थान के निर्माण हेतु सरकार आवश्यक कदम उठाए।'' उठा रही है न। कौनसे विषय पर, कौनसे टापिक पर, किस विभाग में, कौनसे क्षेत्र में कमी नजर आ रही है? कहीं तो ईमानदारी से बात करें। इन तीन वर्षों में, आजादी के बाद इन 64 वर्षों में जितने काम नहीं हुए, जितनी योजनाएं नहीं बनीं, जितने जनता से जुड़े हुए एक्ट नहीं आये, वे एक्ट इस सदन में आ गये। कानून लेकर आ गयी कांग्रेस सरकार। आप ईमानदारी से 50 लोगों में खड़े होकर पूछ लो, जनता ईमानदारी से जवाब देगी। लोग बोलने के बाद कहते हैं कि हां, साहब, काम हुए हैं। कल ही एक बिल आया है जिसमें मुख्य मंत्री ने खुद को शामिल कर लिया, मंत्रियों को शामिल कर लिया, विधायकों को कर लिया। बिना किसी नाटक के, बिना किसी तामझाम के, बिना अखबारों में पहले शोशेबाजी किये हुए। सरकार ने यह कोशिश नहीं की कि हम छह महीने पहले से ही श्रेय लेने की कोशिश करें कि देखो, हम इतने भले हैं, हम ऐसा लोकपाल लाकर आ रहे हैं। इस देश को सुधारना चाहते हैं, राजस्थान को सुधारना चाहते हैं। हम यह काम कर रहे हैं जवाबदेही तय करने के लिये कि हमारे किसी की भी सम्पत्ति ज्यादा हो तो आप हमको जेल भेज दीजिए। बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना बड़ा काम हुआ है। किसने मना किया था जब आपका शासन आया था तीन वर्ष के लिये? महेन्द्रा सेज नहीं लाते, दवाइयां फ्री कर देते। 90-बी हटा देते, 90-ए ले आते। मना किया था किसी डाक्टर ने। मेट्रो हम लेकर आये, आप लेकर आ जाते। दवाइयां फ्री कर दीं। पहले कहा, पूरी नहीं मिलतीं। मैंने कहा, थोड़ी तो मिल रही हैं। बोले, हां। अब वह भी बंद हो गया, पूरी मिलने लग गयीं। आप भी 'जननी शिशु सुरक्षा योजना' लाते, करते। केन्द्र में भी आप थे, देते। जब कोई बच्चा होता है किसी मां के, तो गांव वाली को 1400 रुपये, शहर में हजार रुपये। आने-जाने का किराया, किसने मना किया। आप भी जानवरों की दवाइयां फ्री करते। ये स्वास्थ्य में नहीं आते? घी दे रहे हैं, ये कहते हैं, ए.एन.एम. नहीं है गांवों में। अभी डाक्टरों ने हड़ताल की। पूरे राजस्थान में लोग कहते थे कि सरकारी अस्पतालों में लोग इलाज ही नहीं कराते। हंगामा हो गया, बारघोड़ा हो गया पूरे राजस्थान में और जनता खुद खड़ी हो गयी डाक्टरों के खिलाफ। जनता हुई कि नहीं खड़ी डाक्टरों के खिलाफ? जनता ने आपको समर्थन दिया और आखिर में डाक्टरों को स्ट्राइक

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

विदड़ा करनी पड़ी क्योंकि जनता राजस्थान की सरकार के साथ खड़ी हो गयी, मंत्रीजी, और जनता ने मदद की। आखिर लोगों को पता चल गया कि ये सरकारी डाक्टर और सरकारी ए.एन.एम. हमारे हर चिकित्सालय में उपलब्ध हैं।

अब आप कह रहे हैं शिक्षा की बात, शिक्षा के सम्बन्ध में राजस्थान पीछे नहीं है। आई.आई.टी. आ रही हैं, आई.टी.आई. आ रही हैं, सेण्ट्रल यूनिवर्सिटी आ रही है। आप नहीं कर सके। कालेज, यूनिवर्सिटीज आ रही हैं। बीच में दिक्कत आई कि कहीं ये यूनिवर्सिटीज डिग्री बांटने का केन्द्र न बन जाएं। उसमें भी सुधार करने की शुरूआत हुई। विकसित और स्वर्णिम राजस्थान, पहली बार बजट में घाटा कम होना शुरू हुआ, इनकम बढ़ने लगी। आप किस विकसित राजस्थान की बात कर रहे हैं? पालिटिकली माइलेज लेने के लिये, पालिटिकली फायदा उठाने के लिये, सिर्फ यह मैसेज देने के लिये कि हम बहुत होशियार हैं? मैं मानता हूं आदरणीय मैडम यहां पर नहीं हैं। मेरी कोई मैडम से लड़ाई थोड़े ही है। मैडम हमारी भी खास हैं, पर ऐसे थोड़े ही है कि दिन भर ही लगे रहें कि हाथ में ही अगरबत्ती कि हां साहब, हां साहब। यह नहीं होता है। कहीं तो सच बोलें। कई मुद्दे होते हैं जिसमें मैं कहता हूं हमेशा। मैं तो आज कहता हूं कि राजस्थान के हर मंत्री को, हमारी सरकार के हर मंत्री को आत्म अवलोकन करना चाहिए कि तीन वर्षों में कितने मंत्री 32 डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर आये हैं। जो 32 डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं गये, सारे काम छोड़कर पहले 32 डिस्ट्रिक्ट्स में हाथ लगाकर आना चाहिए। आप पूरे राजस्थान के मंत्री हैं। आप पूरे राजस्थान के मंत्री हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आपने धन्यवाद तो दिया ही नहीं उनको।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): नहीं-नहीं, मान लिया। (व्यवधान) हंसाओ तो मत, पीछे क्यों बैठे हो? मैं बात कह रहा हूं। कल तो छुट्टी है। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): इनको भी मंत्री बना दो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। इनके सदस्य बोलेंगे तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे भी सारे सदस्य बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मैं मेरी सरकार की ... (व्यवधान) हां, बोलो न।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): तो फिर हमारे भी सारे माननीय सदस्य बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: यह तो आपके पक्ष में हो रहा है। आपके इस प्रस्ताव पर जितने ज्यादा बोलेंगे, उतना ही अच्छा है। उतना ही विचार मंथन होगा। आप तो खुश होओ कि कोई बोल रहा है। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): पांच बजे बाद आप बढ़ाएंगे नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: बिलकुल साफ है, या तो पहले ही करा लो। इसको निर्णय कर लो पहले ही, नहीं तो ... (व्यवधान) हां, खाचरियावासजी, आप प्लीज चालू रखें।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप बोल लो, बता दो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बार-बार गुजरात का जिक्र हो रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय खाचरियावासजी, आपके बाद में माननीय कटारिया साहब बोलेंगे तो अच्छे विचार आएंगे इसलिए आप संक्षेप में करें, इनके भी विचार आएंगे। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): हां, बिलकुल मैं संक्षेप में ही कर रहा हूं। मान लीजिए वाह साहब, जितनी देर आपने उनको, मैं मान गया, आपके मेरे भी पुराने रिश्ते हैं। अब कोटा, बूंदी के चक्कर में आप लगातार बुलवा रहे थे। यदि रघुजी खड़े नहीं होते तो वे बोले ही जाते। मैं आपको सही कह रहा हूं, बृज किशोरजी भाई साहब ने भी कहा।

बार-बार गुजरात की बात हो रही है। मैं यह तो समझ गया कि आपके पास गुजरात के माडल के अलावा कुछ भी नहीं है। तो गुजरात में जो कुछ काम हो रहा है, बार-बार गुजरात-गुजरात की, चलो, फिर गुजरात की भी बात कर लो इन तीन वर्षों में इस सरकार का और गुजरात की तीन वर्ष की सरकार का काम के हिसाब से, एक्ट लाने के हिसाब से, जनता के प्रति जवाबदेही के हिसाब से, ... (व्यवधान) ऐसे करने से ही नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप उनको बोलने दो। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): किसी भी जगह भाषण देने से नहीं होता। ऐसे करने वालों के तो मैंने ... (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हर क्षेत्र में वहां पर काम हो रहा है। नया विजन है। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): यूं अंगुलियां हिलाने से नहीं होता है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह क्या तरीका है? हमने आपकी बात सुनी है। किसी ने डिस्टर्ब किया क्या आपको?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय बिरलाजी, आप संकल्प पर कुछ भी बोले ... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): किसी ने डिस्टर्ब किया क्या आपको? सुनना तो चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: आपके संकल्प पर चर्चा हो रही है, आप इसको अदरवाइज नहीं लें। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): घबराना ... (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): सीट चेंज करवा दो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: गृह मंत्रीजी से बात करेंगे फिर देखते हैं क्या होता है। (व्यवधान) नहीं-नहीं, सोचेंगे कि गृह मंत्रीजी को सीट चेंज करने की इजाजत भी दी जाए या नहीं दी जाए। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): देखिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब इन्होंने प्रस्ताव किया तो इनके तो मन में यह था कि प्रस्ताव तो हमारा है, हम ही बोलेंगे। कल जब उस एक्ट पर बोल रहे थे तब भी यह तय था कि कोई बोलेगा नहीं। सच तो बोलें कोई एक भी बात। यह संकल्प रखते, लोगों को बोलने देते, मैं बोलता ही नहीं, बात ही खतम हो जाती। आप तो संकल्प भी मेरा, भाषण भी मेरा, कहूंगा सही वह सिर्फ मैं ही कहूंगा, बाकी सब कहेंगे वह असत्य कहेंगे, ऐसा कभी होता है क्या? आप पूरी ईमानदारी से बहस कराओ किसी भी टापिक पर। मैं आज कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, कल भी मैंने कहा था, यह पत्रकार बंधु बैठे हैं समाज के दर्पण के रूप

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

में, चार आदमी गुलाबजी भाई साहब, उधर से तय करो, चार इधर से तय करो, एक दस-दस मिनट, पन्द्रह-पन्द्रह मिनट की परमिशन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिलाओ। तीन वर्ष का वसुन्धराजी का शासन, तीन वर्ष का गहलोतजी का शासन, तीन वर्ष शुरू के आपके, तीन वर्ष शुरू के हमारे, उसमें जनता से जुड़े हुए कितने काम हुए कौन-कौनसे बिल लाये गये और उनमें वे फैसला करके बता दें कि किसको नम्बर ज्यादा देते हैं, हम स्वीकार कर लेंगे उन समाज के दर्पण पत्रकारों का। चाहे कोई कमेटी बना लो, उसका फैसला। लेकिन कहीं तो फैसला करेंगे? आपके वहां का एक भी डिसीजन ऐसा नहीं है ...(व्यवधान) भ्रष्टाचार, मैं करप्शन की बात नहीं कर रहा हूं। करप्शन के अलावा करवा लो। करप्शन पर तो फिर डिस्कस नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष: हां, वह चीज अलग है। इसको आप तो ...(व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): इसलिए मैं आपसे यह कहूंगा कि आपका यह जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव का कारण यह है कि राजस्थान पिछले तीन वर्षों में स्वास्थ्य, शिक्षित, विकसित, स्वर्णिम राजस्थान के निर्माण की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो प्रस्ताव आपने दिया है, उस प्रस्ताव पर यह कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार पिछले तीन वर्षों से काम कर रही है। रिजल्ट दे रही है और ऐसा काम कर रही है, जो काम सिर्फ अखबारों में, कागजों में या सिर्फ बातों में नहीं है। काम होता हुआ नजर आ रहा है।

अब की बार जब यह बजट आया तब आप उम्मीद कर रहे थे कि बजट ऐसा आएगा कि हम मुद्दा लेकर जाएंगे प्रेस में, जनता में। सबने यह माना कि बजट में कोई कमी नहीं है, यह बजट प्रदेश को आगे ले जाने वाला है। राजस्थान में यह कांग्रेस सरकार स्वस्थ, शिक्षित, विकसित, स्वर्णिम राजस्थान के निर्माण में तीन वर्षों से लगी हुई है। आगे लगी रहेगी। कोई कमी नहीं रहेगी। अभी ओमजी ...(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लास्ट में खतम कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की भावना तक सीमित रखिये आप। एक दिन ऐसा है जो सदन की भावना तक सीमित रहना चाहिए। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ओमजी, आप बुरा नहीं मानें तो एक बात कह दूं? पहले आप मुझे परमिशन दो।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, आप कुछ भी बोलें बाकी पर ... (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह रघुजी हमारे कह रहे हैं कि कोटा में पहले चर्चा होती थी रंगा-बिल्ला की। अब आपकी सरकार में रंगा-बिल्ला नाम ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप कहना क्या चाहते हैं माननीय सदस्य? (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): चर्चा थी। चर्चा थी और हमारे यहां पर ...(व्यवधान) अब मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, वैसे आप मेरे मित्र हैं सारी। आज मेरा तो गला बैठा हुआ है। आपकी आवाज बहुत तेज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आप जब बोलते हो तो माइक चालू करना भूल जाते हो। एक तो माइक चालू किया करो और एक इतना जल्दी-जल्दी बोलते हो कि अगले के समझ में ही नहीं आता है, आधों के तो। एक्ट पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके वहां के हैं इसलिए कह रहा हूं, बस खतम कर रहा हूं, एक्ट पर आप बहुत अच्छा बोले। मुझे अच्छा लगा।

मैं अंत में एक ही बात कहूंगा कि हमारी तरफ से सरकार कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, गांव-गरीब, खेत-खलिहान हर वर्ग के लिए, राजस्थान के चहुंमुखी विकास के लिए, राजस्थान को हिन्दुस्तान के अग्रणी राज्यों में एक साथ खड़ा करने के लिए काम कर रही है। राजस्थान में जो योजनाएं आई हैं, उसे आज दूसरे स्टेट भी लागू करना चाहते हैं। इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह जो संकल्प लेकर आये हैं उस संकल्प पर राजस्थान की सरकार पिछले तीन वर्षों से वैसे ही काम कर रही है इसलिए यह प्रस्ताव पास करने की जरूरत नहीं है। पारित करने की जरूरत नहीं है। यह पारित हुआ है। हम यह कहें कि आज माननीय सदस्यों ने रखा उसके बाद सरकार की नींद खुली, सरकार जागी और अब यह काम करेगी, यह काम पहले से ही चल रहा है। चलता रहेगा, इसमें अब ऐसे किसी प्रस्ताव की जरूरत नहीं है। राजस्थान आगे बढ़ेगा। सरकार आम आदमी के लिए काम कर रही है, करती रहेगी और राजस्थान विकास के रास्ते पर हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत अच्छी चर्चा हुई, सदन ने पार्टी विशेष से ऊपर

(श्री उपाध्यक्ष)

उठकर चर्चा की। चूंकि अब एक मिनट का समय शेष बचा है तो आप खड़े भी होंगे तो पांच बजे तक, एक मिनट में बोल नहीं पाएंगे इसलिए मैं, सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 16 अप्रैल, 2012 के प्रातः ... (व्यवधान) सुनिये आप एक मिनट, यह संकल्प जो है, यह अगले पैंडिंग रहेगा, अगली उसमें आएगा, जब भी सत्र होगा और उसमें यह नियत दिन रहेगा। (व्यवधान)

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 16 अप्रैल, 2012 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16.59 बजे सोमवार, दिनांक 16 अप्रैल, 2012 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

नगर के ग्रामों हेतु निगम बस सेवा

333. श्रीमती अनीता सिंह (नगर) : क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2011 तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की विभिन्न श्रेणी की बसों का किराया कब-कब एवं कितना-कितना बढ़ाया गया तथा किराया बढ़ाये जाने का मुख्य कारण क्या रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत मुख्यालयों को रोडवेज से जोड़ने की योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नगर की ग्राम पंचायतों में निगम बस सेवा प्रारम्भ कर दी गई है? यदि हां, तो कब से व कितनी और कहां-कहां तथा नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जनवरी 2009 से 31 दिसम्बर, 2011 तक राजस्थान परिवहन निगम की विभिन्न श्रेणी की बसों का दिनांक 25.05.2010 व 05.08.2011 को किराया बढ़ाया गया। अधिसूचनाएं संलग्न हैं (परिशिष्ट 1 और 2)। किराया बढ़ाने के मुख्य कारण डीजल, स्पेयर पार्टस, टायर, संस्थापन इत्यादि की लागत में बढ़ोतरी होने से संचालन लागत में वृद्धि होना रहा है।

(2) जी नहीं । राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2011-12 के तहत ग्राम पंचायतों को निगम बस सेवा से जोड़ना प्रक्रियाधीन है। इसी योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नगर की बस सेवा से वंचित ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाना सम्भव हो सकेगा।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रश्न संख्या-334

(स्थगित)

पाली नगर परिषद को विकास कार्यों हेतु आबंटित राशि

335. श्रीमती संजना आगरी (सोजत): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2010-11 में किस-किस योजनान्तर्गत पाली नगर परिषद को

(श्रीमती संजना आगरी)

कितनी राशि आबंटित की गई तथा उसका किस-किस मद में कहां-कहां किस योजना के अन्तर्गत किस-किस कार्य में उपयोग किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) वर्ष 2010-11 में उक्त नगर परिषद क्षेत्र के केशव नगर में नालियां एवं सड़क पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) नगर परिषद पाली को वर्ष 2010-11 में निम्नानुसार राशि आबंटित की गई है:-

1. राज्य वित्त आयोग - 52.90 लाख

2. 13वां वित्त आयोग - 121.28 लाख

3. स्वर्ण जयंति शहरी रोजगार योजना - 16.00 लाख

4. शहरी जनसहभागी योजना (राज्यांश) - 82.38 लाख

5. समन्वित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) - 99.26 लाख (राज्यांश)

6. लघु व मध्यम शहरों के लिये शहरी आधारभूत संरचना विकास कार्यक्रम (यूआईडीएसएसएमटी) - 1123.73 लाख (केन्दीय एवं राज्यांश अशंदान)

क्रम संख्या 1 से 4 पर अंकित योजनाओं के विरुद्ध किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट "अ" पर एवं क्रम संख्या 5 व 6 पर अंकित योजनाओं के विरुद्ध किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है ।

(2) वर्ष 2010-11 में नगर परिषद पाली के केशव नगर क्षेत्र में व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य के बाहर से आयातित कृषि जिन्सों पर मण्डी शुल्क में छूट

336. **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण) व **श्री बंशीधर खण्डेला** (खण्डेला) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य में उत्पादित होने वाली कृषि जिंसों के विपणन पर मंडी अधिनियम की धारा 2 में वर्णित अनुसूची में उल्लेखित जिंसों पर मंडी

(श्री ओम बिरला)

शुल्क वसूल किये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो किस-किस जिंस पर व कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य के बाहर से आयातित कृषि जिंसों पर भी मंडी शुल्क वसूल किया जाता है? क्या उनके विपणन में मंडियों का भी कोई योगदान है ? यदि हां, तो किस प्रकार से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य के बाहर से आयातित कृषि जिंसों जैसे नारियल, चाय, पिण्डखजूर, काफी, सूखा मेवा आदि पर मंडी शुल्क में छूट प्रदान की गई है? यदि हां, तो किस-किस पर कितनी-कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि राज्य से बाहर उत्पादित गुड़ व शक्कर आदि जिंसों पर मंडी शुल्क वसूल किया जाता है? यदि हां, तो कितना-कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार जिन कृषि जिंसों के उत्पादन व विपणन में सरकार या मंडी का कोई योगदान नहीं है, उन पर मंडी शुल्क में छूट प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां । विज्ञप्त कृषि जिन्सों पर निम्नानुसार मण्डी शुल्क क्रेता से वसूलनीय है:-

1. ज्वार, बाजरा, मक्का, जीरा, ईसबगोल	0.50 रु. प्रति सैकड़ा
2. तिलहन	1.00 रु. प्रति सैकड़ा
3. शेष विज्ञप्त कृषि जिन्सों पर	1.60 रु प्रति सैकड़ा

विज्ञप्त कृषि जिन्सों की अनुसूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम 1961 की धारा 17, राजस्थान कृषि उपज विपणी नियम 1963 के नियम 58 एवं उपविधि 17 (7) के तहत विज्ञप्त कृषि जिन्सों के क्रय-विक्रय पर मण्डी शुल्क वसूल किये जाने का प्रावधान है। उक्त धारा 17, नियम 58 एवं उपविधि 17(7) में निहित प्रावधान परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। इसके द्वारा भी मण्डियों में व्यवसाय किया जाता है एवं मण्डी के आधारभूत ढांचे का उपयोग करते हैं तथा मण्डी समिति इनके नियमन का कार्य भी करती है।

(कृषि विपणन राज्य मंत्री)

(3) नारियल, चाय, पिण्डखजूर, काफी एवं सूखा मेवा को विज्ञप्ति दिनांक 25.1.2006 से अधिसूचित कर कृषि उपजों की अनुसूची में शामिल किया गया था। जिस पर मण्डी शुल्क वसूलनीय होता है।

नारियल को विज्ञप्ति दिनांक 24.2.2009 से विज्ञप्ति की दिनांक से ही विलोपित कर दिया गया।

चाय को विज्ञप्ति दिनांक 10.2.2006 से आगामी आदेश तक मण्डी शुल्क वसूली से स्थगित किया गया ।

पिण्डखजूर को विज्ञप्ति दिनांक 16.11.2007 से अधिरोपित करने की तिथि से ही आगामी आदेश तक मण्डी शुल्क वसूली से स्थगित किया गया ।

सूखा मेवा को विज्ञप्ति दिनांक 13.10.2006 से विज्ञप्ति की दिनांक से ही विलोपित कर दिया गया। काफी अधिसूचित कृषि जिन्सों की अनुसूची में शामिल है।

(4) जी हां। राज्य के बाहर उत्पादित गुड व शक्कर आदि जिन्सों पर राज्य में क्रय विक्रय एवं लाने पर 1.60 रु. प्रति सैकड़ा मण्डी शुल्क उदग्रहणीय है।

(5) जी नहीं। ऐसी कृषि जिन्सों पर प्रभावी अधिनियम/नियम एवं उपविधि के निहित प्रावधानान्तर्गत मण्डी शुल्क उदग्रहणीय है।

परिशिष्ट-अ

राजस्थान कृषि उपज मण्डी कानून

AMENDED SCHEDULE 1

अनुसूची

देखिए धारा 2(1) (1)

1	तन्तु	कपास
2	धान्य	गेहूं, जौ, बेजड़, गौचना, गोजरा, ज्वार, मक्का, बाजरा, धान्य (पेडी)
3	फली वाले धान्य	मूंग, अरहर, उड़द, चोला, बटला, चना, मूंगफली, मोठ, ग्वार, कुल्थी, मसूर
4	तिलहन	तिल, सरसों, राई, तारा, अलसी, अरण्ठी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, रायला

5	फल	नींबू, माल्टा, सन्तरा, सीताफल, पपीता, अमरूद, आम, खरबूजा, तरबूज, अनार, सिंगाड़ा, केले, बेर, मौसमी, अंगूर, फालसा, खीरा, ककड़ी, सेव, शहतूत, खिरनी, चीकू, लीची, लोकाट, आंवला, खुरमानी, आडू, जामुन, कमलगट्टा, आलू बुखारा
6	सब्जियां	आलू, शकरकन्द, प्याज, टमाटर, कद्दू, फूलगोभी, बन्दगोभी, गाजर, बैगन, मूली, हरी मिर्च, भिण्डी, हरी मटर, लहसुन, टिण्डा, लौकी, अरबी, तोरई, करेला, हरी चौहलई, हरी हल्दी, करौंदा, कैरी, सलगम, चुकन्दर, परवल, जमीकन्द, कटहल, कमलककडी, रतालू, अदरक
7	पशुपालन उत्पादन	ऊन और घी, [जूट (ऊंट व बकरी के बाल)], बटर आयल
8	मसाले	जीरा धनियां, लाल मिर्च, मैथी, सौफ, अजुवाइन, सौंठ
9	वन उपज	इमारती लकड़ी (हस्तशिल्प विनिर्माण के लिए आयातित लकड़ी को छोड़कर)
10	विविध	पोस्त के दाने, पोस्त की डोडी, गुड, चीनी, खाण्ड खाण्डसारी, इसबगोल मेहन्दी, अश्वगंधा, फूल, फूलों की सूखी पत्तियां, चायपत्ति, काफी, पिण्डखजूर, सोनामुखी

परिशिष्ट-ब

धारा 17 – (राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961) – जो लाईसेंसधारी मण्डी क्षेत्र में कृषि उपज खरीद करे या बेचे उनसे मण्डी शुल्क निर्धारित तरीके से तथा ऐसी दर से मण्डी समिति वसूल करेगी जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करें जो (रु. 2/-) प्रति एक सौ रुपये के मूल्य की कृषि उपज की अधिकतम सीमा के अधीनस्थ रहेगा।

उक्त धारा के तहत राज्य सरकार ने निम्न प्रकार मण्डी शुल्क वसूल किया जाना अधिसूचित कर रखा है।

क्र.सं.	नामित अधिसूचित कृषि उपज	वर्तमान दर प्रतिशत (%) में एवं प्रभावी तिथि
1	जीरा	0.50 12.07.2004

क्र.सं.	नामित अधिसूचित कृषि उपज	वर्तमान दर प्रतिशत (%) में एवं प्रभावी तिथि
2	इसबगोल	0.50 12.07.2004
3	सरसों	1.00 08.03.2006
4	तिलहन	1.00 28.03.2006
5	ज्वार	0.50 19.10.2006
6	बाजरा	0.50 19.10.2006
7	मक्का	0.50 19.10.2006
8	शेष अधिसूचित जिन्स	1.60 01.10.1991

नियम 58 (राजस्थान कृषि उपज विपणी नियम, 1963) – (1) मण्डी समिति, मण्डी (क्षेत्र) में क्रय तथा विक्रय की गई कृषि उपज पर (विज्ञप्ति के जरिये सरकार द्वारा) निर्दिष्ट दरों से, (शुल्क) वसूल करेगी।

परन्तु किसी भी ऐसी अधिसूचित कृषि उपज पर कोई फीस उद्‌गृहीत नहीं की जायेगी जिस पर किसी मण्डी क्षेत्र में फीस उदगृहीत कर लगायी गई हो यदि ऐसी अधिसूचित उपज को खरीदने या बेचने वाला व्यक्ति प्रारूप XI में विहित रीति से यह घोषणा प्रस्तुत कर दे कि अधिसूचित कृषि उपज पर राज्य के किसी अन्य मण्डी क्षेत्र में फीस पहले ही उद्‌गृहीत कर ली गई है।

स्पष्टीकरण-(ए) इस नियम के प्रयोजन के लिए, किसी मण्डी (क्षेत्र) में किसी उपज का विक्रय करना समझा जायेगा। यदि विक्रय के प्रयोजनार्थ उसको मण्डी (क्षेत्र) में किसी लाईसेंसधारी तोलने वाले, मापने वाले या सर्वेक्षण ने तोला, मापा या सर्वेक्षण किया हो, चाहे उक्त बेचान के कारण कृषि उपज की सम्पत्ति मण्डी (क्षेत्र) के बाहर किसी व्यक्ति को हस्तान्तरित हो गई है।

(बी) तथा इस नियम के प्रयोजनार्थ समस्त अधिसूचना कृषि उपज जो मण्डी (क्षेत्र) से बाहर ले जाई गई हो या ले जानी हो, तब तक कि इसके विपरीत साबित न की जाये, उसका क्रय तथा विक्रय मण्डी (क्षेत्र) में होना माना जायेगा।

(2) मण्डी (क्षेत्र) में क्रय या विक्रय की गई कृषि उपज पर, उपनियम (1) के अनुसार लागू किया गया (शुल्क) एक बार से अधिक नहीं लगाया जायेगा।

(3) मण्डी समिति, उपनियमों (उपविधियों) के प्रावधानानुसार मण्डी

(क्षेत्र) में कार्य करने वाले व्यापारियों, दलालों, तौलने वालों, मापने वाले सर्वेक्षकों, भण्डारीकरण वालों तथा अन्य व्यक्तियों पर लाइसेंस फीस भी लागू करेगी और वसूल करेगी।

(4) विलोपित

(5) ऐसा विकेता जो विक्रय के लिए लाई गई उपज का स्वयं उत्पादक है और उक्त उपज का खरीदने वाला खरीददार अपनी निजी तथा अपने पारिवारिक उपयोग के लिए उसे खरीदे तो इस नियम के अधीन वे कोई भी शुल्क देने से मुक्त रहेंगे।

उपविधि 17(7) – कोई अनुज्ञापत्रधारी व्यापारियों 'क' वर्ग दलाल या औद्योगिक समुत्थान जो राज्य के बाहर से मण्डी क्षेत्र में विक्रय या प्रसंस्करण करने के लिए कोई कृषि उपज लाता है तो वह ऐसी उपज के आगम की सूचना प्रपत्र संख्या 5 में मण्डी समिति कार्यालय में दूसरे दिन शाम 5.00 बजे तक प्रस्तुत करेगा। ऐसा न किये जाने पर अधिकतम एक सप्ताह की अवधि 5/- रुपये प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लिया जावेगा। इस अवधि के समाप्त होने पर अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों में निहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी। ऐसी उपज के आमद के पश्चात पड़ने वाले संग्रह दिवसों में उपरोक्त प्रकार से बीजक के आधार पर मण्डी शुल्क समिति कार्यालय में जमा कराया जावेगा।

उपविधि संख्या 17(7) के अन्तर्गत

प्रपत्र संख्या 5

सूचना का प्रपत्र

कृषि उपज मण्डी समिति...............

पुस्तक संख्या ....क्रमांक............दिनांक.............

प्रेषक फर्म का नाम.....................

क्रसं.	आगम की दिनांक	व्यापारी का नाम व पता जिसमें कृषि जिन्स आयात की गई	कृषि उपज का नाम	मात्रा क्विं में
1	2	3	4	5

मूल्यांकन रु. में	बिल नम्बर व दिनांक	ट्रक नम्बर जिसके द्वारा कृषि उपज लाई गई	विशेष विवरण
6	7	8	9

संलग्न–बिल व बिल्टी की प्रति

हस्ताक्षर प्रेषक फर्म

अजमेर पुरातत्व संग्रहालय में आर्कियोलोजिकल मोन्यूमेंट का रख-रखाव

337. **श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण) : क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कुल कितने पुरातत्व सर्किट बने हुए हैं व इनके अन्तर्गत आने वाले कौन-कौन से जिले हैं? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) अजमेर पुरातत्व संग्रहालय सर्किट में आने वाले आर्कियोलोजिकल मोन्यूमेंट कौन-कौन से हैं? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि चश्मा-ए-नूर इसमें से एक है? यदि हां, तो इसे इस सूची में कब सम्मिलित किया गया? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें

(4) क्या यह भी सही है कि चश्मा-ए-नूर इमारत वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है? क्या सरकार इसका पुनरूद्धार कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि चश्मा-ए-नूर के पास बहने वाले बरसाती झरने के रास्ते में एवं मुख्य कक्ष के सामने स्थित बावड़ी में वर्तमान में अंग्रेजी बबूल व अन्य कूड़ा करकट भरे होने से इसमें आने वाले बरसाती पानी का रास्ता अवरुद्ध हो गया है? क्या सरकार इसकी सफाई कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(6) गत तीन वर्षों में अजमेर में सरकार द्वारा ऐसे कितने आर्कियोलोजिकल मोन्यूमेंट्स का पुनरूद्धार कराया गया तथा उन पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राज्य में विभाग के अधीन कुल 7 सर्किट (वृत्त) बने हुये हैं, जिनमें आने वाले जिले निम्न प्रकार हैं :-

(कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री)

क्र. सं.	सर्किल का नाम	जिले
1	जयपुर	जयपुर, सीकर, दौसा एवं झुंझुनूं एवं अलवर
2	जोधपुर	जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली एवं जालौर
3	बीकानेर	बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर एवं श्रीगंगानगर
4	उदयपुर	उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमन्द, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़
5	कोटा	कोटा, बून्दी, बारां, झालावाड़ एवं सवाईमाधोपुर
6	अजमेर	अजमेर, नागौर, टोंक एवं भीलवाड़ा
7	भरतपुर	भरतपुर, करौली एवं धौलपुर

(2) अजमेर सर्किट (वृत्त) में आने वाले स्मारकों की सूची परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(3) जी हां, विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक 'नूर ए चश्मा' को शासन की अधिसूचना दिनांक 16.07.2008 द्वारा संरक्षित स्मारकों की सूची में सम्मिलित किया गया है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4) जी हां। वर्तमान में नूर ए चश्मा के संरक्षण कार्य हेतु कोई बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं है। वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर इस स्मारक में संरक्षण कार्य करवाये जाने पर विचार किया जायेगा।

(5 जी हां, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इस स्मारक के आस-पास सफाई करवाने पर विचार किया जायेगा।

(6) विभाग द्वारा गत तीन वर्षों एवं चालू वित्तीय वर्ष में अजमेर स्थित निम्न स्मारकों का पुनरूद्धार कार्य करवाया गया हैं :-

क्र. सं.	स्मारक का नाम	व्यय राशि (लाखों में)	वर्तमान स्थिति
1	अकबर फोर्ट, अजमेर	271.12	कार्य प्रगति पर
2	अजयपाल मन्दिर, अजमेर	120.56	कार्य प्रगति पर
3	तारागढ़ फोर्ट, अजमेर	230.07	कार्य प्रगति पर

(कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री)

क्र. सं.	स्मारक का नाम	व्यय राशि (लाखों में)	वर्तमान स्थिति
4	घण्टाघर एवं शहीद स्मारक, अजमेर	21.00	कार्य पूर्ण
5	बघेरा गांव, अजमेर	8.69	कार्य प्रगति पर
6	संतोष बावला की छतरी, पुष्कर (अजमेर)	22.32	कार्य पूर्ण

परिशिष्ट-अ

अजमेर सर्किल (सर्किट) में आने वाले स्मारकों की सूची

जिला अजमेर

1	अकबर का किला या मैगजीन या दौलत खाना	अजमेर
2	अकबर के किले का मुख्य द्वार	अजमेर
3	टोड़ा तथा दिगम्बरों की जैन छतरियां	अजमेर
4	गोपीनाथजी का मंदिर	सरवाड़
5	संतोष बावलाजी की छतरी	पुष्कर
6	चामुण्डा देवी का मंदिर	अजमेर
7	घंटाघर	अजमेर
8	नूरचश्मा	अजमेर
9	तोरण स्तम्भ, ग्राम बघेरा	केकड़ी
10	शूकरवराह मंदिर, ग्राम बघेरा	केकड़ी
11	आगरा गेट	अजमेर
12	ऊसरी गेट	अजमेर
13	मदार गेट	अजमेर
14	अलवर गेट	अजमेर
15	शिवलिंग, ग्राम नांद	पुष्कर
16	किला	सरवाड़

17	किला ग्राम फतहगढ़	सरवाड़
18	शिव मन्दिर, ग्राम अजयपाल	अजमेर
19	कोतवाली गेट	अजमेर

जिला नागौर

1	नागौर का किला	नागौर
2	नागौर की आबकरी मस्जिद	नागौर
3	शाम की मस्जिद	नागौर
4	तारकिन दरवाजा या बुलन्द दरवाजा	नागौर
5	अमरसिंह की छतरी	नागौर
6	अबकरी मस्जिद का शाही मस्जिद	मेड़ता सिटी
7	मालकोट	मेड़ता सिटी
8	शिव मंदिर	थावला
9	शिव मंदिर	केकींद
10	लाडनूं दुर्ग के बाहर, खसरा नम्बर 941 में स्थित मंदिर-मस्जिद	लाडनूं
11	ग्राम छोटी खाटू (खसरा नम्बर 1460) जिला नागौर स्थित प्राचीन ''फूल बावड़ी'' नामक वापी (बावड़ी) व उसमें बडी प्रतिमाऐं तथा बावड़ी के आस-पास चारों ओर 50 मीटर तक का क्षेत्र	छोटी खाटू
12	दधिमति माता मन्दिर	गोठमांगलोद
13	अप्पाजी सिंघया की छतरी, ग्राम ताऊसर	नागौर
14	देवी मन्दिर खुण्डाला, चारों ओर के 50 मीटर क्षेत्र को सम्मिलित करते हुये	खींवसर
15	छतरिया, तांतवास	खींवसर
16	मीरा महल	मेड़ता सिटी
17	रावदूदागढ़	मेड़ता सिटी
18	पाडामाता मन्दिर, ग्राम बालिया	डीडवाना
19	नाथों का मठ, ग्राम बड़ली	नागौर

जिला टोंक

1	टोंक नगर के नजर बाग महल स्थित दो मंजिली सुनहरी कोटी व उसके चारों ओर की 50 मीटर का क्षेत्र	टोंक

जिला भीलवाड़ा

1	मीनार (प्रहरी स्तम्भ)	माण्डल
2	छतरी (बत्तीस खम्भों की छतरी)	माण्डल
3	प्रतिमाओं युक्त शीतला मंदिर	घहनोप (धनोप)
4	विष्णु मंदिर	घोड
5	रूठी रानी का मंदिर	घोड
6	दुर्ग माण्डलगढ़	माण्डलगढ़
7	स्वर्गीय श्री केसरीसिंह बारहठ का भवन जो अब श्री आत्मानन्द मानव की पत्नी श्रीमती नर्मदा देवी के कब्जे में बताया जाता है, किन्तु अब इस विभाग के स्वामित्व में है।	शाहपुरा में जैन मंदिर से लगा हुआ तथा चारभुजा मंदिर के नजदीक नगरपालिका शाहपुरा सं. 9/346

परिशिष्ट-ब

ग 1(ख)   राजस्थान राज-पत्र जुलाई 16, 2008   281(5)

जयपुर, जुलाई 10, 2008

संख्या एफ 5 (7) क. सं./08:- राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 5(6) क.सं./08/दिनांक 25-4-2008 जो राजस्थान राज-पत्र के विशेषांक में दिनांक 1-5-2008 के भाग-7 पृष्ठ 13(2) 13(3) में प्रकाशित हुई के द्वारा निम्न अनुसूची जैसा कि राजस्थान स्मारक पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम, 1961 (राजस्थान अधिनियम संख्या 19, सन 1961) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा अपेक्षित है, उक्त भवन व उससे संलग्न संरचनाओं में हित रखने वाले व्यक्तियों को उक्त अधिसूचना के राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित होने से दो माह के अन्दर आपत्तियां प्रस्तुत करने की समय सीमा सुनिश्चित की गई थी।

उक्त अधिसूचना दिनांक 1 मई, 2008 के सम्बन्ध में प्रकाशन के दो माह की अवधि में कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

अतः अब राजस्थान स्मारक पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम, 1961 (राजस्थान अधिनियम संख्या 19, सन 1961) की धारा 3 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नांकित अनुसूची में निर्दिष्ट भवन व संरचनाओं को उक्त अधिनियम के तात्पर्य एवं प्रयोजनार्थ रक्षित स्मारक होना घोषित करती है :-

अनुसूची

क्र. सं.	स्मारक/वस्तु/ स्थान का नाम	तहसील	जिला	महत्व
1	2	3	4	5
1	घंटाघर	अजमेर	अजमेर	ब्रिटिश काल में महारानी विक्टोरिया गोल्डन जुबली वर्ष पर निर्मित यह बहुमंजिला कलात्मक घंटाघर गुम्ब्द, गोलाकार भवन एवं सीढियों, गवाक्षों आदि से युक्त है तथा चतुर्दिक घड़ियों से सुसज्जित है।
2	नूरचश्मा	अजमेर	अजमेर	मुगलकाल में तारागढ़ पहाड़ी की पश्चिमी घाटी में जहांगीर द्वारा अपने अजमेर प्रवास के दौरान 1614 ई. में पहाड़ियों के मध्य बहने वाले झरने पर इस सुन्दर प्राचीन महल उदयान स्थल का निर्माण करवाया।
3	तोरण स्तम्भ, ग्राम बघेरा	केकड़ी	अजमेर	यह आकर्षक एवं विशाल तोरण स्तम्भ मध्यकालीन चौहान कला की भव्य कृति है। तोरण स्तम्भों एवं मध्य के भाग में उत्कीर्ण मानवकृतियों एवं अलंकरणों की बारीक कुराई तत्कालन शिल्पकला कली उत्कृष्टता का प्रतीक है।

1	2	3	4	5
4	शुकरवराह मन्दिर ग्राम बघेरा	केकड़ी	अजमेर	वराह सागर के दक्षिणी पाल पर स्थित यह मध्यकालीन देवालय अलंकरण युक्त शिखर, गर्भगृह, स्तम्भों, सहित सभा मण्डल से युक्त है। इसका जंघाभाग प्राचीन है तथा गर्भगृह में शूकर वराह की अत्यन्त आकर्षक, विलक्षण, विशाल एवं अनूठी श्याम वर्ण प्रतिमा (जिसमें 525 आकृतियों को इस श्री विग्रह में पिरोया गया है) पूजान्तर्गत है।
5	आगरा गेट	अजमेर	अजमेर	मुगल सम्राट अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी ई. के उत्तरार्ध में अकबरी किले की सुरक्षा हेतु नगरकोट निर्माण के समय यह विशाल द्वार निर्मित करवाया गया।
6	ऊसरी गेट	अजमेर	अजमेर	मुगल सम्राट अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी ई. के उत्तरार्ध में अकबर किले की सुरक्षा हेतु नगरकोट निर्माण के समय यह विशाल द्वार निर्मित करवाया गया।
7	मदार गेट	अजमेर	अजमेर	मुगल सम्राट अबकर द्वारा 16वीं शताब्दी ई. के उत्तरार्ध में अबकरी किले की सुरक्षा हेतु नगरकोट निर्माण के समय यह विशाल द्वार निर्मित करवाया गया।
8	अलवर गेट	अजमेर	अजमेर	मेयो कालेज (1875 ई.) अजमेर में अलवर के राजकुमार के प्रथम प्रवेश के अवसर पर 19वीं शताब्दी ई. में अलवर स्टेट द्वारा 10 मीटर ऊंचा व 8 मीटर चौड़ा यह द्वार निर्मित किया गया।

1	2	3	4	5
9	शिवलिंग ग्राम नांद	पुष्कर	अजमेर	पुरातात्विक एवं शिल्पांकन की दृष्टि से कुषाणकालीन (2-3 शताब्दी ई.) का प्रतिनिधित्व करने वाला यह चतुर्मुखी मानवाकार शिवलिंग अत्यन्त अनूठा एवं प्राचीन है। लिंग पर उत्कीर्ण पुरुष आकृतियां कुषाणकालीन शिरोवेष्ठित है। लिंग के ऊपरी भाग पर उकड़ू बैठे शिव (लकुलीश) का अंकन शेव शिल्प के इतिहास में अनोखा है। लिंग पर सनाल, कमल तथा चक्रधारी विष्णु, हलधर बलराम तथा लक्ष्मी का अंकन है। लकुलीश शिव के साथ-साथ सौर्य वैष्णव व शाक्त भावों के कारण इसका अत्यधिक सांस्कृतिक महत्व है।
10	किला	सरवाड़	अजमेर	उत्तर मध्यकालीन तीन परकोटे, नहरों तथा सात मजबूत द्वारों वाला यह विशाल किला चारों ओर ऊपरी हिस्से में बुर्जों युक्त है। किले के अन्दर शीश महल, तहखाने तथा भवनों के छज्जों, झरोखे पर सुन्दर नक्काशी चित्ताकर्षक है।
11	किला ग्राम फतहगढ़	सरवाड़	अजमेर	17वीं शताब्दी ई. में महाराणा फतहसिंह द्वारा निर्मित यह प्राचीन किला सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जों, विशाल दरवाजों एवं सुरक्षात्मक साधनों से युक्त है।

1	2	3	4	5
12	शिव मंदिर, ग्राम अजयपाल	अजमेर	अजमेर	मूलतः प्रतिहार कालीन (8वीं शताब्दी ई.) में निर्मित इस शिव मन्दिर का जीर्णोद्धार 11-12वीं शताब्दी ई. में हुआ। अतः इस सादे स्थापत्य के मन्दिर पर चौहान कालीन स्थापत्य कला की छाप है। कालान्तर में इसे अजयपाल मन्दिर के नाम से जाना जाने लगा।

एस. अहमद

प्रमुख शासन सचिव

जयपुर शहर में स्वीकृत बीयर बार/मदिरा विक्रय केन्द्र

338. **श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2003 से 2008 तक जयपुर शहर में शराब की कहां-कहां और कितनी दुकानें थीं और 2008 से 2011 तक कितनी दुकानें हैं? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) वर्ष 2003 से 2008 तक जयपुर शहर में कितनी बीयर बार के लाइसेंस उपलब्ध करवाये गये और 2008 से 2011 तक शहर में कितनी बीयर बार के लाइसेंस दिये गये? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) गत 8 वर्षों में शराब पर कर लगाने से कितने राजस्व की प्राप्ति हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान में सरकार की आबकारी नीति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जयपुर शहर में शराब की दुकानों की वर्षवार संख्या एवं उनकी अवस्थिति का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) वर्षवार स्वीकृत बीयर बार लाइसेंस की सूचना परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(आबकारी मंत्री)

(3) शराब पर कर आदि लगाने से गत 8 वर्षों में कुल 13963.30 करोड रु. का राजस्व प्राप्त हुआ है, जिसका वर्षवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) राज्य सरकार द्वारा घोषित की गई आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 की प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले के बाल श्रमिकों का सर्वे

339. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्रम विभाग द्वारा जिला स्तर पर बाल श्रम को रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है? यदि हां, तो अलवर जिले में गठित टास्क फोर्स के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गठित टास्क फोर्स द्वारा विगत दो वर्षों में कितने बाल श्रमिकों को मुक्त करवाकर उनका पुनर्वास किया गया? मुक्त कराये गये बच्चों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विगत तीन वर्षो में बाल श्रमिकों की पहचान के लिए सर्वे कार्य करवाया गया है? यदि हां, तो उक्त सर्वे को नहीं करने के लिए कौन दोषी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि श्रम विभाग को बाल श्रमिकों का नियमित रूप से सर्वे करना अनिवार्य है? यदि हां, तो उक्त सर्वे को नहीं करने के लिए कौन दोषी है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। अलवर जिले में गठित टास्क फोर्स के सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त टास्क फोर्स द्वारा विगत दो वर्षों में मुक्त कराए गए बालकों की संख्या 3 है। राज्य में सभी 33 जिलों में मुक्त कराये गये 692 बालकों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा विगत 3 वर्षों में बाल श्रमिकों की पहचान के लिये कोई सर्वे कार्य नहीं कराया गया है। क्योंकि केन्द्र सरकार

(श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री)

द्वारा सर्वे हेतु राशि उपलब्ध कराने पर सर्वे कार्य कराया जाता है। राज्य के 27 जिलों में श्रम मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना चलाई जा रही है। केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता के अनुसार जयपुर, अलवर, उदयपुर, जालौर, बांसवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, टौंक, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, पाली, नागौर, झालावाड़, भरतपुर, झुन्झुनू एवं बारां में सर्वे कार्य कराया जा रहा है जिसका विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के अन्तर्गत बाल श्रमिकों के लिए विद्यालय संचालन हेतु सर्वे कराया जाता है। एक बार सर्वे में चिन्हित बालकों को 3 वर्ष तक शिक्षा प्रदान कर राजकीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाता है, तत्पश्चात् पुनः नवीन विद्यालयों हेतु बालकों के चयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राशि आबंटन की स्थिति में सर्वे कराया जाता है। अतः नियमित रूप से सर्वे कराने का कोई प्रावधान नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लाखेरी (बून्दी) में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना

340. **श्री सी.एल. प्रेमी** (केशोरायपाटन) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन के लाखेरी में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं । विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन के लाखेरी में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

सिरोही जिले के बस सुविधा रहित ग्राम पंचायत मुख्यालय

341. **श्री ओटाराम देवासी** (सिरोही) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सिरोही की कितनी ग्राम पंचायत मुख्यालयों को निगम बस सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है? ग्राम पंचायतवार एवं विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ओटाराम देवासी)

(2) क्या यह सही है कि सिरोही जिले में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर लगभग 3500 से 5000 तक की आबादी है तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत के अधीन चार से पांच गांवों की लगभग 5 हजार से भी अधिक की आबादी है, लेकिन सरकार द्वारा एक ग्राम पंचायत में 10 हजार की आबादी होने के उपरान्त भी सिरोही जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोडवेज बस सुविधाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार जिला सिरोही के ग्राम पंचायत मुख्यालयों को निगम बस सुविधा से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला सिरोही की 149 ग्राम पंचायतों में से 75 ग्राम पंचायत मुख्यालयों को निगम बस सुविधा का लाभ मिल रहा है तथा 74 ग्राम पंचायत मुख्यालयों को निगम बस सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है, ग्राम पंचायतवार एवं विधान सभा क्षेत्रवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है ।

(2) जी नहीं । सिरोही जिले की निगम बस सेवा से वंचित 74 ग्राम पंचायतों में से 8 ग्राम पंचायतों की 3000 से 5000 के मध्य आबादी है, 5000 से अधिक आबादी वाली 7 ग्राम पंचायतें हैं तथा शेष 49 ग्राम पंचायतें 3000 से कम आबादी वाली हैं। विवरण परिशिष्ट-2 पर अवलोकनीय है। निगम के सीमित संसाधनों के कारण इन ग्राम पंचायतों का अभी तक निगम बस सेवा सुविधा का लाभ नहीं दिया जा रहा हैं ।

(3) जी हां । बजट घोषणा वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निगम द्वारा पीपीपी माडल पर बस सेवाओं का विस्तार किया जावेगा और अगले तीन वर्षों में समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों को बस सेवा से जोड़ा जायेगा । इस घोषणा की क्रियान्विति के दौरान बस सेवा से वंचित सिरोही जिले के ग्राम पंचायत मुख्यालयों को भी बस सुविधा से जोड़े जाने का विचार है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नागरिकों को प्राप्त अधिकार

342. **श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमण्डी) : क्या प्रशासनिक सुधार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

(1) लोकसेवा गारन्टी अधिनियम में राज्य के नागरिकों को क्या-क्या अधिकार दिये गये हैं?

(2) राज्य में किस-किस विभाग के क्या-क्या कार्य इस कानून की परिधि में आते हैं?

(3) उक्त अधिनियम के लागू होने के पश्चात् इसकी अवहेलना के कुल कितने प्रकरण सरकार के ध्यान में आये तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 में राज्य के नागरिकों को इस अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाओं की समयबद्ध प्राप्ति एवं समयबद्ध सेवा या उत्तर प्राप्त नहीं होने पर अपील का अधिकार दिया गया है।

(2) राज्य के 15 विभागों की 124 सेवाएं इस अधिनियम की परिधि में ली गई हैं। विभागवार सेवाओं की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) अवहेलना का एक प्रकरण जिला कलक्टर बीकानेर द्वारा सरकार के ध्यान में लाया गया है। जिसमें जिला कलक्टर, बीकानेर ने द्वितीय अपील प्राधिकारी के रूप में उपखण्ड अधिकारी, पूंगल के विरुद्ध सुनवाई कर संबंधित उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, रीडर, भू-अभिलेख निरीक्षक एवं संबंधित हल्का पटवारी पर शास्ति अधिरोपित कर, प्रार्थीगण अपीलांट को प्रतिकर दिलाया गया है। सूचना परिशिष्ट-2 पर है। अन्य अपीलों पर निर्णय प्रक्रियाधीन है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

वृद्ध/अशक्त/असाध्य रोग पीड़ित कैदियों की रिहाई

343. श्री रोहिताश कुमार (बानूसर) एवं **श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर) : क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य की जेलों में 70 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष व 65 वर्ष से अधिक आयु की कितनी महिलाएं सजायाफ्ता हैं तथा इनमें से कितने पुरुष व महिला कैदी असाध्य रोगों से पीड़ित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि बुजुर्ग, असक्षम व असाध्य रोग से ग्रसित

(श्री रोहिताश कुमार)

कैदियों के लिए समय से पूर्व रिहाई के लिये कोई प्रावधान है? यदि हां, तो उक्त प्रावधानानुसार विगत 3 वर्षों में कितने-कितने कैदियों को रिहा किया गया?

उत्तर

(1) दिनांक 01.02.2012 की स्थिति के अनुसार राज्य की जेलों में 70 वर्ष व अधिक आयु के 163 पुरुष सजायाफ्ता बंदी एवं 65 वर्ष व अधिक आयु की 14 महिला सजायाफ्ता बंदी निरुद्ध है, का पूर्ण विवरण परिशिष्ट-ए पर उपलब्ध है एवं इसमें से केवल 3 पुरुष सजायाफ्ता बंदी असाध्य रोग से पीड़ित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-बी पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। बुजुर्ग, असक्षम व असाध्य रोग से ग्रसित कैदियों के लिये समयपूर्व रिहाई के लिये समयपूर्व रिहाई नियम 2006 में प्रावधान है। गत तीन वर्षो में 2009, 2010 एवं 2011 की अवधि में 6 बंदियों को समयपूर्व रिहा किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले में मास्टर प्लान हेतु चयनित ग्राम

344. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में दस हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों के विकास हेतु ग्राम मास्टर प्लान तैयार करवाये जा रहे हैं? यदि हां, तो उक्त योजना के तहत बाड़मेर जिले के किन-किन गांवों को चयनित किया गया है? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार उक्त योजना को लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा की अनुपालना में 10,000 से अधिक आबादी के ग्रामों का प्रथम चरण में नगर नियोजन विभाग स्तर से मास्टर प्लान तैयार किये जा रहे हैं। उक्त योजना के तहत बाड़मेर जिले के निम्न गांवों को चयनित किया गया है :-

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

क्र.सं.	ग्राम का नाम	पंचायत समिति
1.	चौहटन	चौहटन
2.	सिवाना	सिवाना
3.	समदड़ी	समदड़ी

(2) जी हां। द्वितीय चरण में पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से ग्राम पंचायत मुख्यालय के ग्रामों के मास्टर प्लान तैयार कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्रीगंगानगर जिले की मण्डी समितियों को खाण्डसारी व्यवसाय से प्राप्त राजस्व

345. श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जिला श्रीगंगानगर में वर्ष 2007 से 2011 तक मण्डी समितियों में गुड, चीनी का कितना कारोबार हुआ व उक्त से मण्डी समिति को कितना शुल्क प्राप्त हुआ? मण्डीवार व वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला श्रीगंगानगर में वर्ष 2007 से 2011 तक मण्डी समितियों में गुड व चीनी से प्राप्त मण्डी शुल्क व आवक का मण्डीवार व वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'अ' के अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

धौलपुर पंचायत समिति में नियुक्त आशा सहयोगिनियां

346. श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम पंचायतों में आशा सहयोगिनी नियुक्ति करने की पात्रता क्या है?

(2) क्या जिला धौलपुर में पंचायत समिति धौलपुर की ग्राम पंचायत में हाल ही में आशा सहयोगिनी की नियुक्तियां की गई हैं? यदि हां, तो किन-किन महिलाओं ने आवेदन किया था? सूची एवं उनकी योग्यता का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री रविन्द्र सिंह बोहरा)

(3) उक्त पंचायत समिति में किसको नियुक्ति दी गई और अन्य को किस आधार पर पात्र नहीं माना गया?

(4) उक्त नियुक्तियों हेतु आवेदन किस स्तर पर प्राप्त किये जाते हैं? क्या आवेदकों को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र, आवेदन फार्म पत्र व अन्य कागजात की प्राप्ति रसीद दी जाती है? यदि हां, तो किस रूप में और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) आशा सहयोगिनी के चयन की पात्रता संबंधी परिपत्र परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) जी, हां, चयन कार्य सम्पन्न किया गया है। आशा सहयोगिनी के लिए आवेदन की गई महिलाओं के नाम एवं उनकी योग्यता का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) उक्त पंचायत समिति में चयन की गई महिलाओं की सूची परिशिष्ट-स में समाहित है। अपात्रता के आधार से सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(4) उक्त नियुक्तियों हेतु आवेदन ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त किये जाते हैं। आवेदकों को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन/प्रमाण पत्र प्राप्ति की रसीद नहीं दी जाती वरन ग्राम पंचायत के ग्राम सभा रजिस्टर में इन्द्राज की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में शराबबंदी हेतु कार्य योजना

347. श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनवरी, 2009 से जनवरी, 2012 तक राज्य के सभी जिलों में शराब की कितनी-कितनी मात्रा में बिक्री हुई? माहवार, जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में शराब पीने वालों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है? क्या सरकार प्रदेश में जनहित में शराबबन्दी लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

(3) क्या सरकार शराब की दुकानों की भांति प्रदेश के होटलों/रेस्त्रां/बार आदि में रात्रि 10.00 बजे बाद शराब की बिक्री पर रोक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जनवरी, 2009 से जनवरी, 2012 तक भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर एवं देशी मदिरा की बिक्री की मात्रा का माहवार, जिलेवार विवरण संलग्न परिशिष्ट - 1, 2, 3 व 4 पर है।

(2) इस तरह के आनुभविक (Empirical data) आंकड़े विभाग द्वारा नहीं रखे जाते हैं। आबकारी नीति के अनुसार मद्य संयम हेतु प्रयास किये जाते रहे हैं तथा मदिरा पात्रों पर इस चेतावनी का भी अंकन किया जाता है कि "मदिरा सेवन स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है"। शराब बन्दी का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) शराब की दुकानों के बन्द होने का समय रात्रि 10.00 बजे तक नही होकर रात्रि 8.00 बजे तक ही है। होटल/रेस्त्रां में रात्रि 10.00 बजे बाद शराब की बिक्री पर रोक लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान आबकारी (ग्रान्ट आफ होटल बार/क्लब बार लाइसेंसेज रूल्स) 1973 के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले होटल बार लाइसेंस की शर्त संख्या 5 के अनुसार होटल बार में 24 घण्टे मदिरा बिक्री/सर्व करने का प्रावधान है।

राजस्थान आबकारी (ग्रान्ट आफ रेस्टोरेन्ट बार लाइसेंसेज रूल्स) 2004 के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले रेस्टोरेन्ट बीयर लाइसेंस की शर्त संख्या 5 में रेस्टोरेन्ट मे आने वाले व्यक्तियों को रात्रि 12.00 बजे तक शराब सर्व/बिक्री का प्रावधान है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चौमूं में ई.एस.आई. चिकित्सालय की स्थापना

348. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिक व कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाती है? यदि हां, तो

(श्री भगवान सहाय सैनी)

तहसील क्षेत्र चौमूं के औद्योगिक क्षेत्र (रीको) मन्डा भिण्डा में श्रमिकों व कर्मचारियों के लिए क्या सुविधा उपलब्ध है?

(2) क्या सरकार मन्डा भिण्डा चौमूं में एक ई.एस.आई. चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या औद्योगिक क्षेत्र कालाडेरा के लिए कोई ई.एस.आई. चिकित्सालय उपलब्ध है? यदि हां, तो वह कहां कार्यरत है और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा केवल कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अधीन आने वाले बीमितों को ही कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा सुलभ कराई जाती है। तहसील क्षेत्र चौमूं के औद्योगिक क्षेत्र (रीको) मन्डा भिण्डा में श्रमिको व कर्मचारियों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू नहीं है। क्षेत्रीय कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 22.3.2012 (प्रति संलग्न है) के अनुसार उक्त क्षेत्र में पर्याप्त यूनिटों के अभाव में निगम द्वारा सर्वे नहीं किया गया है। फेज प्रोग्राम में शामिल होने पर सर्वे कार्य निगम द्वारा करवाया जा सकेगा।

(2) उक्त औद्योगिक क्षेत्र में नया ई.एस.आई. चिकित्सालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम नई दिल्ली के प्रस्ताव पर ही प्रारम्भ किया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम नई दिल्ली द्वारा फेज प्रोग्राम में शामिल किये गये क्षेत्रों का सर्वे क्षेत्रीय कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम जयपुर द्वारा करवाया जाता है। चौमू के मन्डा भिण्डा क्षेत्र का सर्वे क्षेत्रीय कार्यालय क.रा.बी. निगम जयपुर द्वारा कराने तथा वहां श्रमिको की संख्या 3000 या अधिक होने पर ही नया कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) नहीं। उक्त क्षेत्र का सर्वे कराने के लिये क्षेत्रीय कार्यालय क.रा.बी. निगम जयपुर को अनुरोध किया हुआ है। सर्वे रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा वहां श्रमिकों की संख्या 3000 या अधिक पाये जाने पर वहां नया कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

अत्यावश्यक

क्षेत्रीय कार्यालय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

राजसीको (द्वितीय एवं तृतीय तल), उद्योग भवन,

तिलक मार्ग, जयपुर

(दूरभाष 01412385770 फैक्स 01412385776)

क्रमांक : 15/एस/11-21/2010-राजस्व-I/ दिनांक 22.03.2012

निदेशक,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

ई एस आई योजना,

लक्ष्मी नगर, अजमेर रोड,

जयपुर।

विषय :- तारांकित प्रश्न संख्या 3002/श्रनि द्वारा श्री भगवान सहाय सैनी, सदस्य विधान सभा।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके पत्र संख्या : प. 115/जी-1/वि.स./ ई.एस.आई./12/4528, दिनांक 21.03.2012 के संदर्भ में तारांकित प्रश्न संख्या 3002/श्रनि द्वारा श्री भगवान सहाय सैनी, सदस्य विधान सभा का उत्तर निम्न प्रकार प्रेषित है :-

प्रश्न	प्रश्न का उत्तर
1. क्या सरकार औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिक व कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाती है? यदि हां, तो तहसील क्षेत्र चौमूं के औद्योगिक क्षेत्र (रीको) मन्डा भिण्डा में श्रमिकों व कर्मचारियों के लिए क्या सुविधा उपलब्ध है।	चौमूं क्षेत्र में स्थित ''मन्डा भिन्डा'' में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू नहीं है। अतः चिकित्सा सुविधा से संबंधित कोई योजना विचाराधीन नहीं है। उक्त क्षेत्र में पर्याप्त यूनिटों के अभाव में सर्वे नहीं किया गया है, फेज प्रोग्राम में शामिल होने पर सर्वे कार्य निगम द्वारा करवाया जाएगा।

प्रश्न	प्रश्न का उत्तर
2. क्या सरकार मन्डा भिण्डा चौमूं में एक ई एस आई चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?	चौमूं क्षेत्र में स्थित ''मन्डा भिण्डा'' में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू नहीं है। अतः चिकित्सा सुविधा से संबंधित कोई योजना विचाराधीन नहीं है। उक्त क्षेत्र में पर्याप्त यूनिटों के अभाव में सर्वे नहीं किया गया है, फेज प्रोग्राम में शामिल होने पर सर्वे कार्य निगम द्वारा करवाया जाएगा।
3. क्या औद्योगिक क्षेत्र कालाडेरा के लिए कोई ई एस आई चिकित्सालय उपलब्ध है? यदि हां, तो वह कहां कार्यरत है और नहीं तो क्यों?	कालाडेरा में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू नहीं है। अतः चिकित्सा सुविधा से संबंधित कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

भवदीय,

वासुदेव पारवानी

उप निदेशक

कृते क्षेत्रीय निदेशक

भीम में विद्युत कनेक्शन रहित विद्यालय

349. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में कितने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कहां-कहां पर कितने समय से संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त विद्यालयों में से कितने विद्यालयों में बिजली कनेक्शन व पीने के पानी की व्यवस्था है और कितने विद्यालयों में पीने के पानी तथा बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में कम्प्यूटर शिक्षा को अनिवार्य विषय बताया गया है? क्या सरकार द्वारा कई विद्यालयों में बिजली के अभाव में कम्प्यूटर शिक्षा नहीं दी जा रही है? क्या सरकार उक्त विद्यालयों को बिजली के कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में संचालित राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं।

(2) उक्त विद्यालयों में से 196 राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बिजली कनेक्शन तथा 459 में पीने के पानी की व्यवस्था हैं। 10 विद्यालयों में पीने के पानी तथा 273 विद्यालयों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं हैं। विवरण परिशिष्ट "क" में सम्मिलित है। माध्यमिक शिक्षा के संचालित 42 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पीने के पानी की व्यवस्था है तथा 37 माध्यमिक विद्यालयों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है। जिन 5 विद्यालयों में बिजली कनेक्शन नहीं है, का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	विद्यालय का नाम
1	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बार
2	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, खेड़ी का खेड़ा
3	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जैतगढ़
4	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, नराणा
5	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, देवरिया

(3) सर्व शिक्षा अभियान के कल्प कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा जिलेवार अनुमोदित बजट के तहत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर्स उपलब्ध करवाये जाते हैं तथा विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन न होने की अवस्था में कम्प्यूटर सोलर पैनल से संचालित होते हैं। भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान हेतु जारी नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्यालयों में आंतरिक विद्युतीकरण कराया जा सकता हैं परन्तु विद्युत कनेक्शन हेतु कोई प्रावधान नहीं हैं। माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत कम्प्यूटर शिक्षा अनिवार्य विषय के रूप में कक्षा 9 व 10 में संचालित किया जा रहा है।

आई.सी.टी. योजनान्तर्गत जिन विद्यालयों को कम्प्यूटर शिक्षा हेतु कम्प्यूटर उपलब्ध करवाये गये हैं, उन विद्यालयों में एक जनरेटर सैट भी उपलब्ध करवाया जाकर कम्प्यूटर शिक्षा दी जा रही हैं। राज्य के विद्युत विहीन विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन हेतु ग्राम में विद्युत सुविधा उपलब्ध होने एवं वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर ही विद्युत कनेक्शन करवाये जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर शहर में प्रस्तावित सेटेलाइट बस स्टैण्ड

350. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के जोधपुर डिपो के राईकाबाग बस स्टैण्ड को अन्तरराज्यीय स्तर का बनाये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार उक्त विचाराधीन प्रस्ताव को स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर के विस्तार को देखते हुये राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा शहर के चारों ओर बस सेवाओं के विस्तार हेतु सेटेलाइट बस स्टैण्ड के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं? यदि हां, तो कब व कहां-कहां पर? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार उक्त सेटेलाइट बस स्टैण्ड के प्रस्ताव स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में जोधपुर डिपो के राईकाबाग बस स्टैण्ड को अन्तरराज्यीय स्तर का बनाये जाने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

(2) जोधपुर डिपो के राईकाबाग बस स्टैण्ड को अन्तरराज्यीय स्तर का बनाये जाने का प्रस्ताव ही राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है, अतः इसकी स्वीकृति दिया जाना भी सम्भव नहीं है ।

(3) वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा जोधपुर शहर के मुख्य चारों मार्गों पर सेटेलाइट बस स्टैण्ड के प्रस्ताव तैयार नहीं किये गये हैं । यदि स्थानीय निकाय ऐसे बस स्टैण्ड निर्मित करते हैं अथवा निःशुल्क भूखण्ड उपलब्ध करवा देते हैं, तो संसाधनों की उपलब्धि होने पर विचार किया जायेगा ।

(4) सेटेलाइट बस स्टैण्ड के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को नियुक्ति हेतु विशेष छूट

351. **श्री शंकर सिंह रावत** (ब्यावर) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मृत राज्य कर्मचारी श्रेणी में लगे आश्रित तृतीय श्रेणी अध्यापकों को राजकीय सेवा में कम से कम 10 वर्ष होने पर तथा प्रशिक्षित होने पर वेतन वृद्धियां प्रथम नियुक्ति तिथि से चयनित वेतनमान सरकार द्वारा दिया जा रहा है?

(2) क्या मृत राज्य कर्मचारी के आश्रित की नियुक्ति नियमित होती है तथा इनको सभी परिलाभ प्रथम नियुक्ति तिथि से देने का प्रावधान है?

(3) क्या सरकार मृत राज्य कर्मचारी के आश्रित को इनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से सभी परिलाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि मृत राज्य कर्मचारी आश्रित विधवा/ परित्यक्ता को तृतीय श्रेणी अध्यापक पद हेतु राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है? क्या सरकार उक्त पद हेतु विधवा/ परित्यक्ता के लिए राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता को समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह भी सही है कि विधवा/परित्यक्ताओं को प्री. बी. एड. परीक्षा 2012 में सम्मिलित होने के लिए बी. ए. में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है? क्या सरकार विधवा/परित्यक्ता महिलाओं हेतु बी.ए. में 45 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता को समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) मृत राज्य कर्मचारी के आश्रित की नियुक्ति नियमित होती है। इनको प्रथम नियुक्ति तिथि से नियमानुसार सभी परिलाभ देय हैं।

(3) बिन्दु संख्या 2 के अनुसार ।

(4) जी हां। राज्य सरकार के पत्रांक प. 8(14)प्राशि/2007 दिनांक 26.5.2011 के अनुसार मृतक राज्य कर्मचारी को अध्यापक पद पर नियुक्ति के

(कार्मिक मंत्री)

लिये अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। क्योंकि यह पात्रता निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद द्वारा निर्धारित की गई है जिसे समाप्त करने का कोई विचार नहीं है।

(5) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बीएड पाठयक्रम में प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यता 50 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता निर्धारित है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा विधवा/परित्यक्ता महिलाओं हेतु बी.ए. में 5 प्रतिशत अंकों में शिथिलन प्रदान करते हुए 45 प्रतिशत अंकों का निर्धारण किया गया है। राज्य सरकार 45 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता को समाप्त करने हेतु अधिकृत नहीं है। अपितु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिकृत है।

घड़साना में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

352. श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा के अनुसार प्रत्येक पंचायत समिति पर आई.टी.आई. खोली जानी थी? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार उक्त घोषणा/मानदण्ड अनुसार घड़साना में आई.टी.आई. खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बजट घोषणा 2006-07 के अनुसरण में ऐसे पंचायत समिति क्षेत्र जहाँ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति अनुसार निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जानी है। विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। घड़साना में पहले से ही एक निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित होने के कारण राज्य सरकार की उक्त नीति अनुसार घड़साना में निजी जनसहभागिता योजनान्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु उक्त योजना में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। परन्तु

(तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री)

क्षेत्रीय आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर गुणावगुणों के आधार पर घड़साना में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का विचार किया जा सकता है अथवा प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की अनुमति दी जा सकती है। विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नागौर शहर की सीवर लाइन हेतु स्वीकृत राशि

353. **श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा** (नागौर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नागौर शहर में सीवरेज लाइन का कार्य अब तक किन-किन क्षेत्रों में पूरा हो गया है और पूरे नागौर शहर में कब तक उक्त कार्य पूरा हो जायेगा?

(2) उक्त कार्य हेतु कुल कितनी राशि स्वीकृत हुई थी तथा अब तक कितनी राशि का उपयोग हो गया है? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) नागौर शहर में आरयूआईडीपी द्वारा करवाये जा रहे सीवरेज कार्य में अब तक 1200 एम.एम. की मुख्य लाइन बालवा रोड पर एस.टी.पी. से डीडवाना बाइपास रोड, नागौर तक कुल 2224 मीटर सीवर लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है । ठेकेदार फर्म को दिया गया कार्यादेश दिनांक 22.11.2011 को टर्मिनेट कर दिया गया है तथा पुनः निविदा प्रकिया प्रगति पर है । नई निविदा में कार्यादेश जारी होने के बाद 30 माह का समय कार्य पूर्ण करने हेतु दिया गया है ।

(2) उक्त कार्य हेतु राशि रुपये 24.73 करोड स्वीकृत किये गये थे जिनमें से अब तक राशि रुपये 2.74 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

भीलवाड़ा जिले में राजमार्ग/राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर वृक्षारोपण

354. **श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी** (सहाड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जिला भीलवाड़ा में वर्ष 2008 से फरवरी, 2012 तक किन-किन सड़कों के साइड में कितने-कितने पौधे किस-किस वर्ष में लगाये गये व उनमें से कितने पौधे जीवित हैं? क्या सरकार द्वारा इन जीवित पौधों की सुरक्षा हेतु

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

कोई व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जिला भीलवाड़ा में सड़कों के किनारे वर्ष 2008 से फरवरी, 2012 तक वर्षवार लगाये गये पौधों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	वर्ष	लगाये गये पौधे	जीवित पौधे	वि.वि.
1	08-09	शून्य	-	-
2	09-10	44313	12674	1724 पौधे मेगा हाइवे त्रिवेणी से देवली सड़क मार्ग चौड़ा करने में नष्ट हुये।
3	10-11	42211	18561	4181 पौधे मेगा हाइवे त्रिवेणी से देवली सड़क मार्ग चौड़ा करने में नष्ट हुये।
4	11-12	24896	17764	
	योग	**111420**	**48999**	

उक्त पौधारोपण का सड़कवार विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

पौधों की सुरक्षा हेतु थोर फैसिंग की जाकर कांटेदार झाड़ियां लगाई गई हैं। आवश्यकतानुसार कहीं-कहीं ट्री-गार्ड का भी उपयोग किया गया है। साथ ही चौकीदार से उक्त पौधों की निगरानी भी कराई जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

करौली एवं सवाई माधोपुर जिलों में एक्सेस रायल्टी के ठेके

355. श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला करौली एवं सवाई माधोपुर में मेसनरी स्टोन की कितनी खानें कहां-कहां कितने क्षेत्रफल की लीज पर कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री रमेश चन्द मीणा)

(2) वर्ष 2009 से जनवरी, 2012 तक उक्त खानों से कितना पत्थर निकाला गया है? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) वर्ष 2009 से जनवरी, 2012 तक एक्सेस रायल्टी वसूलने के ठेके किन-किन दरों पर किस-किस फर्म को दिया गया और उन फर्मों द्वारा कितने टन पत्थर पर एक्सेस रायल्टी वसूली गई?

उत्तर

(1) जिला करौली में 105 एवं जिला सवाईमाधोपुर में 122 खनन पट्टे खनिज मेसेनरी स्टोन के स्वीकृत हैं जिनका क्षेत्रफल सहित विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) वर्ष 2009 से जनवरी, 2012 तक उक्त खानों से निकाले गये पत्थर की तहसीलवार सूची परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) वर्ष 2009 से जनवरी, 2012 एक्सेस रायल्टी वसूली हेतु दिये गये ठेकों का विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है। उन फर्म/ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत किये गये रिकार्ड अनुसार जितने टन पत्थर पर एक्सेस रायल्टी वसूल की गई है, उसका विवरण परिशिष्ट-3 में दर्शाया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

धौलपुर में स्पोर्ट स्टेडियम निर्माण हेतु चयनित भूमि

356. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में हर जिला स्तर पर स्पोर्ट स्टेडियम बनाने की नीति है? यदि हां, तो राजस्थान के किन-किन जिलों में स्पोर्ट स्टेडियम के निर्माण करा दिये गये और कहां-कहां निर्माणाधीन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या जिला धौलपुर में स्टेडियम के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति हुई है? यदि हां, तो कितनी और कब?

(3) क्या उक्त जिले में स्टेडियम के निर्माण हेतु भूमि का चयन किया जा चुका है? यदि हां, तो कितनी भूमि आबंटित की गई और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार धौलपुर में स्पोर्ट स्टेडियम निर्माण हेतु शीघ्र कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से?

उत्तर

(1) युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए समन्वित स्टेडियम (आधारभूत सुविधाएं) विकास कार्यक्रम, 2007 चलाया गया है, जिसके तहत प्रत्येक सम्भाग, जिला व तहसील स्तर पर स्टेडियम निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। जिला स्तर पर निर्मित एवं निर्माणाधीन स्टेडियमों की सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2005-06 में धौलपुर में इन्डोर हाल निर्माण हेतु रुपये 16.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी, जिससे इन्डोर हाल का निर्माण कराया गया है।

(3) खण्ड-2 में उल्लेखित इन्डोर हाल के अतिरिक्त स्टेडियम निर्माण हेतु 35 बीघा भूमि का चिन्हीकरण किया जा चुका है, आबंटन प्रक्रियाधीन है।

(4) समन्वित स्टेडियम (आधारभूत सुविधाएं) विकास कार्यक्रम, 2007 के अन्तर्गत भूमि आबंटन के पश्चात धौलपुर में स्टेडियम का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर करवाया जाना सम्भव हो पायेगा।

परिशिष्ट ''क''

राजस्थान में जिला मुख्यालयों पर निर्मित/निर्माणाधीन स्टेडियमों की सूची

क्र. सं.	जिला मुख्यालय	स्टेडियम का नाम	निर्मित/ निर्माणाधीन
1.	अजमेर	पटेल स्टेडियम	निर्मित
		सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्टेडियम	निर्मित
2.	बांसवाड़ा	जिला खेल स्टेडियम	निर्माणाधीन
3.	बाड़मेर	आदर्श स्टेडियम	निर्मित
4.	बारां	जिला स्टेडियम	निर्माणाधीन
5.	भरतपुर	लोहगढ़ स्टेडियम	निर्माणाधीन
6.	बीकानेर	करणी सिंह स्टेडियम	निर्मित
7.	बून्दी	चन्द्र प्रकाश स्टेडियम	निर्माणाधीन
8.	चित्तौड़गढ़	इंदिरा गांधी स्टेडियम	निर्मित
9.	चूरू	जिला स्टेडियम	निर्मित

क्र. सं.	जिला मुख्यालय	स्टेडियम का नाम	निर्मित/ निर्माणाधीन
10.	दौसा	राजेश पायलट स्टेडियम	निर्मित
11.	धौलपुर	-	भूमि चिन्हित
12.	डूंगरपुर	स्पोर्टस काम्पलेक्स	निर्माणाधीन
13.	श्रीगंगानगर	महाराज गंगासिंह राजकीय स्टेडियम	निर्मित
14.	हनुमानगढ़	राजीव गांधी स्टेडियम	निर्माणाधीन
15.	जयपुर	सवाई मानसिंह स्टेडियम	निर्मित
		चौगान स्टेडियम	निर्मित
		विद्याधर नगर स्टेडियम	निर्माणाधीन
16.	जालौर	पूंजाजी गेनाजी क्रीड़ा स्थल	निर्मित
17.	झालावाड़	श्रीमती विजयाराजे सिंधिया खेल संकुल	निर्मित
18.	जैसलमेर	इंदिरा स्टेडियम	निर्मित
19.	झुन्झुनूं	स्वर्ण जयन्ती स्टेडियम	निर्मित
20.	जोधपुर	उम्मेद स्टेडियम	निर्मित
		बरकतुल्लाह खां स्टेडियम	निर्मित
21.	करौली	त्रिलोक चन्द माथुर स्टेडियम	निर्मित
		राजीव गांधी खेल संकुल	निर्माणाधीन
22.	नागौर	नागौर स्टेडियम	निर्मित
23.	पाली	बांगड स्टेडियम	निर्मित
24.	सवाई माधोपुर	दशहरा मैदान	निर्माणाधीन
25.	सीकर	जिला स्टेडियम	निर्मित
26.	टोंक	टोंक स्टेडियम	निर्मित
27.	उदयपुर	महाराणा प्रताप खेल गांव स्टेडियम	निर्माणाधीन
28.	प्रतापगढ़	जिला स्टेडियम	निर्माणाधीन

प्रयोगशाला सहायकों का पदोन्नति प्रकरण

357. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में प्रयोगशाला सहायकों को वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर पदोन्नति दिये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो आदेशों/निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2010 में प्रयोगशाला सहायक से वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों के पदों पर पदोन्नति दी गई? यदि हां, तो कहां-कहां? आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या प्रयोगशाला सहायक दो ग्रेड का पद राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 1971 में एनकेडर नहीं होने के कारण प्रयोगशाला सहायक से वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर पदोन्नति का प्रावधान नहीं है? यदि नहीं, तो इस पद पर पदोन्नतियां कैसे दी गई? उक्त के लिये कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी है तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों के पदों पर पदोन्नत किये गये कार्मिकों की पदोन्नत अवैध मानते हुये निरस्त कर दी गई? यदि हां, तो किस आदेश एवं निर्देशों के तहत?

(5) क्या जिन प्रयोगशाला सहायकों की पदोन्नति निरस्त कर दी गई उनको पुन: पूर्व के पदों पर पदावनत कर दिया गया? यदि हां, तो पुन: पदस्थापन के क्या मानदण्ड रखे गये और उन्हें कहां-कहां पर किसके द्वारा कब पदस्थापन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या प्रदेश के विद्यालयों में वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों के पद स्वीकृत हैं? यदि हां, तो कहां-कहां तथा क्या नियमित रूप से प्रतिवर्ष सरकार द्वारा बजट भी आवंटन किया जाता है? यदि हां, तो पद एनकेडर नहीं होने के उपरान्त भी बजट आवंटन वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के नाम से क्यों किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या पूर्व में प्रयोगशाला सहायक से वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर पदोन्नति दी गई है? यदि हां,तो पूर्व की पदोन्नतियां वैध एवं वर्तमान पदोन्नतियां अवैध मानने के क्या कारण हैं? क्या वर्तमान में पूर्व में पदोन्नत वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विद्यालयों में कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 में वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक का पद नहीं है।

(2) जी हां । उप निदेशक (माध्यमिक) जयपुर के द्वारा वर्ष 2010 में प्रयोगशाला सहायक से वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पदों पर पदोन्नति दी गई थी। उप निदेशक (माध्यमिक) जयपुर के द्वारा जारी किये गये आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-'क-1 से क-4' पर संलग्न है।

(3) जी हां । वर्ष 1990 के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा इन पदों पर पदोन्नति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान नहीं किये जाने के बावजूद भी उप निदेशक (माध्यमिक) जयपुर के द्वारा नियम विरुद्ध पदोन्नतियां दी गई थी। जिसके लिये उप निदेशक (माध्यमिक) जयपुर उत्तरदायी है। दोषी अधिकारी के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 16 में कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है ।

(4) जी हां । शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग के पत्र क्रमांक प.13(06) शिक्षा -2/13वी/सत्र-6/2011 दिनांक 20-4-2011 द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में पदोन्नतियों को निरस्त किया गया है।

(5) जी हां। पदोन्नति निरस्त होने पर पदावनत कार्मिकों का पुनः पदस्थापन सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिले में रिक्त पदों एवं सम्बन्धित कार्मिक के आवेदन पत्रों के आधार पर किया गया है। पदावनत कार्मिकों को पुनः आवंटित पदस्थापन स्थान का विवरण परिशिष्ट-'ख-1 से ख-5' पर संलग्न है।

(6) जी हां। वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट-ग पर संलग्न है। पूर्व में माध्यमिक विद्यालयों से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत विद्यालय जहां विज्ञान संकाय संचालित किया गया है, उन विद्यालयों में स्वीकृत प्रयोगशाला सहायक तृतीय क्षेणी के पदों को वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के रूप में अपग्रेड किया गया था। अतः इन स्वीकृत पदों हेतु नियमित रूप से बजट का आबंटन किया जाता है।

(7) जी हां। माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नति पर जिन विद्यालयों में विज्ञान संकाय संचालित किया गया था, उन विद्यालयों में स्वीकृत तृतीय श्रेणी प्रयोगशाला सहायक के पदों को अपग्रेड किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर उक्त पदों पर अस्थाई पदोन्नति दिये जाने की स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा पदोन्नतियां

(शिक्षा मंत्री)

प्रदान की गईं। वर्ष 1990 के पश्चात राज्य सरकार द्वारा इन पदों पर पदोन्नति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान नहीं किये जाने के कारण उपनिदेशक (माध्यमिक) जयपुर द्वारा वर्ष 2010 में दी गई अस्थाई पदोन्नति नियमानुसार नहीं होने के कारण निरस्त की जा चुकी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बामनवास (सवाई माधोपुर) ग्राम हेतु निगम बस सेवा

358. श्री नवलकिशोर (बामनवास) : क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास की किन-किन ग्राम पंचायतों में राजस्थान परिवहन निगम की बसें संचालित हैं एवं किन-किन ग्राम पंचायतों में निगम बस सुविधा उपलब्ध नहीं है? तहसील बामनवास एवं बौंली की पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत बामनवास उपखण्ड मुख्यालय, तहसील मुख्यालय होते हुए भी वहां पर परिवहन निगम की बस सुविधा उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उपखण्ड मुख्यालय के ग्राम बामनवास तक बस सेवा प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास की जिन ग्राम पंचायतों में निगम द्वारा बसें संचालित हैं, उनकी सूची परिशिष्ट 1 पर एवं जिन ग्राम पंचायतों में निगम बस सुविधा उपलब्ध नहीं है उनकी सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। क्योंकि विधान सभा क्षेत्र बामनवास के लिये बामनवास ही ग्राम पंचायत, तहसील व उपखण्ड मुख्यालय है व बामनवास के लिये हिण्डौन-बामनवास-देहली मार्ग की निगम द्वारा संचालित बस सेवा उपलब्ध है।

परिशिष्ट-1

पंचायत समिति बामनवास एवं बौंली में जिन-जिन ग्राम पंचायतों में निगम बस सेवा संचालित है उनकी सूची

क्र.सं.	पंचायत समिति	निगम बस सेवा से जुडी ग्राम पंचायत का नाम
1.	बामनवास	कोयला
2.		बामनवास खुर्द
3.		बामनवास कला
4.		बाटोदा
5.		डाबर
6.		गुर्जर बड़ौदा
7.		खेडली
8.		पिपलाई
9.		सितोड़
1.	बौंली	बहतेड
2.		बोरदा
3.		दतुली
4.		लाखनपुर
5.		मोरन
6.		उदगांव
7.		बांस टोरडा
8.		भाडोती
9.		बौंली
10.		जसटाना
11.		खिरनी
12.		कोडयाई
13.		कोलाडा
14.		मलारना डूंगर
15.		मलारना चोर
16.		मित्रपुरा
17.		पीपलदा
18.		तारनपुर

परिशिष्ट-2

पंचायत समिति बामनवास एवं बौंली में जिन-जिन ग्राम पंचायतों में निगम बस सेवा संचालित नहीं है उनकी सूची

क्र.सं.	पंचायत समिति	निगम बस सेवा से नहीं जुडी ग्राम पंचायत का नाम
1.	बामनवास	अमावरा
2.		भांवरा
3.		बरनाला
4.		बिछोछ
5.		बैराडा
6.		बिच्छपुरी
7.		बिजोरी
8.		चांदन हाती
9.		डूंगरवाड़ा
10.		गण्डाल
11.		गोठ
12.		जाहिरा
13.		जीवद
14.		ककराला
15.		कोहली प्रेमपुरा
16.		लिवाली
17.		मीणा कोलेता
18.		मोरपा
19.		नारोली चौड
20.		फुलवाडा
21.		रानीला
22.		रिवाडी
23.		शफीपुरा
24.		सांचोली
25.		सुकार

क्र.सं.	पंचायत समिति	निगम बस सेवा से नहीं जुडी ग्राम पंचायत का नाम
26.		सुमेल
27.		सुन्दरी
1.	बौंली	बड़ागांव सरवर
2.		बागडोली
3.		बपुई
4.		बिच्छी दोना
5.		चक बिलोली
6.		गांलद कला
7.		गम्भीरा
8.		गोतोड
9.		हथरोली
10.		झनून
11.		जोलन्दा
12.		करेल
13.		कुसलपुरा
14.		मकसूदनपुरा
15.		मामडोली
16.		निमोद
17.		राठोड निमोद
18.		पीपलवाड़ा
19.		साकड़ा
20.		शेषा
21.		थडोली
22.		हिन्दपुरा
23.		भूखा

उच्च विकास दर की निरन्तरता हेतु कार्य योजना

359. श्री मानसिंह (परबतसर), **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण) व **श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :
-

(श्री मानसिंह)

(1) क्या यह सही है कि राज्य की चालू वित्तीय वर्ष में विकास दर गत वर्षों की तुलना में बढ़ी है? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त ऊंची विकास दर को बनाये रखने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या? कार्य योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं। स्थिर (2004-05) कीमतों पर अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) में वृद्धि दर चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में पूर्व वर्षों (2008-09, 2009-10 तथा 2010-11) की तुलना में घटी है परन्तु वर्ष 2007-08 की तुलना में बढ़ी है। गत 7 वर्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वर्ष	वृद्धि दर
1.	2005-06	6.68
2.	2006-07	11.67
3.	2007-08	5.14
4.	2008-09	9.09
5.	2009-10 (प्रावधानिक अनुमान)	5.52
6.	2010-11 (त्वरित अनुमान)	10.97
7.	2011-12 (अग्रिम अनुमान)	5.41

(2) राज्य सरकार द्वारा विकास की गति को बनाये रखने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का आकार रुपये 1 लाख 94 हजार 283 करोड 44 लाख का प्रस्तावित किया गया है। यह राशि ग्यारहवीं योजना की दुगनी से अधिक है। 12वीं योजना में 11वीं योजना की तुलना में कृषि क्षेत्र में 327 प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्र में 184 प्रतिशत तथा परिवहन क्षेत्र में 160 प्रतिशत अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। इससे कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के आधारभूत ढांचे में तेजी से सुधार होगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 7.70 प्रतिशत की दर से विकास दर (Compound Annual Growth Rate) प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना तथा

(आयोजना मंत्री)

आगामी वार्षिक योजना (2012-13) में कतिपय क्षेत्रों में प्रस्तावित विशेष प्रयासों/प्रावधान का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर नगर की भौगीशैल परिक्रमा मार्ग में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता

360. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर नगर के आस-पास स्थित शैलों की प्रसिद्ध भौगीशैल परिक्रमा के दौरान उपयोग में आने वाला अधिकांश मार्ग दुरूह, कच्चे एवं क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो इसका विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार उक्त मार्गों को पक्का कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त परिक्रमा मार्ग पर रात्रि पड़ाव हेतु श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु किसी प्रकार की कोई सुविधा यथा आश्रय स्थल, सुलभ शौचालय, सार्वजनिक विद्युत व्यवस्था एवं जलापूर्ति व्यवस्था उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्बन्ध में कोई कार्य योजना रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है कि भौगीशैल परिक्रमा के दौरान उपयोग में लिये जाने वाला अधिकांश मार्ग दुरूह एवं कच्चा है। वस्तुस्थिति यह है कि उक्त परिक्रमा मार्ग में बड़ली भैरूजी से कैरू, कैरू से सिंधी सोढों की ढाणी तक मार्ग कच्चा है। सोढों की ढाणी से वाया रूपावतों का बास-भूरीबेरी तक का मार्ग पक्का है, लेकिन कुछ स्थान पर सीमेंट सड़क व डामर सड़क टूटी हुई है। इसी प्रकार कालीबेरी से बैजनाथ, बैजनाथ से मण्डलनाथ, मण्डलनाथ से दइजर माता, दइजर माता से बेरीगंगा एवं बेरीगंगा से निम्बा निम्बड़ी के कुछ भाग में पहाड़ी व कच्चा रास्ता है।

(2) उक्त यात्रा मार्ग में पड़ने वाली प्रमुखतः कच्चा मार्ग बड़ली भैरूजी से कैरू से सिंधी सोढों की ढाणी तक को पक्का डामर रोड बनाये जाने के लिए

(स्वायत्त शासन मंत्री)

288.00 लाख रुपये लागत का तकमीना तैयार किया गया है। प्राधिकरण की आगामी बजट बैठक में इसे स्वीकृत करने के पश्चात् कार्य कराया जा सकेगा। सांईधाम कालीबेरी से बैजनाथ, बैजनाथ से मण्डलनाथ व बेरीगंगा से निम्बा निम्बडी तक के परिक्रमा मार्ग में कुछ भाग में वन भूमि व बी.एस.एफ. फायरिंग रेंज की भूमि व पहाड़ी भूमि आती है। अतः इस भाग में स्थायी सड़क नहीं बनाई गई है। वैकल्पिक रूप से कालीबेरी से बैजनाथ से मण्डलनाथ से बेरीगंगा से निम्बा निम्बड़ी से मण्डोर तक जाने के लिए पक्का सड़क मार्ग उपलब्ध है।

(3) भौगीशैली परिक्रमा के दौरान अस्थाई व्यवस्था नगर निगम एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा की जाती है। उक्त परिक्रमा मार्ग में आने वाले अधिकांश मंदिरों यथा गणेश मंदिर, मसूरिया मंदिर, चौपासनी श्याम मनोहर मंदिर, अरना झरना मंदिर, बैधनाथ मंदिर, मण्डलनाथ मंदिर, बेरीगंगा मंदिर, निम्बा निम्बडी, कागा शीतला माता मंदिर, मण्डोर उद्यान में जनसुविधाएं यथा शौचालय, आश्रय स्थल, सार्वजनिक प्रकाश व पेयजल सुविधा आदि उपलब्ध रहती है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पैट्रोल/डीजल पर निर्धारित वैट दर में कमी

619. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पैट्रोल, डीजल के मूल्यों में बढ़ोतरी होने से राज्य सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होती है? यदि हां, तो बढ़ोतरी के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2)क्या यह भी सही है कि राज्य में वैट की ऊंची दरें होने के कारण राज्य से गुजरने वाले वाहनों द्वारा पड़ोसी राज्यों से पैट्रोल, डीजल क्रय करने एवं पड़ोसी राज्यों से पैट्रोल, डीजल की तस्करी होने की सम्भावना बनी रहती है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर रोक के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) जी हां। पैट्रोल व डीजल के मूल्य पर वैट अधिरोपित है । अतः पैट्रोल व डीजल के मूल्यों में बढ़ोतरी होने से राज्य सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होती है ।

(2) राज्य एवं अन्य पडोसी राज्यों में पैट्रोल एवं डीजल की कर दर परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

राज्य से गुजरने वाले वाहनों द्वारा कम कर दर वाले पड़ोसी राज्यों से पैट्रोल व डीजल क्रय किये जाने सम्बन्धी सूचना संकलित न होने के कारण प्रभाव का आंकलन किया जाना सम्भव नहीं है । पड़ौसी राज्यों में कम कर दर होने से पड़ने वाले सम्भावित दुष्प्रभावों की सम्भावना के मद्देनज़र विभाग द्वारा पडोसी राज्यों से आने वाले डीजल पैट्रोल पर सतत निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा राज्यों के वित्तमंत्रियों की अधिकारिता प्राप्त समिति (एम्पावर्ड कमेटी) द्वारा निर्धारित न्यूनतम कर दर 20 प्रतिशत की तुलना में दिल्ली, पंजाब एवं हरियाणा में डीजल की कर दर कम है। इस सम्बन्ध में पालना कराने हेतु एम्पावर्ड कमेटी का ध्यान आकर्षित किया गया है।

परिशिष्ट-अ

राज्य एवं अन्य पड़ोसी राज्यों में पैट्रोल एवं डीजल की कर दर

राज्य	डीजल पर कर की दर	पैट्रोल पर कर की दर
दिल्ली	12.5%	20%
हरियाणा	8.80%	20%
पंजाब	8.25%+10% surcharge	27.50%+10% surcharge
उत्तर प्रदेश	17.23%	26.55 %
मध्य प्रदेश	23%	28.75% (वर्ष 2012-13 के बजट भाषण में कर दर 27 % प्रस्तावित)
गुजरात	21%+2% cess	23%+3% cess
राजस्थान	18%+50 पैसे प्रति लीटर सेस (54 पैसे प्रति लीटर की छूट पृथक से देय है)	26%+50 पैसे प्रति लीटर सेस

अलवर उप-पंजीयक द्वारा दस्तावेजों के पंजीयन पर रोक

620. **श्री बनवारी लाल सिंघल** (अलवर शहर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उप-पंजीयक, अलवर-प्रथम एवं द्वितीय द्वारा अलवर में बहरोड़ रोड, तिजारा रोड एवं दिल्ली रोड पर कृषि भूमि एवं कृषि भूमि में विक्रय किये गये भूखण्डों के दस्तावेज पंजीयन पर रोक लगाई गई है? यदि हां, तो किसके आदेश से कब से एवं किस-किस क्षेत्र में तथा क्यों? आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त रोक कानून की धाराओं में विधि सम्मत है? यदि हां, तो किस नियम के तहत? नियमों/कानून की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त बाबत महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक को उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक द्वारा सूचित किया गया है? यदि हां, तो किस पत्र के द्वारा? पत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

(4) क्या महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक द्वारा उक्त कार्यवाही बाबत कोई निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार राज्य हित एवं जनहित में दस्तावेजों के पंजीयन पर लगी रोक को हटाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं । निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना एवं सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा पत्रांक 16054/12 दिनांक 20.01.2012 द्वारा नगर विकास न्यास, अलवर की अवार्डशुदा/अवाप्तशुदा एम.आई.ए. एवं रोहणी नगर आवासीय योजना की भूमि का पंजीयन नहीं करने के सम्बन्ध में उप पंजीयक प्रथम एवं द्वितीय अलवर को सूचित किया गया था । उक्त पत्र के साथ नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा अपनी प्रस्तावित आवासीय योजनाएं दिल्ली रोड, अलवर-भिवाड़ी बाइपास, तिजारा रोड एवं बहरोड़ रोड की सूचनाएं भी संलग्न कर भिजवाई गयी थीं (परिशिष्ट 'अ')।

(2) जी नहीं, निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना एवं सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर का दिल्ली रोड, अलवर-भिवाड़ी बाइपास, तिजारा रोड एवं बहरोड़ रोड की भूमि का पंजीयन नहीं किये जाने सम्बन्धी पत्र पंजीयन नियमों के तहत विधिसम्मत नहीं है।

(3) जी हां। उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-अलवर द्वारा पत्र क्रमांक 557 दिनांक 31.01.2012 विभाग को प्रेषित कर उपरोक्त पत्र के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश चाहे गये हैं (परिशिष्ट 'ब')।

(4) जी हां। विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ.7(60) जन./11/2212 दिनांक 15.02.2012 उप शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर उपरोक्त के सम्बन्ध में विधिक प्रावधानों के दृष्टिगत राज्य स्तर पर परीक्षण करवाकर आवश्यक दिशा-निर्देश मांगे गये हैं (परिशिष्ट 'स')।

(5) वर्तमान में उपर्युक्त क्षेत्र में दस्तावेजों के पंजीयन पर कोई रोक नहीं है। राज्य सरकार द्वारा पत्र क्रमांक प.2(12) वित्त/कर/12 दिनांक 13.3.2012 विभाग को प्रेषित कर स्पष्ट किया है कि नगर विकास न्यास, अलवर अस्पष्ट निर्देशों के आधार पर दस्तावेजों के पंजीयन को नहीं रोका जा सकता है क्योंकि पंजीयन अधिनियम, 1908 एवं पंजीयन नियमों के प्रयोजनों

(वित्त मंत्री)

के लिये नगर विकास न्यास, अलवर एक अनधिकृत प्राधिकारी है। यदि नगर विकास, अलवर के पास इन प्रश्नगत भूमियों के हस्तांतरण के दस्तावेजों के पंजीयन पर रोक लगाये जाने के पर्याप्त विधिक आधार है, तो प्रस्ताव अपने प्रशासनिक विभाग के माध्यम से भिजवाये जाने के निर्देश दिये हैं (परिशिष्ट 'द')।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

जोधपुर जिले में आबंटित राजकीय आवासों का दुरुपयोग

621. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जोधपुर में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने राजकीय आवास हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2009 से 2011 तक उक्त आवासों में से कौन-कौन से, कब-कब व किस आधार पर किसको आबंटित किये गये? आबंटी के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त राजकीय आवासों के किसी प्रकरण में आबंटित आवास में आबंटी द्वारा उपयोग नहीं कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग अथवा व्यवसाय किया जा रहा है? यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से आवास हैं तथा उक्त प्रकरणों में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में श्रेणीवार आवासों का विवरण निम्नानुसार है:-

प्रथम श्रेणी	20
द्वितीय श्रेणी	18
तृतीय श्रेणी	58
चतुर्थ श्रेणी	59
पंचम श्रेणी	104
कुल	**259**

(2) वर्ष 2009-2011 तक निवासरतों का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

(3) इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं होने से की गई कार्यवाही सम्बन्धी सूचना शून्य है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सीकर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा राजकीय वाहनों के निजी उपयोग हेतु जमा राशि

622. **श्री पेमाराम** (धोद) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अधिकारियों द्वारा सरकारी वाहन का उपयोग कार्यालय से निवास स्थान एवं निवास स्थान से कार्यालय तक ही किया जाता है? यदि हां, तो इसके लिए कितनी मासिक राशि वसूल की जाती है?

(2) जिला सीकर के किस-किस अधिकारी द्वारा वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक सरकारी वाहन का उपयोग करने पर कितनी-कितनी राशि जमा करवाई गई?

उत्तर

(1) जी हां। वाहन हेतु अधिकृत अधिकारियों द्वारा विभागीय वाहन का उपयोग निवास स्थान से कार्यालय एवं कार्यालय से निवास स्थान तक करने पर संबंधित वाहन उपयोगकर्ता के वेतन से जयपुर शहर में 500/- प्रतिमाह तथा अन्य स्थानों पर 300/- मासिक राशि वसूल की जाती है।

(2) जिला सीकर के अधिकारियों द्वारा जमा कराई गई राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट ''अ''

कलक्टर सीकर से प्राप्त सूचना के आधार पर जिला सीकर के अधिकारियों द्वारा वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक जमा कराई गई राशि का विवरण

क्र. सं.	पद	अधिकारियों द्वारा वर्ष वार जमा करवायी गई राशि			योग
		वर्ष 2008-09	2009-10	2010-2011	
1	जिला कलक्टर	3600	3397	3300	**10297**
2	अपर जिला कलक्टर	-	-	900	900

3	एस.डी.एम. सीकर	-	-	900	900
4	एस.डी.एम. लक्ष्मणगढ़	-	-	900	900
5	ए.सी.एम. प्रथम सीकर	-	-	900	900
	योग	**3600**	**3397**	**6900**	**13897**

बस्सी (जयपुर) औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत उद्योग

623. श्रीमती अंजु खन्गवाल (बस्सी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील बस्सी जिला जयपुर में कितने उद्योग रीको औद्योगिक क्षेत्रों में संचालित हैं?

(2) उक्त में से कितने उद्योग अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों द्वारा संचालित हैं?

(3) उक्त उद्योग किस नाम एवं उद्योग से संबंधित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील बस्सी जिला जयपुर में रीको द्वारा 4 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये गये हैं, जिनमें वर्तमान में 363 उद्योग संचालित हैं।

(2) उक्त में से 26 उद्योग अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों द्वारा संचालित हैं।

(3) वांछित विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली शहर में सीवरेज लाइन निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कें

624. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली शहर में सीवरेज लाइन बिछाने के कार्य हेतु किस-किस स्थान पर किस-किस किस्म की कितनी-कितनी सड़कें तोड़ी गयीं?

(2) क्या यह सही है कि सीवरेज लाइन बिछाने हेतु तोडी गयीं सड़कों का पुन: निर्माण सीवरेज लाइन बिछाने वाली कम्पनी द्वारा ही किया जाना था?यदि हां, तो कौन-कौनसी तोड़ी गई सड़कों का निर्माण कम्पनी द्वारा किया गया एवं इस पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ?

(3) क्या सीवरेज लाइन बिछाने में क्षतिग्रस्त सड़कों के पुन: निर्माण

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

या मरम्मत हेतु कम्पनी द्वारा नगर परिषद पाली को भी कोई राशि दी गई है? यदि हां, तो किस-किस क्षतिग्रस्त सड़क हेतु कितनी-कितनी राशि दी गई?

(4) नगर परिषद पाली द्वारा सीवरेज लाइन बिछाने से क्षतिग्रस्त हुई कौन-कौनसी सड़क का पुन: निर्माण या मरम्मत कराई गई एवं इस पर परिषद द्वारा कितनी-कितनी राशि व्यय की गई?

उत्तर

(1) पाली शहर में सीवरेज लाइन बिछाने के कार्य हेतु डामर डब्ल्यूबीएम, सीमेन्ट कंक्रीट एवं कच्ची सड़कें तोडी गईं जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

(2) जी हां। तोड़ी गई सडकों का कंपनी द्वारा करवाये गये पुर्ननिर्माण का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है । इस कार्य पर कुल राशि रुपये 162.63 लाख व्यय किये गये ।

(3) जी नही।

(4) नगर परिषद पाली द्वारा वीर दुर्गादास नगर, बापू नगर, घरवाला जाव एवं जंगीवाडा में कुछ स्थानों पर सड़क मरम्मत करवाई गई। नगर परिषद पाली द्वारा कराये गये कार्य का मूल्यांकन कराया जा रहा है।

Annexure-A

Area Wise Road Details (Restoration)							
S. No.	**Location**	**Unit**	**Excavated Length**				
			BT	**CC**	**WBM**	**Katcha**	**Total Length**
1	Anand Nagar	mtr.	671.60		2745.80	3961.75	7379.15
2	Bakra Mandi	mtr.	88.00				88.00
3	Baliya School	mtr.		179.50			179.50
4	Bapu Nagar	mtr.	830.40	44.80			875.20
5	Bas Jodhpur	mtr.	142.40	260.60			403.00
6	Behind Patrika	mtr.			334.00		334.00
7	Bhagat Singh Colony	mtr.			2997.10		2997.10
8	Jodhpur Road	mtr.	231.00				231.00
9	D.P. Colony	mtr.			1182.70		1182.70
10	Gandhi Colony	mtr.	920.20	341.90	113.60	36.90	1412.60
11	Gandhi Nagar	mtr.	649.40		1765.60	227.80	2642.80
12	Gharwala Jaw	mtr.	1233.90				1233.90
13	Ghosi Colony	mtr.		43.80	61.80		105.60

Area Wise Road Details (Restoration)							
S. No.	Location	Unit	Excavated Length				
			BT	CC	WBM	Katcha	Total Length
14	Green Park	mtr.	187.20	27.50			214.70
15	Hanuman Gali	mtr.		106.30			106.30
16	Hawai Building	mtr.	179.00				179.00
17	Jangiwara	mtr.		780.00			780.00
18	Khoriya Balaji	mtr.	287.50		788.90	338.90	1415.30
19	Khumaroan ka Bas	mtr.	295.10			37.80	332.90
20	Mahaveer Nagar	mtr.	489.10	445.30			934.40
21	Mandiya Road	mtr.	1480.00	421.50			1901.50
22	Nadi Mohalla	mtr.		30.90			30.90
23	National Park	mtr.	800.80	75.80			876.60
24	Navlakha Road	mtr.	129.40	1483.30			1612.70
25	Nehru Nagar	mtr.		75.50			75.50
26	Paliwaloan ka Bas	mtr.		257.40			257.40
27	Pani Darwaza	mtr.		94.50			94.50
28	Partap Chowk	mtr.		251.10			251.10
29	Punayata Road	mtr.	906.20		129.85		1036.05
30	Pyara Chowk	mtr.	227.00	59.60			286.60
31	Rajasthan Patrika	mtr.				89.00	89.00
32	Ram Nagar	mtr.		542.50			542.50
33	Ramdev Road	mtr.	960.00	467.50		123.90	1551.40
34	Ramleela Maidan	mtr.	398.80				398.80
35	Ranganiya Mohalla	mtr.		136.30			136.30
36	Saraswati School	mtr.	369.50		75.60	259.40	704.50
37	Shastri Nagar	mtr.			1943.85		1943.85
38	Shiv Nagar	mtr.	439.20	409.30	312.70	54.10	1215.30
39	Shripal Nagar	mtr.		287.90	58.70	102.70	449.30
40	Sindhi Colony	mtr.	236.40	927.90			1164.30
41	Near STP	mtr.	280.00				280.00
42	Tilak Nagar	mtr.	61.80	119.60			181.40
43	Udyog Nagar	mtr.		279.00		51.80	330.80
44	V.D. Nagar	mtr.	2236.50	304.80	278.10		2819.40

Annexure-B

Area Wise Road Details (Restoration)							
S. No.	Location	Unit	Restoration Length (RUIDP)				
			BT	CC	WBM	Katcha	Total Length
1	Anand Nagar	mtr.	426.00		2444.80	3961.75	6832.55
2	Bakra Mandi	mtr.	64.80				64.80
3	Baliya School	mtr.		179.50			179.50
4	Bapu Nagar	mtr.	723.90	84.60			808.50
5	Bas Jodhpur	mtr.	116.50	260.60			377.10
6	Behind Patrika	mtr.			334.00		334.00
7	Bhagat Singh Colony	mtr.			179.20		179.20
8	Jodhpur Road	mtr.	231.00				231.00
9	D.P. Colony	mtr.			1182.70		1182.70
10	Gandhi Colony	mtr.	849.50	95.60		36.90	982.00
11	Gandhi Nagar	mtr.	49.80		1512.00	227.80	1789.60
12	Gharwala Jaw	mtr.	260.50				260.50
13	Ghosi Colony	mtr.		43.80			43.80
14	Green Park	mtr.		27.50			27.50
15	Hanuman Gali	mtr.		106.30			106.30
16	Hawai Building	mtr.	179.00				179.00
17	Jangiwara	mtr.		780.00			780.00
18	Khoriya Balaji	mtr.				338.90	338.90
19	Khumaroan ka Bas	mtr.				37.80	37.80
20	Mahaveer Nagar	mtr.		259.00			259.00
21	Mandiya Road	mtr.	1270.00	421.50			1691.50
22	Nadi Mohalla	mtr.		30.90			30.90
23	National Park	mtr.	239.00				239.00
24	Navlakha Road	mtr.	129.40	1483.30			1612.70
25	Nehru Nagar	mtr.		75.50			75.50

Area Wise Road Details (Restoration)							
S. No.	Location	Unit	Restoration Length (RUIDP)				
			BT	CC	WBM	Katcha	Total Length
26	Paliwaloan ka Bas	mtr.		186.30			186.30
27	Pani Darwaza	mtr.		75.60			75.60
28	Pratap Chowk	mtr.		131.40			131.40
29	Punayata Road	mtr.	842.20				842.20
30	Pyara Chowk	mtr.	227.00	59.60			286.60
31	Rajasthan Patrika	mtr.				89.00	89.00
32	Ram Nagar	mtr.		542.50			542.50
33	Ramdev Road	mtr.	960.00	467.50		123.90	1551.40
34	Ramleela Maidan	mtr.					0.00
35	Ranganiya Mohalla	mtr.		136.30			136.30
36	Saraswati School	mtr.			43.80	259.40	303.20
37	Shastri Nagar	mtr.			1943.85		1943.85
38	Shiv Nagar	mtr.		101.60		54.10	155.70
39	Shripal Nagar	mtr.				102.70	102.70
40	Sindhi Colony	mtr.		1039.50			1039.50
41	Near STP	mtr.	280.00				280.00
42	Tilak Nagar	mtr.					0.00
43	Udyog Nagar	mtr.		169.40		51.80	221.20
44	V.D. Nagar	mtr.	1247.50	304.80	278.10		1830.40

नाथद्वारा शहर में आटो रिक्शा हेतु निर्धारित स्टैण्ड

625. श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

नाथद्वारा में किस-किस स्थान पर आटो रिक्शों को खड़े रखने के लिए स्टैण्ड निर्धारित/घोषित किया गया है तथा कौन-कौन से मार्ग निर्धारित/घोषित किये गये हैं? नाथद्वारा शहर में चल रहे आटो रिक्शों के लिये किस-किस मार्ग के लिये कितना-कितना किराया तय है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नाथद्वारा नगर में आटो रिक्शा स्टैण्डों का स्थान तय करने हेतु प्रकरण जिला यातायात प्रबंधन समिति में विचाराधीन है । निर्णय होने की

(स्वायत्त शासन मंत्री)

स्थिति में नाथद्वारा में लालबाग, राजकीय चिकित्सालय, नाथूवास, तेलियों का तालाब इत्यादि स्थानों पर आटो रिक्शा स्टैण्ड एवं उनकी आटो संख्या निर्धारित करने आदि की अधिसूचना जारी की जावेगी। परिवहन विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या क्रमांक एफ9(28)एसटीए/आरटीए/परि/मु./88/II/12377 दिनांक 27.9.11 के द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार नगरीय निकाय क्षेत्रों में चलने वाले आटो रिक्शा का किराया तय किया हुआ है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

परिशिष्ट 'अ'

राजस्थान सरकार

परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ9(28)/एसटीए/आरटीए/परि/मु./88/II/2377

जयपुर, दिनांक 27-9-11

अधिसूचना

मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 67 की उप (1) के खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना क्रमांक एफ 7 (100) परि/नियम/2005 जयपुर, दिनांक 23.09.2011 द्वारा, राज्य परिवहन प्राधिकरण को जारी निर्देशों की अनुपालना में, राज्य परिवहन प्राधिकरण इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचना क्रमांक 12876 दिनांक 29.06.2008 में आंशिक संशोधन करते हुए, अनन्यत: नगरपालिका या नगर सुधार न्यास की सीमा में चलने वाले आटो रिक्शाओं के लिए भाड़े की दरें निम्नानुसार नियत करती है। ये दरें इस अधिसूचना के राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से लागू होगी।

2 आटो रिक्शा	13.00 8.00	प्रथम एक कि.मी. तक के लिए न्यूनतम प्रत्येक पश्चात्वर्ती कि.मी. के लिए	रोके रखने की संपूर्ण अवधि के लिए 30 पैसे प्रति मिनट	1. 10 कि.ग्रा. तक के पैकेज के लिए कोई प्रभार नहीं 2. 10 कि.ग्रा. से अधिक के पैकेज के लिए 4/- रु. प्रति पैकेज

(दीपक उप्रेती)
सदस्य
राज्य परिवहन प्राधिकार
परिवहन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

आबूरोड नगरपालिका में उपलब्ध आवश्यक सुविधाएं

626. श्री जगसीराम (रेवदर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र आबूरोड के अनेक वार्ड व गली-मोहल्ले आवश्यक सुविधाओं यथा सड़क, नाली, रोड लाइट, पेयजल सुविधा, शौचालय, मूत्रालय, सामुदायिक सभा भवन, खेल मैदान, पार्क आदि से वंचित हैं? यदि हां, तो वार्डवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त सभी सुविधाएं उक्त नगरपालिका क्षेत्र में उपलब्ध कराये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) नगरपालिका आबूरोड में कुल 30 वार्ड हैं, सभी वार्डों में सडक, नाली, रोड लाइट, पेयजल की सुविधा उपलब्ध है । शौचालय, मूत्रालय, सामुदायिक भवन, खेल मैदान, पार्क इन वार्डों में उपलब्ध स्थान एवं आवश्यकतानुसार है। कृषि भूमि से रूपान्तरित कालोनियों में कुछ स्थानों पर उक्त सुविधाओं की आवश्यकता है। 06 वार्ड रेलवे कालोनी के हैं जिनमें नाली, सड़क, विद्युत एवं विकास कार्यों का दायित्व रेलवे प्रशासन का है ।

(2) नगरपालिका आबूरोड में उपलब्ध बजट एवं संसाधनों के अनुसार कार्य करवाये जायेगे।

गोरधनपुरी गलता गेट जयपुर का सड़क सीमा प्रकरण

627. श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तत्कालीन नगर विकास न्यास जयपुर द्वारा गोरधनपुरी कच्ची बस्ती (गलता गेट) जयपुर के नियमितिकरण में साइट प्लान में 40 फीट सड़क प्रस्तावित कर आबंटन पत्र जारी किये गये हैं?

(2) क्या गोरधनपुरी के ए.बी.सी. एवं एस.पी. ब्लाक के भू-खण्डों के बाहर मानचित्र में सड़क 40 फीट दर्शाई गई है?

(3) क्या वर्ष 1993 में जयपुर विकास प्राधिकरण के प्लान में गोरधनपुरी के ए.बी.सी. और एस.पी. ब्लाक में सड़क की सीमा 20 फीट कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सड़क सीमा कम करने से प्रभावित कालोनीवासियों द्वारा

(श्री अशोक परनामी)

न्यायालय में कोई वाद दायर किया गया है? यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

(5) क्या कालोनी में पूर्व में प्रस्तावित सड़क को कम किया जा सकता है? यदि हां, तो किन प्रावधानों के अन्तर्गत?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड के फ्रन्ट में 40 फीट व पीछे की ओर लिंक में 20 फीट सड़क निर्धारित करते हुये आबंटन पत्र जारी किये गये हैं।

(2) जी हां। गोरधनपुरी योजना में ए.बी.सी. एवं एस. ब्लाक अवस्थित है। इन ब्लाकों में भूखण्डों के बाहर फ्रन्ट में 40 फीट सड़क मानचित्र में दर्शायी गयी है।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण के प्लान गोरधनपुरी कच्ची बस्ती की योजना में जयपुर विकास प्राधिकरण से प्राप्त मानचित्र अनुसार ए.बी. एवं एस ब्लाकों की सडक सीमा में किसी प्रकार का कोई संशोधन नही किया गया है । स्वीकृत प्रस्तावित मूल योजना के सी. ब्लाक में कुल 60 भूखण्ड थे इनमें से केवल 24 भूखण्डों के (12+12) हिस्से को संशोधित किया गया है। संशोधन आबंटन समिति के निर्णय दिनांक 5.9.94 की अनुपालना में किया गया है एवं इसके स्थान पर एक-एक भूखण्ड अतिरिक्त सृजित करते हुये 26 भूखण्ड किये हैं। इन भूखण्डों की गहराई में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। गहराई पूर्वानुसार ही है किन्तु यहां फ्रन्ट सड़क की चौड़ाई संशोधित कर 20 फीट की गई है।

पी. ब्लाक योजना के उपलब्ध मानचित्र में दर्शाया हुआ नहीं है।

(4) जी हां। वाद संख्या 190/2002 श्री सीताराम पुत्र झाबरमल अन्य बनाम जयपुर नगर निगम के मध्य मा. न्यायालय में क्रम संख्या 5 (कनिष्ट खण्ड) में वाद चल रहा है। जिसमें मा. न्यायालय द्वारा स्थाई यथा स्थिति आदेश जारी किये हुये हैं। जिसकी आगामी दिनांक 23.4.12 नीयत है।

(5) योजना में प्रस्तावित सड़क संशोधन जयपुर विकास प्राधिकरण एक्ट 1982 की धारा 42 की उपधारा 2 के अनुसार संशोधन किये जाने का प्रावधान है ।

सिरोही नगरपालिका के सेवानिवृत्त अधिशासी अधिकारी की बकाया पेन्शन भुगतान राशि

628. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अधिशासी अधिकारी नगरपालिका सिरोही दिनांक 31 मार्च, 2007 को सेवानिवृत्त हुए थे? यदि हां, तो किस आदेश के तहत? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध वर्तमान में किसी प्रकार की कोई विभागीय जांच विचाराधीन नहीं है?

(3) क्या उक्त अधिकारी को वर्तमान में प्रोवीजनल पेन्शन ही मिल रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी का पेन्शन प्रकरण नगरपालिका सिरोही द्वारा तैयार कर भिजवा दिया गया है? यदि हां, तो कब?

(5) वर्तमान में पेन्शन प्रकरण किस स्तर पर कब से क्यों लम्बित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार उक्त पेन्शन प्रकरण की जांच करा कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(7) क्या सरकार अब उक्त अधिशासी अधिकारी के पेन्शन प्रकरण का निपटारा कर पेन्शन की राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) सरकार द्वारा अब उक्त पेन्शन राशि का भुगतान कब तक करा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

(2) जी नही । जांच विचाराधीन है ।

(3) जी हां। शेष उत्तर भाग संख्या 2 के उत्तर में निहित है ।

(4) जी हां। नगरपालिका सिरोही के पत्रांक 1520 दिनांक 14.07.2010 के द्वारा विभाग को अन्तिम पेन्शन प्रकरण भिजवाया गया है।

(5) श्री नरपत सिंह सोलंकी तत्कालीन अधिशासी अधिकारी से नगर

(स्वायत्त शासन मंत्री)

पालिका सांचोर के एक भूमि के प्रकरण में दिनांक 22.1.07 को स्पष्टीकरण जारी किया गया जिसका जवाब दिनांक 2.6.07 को प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी सांचोर से जवाब पर टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु पत्र लिखा गया, किन्तु उपखण्ड अधिकारी द्वारा कोई टिप्पणी नहीं भिजवाने पर क्षेत्रीय उप निदेशक स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर को श्री सोलंकी के जवाब पर विस्तृत टिप्पणी भिजवाने हेतु लिखा गया था, उक्त टिप्पणी दिनांक 1.12.11 को प्राप्त हो चुकी है। जिसका विभागीय स्तर पर परीक्षण किया जाकर श्री सोलंकी द्वारा नगरपालिका को पहुंचाई गई आर्थिक हानि के सम्बन्ध में श्री सोलंकी के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उक्त हानि की वसूली हेतु राजस्थान नगर पालिका पेंशन नियम 1989 के नियम 20 के तहत नोटिस जारी किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । नोटिस का जवाब प्राप्त होने पर श्री सोलंकी की व्यक्तिगत सुनवाई की जाकर अन्तिम निर्णय किया जावेगा ।

(6) जी नहीं ।शेष भाग का उत्तर भाग संख्या 5 में निहित है ।

(7) जी हां। शेष भाग का उत्तर भाग संख्या 5 के उत्तर में निहित है ।

(8) इस भाग का उत्तर भाग संख्या 7 के उत्तर में निहित है ।

परिशिष्ट-अ

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

क्रमांक : प.1(का) 116/सेवा नि./आरएमएस/डीएलबी/97/2564　　　　दिनांक 15-4-06

आदेश

राजस्थान नगरपालिका सेवा के निम्नांकित अधिकारीगण उनके नाम के आगे कालम संख्या 3 में अंकित जन्म तिथि के आधार पर कालम संख्या 4 में अंकित दिनांक को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने जा रहे अधिकारियों को राजस्थान सेवा नियम 1951 के उप नियम 56 के अन्तर्गत कालम संख्या 5 में अंकित तिथि से सेवानिवृत माना जावेगा।

उक्त अधिकारी अपने पद का कार्यभार पदस्थापन सेवानिवृति तिथि के समय निकटतम वरिष्ठतम राजस्थान नगरपालिका सेवा के अधिकारी को संभलाकर अनुपालना रिपोर्ट भेजेंगे। साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि इनकी सेवा पुस्तिका पूर्ण करते हुए बकाया लेनदारियों की इनके सेवा में रहते हुए सेवानिवृति से पूर्व ही वसूली की कार्यवाही की जावे।

क्र.सं.	नाम अधिकारी एवं वर्तमान पदस्थापित नगरपालिका	जन्म दिनांक	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने की दिनांक	सेवानिवृत्त दिनांक
1	2	3	4	5
1	श्री निर्मल कुमार बोहरा अ.अ. पा.न.पा., पुष्कर	18.01.1947	18.01.07	31.01.07
2	डॉ. दीनबन्धु आचार्य स्वा. अधिकारी, न.नि. जयपुर	18.01.1947	18.01.07	31.01.07
3	श्री नरपतचन्द सोलंकी अ.अ. II, न.पा. सांचोर	06.03.1947	06.03.07	31.03.07
4	श्री मधुसूदन शर्मा, अ.अ.न.पा. केशवराय पाटन	02.04.1947	02.04.07	30.04.07
5	श्री विष्णु पाठक, अ.अ.,न.पा., लोसल	18.04.1947	18.04.07	30.04.07
6	श्री बनवारी लाल शर्मा, अ.अ. चतुर्थ (सचिव) न.प. अजमेर	07.05.07	07.05.07	31.05.07
7	श्री अमरनाथ शर्मा, अ.अ., न.पा. आबूरोड	17.06.1947	17.06.07	30.06.07
8	श्री इब्राहीम खां, आयुक्त, न.नि. जयपुर	01.07.1947	01.07.07	30.06.07
9	श्री गोविन्द नारायण शर्मा, आयुक्त, न.पा. बारां/बूंदी	07.07.1947	07.07.07	31.07.07
10	श्री सुरेशचन्द बागोरिया, आयुक्त, न.पा. झालरापाटन	01.08.1947	01.08.07	31.07.07
11	श्री नन्दकिशोर शर्मा, सचिव (आयुक्त) न.प. बीकानेर	11.09.1947	11.09.07	30.09.07
12	श्री सत्यनारायण पारीक, रा.आ.II न.प. भीलवाड़ा	30.09.1949	30.09.07	30.09.07
13	डॉ. सुरेन्द्रकुमार ब्रजवासी, स्वा.अधि.(व) न.नि. जयपुर	15.10.1947.	15.10.07	31.10.07
14	श्री कन्हैयालाल महेश्वरी, अ.अ., न.पा. गंगापुर (भीलवाड़ा)	28.11.1947	28.11.07	30.11.07

1	2	3	4	5
15	श्री भंवरलाल मूथा, अ.अ., न.पा. श्रीविजयनगर (श्रीगंगानगर)	08.12.1947	08.12.07	31.12.07
16	श्री मोहनलाल गुप्ता, आयुक्त, न.प. टोंक	10.12.1947	10.12.07	31.12.07
17	श्री मोहनसिंह वर्मा, लेखाधिकारी, न.प. बीकानेर	14.12.1947	14.12.07	31.12.07
18	श्री जयप्रकाश सोनी, वरिष्ठ लेखाधिकारी (निलम्बित) मुख्या. क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर	15.12.1947	15.12.07	31.12.07
19	डॉ. गोपी किशन मूदड़ा, स्वा.अधि. (च.) न.प. अजमेर	25.12.1947	25.12.07	31.12.07

उपरोक्त अधिकारियों की सेवानिवृत्ति तिथि से पूर्व किसी भी प्रकार की जांच/विभागीय जांच अन्तर्गत राजस्थान अनुशासनिक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 व 17 में अंतिम निर्णय नहीं होने तथा यथावत विचाराधीन रखते हुए ही सेवानिवृत्ति मानी जावेगी एवं किसी भी प्रकार की वसूली व दण्डनीय राशि निगम/परिषद/ पालिका को पहुंचाई गई हानि की राशि अग्रिम राशि जो उठाई गई हो/ अधिक उठाई गई हो, का समायोजन नहीं कराये जाने पर नियमानुसार चल एवं अचल सम्पत्ति अथवा पेंशन, ग्रेच्यूटी इत्यादि राशि से वसूल किये जाने/काटी जानी योग्य होगी।

आज्ञा से

निदेशक एवं शासन उप सचिव

बारां नगरपालिका क्षेत्र के निर्माणाधीन सुलभ शौचालय

629. श्री पानाचन्द (बारां-अटरू) व **श्री प्रमोद जैन 'भाया'** (अन्ता-बारां) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बारां में दिसम्बर, 2008 से मार्च, 2012 की अवधि में किस-किस नगरपालिका की किस-किस बस्ती में सुलभ शौचालय कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नगरपालिका क्षेत्रों की किन-किन बस्तियों में कितनी-कितनी लागत के सुलभ शौचालय वर्तमान में निर्माणाधीन हैं एवं इन्हें कब तक पूर्ण कराया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री पानाचन्द)

(3) उक्त नगरपालिका क्षेत्रों में किन-किन बस्तियों में कितनी-कितनी लागत से सुलभ शौचालयों के निर्माण पूर्ण हो चुके हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले की नगरपालिका बारां में माह दिसम्बर 2008 से मार्च 2012 तक वार्ड संख्या 3, 4, 5, 6, 22, 24, 26, 27, 37 एवं 39 कुल 10 वार्ड में प्रति वार्ड 12.37 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

(2) नगरपालिका बारां में निर्माणाधीन सुलभ शौचालयों को पूर्ण कराये जाने की अवधि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

(3) इस भाग का उत्तर भाग संख्या 2 के उत्तर में निहित है ।

परिशिष्ट-अ

क्रम सं.	वार्ड नम्बर	स्वीकृत राशि	कार्य आदेश क्रमांक/दिनांक	कार्य पूर्ण दिनांक
1	वार्ड संख्या – 3	12.37 लाख	6964/20.01.2012	19.01.2013
2	वार्ड संख्या – 4	12.37 लाख	8352/09.03.2012	08.03.2013
3	वार्ड संख्या – 5	12.37 लाख	6962/20.01.2012	19.01.2013
4	वार्ड संख्या – 6	12.37 लाख	6966/20.012012	19.01.2013
5	वार्ड संख्या – 22	12.37 लाख	6965/20.01.2012	19.01.2013
6	वार्ड संख्या – 24	12.37 लाख	8353/09.03.2012	08.03.2013
7	वार्ड संख्या – 26	12.37 लाख	8354/09.03.2012	08.03.2013
8	वार्ड संख्या – 27	12.37 लाख	6963/20.01.2012	19.01.2013
9	वार्ड संख्या – 37	12.37 लाख	8355/09.03.2012	08.03.2013
10	वार्ड संख्या – 39	12.37 लाख	8356/09.03.2012	08.03.2013

सीकर रोड जयपुर-विद्याधर नगर (जयपुर) के आम रास्ते पर अतिक्रमण

630. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हनुमान बेनीवाल)

(1) क्या यह सही है कि श्रीराम कालोनी, खेतान हास्पिटल के सामने ढेहर का बालाजी सीकर रोड जयपुर के खसरा नं. 160 व 161 ग्राम बीड सरकारी के आम रास्ता जयपुर सीकर नेशनल हाइवे नं. 11 को विद्याधर नगर रोड से जोड़ने वाले आम रास्ता 30 फीट पर भू-माफियों ने अतिक्रमण कर रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है? यदि हां, तो किस-किस ने कब से व क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क से अतिक्रमण की बेदखली हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जिला कलक्टर, जयपुर को पत्र क्रमांक डी-1309 दिनांक 12 जनवरी, 2010 लिखा गया था? यदि हां, तो पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) अब तक जिला कलक्टर जयपुर ने उक्त पत्र के सम्बन्ध में बेदखली हेतु क्या-क्या कार्यवाही कब-कब, किस-किस तिथि को की और उक्त कार्यवाही के क्या परिणाम रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या जिला कलक्टर, जयपुर ने उक्त सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण को अतिक्रमण हटाने हेतु कोई निर्देश दिये हैं? यदि हां, तो कब व क्या और उसके क्या परिणाम रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर विकास प्राधिकरण में परिवाद सं. 18/06 दायर किया गया था? यदि हां, तो क्या न्यायालय द्वारा उक्त परिवाद का निर्णय अतिक्रमणियों के विरुद्ध दे दिया गया? यदि हां, तो कब? निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या उक्त निर्णय के विरुद्ध की गई अपील को भी संबंधित न्यायालय ने खारिज कर दिया है? यदि हां, तो अब तक सड़क से भू-माफियाओं का अतिक्रमण नहीं हटाये जाने के क्या कारण हैं?

(7) क्या सरकार उक्त सड़क/आम रास्ते से भू-माफियाओं के अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। खसरा नम्बर 160, 161 में माली समाज द्वारा स्थापित मन्दिर, धर्मशाला बगीची एवं पेड़-पौधे आदि हैं, जो कि श्योहर महादेव फूलमालियान संस्थान के नाम से जाना जाता है। पंचायत समिति झोटवाडा,

(स्वायत्त शासन मंत्री)

जयपुर के कार्यवाही विवरण में धर्मशाला तामीर हेतु दिये जाने की अनुशंसा दिनांक 24.11.1957 में की गई है।

(2) जी हां। जिला कलक्टर, जयपुर को लिखा गया वर्णित पत्र दिनांक 12.01.2010 के स्थान पर 12.04.2010 है, जिसकी छाया प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जिला कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 750-51 दिनांक 18.10.2011 द्वारा पुलिस आयुक्त उत्तर व उपखण्ड अधिकारी जयपुर को लिखा गया। उप महानिरीक्षक पुलिस एवं जयपुर विकास प्राधिकरण ने उक्त मंदिर का निर्माण काफी समय पूर्व का किया हुआ होना अवगत कराया है। पुलिस उपायुक्त उत्तर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम ने अवगत कराया है कि प्रकरण में तहसीलदार जयपुर से जांच करवाई गई। तहसीलदार जयपुर ने रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम बीड सरकारी के खसरा नं. 160 रकबा 46 बीघा 17 बिस्वा की खातेदारी जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर तथा खसरा नं. 161 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा की खातेदारी नगर विकास न्यास, जयपुर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा मौका स्थिति निम्न प्रकार है :-

1. ख.नं. 160 में मंदिर शिवजी, चबूतरा हनुमानजी का बनाकर मूर्ति स्थापित की हुई है। मंदिर के बगल में एक कमरा भी बना हुआ है, जिस पर पुस्तकालय व वाचनालय लिखा हुआ है।
2. उक्त मंदिर की स्थापना भी श्योवक्स सैनी पुत्र चुन्नी लाल सैनी द्वारा 1957 सम्वत् 2013 में किया जाना शिलान्यास के पत्थर पर लिखा है।
3. उक्त मंदिर की एक रजिस्टर्ड समिति बनी हुई है। मंदिर का संरक्षक श्री शंकरलाल सैनी व अन्य सदस्य अध्यक्ष कन्हैया लाल, उपाध्यक्ष जयप्रकाश तंवर, सचिव रामकृष्ण सैनी, संयुक्त सचिव हरिनारायण सैनी, कोषाध्यक्ष गंगाराम कटारिया है।
4. उक्त मंदिर सीकर रोड पर मुरलीपुरा सरकारी स्कूल से लगता हुआ मौके पर स्थित है एवं मंदिर हाइवे से 3-4 फीट हटकर स्थित है तथा आवागमन व यातायात संचालन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

5. उक्त मंदिर के पूर्व में सड़क विद्याधर नगर पश्चिम में सड़क सीकर रोड उत्तर में मुरलीपुरा स्कूल दक्षिण में श्रीराम कालोनी के मकान हैं। मंदिर भूमि के पूर्व में स्थित भूखण्ड का रास्ता मुख्य विद्याधर नगर सड़क है तथा श्रीराम कालोनी के नागरिकों को भी रास्ते या आवागमन की कोई असुविधा नहीं है।
6. सम्वत् 2030-33, 2034-37 की खसरा गिरदावरी ख.नं. 160 जिससे भी बगीची मंदिर लिखा हुआ है।
7. वर्तमान में धार्मिक पूजा स्थलों के सम्बन्ध में, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक प.9(5)राज0-6/2010/7 जयपुर दिनांक 8.9.2010 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा जारी नीति के अनुसार उक्त भवन आवागमन व यातायात संचालन में बाधा उत्पन्न नहीं करता है तथा उक्त मंदिर जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि पर सन् 1957 से स्थित है।

(4) जिला कार्यालय द्वारा प्रकरण में वस्तुस्थिति से जयपुर विकास प्राधिकरण को पत्र क्रमांक 36 दिनांक 18.01.2012 द्वारा अवगत करा दिया गया। प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(5) जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से धारा 72 जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के सम्बन्ध में श्री शंकरलाल सैनी के विरुद्ध माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-1, जयपुर विकास प्राधिकरण में परिवाद (आरोप पत्र) संख्या 18/06 पेश किया था। इस परिवाद में उपरोक्त माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19.08.2010 को निर्णय पारित कर आरोपी अभियुक्त श्री शंकरलाल सैनी को दण्डनीय अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त किया जा चुका है। माननीय न्यायालय के निर्णय की छाया प्रति परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(6) जयपुर विकास प्राधिकरण के रिकार्ड के अनुसार उक्त प्रकरण में अपील नहीं की गई है तथा प्रकरण में अत्यधिक पुराना निर्माण होने, धार्मिक भावना से जुड़ा होने एवं संवेदनशीलता को देखते हुए जिला कलक्टर, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा परीक्षण प्रक्रियाधीन है।

(7) उत्तर बिन्दु संख्या-6 के अनुसार।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

झालावाड़ जिले की नगरपालिकाओं को विकास कार्यों हेतु आबंटित राशि

631. श्री अनिल जैन (खानपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 से 2011-12 में जिला झालावाड़ में किस नगरपालिका को कितना बजट किस योजना में आबंटित किया गया? नगरपालिकावार, वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आबंटित बजट में से किस नगरपालिका ने कितना-कितना, किस-किस मद में व्यय किया? वर्षवार, नगरपालिकावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला झालावाड़ की नगरपालिकाओं में वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक सड़क, पार्क, नाले निर्माण समेत अन्य विकास कार्यों के लिये दी गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक जिला झालावाड़ की नगर पालिकाओं को आबंटित राशि का योजनावार, वर्षवार एवं पालिकावार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

(2) जिला झालावाड़ की नगरपालिकाओं को आबंटित राशि में से व्यय की गई राशि का मदवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है ।

(3) जिला झालावाड़ की नगरपालिकाओं में वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक सड़क, पार्क, नाले निर्माण समेत अन्य विकास कार्यो के लिये पृथक से कोई राशि आबंटित नहीं की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मेहनत नगर, हटवाड़ा रोड, जयपुर के मृतक सर्वेधारी के आश्रितों को पट्टे

632. श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1981 में मेहनत नगर, हटवाड़ा रोड, जयपुर का सर्वे करवाया गया था? यदि हां, तो कितने मकानों का सर्वे किया गया तथा सर्वे नं. 420/11670/81 किसका था? नाम व पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

(2) क्या उक्त सर्वेधारी को आबंटन पत्र जारी किया गया? यदि हां, तो किस नाम से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि किसी सर्वेधारी की मृत्यु होने के उपरान्त उसकी पत्नी के नाम से पट्टा आबंटित किया जा सकता है? यदि हां, तो ऐसी कितनी मृतक की पत्नियों ने पट्टे के लिए आवेदन किया तथा कितने सर्वेधारी की पत्नी के नाम से पट्टे आबंटित किये गये? यदि नहीं, तो क्यों तथा क्या सरकार उक्त सर्वेधारी की पत्नी को पट्टा जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। मेहनत नगर, हटवाडा रोड, जयपुर का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1981 में सर्वे किया गया था । उक्त सर्वे के स्वीकृत दावों की सूची अनुसार कुल 684 सर्वेधारियों के दावे स्वीकृत किये गये थे एवं सर्वे नं. 420/11670/81 सवाई सिंह/गंगा सिंह के नाम से सूची के क्रम संख्या 317 पर दर्ज है। सर्वे सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

(2) श्रीमती किस्तुरी देवी द्वारा दिनांक 6.11.1995 को आवेदन प्रस्तुत कर श्री सवाई सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह का देहान्त दिनांक 13.8.85 को होने की सूचना देकर आबंटन स्वयं को दिये जाने हेतु प्रस्तुत किया । आवेदन के साथ शपथ पत्र भी संलग्न किया गया कि प्रार्थी के कोई सन्तान नही है । नगर निगम जयपुर की कच्ची बस्ती समिति के प्रस्ताव संख्या 21 दिनांक 16.10.98 के द्वारा श्री किस्तुरी देवी को आवंटित करने का निर्णय लिया गया। आबंटन हेतु दिनांक 17.2.99 को पत्रावली में अंकित मौका रिपोर्ट अनुसार श्रीमती किस्तुरी देवी मौके पर नहीं मिली एवं बस्ती वालों द्वारा बताया गया कि श्रीमती किस्तुरी देवी का देहावसान लगभग 8-10 माह पूर्व हो चुका है तथा इनका जो मकान बना हुआ है वह रोड सीमा की भूमि में अवस्थित होना प्रतीत होता है, ऐसी भी जानकारी मिली है कि मकान को सईदा पति स्व. श्री मजीद खां/ ने क्रय कर लिया है ।

उक्त मौका रिपोर्ट के बाद श्रीमती किस्तुरी देवी के किसी भी उत्तराधिकारी द्वारा आवेदन नही किया गया है ।

इसके बाद मोहम्मद इकराम पुत्र मौहम्म्द अली द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया कि उक्त भूखण्ड का मुख्त्यारआम कर रखा है

(स्वायत्त शासन मंत्री)

इसलिए भूखण्ड का आवंटन मोहम्मद इकराम को कर दिया जावे। उक्त मुख्तयारनामा पूर्व में रसीद खां पुत्र महताब खां के नाम से रजिस्टर्ड कराया गया, जिसे बाद में निरस्त कराकर मोहम्मद इकराम पुत्र मोहम्मद अली को मुख्तयारआम नियुक्त किया गया। विधिक राय अनुसार भूखण्ड का आबंटन मुख्तयारआम को नहीं किया जा सकता है।

(3) जी हां। वर्ष 2007-08 में आयोजित कच्ची बस्ती कैम्पों में मेहनत नगर, हटवाडा कच्ची बस्ती के 29 मृतक की पत्नियों द्वारा आवेदन किये जाने पर 26 मृतक की पत्नियों के नाम से पटटे जारी किये गये । शेष 3 प्रकरणों में विवाद होने के कारण (यथा:- नजराना जमा नहीं कराने, स्कीम अनुसार सही स्थान पर नहीं होने आदि) आबंटन नहीं किया गया है। शेष भाग का उत्तर भाग संख्या 2 के उत्तर में निहित है ।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

गोविन्दपुरा कालवाड़ रोड (जयपुर) का अपूर्ण सीवर लाइन निर्माण कार्य

633. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि करधनी स्कीम, गोविन्दपुरा एवं कालवाड़ रोड जोन-7 क्षेत्र में सीवर लाइन डालने के कार्य को दो वर्ष हो चुके हैं? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूरा किया जायेगा?

(2) दो वर्ष के लम्बे समय तक कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? क्या सरकार उक्त कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। करधनी स्कीम, गोविन्दपुरा एवं कालवाड़ रोड जोन-7 में आन्तरिक सीवर लाइन का कार्य लगभग दो वर्ष पूर्व पूर्ण किया जा चुका है।

(2) करधनी स्कीम, गोविन्दपुरा में आन्तरिक सीवर का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। गजाधरपुरा में 30 एम.एल.डी. सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट का कार्य प्रगति पर है, जो माह दिसम्बर, 2012 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। तत्पश्चात् डाली गई सीवर लाइनों को ट्रीटमेन्ट प्लांट से जोड़ना प्रस्तावित है।

पृथ्वीराज नगर जयपुर की आवास कालोनियों में विकास कार्य

634. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पृथ्वीराज नगर, जयपुर में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा कालोनियां बसायी गयी हैं ? यदि हां, तो कालोनियों/ गृह निर्माण सहकारी समितियों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पृथ्वीराज नगर, जयपुर स्थित उक्त कालोनियों में से कतिपय कालोनियों को टेक्निकली एप्रूव्ड कर दिया गया है? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पृथ्वीराज नगर, जयपुर स्थित कालोनियों का रिकार्ड गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में पेश कर दिया गया है? यदि हां, तो रिकार्ड पेश किए जाने की दिनांक सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि पृथ्वीराज नगर, जयपुर को नियमन करने एवं उसके विकास हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है? यदि हां, तो उक्त आदेश की पालना में सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की एवं पृथ्वीराज नगर में कहां-कहां कौन-कौन से विकास कार्य करवाए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार पृथ्वीराज नगर, जयपुर का नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा बसायी गयी कालोनीयों जिनका रिकार्ड समितियों द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत किया गया है, की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। टेक्निकली एप्रूव्ड कालोनियों की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(4) जी हां। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पृथ्वीराज नगर की भूमि को अवाप्त मानते हुये क्षेत्र के सुनियोजित विकास के निर्देश दिये गये हैं । उक्त आदेश की पालना में प्रकरण राज्य सरकार के स्तर पर प्रक्रियाधीन हैं।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में एप्रोच सड़कों एवं पूर्व में बनी सैक्टर सडकों पर नवीनीकरण एवं सुधारीकरण का कार्य करवाया गया है, जिसकी सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(5) पृथ्वीराज नगर योजना की अवाप्त भूमि पर हुए निर्माणों को नियमित करने के सम्बन्ध में प्रकरण परीक्षणाधीन एवं प्रक्रियाधीन है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा नगर, धौलाई (जयपुर) आवास योजना का नियमन

635. श्री विजय बंसल (भरतपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा नगर, धौलाई जयपुर आवासीय योजना जयपुर के नियमन हेतु संशोधित नक्शा स्वीकृत किये जाने के पश्चात् भू-खण्ड स्वामियों द्वारा पुराने काबिज स्थान के बजाय नये आबंटित किये जाने वाले स्थान पर ही संशोधित साइज के अनुसार भवन निर्माण किया जाना था? यदि हां, तो दिसम्बर, 2011 में पुराने काबिज भू-खण्डों पर अनाधिकृत/अवैध निर्माण की प्राप्त शिकायतों की सूची भूखण्ड स्वामी के नाम, भूखण्ड संख्या, शिकायत प्राप्ति की दिनांक व की गई कार्यवाही का दिनांक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा नगर, धौलाई जयपुर के नियमन हेतु संशोधित नक्शा स्वीकृत किये जाने के पश्चात् न्यायालय से स्थगन आदेश होने के कारण जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमन कैंप नहीं लगाया गया? यदि हां, तो स्थगन आदेश को खारिज कराने हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या प्रयास किये गये व स्थगन आदेश को शीघ्र खारिज कराने हेतु आगे कोई प्रयास करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार विधान सभा नगर, धौलाई जयपुर को नियमित किये जाने हेतु शीघ्र नियमन कैंप लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बीपीसी (एलपीसी) द्वारा स्वीकृत मानचित्र उपरान्त लीजडीड जारी होने के पश्चात् ही भवन निर्माण किया जाना अपेक्षित था तथा

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

उक्त वर्णित शिकायत प्राप्त होने पर तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी ने मौका निरीक्षण किया गया। भूखण्ड संख्या 301 विधान सभा नगर, धौलाई पर निर्मित मकान लिखित व हैल्प लाइन पर शिकायत प्राप्त होने के पूर्व से ही वहां निर्माण कार्य बंद था जो कि वर्तमान में भी उसी स्थिति में पड़ा हुआ है। माह दिसम्बर, 2011 में उक्त भूखण्ड के संबंध में लिखित तथा हैल्प लाइन पर प्राप्त शिकायत की फोटो प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। स्थगन आदेश को खारिज कराने हेतु समय-समय पर पैरवी की जा रही है।

(3) माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश निरस्त होने के उपरान्त नियमानुसार नियमन कार्यवाही की जानी है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

कोटा शहर के बोरखेड़ा रेलवे अस्पताल के सड़क निर्माण कार्य में अनियमितताएं

636. **श्री भवानी सिंह राजावत** (लाडपुरा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटा शहर में बोरखेड़ा से रेलवे अस्पताल तक नहर के किनारे बनाई गई सड़क का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है? यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आई?

(2) क्या यह सही है कि संवदेक द्वारा घटिया निर्माण सामग्री काम में लिये जाने के कारण यह सड़क निर्माण के 6 महीने में ही जगह-जगह से टूटकर उखड़ गई यदि हां, तो सड़क का कितना भाग टूटा और इसके दोषी अभियंता व ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या उक्त सड़क के निर्माण में रेलवे विभाग के बाधक बनने के कारण कहीं निर्माण कार्य रूका हुआ है? यदि हां, तो रेलवे से यह बाधा दूर करवाने के लिये अब तक सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये और रेलवे द्वारा रोका गया कार्य कब प्रारम्भ होगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अब तक राशि रुपये 689.91 लाख का व्यय किया जा चुका है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) जी नहीं। सड़क के निर्माण कार्य जारी रहने के दौरान वर्षा ऋतु के आगमन के कारण कुछ ऊंचे स्थलों पर जहां सुरक्षा दीवार बनानी थी, सुरक्षा दीवार का निर्माण नहीं हो पाने के कारण बर्मस की मिट्टी खिसक गई थी। वर्षा के बाद सुरक्षा दीवार कार्य करा दिया गया है एवं सड़क अच्छी स्थिति में है। चूंकि कार्य अधूरा था, इसलिए इसमें किसी अभियन्ता व ठेकेदार का दोष नहीं है।

(3) जी नहीं। मण्डल रेल प्रबन्धक पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा के पत्र क्रमांक डब्ल्यू-338/7 Vol - iii दिनांक 10.02.2012 के द्वारा रेलवे की सीमा में सड़क निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् सड़क का कार्य प्रगति पर है।

एवरेस्ट कालोनी, जयपुर में अवैध निर्माण/व्यावसायिक गतिविधियां

637. श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन 3 की जेडीए अप्रूव्ड एवरेस्ट कालोनी एवं नगर निगम के मध्य से होकर मैन टोंक रोड से जनपथ की ओर जाने वाले पंकज सिंघवी मार्ग की चौड़ाई एवरेस्ट कालोनी के वर्ष 1988 के अप्रूव्ड नक्शे में 80 फीट दर्शाई हुई है? यदि हां, तो एवरेस्ट कालोनी का अप्रूव्ड नक्शा एवं 80 फीट रोड का रिकार्ड सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि एवरेस्ट कालोनी के लगभग सभी भूखण्ड एवं प्लाटधारियों ने जेडीए से प्राप्त नक्शे साइट प्लान से ज्यादा माप पर अतिक्रमण कर उक्त 80 फीट चौड़े सड़क के 20 से 25 फीट भाग पर अतिक्रमण किया है तथा अतिक्रमण के साथ-साथ उक्त सभी प्लाटधारियों द्वारा आवासीय पट्टा लेकर व्यावसायिक, व्यापारिक गतिविधियां की जा रही हैं? यदि हां, तो ऐसे प्लाटधारियों के नाम, प्लाट नम्बर, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी पट्टा, साइट प्लान एवं इनका अतिक्रमण एरिया व की जा रही व्यावसायिक गतिविधियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़क पर उक्त प्लाटधारियों द्वारा अतिक्रमण कर व्यावसायिक गतिविधियां करने की शिकायत क्षेत्रीय नागरिकों की ओर से माननीय विधायकों के मार्फत सरकार एवं आयुक्त जयपुर विकास

(श्री रूपाराम डूडी)

प्राधिकरण को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो शिकायतों की प्रति एवं उन पर अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार विधान सभा से मैन टोंक रोड पर माननीय विधायकों एवं अधिकारियों के आने-जाने के सुगम व शोर्टकट 80 फीट चौड़े सड़क मार्ग से अतिक्रमण हटाने तथा इस मार्ग पर 20 से 25 फीट अतिक्रमण कर की जा रही व्यावसायिक गतिविधियों को बन्द कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1988 के अनुमोदित योजना मानचित्र की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) किसी भी भूखण्डधारी द्वारा 80 फीट चौड़ी सड़क के 20 से 25 फीट भाग पर अतिक्रमण नहीं किया है। 80 फीट चौड़ी सड़क पर कुछ भूखण्डधारियों द्वारा आवासीय पट्टा लेकर व्यावसायिक, व्यापारिक गतिविधियां की जा रही हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। माननीय विधायक श्री रूपाराम डूडी द्वारा दिनांक 27.02.2012 को आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण को शिकायत पत्र प्रेषित किया गया, जो परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। प्राप्त शिकायत में मौका रिपोर्ट अनुसार कार्यवाही की गई, जिसका विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है

(4) 80 फीट चौड़ी सड़क पर किसी भी भूखण्डधारी द्वारा 20 से 25 फीट भाग पर अतिक्रमण नहीं किया है। परिशिष्ट-2 के अनुसार वर्णित भूखण्डों पर शैक्षणिक, संस्थानिक एवं अन्य गतिविधियां पुराने समय से चली आ रही हैं। जिनके सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयीं)

मोनिका विहार, जयपुर आवासीय योजना का नियमन

638. **श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़-जंक्शन) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दी फोरेस्ट व्यू हाउसिंग को-ओपरेटिव सोसायटी लि., जयपुर द्वारा मोनिका विहार नाम से ग्राम मान्यावास, जयपुर में आवासीय स्कीम में भूखण्ड आबंटित किये गये हैं? यदि हां, तो आबंटित

(श्री केसाराम चौधरी)

भूखण्डों की सूची मय भूखण्ड स्वामी के नाम, भू-खण्ड संख्या, साइज, ली गई राशि, आबंटन की दिनांक सहित सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि मोनिका विहार योजना की 90-बी की कार्यवाही हो चुकी है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार मोनिका विहार को नियमित किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) दी फोरेस्ट व्यू हाउसिंग को-ओपरेटिव सोसायटी लि., जयपुर द्वारा मोनिका विहार योजना ग्राम मान्यावास में सृजित कर भूखण्डधारियों को भूखण्ड आबंटित किए गए हैं। योजना गैर अनुमोदित होने के कारण जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कोई राशि नहीं ली गई है तथा ना ही राशि जमा होने के कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध है। भूखण्डधारियों की सूची परिशिष्ट "अ" पर एवं नक्शे की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। उक्त योजना की 90-बी की कार्यवाही पृथ्वीराज नगर योजना की अवाप्ति से प्रभावित होने के कारण नहीं की गई है।

(3) पृथ्वीराज नगर योजना की अवाप्त भूमि के सम्बन्ध में न्यायिक निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए समुचित निर्णय लेने हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

विराट नगर में प्रस्तावित मिनी स्टेडियम

639. **डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराट नगर) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा वर्तमान में क्या-क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं ?

(2) विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में खेल मैदान के विकास एवं मिनी स्टेडियम के लिए कौन-कौन से प्रस्ताव विचाराधीन हैं तथा ग्रामीण खेल विकास के लिए कौन-कौनसी पंचायतों का चयन किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) चलाई जा रही है।

(2) विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में खेल मैदान विकास के लिए पायका योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के ब्लाक एवं समस्त ग्राम पंचायतों में वर्ष 2016-17 तक चरणबद्ध तरीके से खेल मैदानों का विकास कर पायका केन्द्र खोले जाने की योजना है। इस योजना के प्रथम चरण में विधान सभा क्षेत्र विराट नगर की चयनित ग्राम पंचायतों की सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में मिनी स्टेडियम/स्टेडियम निर्माण बाबत कोई नीतिगत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

परिशिष्ट-क

पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (PYKKA)

विधान सभा क्षेत्रानुसार पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) के अन्तर्गत चयनित पायका खेल केन्द्रों की सूची

प्रथम चरण वर्ष 2008-09

क्र. सं.	विधानसभा क्षेत्र	जिला	तहसील	ब्लाक पंचायत	प्रथम चरण वर्ष 2008-09 में चयनित ब्लाक पंचायत	प्रथम चरण वर्ष 2008-09 में चयनित ग्राम पंचायत	मैदान विकास हेतु स्वीकृत राशि
1	Virat Nagar	Jaipur	Kotputli	Kotputli	-	RAJNAUTA	100000
		Jaipur	Virat Nagar	Kotputli	-	RAMSINGHPURA	100000
		Jaipur	Shahpura	Shahpura	-	NATHAWALA	100000
		Jaipur	Virat Nagar	Virat Nagar	-	BAJRANGHPURA	100000
		Jaipur	Kotputli	Virat Nagar	-	BARNAGAR	100000
		Jaipur	Kotputli	Virat Nagar	-	KHELNA	100000
		Jaipur	Viratnagar	Virat Nagar	-	KUHADA	100000
		Jaipur	Kotputli	Virat Nagar	-	MANDHA	100000
		Jaipur	Virat Nagar	Virat Nagar	-	MED	100000
		Jaipur	Kotputli	Virat Nagar	-	PACHHODALA	100000
		Jaipur	Kotputli	Virat Nagar	-	PAOTA	100000
		Jaipur	Kotputli	Virat Nagar	-	PRAGPURA	100000

उदयपुर ग्रामीण में राजस्थान स्टेट मिनरल्स एण्ड माइन्स कम्पनी द्वारा करवाये गये विकास कार्य

640. श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर-ग्रामीण) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या आर.एस.एम.एम. झामरकोटड़ा जिला उदयपुर माइन्स से प्रभावित क्षेत्र में जन-सुविधाओं हेतु निर्माण कार्य कराता है?

(2) वर्ष 2003 से 2008 तक विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में उक्त द्वारा क्या-क्या कार्य कराये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2008 से 2011 तक उक्त द्वारा क्या-क्या निर्माण कार्य कराये? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वर्ष 2003 से 2008 तक विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में कराये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है ।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2008 से 2011 तक कराये गये निर्माण कार्यों का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है ।

परिशिष्ट-1

वर्ष 2003-08 तक विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में कराये गये निर्माण कार्यों का विवरण

वर्ष	कार्य का विवरण	लागत (लाख रुपयों में)
2003	माताजी में ट्यूबवैल निर्माण कार्य	1.91
	कानपुर खदान से पीएचईडी, उदयपुर के लिए पानी सप्लाई हेतु ट्यूबवैल खुदाई, पम्प एवं जी.आई. पाइपलाइन बिछाने का कार्य, आदि	38.69
2004	एम.एस. पाइपलाइन बिछाने के लिए आर.सी.सी. के आधार एवं अन्य कार्य, कानपुर से पीएचईडी लाइन जोडने का कार्य इत्यादि	17.73
	झामेश्वरजी मंदिर पर ट्यूबवैल निर्माण	1.22

वर्ष	कार्य का विवरण	लागत (लाख रुपयों में)
	ओंकरियाफला में जल वितरण	0.30
	कानपुर खदान पर गंदे जल निकासी के लिए नाला निर्माण कार्य	6.46
2005	कानपुर खदान पर पीवीसी पाइप प्रदान करना	1.50
	झामेश्वरजी मंदिर पर कलर एवं सफाई कार्य	0.43
	झामेश्वरजी मंदिर से बेसकेम्प तक सड़क मरम्मत कार्य	12.60
	झामेश्वरजी में विकास कार्य	10.62
	झामरकोटड़ा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में दो कमरों एवं टायलेट का निर्माण	5.38
2006	झामेश्वर नाले पर रपट रिपेयर कार्य	3.19
	मटून माइन्स के पास गांवों में टेंकरों से पानी वितरण	1.32
	झामरकोटड़ा एवं कानपुर गांवों में टेंकरों से पानी वितरण	1.70
	धामधर से खारवा गांव (झामरकोटड़ा एवं चांदला ग्राम पंचायत जो कि उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र एवं लकड़वास पंचायत जो कि मावली विधान सभा क्षेत्र में आती है) तक रोड निर्माण कार्य	92.99
	धामधर से खारवा गांव (झामरकोटड़ा एवं चांदखा ग्राम पंचायत जो कि उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र एवं लकड़वास पंचायत जो कि मावली विधान सभा क्षेत्र में आती है) तक डामर रोड निर्माण कार्य	68.42
	मामादेव से चांसदा तक सी.सी. निर्माण कार्य	47.45
	झामरकोटड़ा के आसपास के क्षेत्रों में प्याउ घर का निर्माण	2.36
	मामादेव से चांसदा रोड निर्माण	62.67
2007	झामरकोटड़ा के पास स्थित स्कूलों में रूरल विकास कार्यक्रम के तहत विकास कार्य	19.88
	झामरकोटड़ा में पशु डिस्पेन्सरी का निर्माण कार्य	5.95
	कानपुर गांव में नाले का निर्माण कार्य	9.08

वर्ष	कार्य का विवरण	लागत (लाख रुपयों में)
	कानपुर गांव में नाले को ढकने का कार्य	8.66
	झामरकोटड़ा के पास के पांच गांवों में शवदाह एवं हैण्डपम्प कार्य	21.91
2008	विद्याभवन स्कूल की बाउण्डरी वाल निर्माण कार्य	6.1
	बन्दुकबावड़ी से चौराहा (परोला) तक सड़क निर्माण कार्य	35.01

परिशिष्ट-2

वर्ष 2008-11 तक विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में कराये गये निर्माण कार्यों का विवरण

वर्ष	कार्य का विवरण	लागत (लाख रुपयों में)
2009	मानपुरा से खारवा तक सड़क रिपेयरिंग कार्य	2.20
2010	झामरकोटड़ा पंचायत के आसपास के क्षेत्रों में पनघटों का निर्माण कार्य	4.48
	झामरकोटड़ा से झामरी डेम तक रोड रिपेयर कार्य	10.91
	जोधपुरिया से तल्लियाफला तक सड़क कार्य	32.13
2011	ग्राम पंचायत झामरकोटड़ा में टेंकरों से पानी का वितरण	2.54
	ग्राम पंचायत चांसदा में टेंकरों से पानी का वितरण	3.91
	मामादेव गांव में पंचायत से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 1'' पाइप लाइन बिछाने का कार्य	0.38

प्रशंसित पुलिस कर्मियों को घोषित नकद पुरस्कार की बकाया राशि

641. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में पुलिस विभाग द्वारा अच्छा कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को नकद रिवार्ड दिया जाता है? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि का? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नकद रिवार्ड दिये जाने हेतु कोई बजट प्रावधान कर रखा गया है? यदि हां, तो वर्तमान में कितनी राशि का व नहीं, तो क्यों? क्या सरकार अब उक्त हेतु बजट प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि पूर्व में पुलिसकर्मियों को दिये गये नकद अवार्डों का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो कितनी राशि का भुगतान बकाया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पुलिस अधीक्षक स्तर पर 2000/- रुपये, उप महानिरीक्षक पुलिस स्तर पर 4000/- रुपये एवं महानिदेशक पुलिस स्तर पर 50000/- रुपये तक की राशि पुरस्कार स्वरूप दिये जाने का प्रावधान है।

(2) जी हां। नकद अवार्ड का भुगतान 28-विविध व्यय के अन्तर्गत किया जाता है। पुलिस विभाग के विभिन्न लघुशीर्षकों में उक्त उद्देश्यों के भुगतान हेतु 28-विविध व्यय (आयोजना भिन्न) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011 -12 के लिए राशि रुपये 48.20 लाख का प्रावधान था।

(3) जी नहीं। पूर्व में पुलिस कर्मियों को घोषित नकद अवार्ड में से रु. 22,35,483/- राशि का भुगतान कर दिया गया है। अब रु. 21,19,909/- राशि के नकद अवार्डों का भुगतान शेष है।

महिला पुलिस कर्मियों द्वारा पुरुष पुलिस कर्मियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही

642. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में गत 3 वर्षों में प्रति वर्ष 5 महिला थाने खोले गये हैं? महिला थाना खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं और अब आगामी दो वर्षों में किस-किस जिले में महिला थाना खोला जाएगा?

(2) राज्य के किन-किन जिलों के महिला थानों में महिला पुलिस कर्मियों के पद सृजित नहीं हुए हैं? वर्ष 2011-12 व 2012-13 में किन-किन जिलों में महिला पुलिस कर्मियों के पद सृजित करने का प्रावधान है?

(3) गत तीन वर्षों में जिन पुलिस थानों में महिला पुलिस कर्मी

(श्री नन्दलाल मीणा)

तैनात हैं उनमें से कितनी महिला पुलिस कर्मियों द्वारा उनके साथ पुरुष पुलिस कर्मियों द्वारा अभद्र व्यवहार व दुराचार के प्रयास की विभिन्न थानों में रिपोर्ट दर्ज कराई है? थानेवार दर्ज रिपोर्टों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां । राज्य में गत तीन वर्षो में प्रतिवर्ष 5 महिला थाने खोले गये हैं। वर्ष 2009-10 में सीकर, जालौर, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ एवं बारां वर्ष 2010-11 में चुरू, सवाई माधोपुर, झालावाड़, नागौर एवं जोधपुर ग्रामीण व वर्ष 2011-12 में राजसमन्द, बूंदी, सिरोही, जयपुर एवं कोटा ग्रामीण में महिला पुलिस थाने खोले गये हैं। महिला अपराधों एवं महिलाओं पर हो रहे अत्याचार जिसमें दहेज, हत्या, घरेलू हिंसा, बलात्कार, बाल विवाह, लूट-पाट आदि में अपराधों में कमी लाने एवं महिला उत्पीड़न सम्बन्धी मुकदमों में अनुसंधान पूर्ण संवेदनशीलता, गम्भीरता, गहनता एवं प्राथमिकता से करने के लिए महिला थाने खोलने आवश्यक हैं। बजट घोषणा वर्ष 2012-13 के अन्तर्गत आगामी 2 वर्षो में जयपुर ग्रामीण, दौसा, झुन्झुनूं, टोंक, जैसलमेर, बाड़मेर, धौलपुर, करौली, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं जोधपुर पश्चिम में महिला थाना खोलने की घोषणा की जा चुकी है। इस प्रकार राज्य के सभी जिलों में अब महिला थाने स्थापित हो जायेंगे।

(2) जिलों में महिला पुलिस थानों में महिला पुलिस कर्मियों के अलग से कोई पद सृजित नही है, परन्तु अधिकांश महिला थानों पर आवश्यकतानुसार व उपलब्धता के अनुसार महिला पुलिस कर्मी तैनात (कार्यरत) हैं। वर्ष 2011-12 व 2012-13 में राज्य में पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत पद भर्ती हेतु आरक्षित है।

(3) पिछले तीन वर्षों में महिला पुलिस थानों में तैनात महिला पुलिस कर्मियों के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा अभद्र व्यवहार व दुराचार के प्रयास से संबंधित दर्ज रिपोर्टों का थानेवार विवरण निम्न प्रकार है:-

(गृह मंत्री)

जिला	पुलिस थाना	एफ.आई. आर./ दिनांक	धारा	परिवादी का नाम/पदस्थापन स्थान	पुलिस कर्मी का नाम/पद स्थापन स्थान जिसके विरुद्ध एफ.आई.आर.	नतीजा
अजमेर	कोतवाली	67/10 दि. 8.4.10	451, 509, 34 भादस	कु. निर्मला ओझा पुत्री श्री बंजरण लाल हाल कानि. 695 पुलिस लाइन अजमेर	1. श्रवण कुमार हाल कानि. 645 आरएसी 9वीं बटालियन 'बी' कम्पनी 2. गजेन्द्र सिंह कानि. 673 पुलिस लाइन अजमेर	चालान
झाला वाड़	खानपुर	67/10 दि. 3.3.10	376, 420 भादस	रेखा शर्मा महिला कानि. 860 थाना खानपुर	गौतम चन्द कानि. 1015 चौकी पनवाडा थाना खानपुर	एफआर अदम वकू (गलत फहमी)

पुलिस थाना दूदू (जयपुर) में दर्ज प्रकरण संख्या 268 पर कार्यवाही

643. श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू के पुलिस थानों (जयपुर ग्रामीण) में जुलाई, 2011 से 31 दिसम्बर, 2011 तक किस-किस प्रकार के आपराधिक प्रकरण दर्ज किये गये? क्या उक्त अवधि में हत्या के प्रकरण भी दर्ज हुए हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से? प्रकरणवार, मृत व्यक्ति के नाम पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पुलिस थाना दूदू में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 268 दिनांक 15 जुलाई, 2011 के दर्ज प्रकरण में पीड़ित पक्ष द्वारा मुल्जिम की पहचान की जाकर नाम भी बताये गये थे? यदि हां, तो हत्या में किस-किस का हाथ होना बताया? उक्त प्रकरण की जांच अब तक किस-किस स्तर के अधिकारी द्वारा की गई एवं जांच में किस-किस को दोषी पाया एवं दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

(3) क्या उक्त प्रकरण में दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों एवं इसके लिये कौन दोषी है?

(4) क्या यह भी सही है कि जांच अधिकारी द्वारा मुल्जिम पक्ष के लोगों एवं राजनैतिक दबाव के कारण दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही न की जाकर पीड़ित पक्ष के लोगों को ही डराया धमकाया जा रहा है? यदि नहीं, तो नामजद मुल्जिमानों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने के क्या कारण हैं? उक्त प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच अधिकारी को क्या-क्या निर्देश दिये गये एवं प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू के पुलिस थानों (जयपुर ग्रामीण) में माह जुलाई, 2011 से 31 दिसम्बर, 2011 तक दर्ज विभिन्न प्रकार के आपराधिक प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। उक्त अवधि में हत्या के 04 प्रकरण दर्ज हुए हैं। विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। तफ्तीश से अभी तक हत्या करने वाले किसी भी अभियुक्त का सुराग नहीं लग पाया है। अभियोग हाजा का प्रथम अनुसंधान श्री अनिल कुमार डोरिया, पुलिस निरीक्षक तत्कालीन थानाधिकारी, थाना दूदू द्वारा किया गया। उसके पश्चात श्री विजय सेहरा, पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी, थाना दूदू, श्री राजपाल सिंह, आर.पी.एस., वृत्ताधिकार, वृत्त दूदू के द्वारा एवं वर्तमान में श्री विजय सेहरा, पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी, थाना दूदू द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। अभी तक की जांच से किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं पाया गया है। अज्ञात मुल्जिमानों की तलाश जारी है।

(3) अनुसंधान से अब तक कोई भी अभियुक्त ज्ञात नहीं पाया गया है। प्रकरण दर्ज होने के बाद में पीड़ित पक्ष के श्री मूलचन्द गुर्जर ने परिवाद पेश किया जिसमें श्री राजू पुत्र श्री धन्ना गुर्जर व श्री रामनारायण पुत्र श्री बन्ना गुर्जर पर शक जाहिर किया था, जिनसे तफ्तीश की गई तो अनुसंधान से इनके खिलाफ कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। अज्ञात मुल्जिमानों की तलाश जारी है।

(4) जी नहीं। एफ.आई.आर. में किसी भी मुल्जिम को नामजद नहीं किया गया है। ना ही अनुसंधान के दौरान अभी तक किसी भी दोषी को

(गृह मंत्री)

नामजद किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/वृताधिकारी, वृत्त-दूदू, द्वारा प्रकरण में सुपरवाइजरी नोट जारी कर अनुसंधान में अग्रिम कार्यवाही हेतु मार्गदर्शन दिये गये हैं एवं पुलिस अधीक्षक, जिला जयपुर ग्रामीण द्वारा भी इस प्रकरण में अज्ञात मुल्जिमानों की तलाश हेतु टीम का गठन किया जाकर उन्हें सम्भावित स्थानों पर भेजा गया है एवं महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज द्वारा भी गठित टीम को अज्ञात मुल्जिमानों एवं संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ एवं तलाश हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। अभियोग हाजा में मुल्जिमानों का पता लगाया जाकर शीघ्र निस्तारण के आदेश दिये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जैसलमेर जिले में होमगार्ड अधिकारियों एवं जवानों के स्वीकृत पद

644. श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जैसलमेर में होमगार्ड जवानों व अधिकारियों के कितने स्थाई पद सृजित हैं व उनमें से कितने भरे हुये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में होमगार्ड जवानों व अधिकारियों के कितने अस्थाई पद हैं एवं उनमें से वर्तमान में कितने जवान व अधिकारी जिले से भर्ती व जिले में तैनात हैं और उक्त जवानों व अधिकारियों को सरकार द्वारा कितना वेतन/मानदेय दिया जाता है तथा वर्ष में कितने दिन तक जवानों को स्थाई रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? क्या उक्त जवानों व अधिकारियों के लिये स्थाई भत्ते, महंगाई भत्ता, बीमा, चिकित्सा एवं अन्य वैतनिक सुविधाएं दी जाती हैं? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ऐसे अस्थाई जवानों व अधिकारियों को पूर्ण कालिक समय के लिये वेतन नहीं देती है, जिससे वे आंशिक रोजगार प्राप्त युवक हैं? क्या सरकार उनकी वैकल्पिक रोजगार व्यवस्था अथवा उन्हें स्थाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला जैसलमेर में होम गार्डस के जवानों व अधिकारियों के पदों की सूचना निम्नानुसार है :

क्र.सं.	**इकाई का नाम**	**स्वीकृत**	**उपलब्ध**	**रिक्त**
1.	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, जैसलमेर	07	04	03
2.	सीमा गृह रक्षा दल, जैसलमेर	66	30	36
	योग	**73**	**34**	**39**

(2) जिला जैसलमेर में होम गार्डस के जवानों व अधिकारियों के अस्थाई पदों की सूचना निम्नानुसार है :-

1. गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	440
2. सीमा गृह रक्षा	666
योग	**1106**

जिले में ओन रोल अस्थाई जवान/अधिकरियों की सूचना निम्नानुसार है :-

1. गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	427
2. सीमा गृह रक्षा	634
योग	**1061**

ड्यूटी पर तैनात जवानों/अधिकारियों की सूचना निम्नानुसार है :-

1. गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	122
2. सीमा गृह रक्षा	551
योग	**673**

ड्यूटी पर तैनात जवानों/अधिकारियों को निम्नानुसार मानेदय देय है :-

1. गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र :- 200/- रु. प्रतिदिन एवं वर्दी धुलाई भत्ता साप्ताहिक 10/-रु. एवं विराम भत्ता (मुख्यालय से ड्यूटी प्लाइट पर 15 कि.मी. से अधिक दूरी पर यात्रा करने पर) 55/- रु. प्रतिदिन।

2. सीमा गृह रक्षा :-(अ) गार्डसमेन/लैस नायक वेतन 700 स्वीकृत दरो पर मंहगाई भत्ता 50/-रु. धुलाई भत्ता व विराम भत्ता (मुख्यालय से ड्यूटी प्लाइट पर 15 कि.मी. से अधिक दूरी पर यात्रा करने पर) 55/-रु. प्रतिदिन प्रतिमाह देय है।

(गृह मंत्री)

(ब) अधिकारी :- सीमा गृह रक्षा में अधिकारियों के पद स्थायी हैं, इन्हें पूर्णकालिक वेतन दिया जाता है। होम गार्ड एक स्वयं सेवी संगठन है जिन्हें केन्द्र/राज्य सरकार की मांग के अनुरूप डयूटी पर लगाया जाता है।

गृह रक्षा स्वयं सेवकों को उपरोक्त दर्शाये अनुसार डयूटी पर बुलाये जाने पर वेतन/मानदेय दिया जाता है। डयूटी/प्रशिक्षण के दौरान दुर्घटना में घायल/मृत्यु होने पर गृह रक्षा स्वयं सेवकों के आश्रितों को सामूहिक दुर्घटना बीमा तथा कल्याण कोष से नियमानुसार आर्थिक सहायता दी जाती है। डयूटी के दौरान बीमार होने पर चिकित्सक के परामर्श के अनुसार दवाइयों का भुगतान कल्याण कोष से किया जाता है।

(3) हां। अस्थाई जवानों व अधिकारियों को पूर्णकालिक समय के लिये वेतन नहीं दिया जाता है। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

भीलवाड़ा जिले के पुलिस थानों में दर्ज प्रकरण

645. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

वर्ष 2011-12 में जिला भीलवाड़ा में चोरी, डकैती, अपहरण, मारपीट, छीना-झपटी, मर्डर, एक्सिडेन्ट एवं गोली के कितने प्रकरण दर्ज हुए? पुलिस थानावार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला भीलवाड़ा में वर्तमान वर्ष (1 जनवरी, 2012 से 31 मार्च, 2012 तक) में चोरी, डकैती, अपहरण, मारपीट, छीना-झपटी, मर्डर, एक्सीडेन्ट एवं गोली के थानेवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ'

राजस्थान पुलिस

क्र.सं.	नाम थाना	अपराध शीर्षक के तहत पंजीबद्ध प्रकरणों की संख्या माह 1 जनवरी, 2012 से 31 मार्च, 2012 तक							
		चोरी	डकैती	अपहरण	मारपीट	छीना-झपटी	हत्या	सड़क दुर्घटना	गोली
1	महिला थाना	-	-	-	-	-	-	-	-
2	सिटी कोतवाली	17	-	-	3	-	-	6	-
3	प्रतापनगर	24	-	2	-	-	2	24	-
4	भीमगंज	7	-	1	2	2	-	2	-
5	सदर	9	-	2	-	1	-	15	-
6	सुभाषनगर	36	-	-	-	-	-	18	-
7	हमीरगढ़	4	-	-	-	-	-	10	-
8	माण्डल	2	-	1	1	-	-	17	-
9	बनेंडा	4	-	1	-	-	-	6	-
10	रायला	3	-	-	1	-	-	15	-
11	बागौर	-	-	-	1	-	-	4	-
12	शाहपुरा	1	-	1	-	-	-	9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	जहाजपुर	3	-	1	1	1	-	9	-
14.	पण्डेर	3	-	-	3	-	-	3	-
15.	शक्करगढ़	1	-	1	1	-	-	4	-
16.	फुलियाकला	2	-	1	1	-	-	3	-
17.	हनुमाननगर	4	-	-	1	-	-	9	-
18.	माण्डलगढ़	1	-	-	3	-	-	7	-
19.	बिजौलिया	10	-	-	-	-	-	10	-
20.	बिगोद	4	-	-	2	-	-	3	-
21.	काछोला	-	-	-	-	-	-	1	-
22.	कोटड़ी	1	-	-	-	-	-	4	-
23.	गंगापुर	5	-	-	-	-	-	11	-
24.	रायपुर	1	-	1	-	-	1	3	-
25.	करेडा	2	-	-	1	-	-	3	-
26.	करोई	-	-	-	3	-	-	2	-
27.	गुलाबपुरा	16	-	-	1	-	-	18	-
28.	आसीन्द	3	-	-	-	-	-	6	-
29.	बदनोर	-	-	-	-	-	-	4	-
30.	शम्भुगढ़	-	-	-	1	-	-	3	-
	योग	**163**	**-**	**12**	**26**	**4**	**3**	**229**	**-**

केलवाड़ा (राजसमन्द) पुलिस थाने में दर्ज प्रकरण का निस्तारण

646. श्री गणेश सिंह परमार (कुम्भलगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कुम्भलगढ़ के पुलिस थाना केलवाडा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलवाड़ा में लोक कल्याणकारी योजना में भारी अनियमितता का मामला दर्ज किया गया है? यदि हां, तो उक्त प्रकरण किस अपराध में दर्ज किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में दर्ज उक्त प्रकरण किस स्तर पर विचाराधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रकरण में जांच अधिकारी द्वारा धीमी गति से कार्य करने या अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करने पर सरकार ने क्या-क्या उपाय किये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 24/10 धारा 409, 468, 467, 120बी भा.द.सं. में पंजीबद्ध किया गया है।

(2) वर्तमान में प्रकरण के आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए, इसका अनुसंधान वृताधिकारी, वृत राजसमन्द द्वारा किया जा रहा है।

(3) प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा मुल्जिम की गिरफ्तारी पर दिनांक 25-03-10 से स्टे लगा हुआ है। स्टे खारिज करवाने की कार्यवाही जारी है तथा प्रकरण में टीम गठित की जाकर तीव्र गति से अनुसंधान किया जा रहा है ।

सीकर शहर के पुलिस थाने में दर्ज कारबाइन चोरी प्रकरण की जांच

647. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सीकर शहर में मार्च, 2012 में धोद बाइपास पर से सेना की कारबाइन चोरी होने की घटना घटित हुई है ? यदि हां, तो कब एवं इस संबंध में किस पुलिस थाने में कब सूचना प्राप्त हुई तथा रिपोर्ट कब दर्ज हुई एवं उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? सूचना/रिपोर्ट की प्रति सहित की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि चोरी गई कारबाइन के दुरुपयोग किये

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

जाने की आशंका से कानून व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो गया है? यदि हां, तो सरकार उक्त संबंध में क्या कार्यवाही कब तक करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सीकर शहर में धोद बाइपास से दिनांक 17.03.2012 को सेना की कारबाइन चोरी होने की घटना घटित हुई थी।

इस संबंध में सूचना थाना कोतवाली सीकर पर दिनांक 17.03.2012 को वक्त 3.25 पी.एम. पर जरिये वायरलैस कन्ट्रोल रूम से मैसेज मिला था। दिनांक 19.03.2012 को समय 7.00 पी.एम. पर मेजर श्री संजय यादव द्वारा अभियोग संख्या 187/12 धारा 379 भा0द0स0 थाना कोतवाली, सीकर पर दर्ज करवाया गया।

वृताधिकारी, वृत सीकर शहर के नेतृत्व में एक टीम गठित कर संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जाकर सम्भावित स्थानों पर दबिश देकर तलाशी ली गई। दिनांक 25.03.2012 को प्रात 5.00 ए.एम. पर सेना के कैप्टेन मनोज कुमार व सेना के जवानो को सम्मिलित करते हुये घटनास्थल के आस-पास खेतों व सड़कों के दाये-बायें तलाशी का अभियान शुरू किया गया। दौराने जांच अभियान घटना स्थल से 50 कदम दूर खुले स्थान पर कारबाइन पड़ी हुई मिली। कारबाइन नं0 एल-3676 बरामद कर जब्त किया गया व न्यायालय के आदेशानुसार सेना को सुपुर्द की जा चुकी है। प्रकरण में अज्ञात मुल्जिमानों की तलाश व तफ्तीश जारी है।

एफ.आई.आर. की प्रति संलग्न है।

(2) जी नहीं। सेना की कारबाइन चोरी हो गई थी, जो बरामद हो चुकी है व न्यायालय के आदेशानुसार सेना को सुपुर्द की जा चुकी है। कारबाइन का कोई दुरुपयोग नहीं किया गया है। ना ही कानून व्यवस्था का कोई खतरा उत्पन्न हुआ है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

चाकसू के पुलिस थानों में लम्बित प्रकरण

648. श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चाकसू में विभिन्न पुलिस थानों में कई अनुसंधानाधीन मामले लम्बित हैं? यदि हां, तो कब से व किन-किन अपराधों में कौन-कौन से प्रकरण लम्बित होने के कारणों सहित थानेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न पुलिस थानों में कई वांछित अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से अपराधी, किन-किन अपराधों में, किस-किस तिथि से और अभी तक नहीं पकड़े जाने के क्या कारण हैं? थानेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जी हां। विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर मुख्य कारागार का केन्द्रीय कारागार में क्रमोन्नयन

649. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार जिला अलवर के मुख्य कारागार को सैन्ट्रल जेल बनाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला अलवर के कारागार में वर्तमान में कितने व कौन-कौन से कैदी कब-कब से सजायाफ्ता हैं और इनमें से कितने कैदियों को पैरोल जमानत पर रिहा किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में कुल कितने कारागार हैं व उक्त कारागारों में कैदियों के प्रशिक्षण, उन्नयन एवं विकासात्मक कार्यों हेतु कितनी और कौन-कौनसी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त जिले के कारागार में सज़ा काट रहे कैदियों के द्वारा कौन-कौनसी वस्तुएं/सामग्रियों का निर्माण किया जाता है तथा उक्त जिला कारागार द्वारा इन सामग्रियों/वस्तुओं के विक्रय से विगत तीन वर्षों में कितनी आय का अर्जन किया गया है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में जिला कारागृह अलवर को केन्द्रीय कारागृह में क्रमोन्नत किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जिला कारागृह, अलवर में दिनांक 20.03.2012 की स्थिति के अनुसार निरुद्ध रहे सजायाफ्ता बंदी एवं उनमें से पैरोल जमानत पर रिहा हुये बंदियों के नाम सहित पूर्ण विवरण परिशिष्ट-ए पर उपलब्ध है।

(3) राज्य में कुल 8 केन्द्रीय कारागृह, 3 'ए' श्रेणी एवं 22 'बी' श्रेणी जिला कारागृह, 60 उप कारागृह, 2 महिला बंदी सुधारगृह एवं 1 किशोर बंदी सुधारगृह है। वर्तमान में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, श्रीगंगानगर एवं जिला कारागृह अलवर में दण्डित बंदियों को निवार बुनाई, दरी बुनाई रंगाई व धुलाई, वस्त्र सिलाई, लोहे का फर्नीचर, कूलर निर्माण, आलमारी निर्माण रैक, लकड़ी के फर्नीचर का निर्माण एवं मरम्मत कार्य, हैण्डलूम कपड़ा बनाई एवं पावरलूम कपड़े के निर्माण कार्यों पर दण्डित बंदियों को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वालम्बी बनाया जाता है ताकि रिहा होने के पश्चात् अपना जीविकोपार्जन कर समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित हो सके। इसी क्रम में केन्द्रीय कारागृह, जयपुर पर कारपेन्ट्री, कटिंग एवं स्वीईग, फिटर एवं वायरमैन तथा केन्द्रीय कारागृह, अजमेर फिटर एवं डीजल मैकेनिक ट्रेडों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसायिक प्रशिक्षण दिलाये जाने जैसी विकासात्मक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

(4) जिला कारागृह, अलवर में सजा काट रहे बंदियों द्वारा दरी, निवार एवं फर्नीचर मरम्मत केनिंग का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2009-10, 2010-11 से 2011-12 तक की अवधि मे उद्योगशाला में निर्मित सामग्री की बिक्री से क्रमशः 5,94,581/- रुपये, 50,414/- रुपये एवं 4,905 रुपये प्राप्त हुये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बिलाड़ा की आरक्षित वन भूमि पर अतिक्रमण

650. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में वन भूमि घोषित की हुई है? यदि हां, तो कितनी-कितनी भूमि एवं किस-किस गांव में? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि विभाग को विधिवत रूप से

(श्री अर्जुन लाल)

हस्तांतरित कर दी गई है? यदि हां, तो कितनी-कितनी भूमि कहां-कहां पर और नहीं, तो कितनी भूमि हस्तांतरण करना शेष है? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त वन भूमि के रख-रखाव/सुरक्षा के लिये सरकार द्वारा अब तक क्या प्रयास किये तथा क्या योजना प्रस्तावित है? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त घोषित वन भूमि में कहां-कहां पर कितनी-कितनी भूमि पर सुरक्षा के अभाव से वन भूमि अतिक्रमित है? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। घोषित की गई वन भूमि का ग्रामवार विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) बिलाड़ा क्षेत्र में वनभूमि का वन विभाग को विधिवत हस्तान्तरण बाबत् अमल दरामद की कार्यवाही की जा रही है। बिलाड़ा क्षेत्र की अमल दरामदशुदा तथा अमल दरामद से शेष रही भूमि का ग्रामवार विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(3) उक्त वन भूमि की सुरक्षा हेतु वनकर्मियों द्वारा नियमित गश्त की जाती है। वन भूमि के रखरखाव/सुरक्षा हेतु निम्न कार्य भी करवाये जा रहे हैं :-

1. घासजोड हरियाडा, वन क्षेत्र बोरून्दा में पक्की चारदीवारी का निर्माण हो रहा है।
2. वन खण्ड पडासलाकलां, होलपुरकलां एवं कापरडा में वनभूमि की सीमा पर वर्ष 2011-12 में सीमापिलर्स बनाये गये हैं। वन खण्ड कापरडा के उक्त पिलरों के बीच दीवार निर्माण कार्य वर्ष 2012-13 में प्रस्तावित है।
3. वन खण्ड ओलवी, कापरडा, पीपाड़ में वर्ष 2012-13 में मनरेगा में पक्की चारदीवारी का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।
4. वन क्षेत्र खारीखुर्द की वन भूमि की चारों ओर खाई फेन्सिंग का कार्य कराया जा चुका है।

(4) उक्त घोषित वन भूमि में सुरक्षा के अभाव में कहीं भी अतिक्रमण

(वन मंत्री)

नहीं है, किन्तु भूअभिलेख में इन्द्राज आदिनांक नहीं होने से वन भूमि को राजस्व भूमि मानकर राजस्व विभाग द्वारा किये गये आबंटन/रूपान्तरण के कारण हुये अतिक्रमण का विवरण परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर के विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों एवं प्राचार्यों के रिक्त पद

651. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में बाड़मेर शहर एवं ग्रामीण में स्थित उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों एवं प्राचार्यों के कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में बाड़मेर शहर एवं ग्रामीण में स्थित प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों एवं प्राचार्यों के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

पदनाम	शहर	ग्रामीण
प्रधानाध्यापक, राउप्रावि	03	36
प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय	00	12
प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय	00	06

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में संचालित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-'क' पर तथा प्रारम्भिक शिक्षा के उच्च

(शिक्षा मंत्री)

प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-'ख' पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर उक्त रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट-क

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बाड़मेर

बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र में प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों की सूची

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	रिक्त पदों की संख्या	ग्रामीण/शहरी
1	रामावि बाड़मेर आगौर	1	ग्रामीण
2	रामावि सोनड़ी	1	ग्रामीण
3	रामावि नांद	1	ग्रामीण
4	रामावि बबूगुलेरिया	1	ग्रामीण
5	रामावि कंटल का पार	1	ग्रामीण
6	रामावि मायलों का तला	1	ग्रामीण
7	रामावि भिड़े का पार	1	ग्रामीण
8	रामावि हाथमा	1	ग्रामीण
9	रामावि पांधी का पार	1	ग्रामीण
10	रामावि सूवाडा	1	ग्रामीण
11	रामावि देरासर	1	ग्रामीण
12	रामावि दूदाबेरी	1	ग्रामीण

बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र में प्राचार्य के रिक्त पदों की विद्यालयवार सूची

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	रिक्त पदों की संख्या	ग्रामीण/शहरी
1	राउमावि कवास	1	ग्रामीण
2	राउमावि मगने की ढाणी	1	ग्रामीण
3	राउमावि बिशाला	1	ग्रामीण
4	राउमावि सियाणी	1	ग्रामीण
5	राउमावि रावतसर	1	ग्रामीण
6	राउमावि सनावड़ा	1	ग्रामीण

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, बाड़मेर

परिशिष्ट-ख

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) बाड़मेर

विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर व बाड़मेर शहर एवं बाड़मेर ग्रामीण में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त प्रधानाध्यापकों के पद की सूचना

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	बाड़मेर शहरी/बाड़मेर ग्रामीण
1	राउप्रावि संख्या 01 बाड़मेर	बाड़मेर शहर
2	रामावि रामुबाई, बाड़मेर	बाड़मेर शहर
3	राउप्रावि संख्या 04 बाड़मेर	बाड़मेर शहर
4	राउप्रावि खारिया राठौडान	बाड़मेर ग्रामीण
5	राउप्रावि लूणू खुर्द	बाड़मेर ग्रामीण
6	राउप्रावि बा रामसर	बाड़मेर ग्रामीण
7	राउप्रावि रत्तासर	बाड़मेर ग्रामीण
8	राउप्रावि दुधवा	बाड़मेर ग्रामीण
9	राउप्रावि बहादुरपुरा	बाड़मेर ग्रामीण
10	राउप्रावि बा चाडी	बाड़मेर ग्रामीण
11	राउप्रावि अणदाणियों का तला	बाड़मेर ग्रामीण
12	राउप्रावि सोखरू	बाड़मेर ग्रामीण
13	राउप्रावि कोठे का तला	बाड़मेर ग्रामीण
14	राउप्रावि बजरंगपुरा	बाड़मेर ग्रामीण
15	राउप्रावि आईदान की ढाणी	बाड़मेर ग्रामीण
16	राउप्रावि मण्डों का तला	बाड़मेर ग्रामीण
17	राउप्रावि सोठों की बस्ती	बाड़मेर ग्रामीण
18	राउप्रावि आदर्श बस्ती नाद	बाड़मेर ग्रामीण
19	राउप्रावि शिव भाखरी	बाड़मेर ग्रामीण
20	राउप्रावि जैसार हनुमानपुरा	बाड़मेर ग्रामीण
21	राउप्रावि जादुओं का तला	बाड़मेर ग्रामीण
22	राउप्रावि कुम्हारों की नाडी	बाड़मेर ग्रामीण
23	राउप्रावि जाखड़ा की ढाणी	बाड़मेर ग्रामीण

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	बाड़मेर शहरी/बाड़मेर ग्रामीण
24	राउप्रावि निम्बली	बाड़मेर ग्रामीण
25	राउप्रावि भारियों की बस्ती	बाड़मेर ग्रामीण
26	राउप्रावि मारूड़ी	बाड़मेर ग्रामीण
27	राउप्रावि असाड़ा बेरी	बाड़मेर ग्रामीण
28	राउप्रावि दुदवा	बाड़मेर ग्रामीण
29	राउप्रावि बा सियाणी	बाड़मेर ग्रामीण
30	राउप्रावि बा लीलसर	बाड़मेर ग्रामीण
31	राउप्रावि भीलों का पाडा	बाड़मेर ग्रामीण
32	रामावि आकोडा	बाड़मेर ग्रामीण
33	रामावि भादरेश	बाड़मेर ग्रामीण
34	रामावि सोनडी	बाड़मेर ग्रामीण
35	रामावि पादरिया	बाड़मेर ग्रामीण
36	रामावि चाड़ी	बाड़मेर ग्रामीण
37	रामावि रामदेव मंदिर	बाड़मेर ग्रामीण
38	रामावि मिठडा	बाड़मेर ग्रामीण
39	रामावि सुरा चारणान	बाड़मेर ग्रामीण

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रारम्भिक) बाड़मेर)

पक्ष विशेष आवश्यकता वाले स्कूली बच्चों को सुविधाएं

652. डा. [श्रीमती] परमनवदीप सिंह (संगरिया) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विद्यालयों में बाधारहित प्रवेश के लिए कितने विद्यालयों में रैम्प व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) जो बच्चा विद्यालय में जमीन पर बैठने में असक्षम है, उन बच्चों के लिए विद्यालयों में क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. (श्रीमती) परमनवदीप सिंह)

(3) क्या यह सही है कि विगत तीन वर्षों में पक्ष विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को निःशुल्क अंग उपकरण का वितरण किया गया है? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में कितने बच्चों को इसका लाभ दिया गया? जिलेवार, वर्षवार व विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु बाधारहित प्रवेश के लिए रैम्प एवं विशेष शौचालय वाले विद्यालयों की संख्या का जिलेवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं।

(2) जो बच्चा विद्यालय में जमीन पर बैठने में असक्षम है, उन बच्चों के लिए विद्यालयों में व्हीलचेयर प्रदान की गई हैं।

(3) जी हां। विगत तीन वर्षो में लाभान्वित बच्चों की जिलेवार, वर्षवार संख्या परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है तथा विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बयाना के चारदीवारी रहित माध्यमिक विद्यालय

653. श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बयाना के माध्यमिक विद्यालयों की चारदीवारी नहीं हैं? यदि हां, तो कौन कौन से विद्यालयों की? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार उक्त चारदीवारी रहित विद्यालयों की चारदीवारी बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बयाना, भरतपुर में माध्यमिक शिक्षा के अधीन संचालित निम्नांकित माध्यमिक विद्यालय चारदीवारी रहित हैं :-

1.	बडौदा	2.	कारवारी
3.	पालीडांग	4.	सालाबाद
5.	जसपुरा मोरोली	6.	जोतरोली

(शिक्षा मंत्री)

7.	ओडेलगद्दी	8.	श्रीनगर
9.	ढाना	10.	नगला तेरहियां
11.	दौलतगढ़	12.	मेरथा
13.	गहलऊ	14.	महलपुर चूरा
15.	खुडासा		

(2) जी हां । जिला शिक्षा अधिकारी से वांछित प्रस्ताव प्राप्त होने एवं वित्तीय प्रावधानों की उपलब्धता के मध्यनजर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

सिवाना के कम्प्यूटर शिक्षण रहित विद्यालय

654. श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सिवाना में सरकारी विद्यालयों को कल्प कार्यक्रम के तहत कम्प्यूटर से जोड़ा गया है? यदि हां, तो कौन-कौन से विद्यालयों को? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यालयों के दो अध्यापकों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाना था? यदि हां, तो किन-किन को कब-कब प्रशिक्षण दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उक्त विद्यालयों में विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा देना प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त सुविधा शीघ्र प्रारम्भ करने का विचार रखती है?यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सिवाना के 35 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को कल्प कार्यक्रम के तहत कम्प्यूटर उपलब्ध करवाये गये हैं। विद्यालयवार सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) सिवाना ब्लाक के उक्त विद्यालयों में से प्रत्येक विद्यालय से एक-

(शिक्षा मंत्री)

एक शिक्षक को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया गया है, विवरण परिशिष्ट "क" में सम्मिलित है।

(3) सिवाना ब्लाक के जिन विद्यालयों में कम्प्यूटर लगाये गये थे उनमें कम्प्यूटर स्थापित करने वाले सत्र से कम्प्यूटर शिक्षा देना प्रारम्भ कर दिया गया है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट "क" में सम्मिलित है।

(4) उक्त सभी विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम संचालित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नागौर जिले के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी व्याख्याताओं के रिक्त पद

655. **श्री अजय सिंह** (डेगाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला नागौर में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम के अन्तर्गत आने वाले उच्च माध्यमिक विद्यालय में समानीकरण के अन्तर्गत वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी के पद समाप्त किये गये थे? यदि हां, तो कितने विद्यालयों में अंग्रेजी अध्यापकों का पद समाप्त कर दिया तथा व्याख्याता के पद का आबंटन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) अब सरकार उक्त जिले में अंग्रेजी विषय के अध्यापक विहिन विद्यालयों में वरिष्ठ अध्यापक या व्याख्याता कब तक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो अब उक्त पदों का आबंटन कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां । जिला नागौर में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम के अन्तर्गत आने वाले निम्नांकित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समानीकरण के अन्तर्गत वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी के पद समाप्त किये गये हैं:-

क्र.सं.	नाम विद्यालय	क्र.सं.	नाम विद्यालय
1	राउमावि, नागौर	7	राउमावि, करनू
2	राउमावि, गोटन	8	राउमावि, डांगावास
3	राउमावि, फिडोद	9	राउमावि, जानेवा
4	राउमावि, इनाणा	10	राउमावि, झाडेली
5	राउमावि, मावण्डा	11	राउमावि, पुन्दलोता
6	राउमावि, मूण्डवा	12	राउमावि, खुडीकलां

(शिक्षा मंत्री)

क्र.सं.	नाम विद्यालय	क्र.सं.	नाम विद्यालय
13	राउमावि, भेरूण्डा	20	राउमावि, मेड़तारोड
14	राउमावि, चावण्डिया	21	राउमावि, डेह
15	राउमावि, शंखवास	22	राउमावि, रोटू
16	राउमावि, आसावरी	23	राउमावि, खियाला
17	राउमावि, खजवाना	24	राउमावि, जालसूनानक
18	राउमावि, इंडवा	25	राउमावि, रियांबड़ी
19	राउमावि, कुचेरा	26	राबाउमावि, गोटन

उक्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वरिष्ठ अध्यापक-अंग्रेजी के पदों को समाप्त कर निम्नांकित विद्यालयों में व्याख्याता के पद आबंटन किये गये हैं:-

क्र.सं.	नाम विद्यालय	आबंटित पद
1	राउमावि, फिडोद	1
2	राउमावि, करनू	1
3	राउमावि, डांगावास	1
4	राउमावि, शंखवास	1
5	राउमावि, रोटू	1

(2) जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम, नागौर से प्रस्ताव प्राप्त होने तथा पद उपलब्ध होने की स्थिति में व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक के पदों का आबंटन किया जाकर लगाया जाना सम्भव हो सकेगा।

भीलवाड़ा पुलिस लाइन स्थित माध्यमिक विद्यालय का जीर्णोद्धार

656. श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भीलवाड़ा पुलिस लाइन स्थित माध्यमिक विद्यालय में वर्तमान में कुल कितने छात्र-छात्राएं हैं एवं उनके बैठने के लिए कुल कितने कमरे वास्तव में काम आ रहे हैं?

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

(2) उक्त विद्यालय भवन किस विभाग के अधीन है? क्या उक्त विद्यालय में कोई भी निर्माण पुलिस विभाग की स्वीकृति के बिना नहीं हो सकता है? यदि हां, तो पुलिस विभाग विद्यालय में निर्माण कार्य की स्वीकृति कब देगा?

(3) क्या जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने उक्त विद्यालय में स्थित कमरों की दुर्दशा की शिकायत की जांच करवाई है तथा जांच में कमरों की जीर्ण-शीर्ण दशा के कारण तत्काल नये निर्माण का निर्णय लिया गया है? क्या सरकार तत्काल शिक्षा विभाग एवं पुलिस विभाग में सामंजस्य बिठाकर स्थायी समाधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में नगर परिषद द्वारा निर्मित हाल पुलिस विभाग के कब्जे में है और पुलिस विभाग इसे विवाह समारोह में किराये पर देता है? क्या सरकार इसे पुन: विद्यालय को देने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा पुलिस लाइन स्थित माध्यमिक विद्यालय में वर्तमान में कुल 315 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के अध्यापन हेतु 05 कमरे उपयोग में आ रहे हैं।

(2) जी हां। उक्त विद्यालय भवन पुलिस विभाग के अधीन है। विद्यालय में कोई भी निर्माण कार्य पुलिस विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं कराया जा सकता है।

उक्त विद्यालय पुलिस लाइन परिसर में स्थित है। सम्पूर्ण पुलिस लाइन परिसर पुलिस विभाग की सम्पत्ति है। पुलिस लाइन परिसर में स्थित किसी भी भवन में परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा नये निर्माण का अधिकार पुलिस विभाग के पास सुरक्षित है। शिक्षा विभाग द्वारा पुलिस विभाग से विभागीय अनापत्ति प्राप्त कर अनुमोदित नक्शे के अनुसार कार्य की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर पुलिस विभाग की जानकारी में कार्य करवाये जाने पर पुलिस विभाग को कोई आपत्ति नहीं हैं।

(3) जी हां। जिलाधीश भीलवाड़ा द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग भीलवाड़ा से जांच करवाई गई। जिसमें मरम्मत व निर्माण के लिए रुपये 16,76,016/- का तकमीना बनाकर दिया गया।

(शिक्षा मंत्री)

वर्तमान में विभाग के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(4) जी हां। विद्यालय में नगर परिषद् द्वारा निर्मित हाल पुलिस विभाग के कब्जे में है। पुलिस विभाग द्वारा इस हाल को शादी ब्याह जैसे आयोजन में किराये पर दिया जाता है।

नगर परिषद् भीलवाड़ा के सहयोग से पुलिस लाइन स्थित विद्यालय भवन से सटा कर एक बड़े हाल का निर्माण विभागीय गतिविधियों के लिए तथा आकस्मिक रूप से पुलिस बल को ठहराने को ध्यान में रखते हुए करवाया गया था। चूंकि उक्त हाल विद्यालय भवन से सटा होने से विद्यालय द्वारा भी परीक्षा आदि की मांग को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध करवाया जाता रहा है। उक्त हाल का मुख्य प्रवेश द्वार व उपद्वार विद्यालय भवन के बाहर से होने के कारण उक्त हाल विभागीय गतिविधियों, बैठकों आदि में उपयोग लिया जा रहा है। पुलिस लाइन भीलवाड़ा स्थित राजकीय आवासगृहों में रहने वाले पुलिस कर्मियों के परिवार में शादी ब्याह होने पर ही उक्त हाल के रख-रखाव की राशि प्राप्त कर मेहमानों को ठहराने हेतु उपलब्ध करवाया जाता है।

दयालपुरा (जयपुर) के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में करवाये गये निर्माण कार्यों की जांच

657. **श्री आदराम मेघवाल** (पीलीबंगा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2008 से फरवरी, 2012 तक विधान सभा क्षेत्र बस्सी के किन-किन राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को खेल मैदान, भवन बाउण्डरी बनाने के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्य करवाने हेतु किस-किस संस्था को कार्यकारी एजेन्सी बनाया गया? कार्यकारी एजेन्सी को कार्य करने हेतु दिये गये आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में राजकीय प्राथमिक विद्यालय दयालपुरा में भी उक्त निर्माण कार्य करवाये गये हैं? यदि हां, तो उक्त निर्माण हेतु किस-किस संस्था को कार्यकारी एजेन्सी बनाया गया और कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित समय क्या-क्या रखा गया था?

(4) उक्त निर्माण कार्यों हेतु निर्माण सामग्री एवं श्रम पर कितनी-

(श्री आदराम मेघवाल)

कितनी राशि व्यय की गई और निर्माण सामग्री कहां-कहां से क्रय की गई? क्रय की गई निर्माण सामग्री के बिल की प्रति एवं श्रमिकों को किये गये भुगतान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच कब-कब किस-किस स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा की गई एवं जांच में क्या-क्या कमियां पाई गईं?

(6) क्या यह सही है कि उक्त निर्माण कार्यों में अनियमितताओं की जांच करवाई गई है? यदि हां, तो कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(7) क्या सरकार अब उक्त निर्माण कार्य की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2008 से फरवरी, 2012 तक विधान सभा क्षेत्र बस्सी के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में भवन, बाउण्डरी बनाने के लिए स्वीकृत राशि का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उक्त कार्य करवाने हेतु सम्बन्धित विद्यालय की "विद्यालय प्रबन्धन समिति" को कार्यकारी एजेन्सी बनाया गया। निर्माण कार्य सम्बन्धित विद्यालय की विद्यालय प्रबन्धन समिति के माध्यम से कराने से सम्बन्धित आदेश की प्रति परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बस्सी के ग्राम दयालपुरा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय संचालित नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दयालपुरा में चारदीवारी निर्माण सम्बन्धित विद्यालय की विद्यालय प्रबन्धन समिति" को कार्यकारी एजेन्सी बनाकर कार्य करवाया गया। उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु निर्धारित समायावधि छह माह थी।

(4) उक्त निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री पर रु. 20,6764/- एवं श्रम पर रु. 77,650/- व्यय किये गये। निर्माण सामग्री स्थानीय निकटतम स्थानों से क्रय की गई। क्रय की गई सामग्री के बिलों की प्रतियां तथा श्रमिकों को किये गये भुगतान की प्रतियां परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(5) उक्त निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच समय-समय पर सम्बन्धित ब्लाक के कनिष्ठ अभियंता व जिले के सहायक अभियंता द्वारा की गई हैं। जांच में कोई गम्भीर कमियां नहीं पाई गयीं।

(शिक्षा मंत्री)

(6) उक्त निर्माण कार्यों में अनियमितताओं सम्बन्धी शिकायत प्राप्त नहीं होने के कारण जांच नहीं करवाई गई।

(7) चूंकि कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता द्वारा की गयी जांच में कोई गम्भीर कमियां नहीं पाई गयी हैं तथा अन्य कोई शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई हैं, अतः निर्माण कार्य की जांच करवाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पीपल्दा के विद्यालयों में रिक्त पद

658. श्री प्रेमचन्द (पीपल्दा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय कितने व कहां-कहां स्थित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत व कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में संचालित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-'क' में सम्मिलित है।

(3) जी हां। तृतीय श्रेणी के 41000 अध्यापकों की भर्ती जिला परिषदों के माध्यम से की जा रही है। उक्त भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने पर तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों को भरा जा सकेगा। वर्ष 2012-13 में 20,000 अध्यापकों की और भर्ती करने की घोषणा मुख्य मंत्रीजी के बजट भाषण में की जा चुकी है। शेष रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित व्यक्ति उपलब्ध होने पर भरा जा सकेगा। वर्तमान में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक पर कार्मिक विभाग की ओर से रोक लगी हुई हैं। रोक हटने पर आगामी कार्रवाई की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खाजूवाला के विद्यालयों में रिक्त पद

659. डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. विश्वनाथ मेघवाल)

(1) विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय कहां-कहां पर स्थित हैं? विद्यालय तथा स्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित विद्यालयों में कुल कितने अध्यापक व अन्य श्रेणियों के पद स्वीकृत हैं? विद्यालयवार स्वीकृत पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध पदस्थापन की क्या स्थिति है? विद्यालयवार स्वीकृत पदों के विरुद्ध पदस्थापन का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) उक्त विद्यालयों में कितने पद कब से रिक्त हैं? विद्यालय तथा पदवार दिनांक सहित रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में संचालित राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों का स्थानवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में अध्यापकों के स्वीकृत पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" में सम्मिलित हैं तथा माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत विद्यालयों में अध्यापकों एवं अन्य श्रेणियों के विद्यालयवार स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) उक्त विद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत पदों का विवरण परिशिष्ट "क" एवं "ख" में सम्मिलित है।

(4) उक्त विद्यालयों में पद कब से रिक्त हैं का विवरण परिशिष्ट "क" एवं "ख" में सम्मिलित है।

(5) जी हां। तृतीय श्रेणी के 41000 अध्यापकों की भर्ती जिला परिषदों के माध्यम से की जा रही है। उक्त भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने पर तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों को भरा जा सकेगा। वर्ष 2012-13 में 20,000 अध्यापकों की और भर्ती करने की घोषणा मुख्य मंत्रीजी के बजट भाषण में

(शिक्षा मंत्री)

की जा चुकी हैं। शेष रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित व्यक्ति उपलब्ध होने पर भरा जा सकेगा। वर्तमान में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक पर कार्मिक विभाग की ओर से रोक लगी हुई है। रोक हटने पर आगामी कार्रवाई की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बडी सादड़ी में अध्यापकों के रिक्त पद

660. श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक एवं तृतीय श्रेणी अध्यापक-अध्यापिकाओं के छात्र-छात्रा अनुपात में स्वीकृति शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक के कितने-कितने पद कब-कब से रिक्त हैं? विद्यालयवार स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राजकीय विद्यालयों का स्तर सुधारने एवं सुचारू अध्ययन अध्यापन व बेहतर परीक्षा परिणाम हेतु उक्त विद्यालयों में छात्र-छात्रा अनुपात में रिक्त प्रत्येक शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक एवं तृतीय श्रेणी अध्यापक-अध्यापिकाओं के पद आर.टी.ई. एक्ट में दिये गये छात्र शिक्षक अनुपात में स्वीकृत नहीं है उक्त विद्यालयों में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक श्रेणी के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(2) जी हां। पंचायतीराज विभाग द्वारा जिला परिषद के माध्यम से 41000 तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती की कार्यवाही की जा रही है । आगामी वर्ष में 20000 अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में की है । द्वितीय श्रेणी के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा। वर्तमान में विभागीय पदोन्नति समिति के आयोजन पर कार्मिक विभाग द्वारा रोक प्रभावी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जैसलमेर जिले में उर्दू शिक्षकों के रिक्त पद

661. श्री शाले मोहम्मद (पोकरण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जैसलमेर के कितने प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उर्दू विषय संचालित हैं? उक्त जिले में कुल कितने उर्दू अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं और उक्त में से कुल कितने पद रिक्त हैं? सूची विद्यालयवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले के प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उर्दू विषय पढ़ाने की स्वीकृति जारी की गई है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले में सरकार को 231 उर्दू शिक्षकों के पद सृजन हेतु प्रस्ताव भेजे गए हैं? यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त पद सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत जिला जैसलमेर में 03 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू का अध्ययन करवाया जा रहा है। जिला जैसलमेर में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत उर्दू अध्यापकों के 9 पद आवंटित हैं, जिनमें से 4 पद रिक्त हैं। विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

जिला जैसलमेर में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत 5 विद्यालयों में उर्दू विषय तृतीय भाषा/ऐच्छिक विषय के रूप में संचालित है। इन पांच विद्यालयों में स्वीकृत पदों एवं रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार हैः-

विद्यालय का नाम	स्वीकृत पद		रिक्त पद	
	व्याख्याता	व.अ.	व्याख्याता	व.अ.
राउमावि, जैसलमेर	0	1	0	0
राउमावि, पोकरण	1	1	0	0
रामावि, सम	0	1	0	0
रामावि, फतेहगढ़	0	1	0	1

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी हां। सत्र 2011-12 से कक्षा 9 में तत्पश्चात् आगामी शिक्षा सत्र में कक्षा 10 में तृतीय भाषा के रूप में उर्दू के पठन-पाठन की स्वीकृति बिना पद एवं प्रावधान के स्ववित्त पोषित आधार पर जारी की गई है :-

विद्यालय का नाम
रामावि, भू जैसलमेर
रामावि, भागू का गांव
रामावि, छत्रैल
रामावि, बांधेवा
राउमावि, देवी कोट

(3) जी हां। इन प्रस्तावों पर निर्णय प्रक्रियाधीन है।

(4) प्रस्तावों का परीक्षण गुणावगुण एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर किया जाकर निर्णय लिया जायेगा।

परिशिष्ट-'क'

प्रपत्र-1

जैसलमेर जिले में संचालित विद्यालयों में उर्दू अध्यापकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	उर्दू विषय के अध्यापकों के स्वीकृत पद	उर्दू विषय के अध्यापकों के रिक्त पद
01	रामावि बांधेवा	01	00
02	रामावि छत्रैल	01	01
03	रामावि भागू का गांव	01	01
04	रामावि गोमट	02	00
05	राउप्रावि चाचा	02	01
06	राउप्रावि थाट	01	01
07	राउप्रावि जूनी बासनपीर	01	00

जिला शिक्षा अधिकारी

प्रारम्भिक, जैसलमेर

भदेसर (चित्तौड़गढ़) तहसील क्षेत्र के विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं

662. श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला चित्तौड़गढ़ के ग्राम-सुथारी खेडा (पारलिया), ग्राम पंचायत-लेसवा, तहसील-भदेसर में कौन-कौन से विद्यालय संचालित हैं? उक्त विद्यालयों में कितने-कितने विद्यार्थी वर्तमान में अध्ययनरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में विद्यार्थियों के पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम के विद्यालय की भूमि की चार दीवारी बनाने की स्वीकृति जारी हो चुकी है? यदि हां, तो कब व कितनी राशि की?

(4) उक्त विद्यालय के चारों ओर चारदीवारी का कार्य कब तक शुरू करवा दिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला चित्तौड़गढ़ के ग्राम सुथारीखेडा (पारलिया) ग्राम पंचायत लेसवा तहसील भदेसर में एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुथारीखेडा संचालित है, जिसमें 55 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इस ग्राम में उप्रावि, माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक स्तर का कोई भी विद्यालय संचालित नहीं है।

(2) उक्त विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए पीने के पानी हेतु हैण्डपम्प की व्यवस्था है।

(3) जी नहीं।

(4) उक्त विद्यालय हेतु बाउण्डरी वाल निर्माण कार्य भारत सरकार से अनुमोदित होने वाली सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना 2012-13 में स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है। वार्षिक कार्य योजना के भारत सरकार से अनुमोदन के उपरान्त बाउण्डरी वाल निर्माण की स्वीकृति जारी कर निर्माण कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

डेगाना में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र

663. श्री अजय सिंह (डेगाना) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अजय सिंह)

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्ष 2009 से फरवरी, 2012 तक कितने नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं? ग्रामवार, केन्द्रवार एवं वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में कुछ आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं? यदि हां, तो ग्रामवार एवं केन्द्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालयों में स्थानान्तरित करने के आदेश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो उक्त आदेश कब जारी किये गये तथा क्या सरकार के आदेश की पालना कर ली गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) सरकार द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों को कब तक राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में स्थानान्तरित कर दिये जाएंगे?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना डेगाना एवं रियाबड़ी सम्मिलित है। इनके अन्तर्गत क्रमश: परियोजना डेगाना में वर्ष 2009 से मार्च, 2012 तक कुल 22 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं। सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है तथा बाल विकास परियोजना रियां में वर्ष 2009 से मार्च, 2012 तक कुल 7 केन्द्र (3 मेन, 4 मिनी) सूची परिशिष्ट -"ब" पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र डेगाना में दो बाल विकास परियोजनाएं डेगाना एवं रियां बडी संचालित हैं। इनमें से बाल विकास परियोजना रियां के 21 आंगनबाडी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं सूची परिशिष्ट-"स" पर संलग्न है।

(3) जी, हां। उक्त आदेश दिनांक 13.10.2009 को जारी किए गए हैं। सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों को निकटतम विद्यालयों में कक्ष की उपलब्धता के अनुसार स्थानान्तरित किया जा रहा है। आदेश की पालना प्रक्रियाधीन है।

(4) राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13-10-2009 की पालना में वह आंगनबाड़ी केन्द्र जो स्वयं के भवनों में संचालित नहीं है तथा विशेषतया वे जो किराये के भवनों में संचालित हैं, उन्हें राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

कक्ष की उपलब्धता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाना है। अतः विधान सभा क्षेत्र डेगाना में किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों को भी राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कक्ष की उपलब्धता के अनुसार स्थानान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

वैर में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

664. श्री बहादुर सिंह (वैर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र वैर में वर्तमान में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित सभी आंगनबाड़ी केन्द्र सरकारी भवनों में चल रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार भवन रहित केन्द्रों के लिए सरकारी भवन निर्माण कराये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में ऐसे भी गांव हैं, जिनमें वर्तमान में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित नहीं हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार आंगनबाड़ी केन्द्रों से वंचित गांवों में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र वैर में वर्तमान में कुल 214 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। ग्राम पंचायतवार पूर्ण विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र वैर में 214 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, जिनमें से 182 आंगनबाड़ी केन्द्र सरकारी भवनों में तथा शेष 32 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में चल रहे हैं क्योंकि आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु अत्यधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। अतः वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर राज्य सरकार आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण कराए जाने के लिए प्रतिबद्ध है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र वैर में 18 राजस्व ग्राम ऐसे हैं, जिनमें आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत नहीं हैं। किन्तु इनमें से 10 ग्राम गैर आबाद हैं।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित जनसंख्या मापदण्ड पूर्ण किये जाने पर खोले जाते हैं। वर्तमान में मांग पर आधारित आंगनबाड़ी केन्द्र योजनान्तर्गत ऐसे स्थान जहां आंगनबाड़ी केन्द्र तो है किन्तु लाभार्थियों की पहुंच से दूर होने के कारण वे आईसीडीएस सेवाओं से वंचित है तो इस योजना के अन्तर्गत जन समुदाय के द्वारा आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में जरीये बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशालय को प्रेषित किये जाते हैं। निदेशालय को प्राप्त आवेदन पत्र अनुकूल पाये जाने पर अपेक्षित स्वीकृती हेतु भारत सरकार को प्रेषित किये जाते हैं। विधान सभा क्षेत्र वैर के भी यदि कोई ग्राम/क्षेत्र आंगनबाड़ी सेवाओं से वंचित है तो भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार परीक्षण कराकर यदि उपयुक्त पाये गये तो नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये जा सकेंगे तथा भारत सरकार की स्वीकृति के पश्चात ही केन्द्र खोलने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

वाहनों पर लाल बत्ती के लिए अधिकृत व्यक्ति

665. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर-उत्तर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में प्रमुख पदों पर आसीन विशिष्ट व्यक्तियों/अधिकारियों/ राजनीतिज्ञों के वाहनों पर लगाई जाने वाली बत्तियां कितने प्रकार/रंगों की होती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्तानुसार प्रकार/रंग की बत्ती अपने वाहन पर लगाने हेतु कौन-कौन व किस स्तर/पद के व्यक्ति/अधिकारी/राजनेता/स्थानीय निकाय प्रमुख अधिकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त बत्तियों का अपने वाहनों पर अनाधिकृत उपयोग करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किये जाने के प्रावधान हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में उक्त बत्तियों का अनाधिकृत उपयोग हो रहा है? क्या सरकार उक्त बत्तियों का अनाधिकृत उपयोग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 108 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प 7 (60) परि/नियम/मु/85 दिनांक 11.07.2006 के अनुसार राज्य के प्रमुख पदों पर आसीन विशिष्ट व्यक्तियों/अधिकारियों/राजनीतिज्ञों के वाहनों पर लगायी जाने वाली बत्तियों के सन्दर्भ में जारी अधिसूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) मोटर वाहन पर बत्तियों के प्रयोग हेतु अधिकृत विशिष्ट व्यक्तियों की सूची अधिसूचना क्रमांक प 7 (60) परि/नियम/मुख्यालय/85 दिनांक 11.07.2006 में अंकित है जो परिशिष्ट-1 पर संलग्न है ।

उक्त अधिसूचना में वर्णित सूची के क्रम संख्या 1 व 2 में निर्दिष्ट उच्च पदस्थ व्यक्तियों के समतुल्य, उच्च पदस्थ व्यक्ति को भी अधिसूचना क्रमांक प 7 (60)परि/नियम/मुख्यालय/85 दिनांक 25.08.2006 (परिशिष्ट 2) के अनुसरण में मोटर वाहन पर बत्ती के उपयोग हेतु अधिकृत किया गया है।

(3) उक्त बत्तियों का अनाधिकृत प्रयोग करने वालों के विरुद्ध केन्द्र सरकार के मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 177 के तहत प्रथम अपराध पर 100/- तक एवं पश्चावर्ती अपराध पर 300/- रुपये तक के आर्थिक दण्ड से दण्डित किए जाने का प्रावधान है।

(4) मोटर वाहन पर बत्ती के अनाधिकृत उपयोग के विरुद्ध परिवहन एवं पुलिस विभाग की ओर से समय-समय पर कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभागों को मोटर वाहनों पर बत्ती के अनाधिकृत उपयोग रोकने के संदर्भ में भी परिपत्र जारी किया है।

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार

परिवहन विभाग

क्रमांक प7(60)परि/नियम/मुख्यालय/85 जयपुर, दिनांक 11.7.2006

अधिसूचना

केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 108 के अन्तर्गत उच्च पदस्थों को ले जाने वाले या उनका अनुसरण करने वाले यानों के उच्च पदस्थों को ले जाने वाले वाहनों पर लाल बत्ती एवं नीली बत्ती के उपयोग को अनुज्ञात

करने वाली पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुय राज्य सरकार उच्च पदस्थों को ले जाने वाले या उनका अनुसरण करने वाले यानों, गश्ती ड्यूटी में प्रयोग में लिये जाने वाले यानों एवं बैंगनी रंग के कांच से ढकी हुए लाल बत्ती के उपयोग करने वाले एम्बुलेन्स के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी करती है:-

1. **<u>यानों पर लाल बत्ती के उपयोग के लिये अनुज्ञात उच्च पदस्थ</u>**

1. राज्यपाल, राजस्थान ।
2. मुख्यमंत्री राजस्थान ।
3. मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय ।
4. अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा ।
5. लोकायुक्त राजस्थान ।
6. मुख्य सूचना आयुक्त ।
7. मंत्रिमण्डल के सदस्यगण, राजस्थान ।
8. मुख्य सचेतक, राजस्थान विधान सभा ।
9. नेता प्रतिपक्ष, राजस्थान विधान सभा ।
10. न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय ।
11. राज्यमंत्री/उप मंत्री/सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्री/ राज्यमंत्री के स्तर के दर्जे के लिये अधिसूचित उच्च पदस्थगण ।
12. उपाध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा ।
13. उप मुख्य सचेतक, राजस्थान विधान सभा ।
14. मुख्य सचिव, राजस्थान ।
15. अतिरिक्त मुख्य सचिव ।
16. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल ।
17. आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग ।
18. एडवोकेट जनरल, राजस्थान सरकार ।
19. समस्त प्रमुख शासन सचिव ।
20. पुलिस महानिदेशक ।
21. सम्भागीय आयुक्त/रेंज प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक/ उप-महानिरीक्षक ।

22. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक राजस्थान ।

23. समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश ।

24. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, जोधपुर ।

25. नगर निगम जयपुर, जोधपुर एवं कोटा के महापौर।

26. समस्त जिला प्रमुख, राजस्थान ।

27. अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान ।

2. **<u>यानों पर नीली बत्ती के उपयोग हेतु अनुज्ञात विभाग और पदाधिकारीगण</u>**

1. जिलों में पदस्थापित समस्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ।

2. जोधपुर शहर में पदस्थापित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (मोबाइल)।

3. गश्ती ड्यूटी के लिये प्रयोग में लिये जाने वाले पुलिस, आबकारी एवं परिवहन विभाग की वाहनें ।

3. **<u>बैंगनी रंग के कांच से ढकी हुई लाल बत्ती के उपयोग के लिये अनुज्ञात एम्बुलेन्स यान</u>**

1. चिकित्सा विभाग के एम्बुलेन्स यान ।

2. नागरिक सुरक्षा के लिए एम्बुलेन्स यान ।

3. रेडक्रास के एम्बुलेन्स यान ।

यदि कोई यान जिसके शीर्ष अग्रभाग पर लाल/नीली बत्ती लगी हुयी है, उच्च पदस्थ व्यक्तियों को नहीं ले जा रहा है तो ऐसी लाल/नीली बत्ती का उपयोग नहीं किया जावेगा और उसे आवरण से ढक दिया जायेगा।

यह भी आदिष्ट किया जाता है कि उपरोक्त के सिवाय कोई भी यान, लाल या नीली बत्ती का उपयोग नहीं करेगा। अनधिकृत रूप से लाल या नीली बत्ती का उपयोग करते हुये पाये जाने वाले यानों के वाहन चालकों के विरुद्ध परिवहन विभाग द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177 के अन्तर्गत प्रथम अपराध पर रुपये 100/- एवं पश्चात्‌वर्ती अपराध पर रुपये 300/- की प्रशासन राशि वसूल की जायेगी । इसके साथ ही लोक सेवकों/राज्य सेवा के अधिकारियों द्वारा अनधिकृत रूप से लाल या नीली बत्ती के प्रयोग करते हुए पाए जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 17/16

के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु उनके विभागाध्यक्ष को सूचित कर दिया जावेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

दिनेश कुमार यादव

उप शासन सचिव (मु.)

परिवहन विभाग, जयपुर

परिशिष्ट-2

राजस्थान सरकार

परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ.7 (60) परि/नियम/मु./85   जयपुर, दिनांक 25.8.2006

<u>अधिसूचना</u>

केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 108 के परन्तुक (iii) के अनुसरण में इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11.07.2006 के क्रमांक तीन के पश्चात और प्रथम परन्तुक से पूर्व निम्नलिखित अभिव्यक्ति जोड़ी जाती है:-

''यदि कोई यान जो ऐसे उच्च पदस्थ व्यक्ति को ले जा रहा हो, जो रैंक, प्रास्थिति और प्रसुविधाओं में अधिसूचना के क्रमांक '1' एवं '2' में निर्दिष्ट उच्च पदस्थ व्यक्तियों के समतुल्य औपचारिक रूप से अभिहित हो; तत्सम्बन्धी प्रसुविधाओं के अनुसार लाल या नीली बत्ती का उपयोग करने का हकदार होगा।''

दिनेश कुमार यादव

उप शासन सचिव (मुख्यालय)

परिवहन निगम बेड़े में सम्मिलित नवीन वाहन

666. श्री अशोक डोगरा (बूंदी) व **श्री ओम बिरला** (कोटा-दक्षिण) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के नियंत्रणाधीन वर्तमान में कितनी एवं किस-किस श्रेणी की यात्री बसें हैं एवं गत तीन वर्षों में कितनी-कितनी बसें और शामिल की गई? वर्षवार प्रत्येक बस की खरीद राशि सहित आगारवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अशोक डोगरा)

(2) क्या यह सही है कि रियायती यात्रा हेतु वरिष्ठ नागरिकों की आयु 60 वर्ष निर्धारित है? यदि हां, तो 01 अप्रैल, 2011 से फरवरी, 2012 तक कितने यात्रियों को इसका लाभ दिया गया? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) दिसम्बर, 2008 से फरवरी, 2012 तक कितने परिचालकों के विरुद्ध अनियमितता की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही की गई एवं उक्त में से कितनों को निलम्बित किया गया तथा कितनों को जांच के दौरान ही पुनः बहाल कर दिया गया एवं उनकी बहाली के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में वर्तमान में कितने परिचालकों पर अनियमितता के आरोपों के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन है एवं इनका कब तक निस्तारण कर दिया जायेगा? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के नियंत्रणाधीन निगम की वर्तमान में उपलब्ध श्रेणीवार यात्री बसों का आगारवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। गत तीन वर्षों में शामिल की गई बसों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-2 पर तथा प्रत्येक बस की खरीद राशि का विवरण परिशिष्ट 3 पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। माह अप्रैल, 2011 से मार्च 2012 तक 51,76,967 वरिष्ठ नागरिकों को लाभ दिया गया है आगारवार विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(3) माह दिसम्बर, 2008 से फरवरी, 2012 तक निगम के विभिन्न आगारों में कार्यरत 12656 परिचालकों के विरुद्ध अनियमितता (बिना टिकट एवं अन्य प्रकार) की शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से 1871 परिचालकों को निलम्बित किया गया तथा 1115 परिचालकों को जांच के दौरान पुनः बहाल किया गया। बहाल करने के प्रमुख कारण निम्न रहे हैं :-

1. प्रकरण गम्भीर प्रकृति का न होना।
2. संचालन व्यवस्था बनाये रखना।
3. निलम्बित हुए 3 माह से अधिक समय हो जाना।
4. जांच पूर्ण होने पर।

(यातायात राज्य मंत्री)

(4) 3046 परिचालकों के विरुद्ध अनियमितता के आरोपों में विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है आगारवार विवरण परिशिष्ट-5 पर संलग्न है। विभागीय जांच पूर्ण होने पर नियमानुसार निस्तारण किया जायेगा ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

धौलपुर जिले में संचालित संस्कृत शिक्षा शिक्षण केन्द्र

667. श्री सुखराम (बसेड़ी) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला धौलपुर में प्राथमिक, उच्च माध्यमिक, प्रवेशिका, वरिष्ठ उपाध्याय के विद्यालय कहां-कहां पर संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में कितने पद सृजित एवं कितने पद भरे हुये तथा कितने पद रिक्त हैं और अब सरकार द्वारा रिक्त पद कब तक भर दिये जावेंगे?

(3) क्या यह सही है कि उक्त जिले में एकमात्र संस्कृत महाविद्यालय संचालित है तथा उसमें विगत 15 वर्षों से प्राचार्य का पद रिक्त है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त रिक्त पद को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सरमथुरा को आचार्य महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) धौलपुर जिले में संचालित राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, प्रवेशिका, वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालयों की सूची परिशिष्ट-"1" पर संलग्न है।

(2) धौलपुर जिले में संचालित राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, प्रवेशिका, वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालयों में स्वीकृत, भरे हुये एवं रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट-"2" पर संलग्न है। रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर ही भरे जा सकेंगे।

(संस्कृत शिक्षा मंत्री)

(3) राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, सरमथुरा, धौलपुर में प्राचार्य का पद अगस्त 2007 से रिक्त चल रहा है।

संस्कृत शिक्षा सेवा नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण प्राचार्य, शास्त्री के पदों को भरने की कार्यवाही नहीं हो पा रही है।

(4) जी हां । संस्कृत शिक्षा सेवा नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नियमों में संशोधन के पश्चात् पदों को भरने की कार्यवाही की जा सकेगी अथवा स्थानान्तरण से प्राचार्य पद भरा जा सकेगा।

(5) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

बारां जिले में संचालित कृषि उपज मण्डी समितियां

668. श्री प्रमोद जैन (भाया) (अन्ता-बारां) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बारां में किस-किस स्थान पर किस-किस श्रेणी की कृषि उपज मंडी किस-किस दिनांक से संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मंडियों में वर्ष 2001 से 2011 तक कितनी-कितनी मात्रा में किस-किस की आवक हुई? वर्षवार/मण्डीवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) जिला बारां की मंडी समितियों को मंडी शुल्क से कितनी-कितनी आय वर्ष 2001 से 2011 तक हुई? वर्षवार व मण्डीवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) बारां जिले में वर्तमान में कुल चार मण्डियां स्थापित हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है-

नाम मण्डी	**श्रेणी**	**स्थापना दिनांक**
1 बारां	'विशिष्ठ'	02.03.1964
2 अन्ता	'स'	24.03.2011
3 अटरू	'स'	06.06.1985
4 छबड़ा	'अ'	22.02.1976

(2) वर्ष 2001 से 2011 तक प्राप्त आवक का मण्डीवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(कृषि विपणन राज्य मंत्री)

(3) वर्ष 2001 से 2011 तक मण्डी शुल्क से प्राप्त आय का मण्डीवार वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीगंगानगर जिले में होमगार्डस के जवानों को देय मानदेय

669. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला श्रीगंगानगर में कुल कितने होमगार्डस के जवान कार्यरत हैं और इनको एक वर्ष में कितने माह की ड्यूटी दी जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जवानों को प्रतिदिन कितना मानदेय दिया जाता है? क्या सरकार इनका मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है? क्या सरकार 20 वर्ष की अवधि पर डिस्चार्ज की शर्त खतम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि होमगार्ड के जवानों को एक वर्ष में पांच माह की ड्यूटी दी जाती है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इनके जीवन यापन को ध्यान में रखते हुए ठोस कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) 1. श्रीगंगानगर जिले में बोर्डर होम गार्डस में 657 एवं अरबन होम गार्डस में 657 स्वयं सेवक उपलब्घ हैं, जिसमें से सीमा गृह रक्षा दल के 572 तथा शहरी गृह रक्षा के 176 स्वयं सेवक वर्तमान में नियोजित हैं।

2. सीमा गृह रक्षा के लगभग सभी सदस्यों को एक वर्ष में 12 माह की डयूटी दी जाती है तथा शहरी गृह रक्षा के लगभग सभी सदस्यों को एक वर्ष में 05 माह की डयूटी दी जाती है।

(2) 1. बोर्डर होम गार्डस के स्वयं सेवकों को प्रतिदिन 367.00 रु. तथा शहरी गृह रक्षा के स्वयं सेवकों को 200.00 रु. प्रतिदिन मानदेय दिया जाता है।

2. ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

3. 20 वर्ष की सेवा अवधि पर डिस्चार्ज किये जाने का नियमों में कोई प्रावधान नही है।

(गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री)

(3) 1. जी हां। सीमा गृह रक्षा एवं शहरी गृह रक्षा, श्रीगंगानगर के स्वयं सेवकों को वर्ष में 05 माह से अधिक की डयूटी दी जा रही है। राज्य सरकार होम गार्डस स्वयं सेवकों के जीवन यापन हेतु वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं अन्य विभागों/संस्थाओं एवं अन्य एजेन्सियों की मांग के अनुसार इनका नियोजन किया जाता है।

2. ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही हैं।

स्थगित प्रश्न

बुधवार, 28 मार्च, 2012

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों के रिक्त पद

247. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) : क्या भाषा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि स्कूली शिक्षा में (माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में) पुस्तकालयों के लिए ग्रेड I, II, III पुस्तकालयाध्यक्षों के पद स्वीकृत हैं? यदि हां, तो कहां-कहां किस-किस श्रेणी के पुस्तकालय में कितने-कितने पद कब सृजित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने पदों पर कहां-कहां पद भरे हुए हैं एवं कहां-कहां पर किस-किस पुस्तकालय में कब से पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नई भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पुस्तकालयाध्यक्षों को अब तक पदोन्नति नहीं दी गई है? यदि हां, तो क्यों व नहीं, तो कब तक पदोन्नति देने का विचार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में स्कूल शिक्षा में (माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में) पुस्तकालयों के लिए ग्रेड़ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुस्तकालयाध्यक्ष के पद स्वीकृत हैं। स्वीकृत पुस्तकालयाध्यक्षों की विद्यालयवार सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। पदों के सृजन हेतु वर्षवार सूचनाएं श्रम साध्य होने के कारण अभी दिया जाना सम्भव नहीं है।

(भाषा मंत्री)

(2) उक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत व रिक्त पदों का विवरण तथा पद कब से रिक्त हैं, के विवरण का उल्लेख संलग्न परिशिष्ट "क" में कर दिया गया है।

(3) राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम-1971 में द्वितीय वेतन श्रृंखला पु.अ. के पदों पर पदोन्नति एवं सीधी भर्ती पर रोक है। पुस्तकालयाध्यक्ष के तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती किये जाने हेतु विभागाध्यक्षों से प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

(4) जी नहीं। पुस्तकालयाध्यक्षों को दी गई पदोन्नति के डीपीसी के अन्तिम वर्ष का विवरण इस प्रकार से है :-

क्र.सं.	**पदनाम**	**अन्तिम पदोन्नति वर्ष**
01	प्रथम श्रेणी पुस्तकालयाध्यक्ष	2002-03
02	द्वितीय श्रेणी पुस्तकालयाध्यक्ष	चूरू मण्डल 1999-2000
		कोटा मण्डल 2006-07
		जयपुर मण्डल 2001-02
		जोधपुर मण्डल 1998-99
		अजमेर मण्डल 2001-02
		उदयपुर मण्डल 2005-06

वर्तमान में डी पी सी आयोजन पर प्रतिबन्ध है। प्रतिबन्ध हटने पर ही डी पी सी का आयोजन किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-328 की सूची)

परिशिष्ट 'अ'

हल्दीघाटी में पर्यटन विभाग द्वारा कराये गये विकास कार्यों का विवरण

1. हल्दीघाटी नेक के कार्य व बाइपास सड़क निर्माण
2. हल्दीघाटी में सम्पर्क सड़क का निर्माण
3. चेतक समाधि स्थल पर विभिन्न विकास कार्य जैसे लैण्डस्केपिंग, सम्पर्क सड़क, रिटेनिंग वाल आदि ।
4. महाराणा प्रताप स्मारक (प्रताप स्मारक), चेतक मगरी पर विभिन्न विकास कार्य एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य।
5. ओपन एयर थियेटर का निर्माण व ओरनामेंटल दासा
6. कम्पाउण्ड वाल का निर्माण व लोहे का दरवाजा
7. घोड़े पर सवार अष्टधातु की प्रतिमा मय ओरनामेंटल पेडेस्टल
8. पानी का टैंक व ट्यूबवैल व पम्प का निर्माण कार्य
9. बिजली के खम्भे लगाने का कार्य
10. पाथ वे स्टेच्यू पाइन्ट तक स्टोन कार्विंग का कार्य व स्टेच्यू पाइन्ट तक का विकास कार्य व फ्लोरिंग ।